लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. B 60
Date 5/3/90

(खंड 46 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

मंगलवार, 9 मई, 1989/19 वैशाख, 1911 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
विषय सूची (i)	14	"विधन" के स्थान पर "विधान" पढ़िये।
30	नीचे से 12	शीर्षक में "उत्तर प्रवेश" के स्थान पर "उत्तर प्रदेश" पढ़िये।
175	5	शीर्षक में "नेयवेली" के स्थान पर "नेवेली" पढ़िये।
175	नीचे से 1	"(क) से (ग)" के स्थान पर "(क) से (घ)" पढ़िये।
288	6	"विधा घोष गोस्वामी" के स्थान पर "विभा घोष गोस्वामी" पढ़िये।

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 50, तेरहवां सत्र, 1989/1910-1911 (शक)

अंक 45, मंगलवार, 9 मई, 1989/19 वैशाख, 1911 (शक)

विषय			पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	...	...	1—26
*तारांकित प्रश्न संख्या : 904 से 9 1,			
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	...	...	26—223
*तारांकित प्रश्न संख्या : 912 से 924, 804 और 814			
अतारांकित प्रश्न संख्या : 8593 से 8818,			
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	...	...	223—232
याचिका समिति	...	...	233
10वां प्रतिवेदन			
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	...	...	233
24वां प्रतिवेदन			
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति		...	233—236
16वां प्रतिवेदन			

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय पृष्ठ

अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण ... ... 236—247

संस्कृत के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया जाना

प्रो० नारायण चन्द पराशर ... 236—237,238—242

श्री एल० पी० शाही ... 237—238,247

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर ... ... 242—243

श्री उमाकांत मिश्र ... ... 243—245

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी ... ... 245—247

नियम 377 के अधीन मामले ... ... 248—252

(एक) चुंगी की वर्तमान प्रणाली के स्थान पर एक समान अधिशुल्क लगाए जाने की आवश्यकता

श्री निहाल सिंह जैन 248

(दो) कलकत्ता में एक केन्द्रीय रोजगार कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री आशुतोष लाहा ... ... 248—249

(तीन) आय कर अधिनियम की धारा 80 एच० एच० सी० के अन्तर्गत "प्रस्तावित निर्यात" पर आयकर से छूट की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी 249

(चार) महान स्वतन्त्रता सेनानी, राजा महेन्द्र प्रताप की वृन्दावन में स्थित जीर्ण-शीर्ण समाधि का नवीकरण किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती ऊषा रानी तोमर ... ... 249—250

(पांच) मध्य प्रदेश के भिण्ड और दतिया जिलों के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री कृष्ण सिंह 250

(छः) महाराजा उम्मेद मिल्स, पाली, राजस्थान के श्रमिकों को छंटनी किए जाने की निष्पक्ष जांच कराए जाने तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की मांग			
श्री शंकर लाल	...	...	251
(सात) दार्जीलिंग में अर्थव्यवस्था में सुधार किए जाने और विकास कार्यों के लिए वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता			
श्री आनन्द पाठक	...	...	251--252
(आठ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विकेन्द्रीकरण किए जाने की आवश्यकता			
डा० ए० कलानिधि	...	...	252
(नौ) किसानों को उनसे अधिग्रहीत भूमि के लिए किए गए भुगतान पर आयकर वसूल किए जाने की नीति समाप्त किए जाने की आवश्यकता			
श्री सी० जंगा रेड्डी	...	...	252
पंजाब में लागू राष्ट्रपति शासन जारी रखे जाने के बारे में सांविधिक संकल्प	...	...	252—302
श्री राम नारायण सिंह	...	...	253—255
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया	...	...	255—260
श्री इन्द्रजीत गुप्त	...	...	260—265
श्री चरनजीत सिंह वालिया	...	...	264—266
श्री जगन्नाथ पटनायक		...	266—268
कुमारी ममता बनर्जी	...	...	268—270
श्री सी० जंगा रेड्डी	...	...	270—271
श्री मेवा सिंह गिल	...	...	271—274
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया	...	...	275—277
श्री पीयूष तिरकी	...	...	277—278
श्री ई० अय्यपू रेड्डी	...	...	278—280

विषय			पृष्ठ

श्री भद्रेश्वर तांती	...	...	280—281
श्री अब्दुल रशीद काबुली	...	...	282
श्री अमर राय प्रधान	...	...	282—284
डा० दत्ता सामंत	...	...	284—285
सरदार बूटा सिंह	...	...	285—298
आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक और चण्डीगढ़ विक्षुब्ध क्षेत्र (संशोधन) विधेयक		...	301—320
विचार करने के लिए प्रस्ताव			
सरदार बूटा सिंह	...	...	301—302
श्री ई० अय्यपू रेड्डी	...	...	302—305
श्री अजीज कुरैशी	...	...	305—312
श्री तम्पन थामस	...	...	313—314
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	...	...	314—315
श्री अमल दत्ता	...	...	315—317
श्री विजय कुमार यादव	...	...	317—319
श्री सी० जंगा रेड्डी	...	...	319—320

लोक सभा

मंगलवार, 9 मई, 1989/ 19 वैशाख, 1911 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पंजीकृत कम्पनियों में विदेशी पूंजी-निवेश

[अनुवाद]

*904. श्री सैयद शाहबुद्दीन :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ऐसी पंजीकृत कम्पनियों के नाम क्या हैं; जिनका, उनकी सहायक कम्पनियों सहित गत वित्त वर्ष जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं, में, एक हजार करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार हुआ है;

(ख) इन कम्पनियों में से प्रत्येक में विदेशी पूंजी निवेश कितना है;

(ग) इन कम्पनियों में से प्रत्येक द्वारा किन महत्वपूर्ण मदों का निर्माण किया जाता है और/अथवा वितरण किया जाता है;

(घ) इनमें से प्रत्येक कम्पनी में कुल कितने विदेशी कर्मचारी हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

क्र०सं०	कम्पनी का नाम	तुलन पत्र का महीना तथा वर्ष	शेयर पूंजी में भागीदारी के माध्यम से विदेशी निवेश का स्तर	विनिर्मित तथा/या वितरित मुख्य वस्तुएं	कम्पनी में विदेशी कर्मचारियों की कुल संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	स्टील अथारिटी आफ इंडिया	3/88	शून्य	विभिन्न रूपों में स्टील, स्टील, इंगोट्स, कास्ट आयरन, बेचने योग्य स्टील, अलौह, कास्टिंग स्टील, स्पन पाइप्स एण्ड फिटिंग्स, गस्केट्स फैरो मैंगनीज़, मैंगनीज फैरो स्लेग आदि	91
2.	इण्डियन आयल कारपोरेशन लि०	3/88	शून्य	पैट्रोलियम रिफाइनरी तथा अन्य पैट्रोलियम उत्पाद	52
3.	मद्रास रिफाइनरीज लि०	3/88	1.67	पैट्रोलियम कच्चा ल्यूब्स पी०टी०ए० तथा अन्य पैट्रोलियम उत्पाद	शून्य
4.	हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लि०	3/88	शून्य	पैट्रोलियम रिफाइनरी तथा अन्य पैट्रोलियम उत्पाद	शून्य

1	2	3	4	5	6
5.	भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लि०	3/88	शून्य	पैट्रोलियम रिफाइनरी तथा अन्य पैट्रोलियम उत्पाद	3
6.	भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि०	3/87	शून्य	विद्युत सृजन उपकरण बायलर्स, टरबो सैट, ट्रांसमिशन प्रोडक्ट्स तथा सिस्टम्स आदि	शून्य
7.	मिनरल एण्ड मैटल ट्रेडिंग कारपोरेशन	3/88	शून्य	प्राथमिक रूप से विनिर्मित उत्पाद लौह तथा अलौह धातुओं, उर्वरक तथा इसकी अधिकांश कच्ची सामग्री जैसी औद्योगिक वस्तुओं का आयात	3
8.	स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन लि०	3/88	शून्य	चीनी, खाने के तेल, चमड़ा तथा इसके उत्पाद, खाद्यान्न, कपड़ा रसायन/औषधियां तथा औषधि-निर्माता, चाय, काजू तथा लघु उद्योग हाथ से बने उत्पाद, रेलवे उपकरण, कपड़ा बनाने के यंत्र तथा अन्य भारी मशीन आदि	33
9.	कोल इन्डिया लि०	3/88	शून्य	कोयला, कोक, धुलाई के उत्पाद तथा साधारण वस्तुएं आदि	108

1	2	3	4	5	6
10.	आई०बी०पी० कम्पनी लि०	3/88	शून्य	पेट्रोलियम उत्पाद जैसे मोटर स्पिरिट एच०एस०डी० तेल, लाइट डीजल आयल, मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल आदि मशीनरी संयंत्र तथा उपकरण वैक्यूम उपकरण तथा सेवायें, फ्रिज सुखाने के संयंत्र, क्राइयो कन्टेनर्स तथा सहायक वस्तुएं, एल०पी०जी० रेगुलेटर्स, एल०पी०जी० वाल्व आदि। औद्योगिक विस्फोटक, साइट मिक्सड स्लरी—अन्य विस्फोटक बैरल्स तथा ड्रम्स, एल०पी०जी० सिलिंडर मैरीन तथा विशेष कनटेनर्स, चमड़े से बनी विभिन्न वस्तुएं आदि। ट्रेवल, टूर एवं कारगो, चाय निर्यात, ट्रेडिंग वेयर हाऊसिंग एण्ड डिस्टरी-ब्यूटिंग।	शून्य
11.	आई०टी०सी० लि०	6/87	11.39	सिगरेट, पीने का तम्बाकू, मुद्रित सामग्री, जहाजी उत्पाद, होटल बिक्री।	3
12.	टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लि०	3/87	9.92	ट्रकों तथा बसों की चैसियां, वाहनों के अतिरिक्त पुर्जे, उत्खनक, जहाजी इंजन	शून्य

1	2	3	4	5	6
13.	टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी लि०	3/88	0.15	बेचने योग्य स्टील, लौह, मैंगनीज कंटीन्यूअस, वेल्ड ट्यूब्स, कोल्ड रोल्ड स्ट्रीप्स, इलैक्ट्रिक रैसिसटेंस वेल्ड ट्यूब्स, सीवन ट्यूब्स, अमोनियम सल्फेट, एलाय स्टील बाल बेयरिंग रिंग्स, बेयरिंग्स रिफ्रेक्टरीज, लौह सल्फेट, आयरन के आक्साइड, माइल्ड स्टील वायर्स, विशेष विलेट्स/इनगोट्स स्टील वायर रोड्स।	शून्य
14.	रिलायन्स इन्डस्ट्रीज लि०	6/88	शून्य	यार्न (पोलिस्टर एण्ड ब्लैन्डड आदि) पोलिस्टर चिट्स पोलिस्टर स्टेपल फाइबर, प्योरीफाइड टेरेपैथलिक एसिड, लाइनर, अलकाइल, बेंजीन ब्लैंडेड यार्न, फैबरिक्स आदि।	2

श्री सैयद शाहबुद्दीन : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि मुझे कभी-कभी ही हार का सामना करना पड़ता है। आज मुझे यह पता चला है कि मेरा प्रश्न नहीं चला है। परन्तु मंत्री महोदय के वक्तव्य से मुझे पुन: यह आश्वासन मिला है कि इन 14 अनुसूचित फर्मों में से 10 फर्में सार्वजनिक क्षेत्र में हैं और 4 फर्में निजी क्षेत्र में हैं और इन 4 फर्मों में से केवल 2 फर्मों में ही विदेशी निवेश उल्लेखनीय रहा है। यह एक पुनर्आश्वासन का मामला है। अब मेरा प्रश्न यह है कि आई०टी०सी० लिमिटेड और टाटा इंजीनियरिंग एन्ड लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड से सम्बन्धित मद संख्या 11 और 12 के इन दोनों मामलों में विदेशी निवेश लगभग 10 प्रतिशत रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या विदेशी भागेदारी को ध्यान में रखते हुए इन दोनों फर्मों पर निर्यात के दायित्वों को लागू किया गया है और उन्हें किस सीमा तक पूरा किया गया है।

श्री जे० वेंगल राव : महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है कि इन 14 कम्पनियों में से 10 कम्पनियां सार्वजनिक क्षेत्र में हैं और 4 कम्पनियां निजी क्षेत्र में हैं। उन्होंने दो कम्पनियों अर्थात टेलको और आई०टी०सी० के बारे में पूछा है। जहां तक 4 गैर-सरकारी कम्पनियों का सम्बन्ध है, निर्यात से होने वाली उनकी आय 21 करोड़ रुपये और 38 करोड़ रुपये के बीच रही है।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : इसका अभिप्राय यह है कि स्थिति खराब है। 10 प्रतिशत भागेदारी और लगभग 1000 करोड़ रुपये के कारोबार से निर्यात स्तर लगभग 30 करोड़ रुपये अथवा 40 करोड़ रुपये होना चाहिए। मैं समझता हूं कि सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिए।

महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि मुझे इसमें एक बात बहुत रुचिकर लगती है। जब हम इन कम्पनियों में विदेशी कर्मचारियों के प्रश्न पर आते हैं तो मुझे यह पता लगता है कि इन सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों में अपेक्षाकृत भारी संख्या में विदेशी कर्मचारी हैं। उदाहरणतया मैं केवल बड़ी कम्पनियों का उल्लेख करता हूं—एस०ए०आई०एल० 'सेल' में 91, आई०ओ०सी० में 52, एस०टी०सी० में 33 और कोल इन्डिया में 108 विदेशी कर्मचारी हैं। इन फर्मों में उच्च स्तर के विदेशी कर्मचारी हैं। इसका कारण मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि ऐसे मामलों में विदेशी कर्मचारियों को भर्ती करने से पहले क्या इन फर्मों द्वारा सरकार से पूर्व-अनुमति प्राप्त कर ली गई थी और क्या भारतीय बाजार में ऐसी विशेषज्ञता की उपलब्धता अथवा अनुपलब्धता की जांच कर ली गई थी।

श्री जे० वेंगल राव : महोदय, सामान्यत: विदेशी कर्मचारियों को भर्ती करने से पहले वे सरकार की अनुमति प्राप्त करते हैं। ऐसा एक मामला है। विजाग इस्पात संयंत्र निर्माणाधीन है। हमने इस कार्य में सोवियत रूस का सहयोग प्राप्त किया है। 'सेल' में 78 रूसी, 12 पोलिश और एक पश्चिमी जर्मनी का कर्मचारी है। विदेशी कर्मचारी हमारे यहां इसी प्रकार कार्यरत हैं। इसमें कुछ भी अवैध नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा। आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के सन्दर्भ में क्या मैं यह जान सकता हूं कि जहां तक मारुति-सुजुकी सहयोग का सम्बन्ध है क्या इस सहयोग के आरम्भ में सुजुकी के लिए इक्विटी शेयर 26 प्रतिशत से 28 प्रतिशत तक नियत किया गया था और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए अब उन्होंने यह मांग की है कि उन्हें इसमें 46 प्रतिशत इक्विटी शेयर की अनुमति दी जानी चाहिए। मैं यह जानना चाहूंगा कि

क्या आपने इस बात को स्वीकार किया है और यदि आपने इसे स्वीकार किया है तो क्या ऐसा करने का एक कारण यह है कि इस सहयोग को लागू करते समय आपने उन्हें अपने इक्विटी शेयर को बाद में बढ़ाने का अधिकार पहले ही दे दिया था।

श्री जे० वेंगल राव : मुझे बहुत खेद है कि प्रो० दंडवते ने प्रश्न को छोड़ दिया है। यह प्रश्न उन उपक्रमों के बारे में है जिनका कारोबार 1000 करोड़ रुपये से अधिक है। अतः मुझे यह नहीं कहना चाहिए कि यह प्रश्न असंगत है परन्तु उन्हें इस बारे में ध्यान देना चाहिए।

प्रो० मधु दंडवते : यह प्रश्न का केवल एक भाग है कि क्या कुल कारोबार उतना है अथवा नहीं। सहयोग प्रश्न का दूसरा भाग है और देश के राष्ट्रीय हित में इक्विटी शेयरों के बारे में इस विवाद को जानना चाहूंगा और इसलिए मुख्य विषय से थोड़ा हटकर क्या आप हमें इस बारे में सूचना दे सकते हैं? आपने केवल एक तकनीकी उत्तर दिया है।

श्री जे० वेंगल राव : नहीं, नहीं। मैं यह सूचना नहीं दे सकता। कृपया प्रश्न को पढ़िये।

प्रो० मधु दंडवते : मैं मानता हूं कि यह प्रश्न उन कम्पनियों के बारे में है जिनका कारोबार 1000 करोड़ रुपये से अधिक है। यह सच है। परन्तु यह सूचना भी ज्वलंत सूचना है। क्या मारुति और सुजुकी ऐसी पवित्र गाय हैं जिन्हें छूना नहीं चाहिए?

श्री जे० वेंगल राव : मुझे इस सूचना की जानकारी है परन्तु यदि आप चाहते हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं और मैं उसका उत्तर दूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : यह क्या है? महोदय उनके पास यह सूचना है। वे कहते हैं कि मैं यह सूचना देने के लिए तैयार हूं। रुचिकर बात यह है कि मुझे उन्हें लिखना चाहिए। (व्यवधान) मैं आपको अभी एक पत्र लिख रहा हूं : मंत्री महोदय, मुझे यह सूचना चाहिए। क्या आप मुझे यह सूचना देंगे?

श्री जे० वेंगल राव : मैं एक उत्तर भेज दूंगा : श्री मधु दंडवते, इस बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है, मैं आपको बाद में यह सूचना देने का प्रयास करूंगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा। सूचित करने का यह एक अच्छा तरीका है···

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मंत्री महोदय ने एक नौकरशाह की तरह उत्तर दिया है। एक नौकरशाह एक सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त करते समय यह कहता है "हमें आपको बर्खास्त करते हुए खुशी होती है।" (व्यवधान)

ऊर्जा मंत्री श्री (वसन्त साठे) : महोदय, देखिए कितने मधुर सम्बन्ध हैं।

तट से दूर नये तेल शोधक कारखाने

***905. डा० दत्ता सामन्त** :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गैर-सरकारी अथवा संयुक्त क्षेत्र में तट से दूर कुछ नये तेल शोधक कारखाने स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) हालांकि विदेश में रिफाइनरी की स्थापना के लिए निवेश करने की अनुमति लेने के वास्ते एक प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ है। इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

डा० दत्ता सामन्त : क्या सरकार निजी क्षेत्र में तट से कुछ दूर कुछ तेल शोधक कारखानों को स्थापित करने की अनुमति देने के बारे में विचार कर रही है। जो उत्तर दिया गया है वह वह विदेश में तेल शोधक कारखाने स्थापित करने के लिए निवेश के बारे में है। परन्तु प्रश्न और उसका उत्तर पूर्णतया विरोधी हैं। सरकारी नीतियों के अनुसार विद्युत सप्लाई और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का भी निजीकरण हो जाएगा। तदनुसार क्या निजी अथवा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को अपतट से निकाले गए पेट्रोलियम अथवा अन्य उत्पाद देने के लिए सरकार के पास इस समय कोई प्रस्ताव लम्बित है ? यदि हां तो उन कम्पनियों के क्या नाम हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त : महोदय, यदि 'अपतट' से माननीय सदस्य का अभिप्राय 'भारत के समुद्री जल के अन्तर्गत' से है समुद्र तट पर नहीं, तो निश्चित रूप से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। हम इस प्रकार के किसी प्रस्ताव के बारे में विचार नहीं कर रहे हैं क्योंकि तेल शोधक कारखाना समुद्र में नहीं लगाया जा सकता। जब हमें विदेशों में कोई कार्य करते हैं तो सामान्यतः उसे भी अपतटीय कार्य कहा जाता है। हमें केवल एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और वह प्रस्ताव भी हमारे विचाराधीन है। लेकिन, उसके बारे में भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। परन्तु हम अपतटीय क्षेत्रों का निजीकरण अथवा इस प्रकार का कोई अन्य कार्य करने नहीं जा रहे हैं।

डा० दत्ता सामन्त : महोदय, बम्बई में मेरे निवास-स्थान के पास सभी अपतटीय और ओ०एन०जी०सी० परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं। हम सम्पूर्ण देश के लोगों को भारी मात्रा में संसाधन दे रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 8 जून, 1983 और 5 अक्तूबर, 1988 को बहुत से अभ्यावेदन दिए हैं। ये सभी पाइप लाइन हजीरा और उत्तर प्रदेश को जाती हैं। मेरे पास इस बारे में सम्पूर्ण पत्राचार उपलब्ध है। ओ०एन०जी०सी० गैस के लिए एक अलग पाइप लाइन होनी चाहिए। यह लाइन सूरत और भुसावल से होकर आनी चाहिए ताकि विदर्भ और मराठवाड़ा का विकास किया जा सके और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो इसे मोड़कर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर ले आया जाना चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री ने आपको और प्रधानमन्त्री को भी कई बार ये प्रस्ताव दिए हैं। प्रधान मन्त्री महोदय ने भी 5-10-1988 को यह कहते हुए एक पत्र लिखा था कि "हम इस बारे में विचार करेंगे, आप पेट्रोलियम मन्त्री से सम्पर्क कीजिए।" जब ओ०एन०जी०सी० के सभी उत्पाद महाराष्ट्र से आ रहे हैं और जब इस पाइप लाइन को महाराष्ट्र से होकर ले जाने अथवा यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो इसे महाराष्ट्र से होकर मोड़ने के लिए, एक व्यवहार्य प्रस्ताव है, क्योंकि विदर्भ और मराठवाड़ा का विकास किया जाना चाहिए हमने इस बारे में सम्पूर्ण विस्तृत ब्यौरा दिया है—तो क्या सरकार इस बारे में विचार करेगी ?

श्री ब्रह्म दत्त : महोदय, माननीय सदस्य विषय को तेल शोधक कारखाने से हटाकर प्राकृतिक गैस पर ले आये हैं। महाराष्ट्र को प्राकृतिक गैस का एक भारी हिस्सा प्राप्त हुआ है और हम पाइप लाइनों के माध्यम से घरेलू उपयोग के लिए भी प्राकृतिक गैस सप्लाई करने के बारे में विचार कर रहे हैं। वह प्रस्ताव विचाराधीन है और इस बारे में व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की जा रही है। हम उरन से भी पाइप लाइनें डाल रहे हैं और विभिन्न संसाधनों को भी जोड़ रहे हैं। इस बारे में

स्थिति में सुधार होने पर हम महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध को ध्यान में लेंगे। हमने कुछ अतिरिक्त वायदे भी किये हैं। यह प्रश्न प्राकृतिक गैस से संबंधित नहीं है। अतः मैं आपको इसकी विस्तृत जानकारी नहीं दे सकता परन्तु यदि आप इसकी विस्तृत जानकारी के लिए अलग से प्रश्न पूछते हैं तो मैं आपको इसकी विस्तृत जानकारी दे सकता हूं। मैंने इस सदन में कई बार यह जानकारी दी है। परन्तु मूलतः यह प्रश्न तेल शोधक कारखाने से संबंधित है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, मंगलौर तेल शोधक कारखाना और पैट्रो-कैमिकल कम्पलैक्स एक ऐसी परियोजना है, जिसे छठी योजना में शामिल किया गया था और कुछ समय बाद ही हम आठवीं योजना आरम्भ करने जा रहे हैं। अब चार वर्षों तक कार्यवाही करने के बाद इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूरी हुई है और उसे मंत्रालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि भारत सरकार द्वारा इस विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को कब मंजूरी दी जाएगी अथवा क्या तेल शोधक कारखाने संबंधी परियोजना को कम खर्चीला बनाने के लिए, पैट्रो-कैमिकल कम्पलैक्स को रिफाइनरी से अलग करने की दिशा में कोई प्रयास किया जा रहा है।

उस संदर्भ में सरकार के लिए यह कहना आसान होगा कि चूंकि यह लाभकारी नहीं है इसलिए इसे छोड़ा जा सकता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उस परियोजना को समाप्त करने के लिए ऐसे कोई प्रयास किए जा रहे हैं अथवा क्या मंत्री महोदय इस सभा तथा कर्नाटक की समूची जनता को यह आश्वासन देने की स्थिति में हैं कि इस परियोजना को स्वीकृति दी जाने वाली है तथा इसे बहुत जल्द ही शुरू किया जाएगा।

श्री ब्रह्म दत्त : महोदय, मंगलौर तेल शोधनशाला में इसलिए विलम्ब हुआ क्योंकि बजट में इसके लिए पूंजी निवेश का प्रावधान नहीं किया गया था। बजट में इसका समर्थन नहीं किया गया था। इसीलिए मैंने सरकार से यह अनुरोध किया कि यह परियोजना संयुक्त उद्यम में आनी चाहिए और जब सरकार ने उस बारे में निर्णय लिया तब हमने इस संयुक्त उद्यम का भी समर्थन किया और आधारभूत ढांचे के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। माननीय सदस्य ने देखा होगा कि आधारभूत ढांचे का प्रावधान किया गया था।

अब हमारे पास 'डी० पी० आर०' है। हम इसे सरकार, योजना आयोग और उद्योग मंत्रालय के समक्ष रखने जा रहे हैं। हम इस सबका समर्थन करेंगे क्योंकि मैं पेट्रोकैमिकल काम्प्लेक्स की, 3 मिलियन टन की बुनियादी रिफाइनरी के लिए किए गए वायदे का समर्थन करता हूं। हम इसे पूरा करेंगे। चूंकि 'डी० पी० आर०' का निर्माण इसी आधार पर किया जाता है, हम इसका पूरी तरह समर्थन करते हैं और आशा करते हैं कि इसके कारणों को महत्व दिया जाएगा।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदय, मंत्री जी सरकार की ओर से जवाब दे रहे हैं। इसलिए सरकार होने के नाते, मैं उनसे यह आश्वासन चाहता हूं कि इस परियोजना को रद्द नहीं किया जा रहा है, इसे अनुमोदित किया जाएगा और इस पर काम शुरू होगा अतः उन्हें प्रभारी पैट्रोलियम मंत्री के नाते नहीं अपितु भारत सरकार होने के नाते जवाब देना होगा। मैं भारत सरकार से यही आश्वासन चाहता हूं।

श्री ब्रह्म दत्त : महोदय, माननीय सदस्य का कहना है कि परियोजना को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। किन्तु मैं उसकी प्रक्रिया बता रहा हूं।

डॉ० कृपासिंधु भोई : महोदय, नियम 377 के अन्तर्गत, मैंने पारादीप में पैट्रो कैमिकल

काम्प्लैक्स और रिफाइनरी के बारे में जिक्र किया था। मंत्रालय ने यह जवाब दिया कि अभी भी यह प्रारम्भिक स्थिति में है और समय आने पर इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

मैं जानना चाहता हूं कि वर्तमान स्थिति क्या है और क्या मंत्री महोदय सभा के माध्यम से इस बात पर प्रकाश डाल सकते हैं ताकि उड़ीसा की जनता खुशी महसूस कर सके।

श्री ब्रह्म दत्त : महोदय, आठवीं योजना में हमें अतिरिक्त शोधन क्षमता की जरूरत है। आठवीं योजना पर चर्चा चल रही है। योजना आयोग निश्चय ही इस पर विचार करेगा और स्थान के बारे में बाद में निर्णय लिया जाएगा। पारादीप भी विचारणीय स्थानों में से एक है।

श्री पी० के० थुंगन : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या अरुणाचल प्रदेश में परिशोधनशाला स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में खरसियांग और कन्चई स्थानों पर तेल का पता चला है। वहां ड्रिलिंग का काम जारी है। हम समझते हैं कि यह एक नई और बहुत अच्छी बात है। यदि वहां पर परिशोधनशाला खोली जाती है के इससे वहां के काफी लोगों को रोजगार मिलेगा तथा साथ ही जनता को प्रोत्साहन भी मिलेगा।

श्री ब्रह्म दत्त : माननीय सदस्य परिशोधनशाला से बहुत आकर्षित हैं। माननीय सदस्य को यह जानकर खुशी होनी चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश में तेल का पता चला है। हम इसके अन्वेषण के लिए और अधिक प्रयास करेंगे। ये परिशोधनशालाएं उन क्षेत्रों में स्थापित हैं जहां इनकी मांग भी है। अतः यह स्थिति अब तक नहीं आई है। अरुणाचल में हमारा कार्य प्रथम चरण में है और यह बहुत अच्छी बात है कि वहां तेल का पता चला है।

श्री पी० के० थुंगन : मैं मंत्री महोदय से आश्वासन लेना चाहता हूं। चूंकि वहां तेल का पता चला है और ड्रिलिंग का काम जारी है, उस राज्य की जनता को रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए और उन्हें रोजगार में फायदा भी पहुंचाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहां तेल का पता चला है और उसे परिशोधन के लिए राज्य से बाहर किसी अन्य स्थान पर ले जाया गया है। इसीलिए मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह वहां पर परिशोधनशाला खोले जाने पर विचार करें और इस प्रस्ताव को अस्वीकृत न करें।

श्री ब्रह्म दत्त : तेल से अरुणाचल प्रदेश की जनता अधिक समृद्ध होगी और उन्हें रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे।

श्री भद्रेश्वर तांती : महोदय, यह सच है कि असम में कई स्थानों पर तेल की खोज की गई है। हाल ही में विशेष रूप से मेरे जिले, गोलाघाट में तेल की खोज की गई है। असम एक मात्र ऐसा स्थान है जहां अधिकतम तेल मिला है। लेकिन जहां तक परिशोधनशालाओं का संबंध है, मात्र दो छोटी परिशोधनशालाएं वहां स्थापित की गई हैं जिनकी कुल क्षमता 1.25 मिलियन टन है। किन्तु असम से निकाले गए तेल के परिशोधन के लिए असम से बाहर स्थापित की गई परिशोधशालाओं की क्षमता 6 मिलियन टन से अधिक है।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि असम समझौते के अन्तर्गत नई परिशोधनशाला स्थापित करने के लिए उनका मंत्रालय क्या कदम उठा रहा है और क्या वह प्रस्तावित परिशोधनशाला मेरे जिले गोलाघाट, नामलिघर में स्थापित की जाएगी। मैं मंत्री महोदय से इसका स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री ब्रह्म दत्त : यह परिशोधनशाला परियोजना पहले निजी क्षेत्र में स्थापित की जानी थी

किन्तु दुर्भाग्य से कोई गैर-सरकारी उद्यमी आगे नहीं आया। अत: हमने यह परियोजना सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा और पुन: दुर्भाग्य से असम सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि इसे संयुक्त क्षेत्र में स्थापित किया जाना चाहिए और इसमें उनका कुछ अंश होना चाहिए। हम उस पर भी राजी हो गए। अब वह संयुक्त उद्यम बनाने की प्रक्रिया जारी है और संयुक्त उद्यम के बनने के बाद, इसके स्थान आदि के बारे में निर्णय लिया जाएगा। (व्यवधान)

केरल में खाना पकाने की गैस की एजेंसियां

*906. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में जिलेवार, खाना पकाने की गैस की एजेंसियों की संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 1988-89 के दौरान केरल में खाना पकाने की गैस की मासिक औसत खपत क्या रही;

(ग) क्या सरकार का कन्नानोर, वयानाड, कालीकट और कासारगोड़ जिलों में खाना पकाने की गैस की और एजेंसियां आबंटित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) विवरण-1 सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ख) केरल राज्य में एल० पी० जी० की औसत मासिक खपत 4128 टन है।

(ग) जी, हां।

(घ) विवरण-2 सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण-1

1-4-1989 को केरल में कार्यरत एल० पी० जी० वितरण केन्द्र

क्र० सं०	जिला	कुल
1	2	3
1.	एलेपी	8
2.	कन्नानोर	6
3.	अरनाकुलम	32
4.	इदुकी	3
5.	कोजीकोडे	9

1	2	3
6.	मालापुरम	5
7.	पालघाट	10
8.	कोट्टायम	10
9.	क्वीलोन	10
10.	त्रिवेन्द्रम	19
11.	त्रिचुर	15
12.	पटालमंचिट्टा	6
13.	वयानाद	1
14.	केसोरगोड़	4
	कुल जोड़	138

विवरण-2

क्र० सं०	स्थान	जिला
1.	कोडियेरी	कन्नानोर
2.	कालीकट यू० ए०	कालीकट
3.	कन्नानोर	कन्नानोर
4.	पयानगडी	कन्नानोर
5.	केसोरगोड़े	केसोरगोड़े
6.	कूथूपरम्बा	कन्नानोर
7.	मथानूर	कन्नानोर
8.	कून्नामंगलम	कोजीकोड़े
9.	मनांथवडी	वयानाद
10.	सुल्तान''स बैटरी	वयानाद

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : खाना पकाने की गैस के अधिक प्रयोग के कई लाभ हैं। लकड़ी और मिट्टी के तेल आदि के प्रयोग के बजाय यह अच्छा, सस्ता और प्रदूषण मुक्त साधन है। दिन-प्रति-

दिन अधिक से अधिक लोग खाना पकाने के लिए इस माध्यम पर निर्भर हो रहे हैं। दुर्भाग्य से यह पाया गया है कि इसकी बढ़ती हुई मांग को पूरा नहीं किया जा सकता। केरल में प्रत्येक गांव में जन-संख्या बहुत अधिक है और वहां आग जलाने की लकड़ी दुर्लभ वस्तु है। इसलिए वहां लोग खाना पकाने की गैस के कनेक्शन लेने के बहुत इच्छुक हैं? इन परिस्थितियों में मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या केरल में खाना पकाने के गैस कनेक्शन की मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने कोई विशेष और व्यापक कार्यक्रम बनाए हैं।

श्री ब्रह्म दत्त : खाना पकाने की गैस के उपभोक्ताओं की कुल संख्या 4·25 लाख है और मात्र 82,300 लोगों का नाम ही प्रतीक्षा सूची में है। बाटलिंग क्षमता 35,000 मीट्रिक टन है। हम त्रिवेन्द्रम में 12,500 मीट्रिक टन की एक अन्य बॉटलिंग क्षमता बना रहे हैं। केरल राज्य में खाना पकाने की गैस के 138 वितरक हैं और उनमें से 40 को अन्य स्थानों पर लगाया जा रहा है। किन्तु इस समय खाना पकाने की गैस की क्षमता सीमित होने के कारण, हमारी नीति पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर 20,000 की आबादी वाले नगरों में खाना पकाने की गैस की आपूर्ति करने की है।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : मैं समझता हूं कि एल० पी० जी० डीलरशिप देने के संबंध में भूतपूर्व सैनिकों, स्वतन्त्रता सेनानियों, शारीरिक रूप से विकलांग और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों आदि के लिए कुछ आरक्षण और कोटा रखा गया था। मैं जानना चाहता हूं कि महिलाओं के पक्ष में भी ऐसे कुछ आरक्षण किए गए हैं। यदि नहीं, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या महिलाओं के लिए भी कुछ विशेष आरक्षण और कोटा रखा जाएगा। महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत कोटा रखा जाना चाहिए?

श्री ब्रह्म दत्त : यह एक अच्छा प्रस्ताव है। अब हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण की बात हो रही है। निश्चय ही महिलाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। रोजगार आदि के क्षेत्र में हर जगह महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान का आधे से ज्यादा हिस्सा डेजर्ट है और करीब-करीब एक-तिहाई हिस्सा पहाड़ी क्षेत्र है। इसलिए राजस्थान में एल० पी० जी० के अधिक-से-अधिक कनेक्शन दिये जाने चाहिएं। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप अधिक कनेक्शन दे रहे हैं, यह ठीक है लेकिन भीलवाड़ा में इंडियन आयल और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम इन दोनों गैस एजेंसियों को आपने कनेक्शन देने के लिए नियुक्त किया है। लेकिन अभी तक हिन्दुस्तान पेट्रोलियम को कनेक्शन अलोट नहीं किये गये हैं। इससे वहां के लोगों में बड़ा असंतोष फैलने वाला है। आने वाले समय में इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है।

इसलिए भीलवाड़ा में हिन्दुस्तान की गैस एजेंसी को 3000 कनेक्शन कब तक दिलवाए जाएंगे।

श्री ब्रह्म दत्त : अध्यक्ष महोदय, केरल से राजस्थान आ गए हैं। राजस्थान के बारे में हमें विशेष चिन्ता है, डेजर्ट इलाका है, पेड़ कटने नहीं चाहिए। एजेंसी की बात जो माननीय सदस्य ने की है, उसको मैं दिखवा लूंगा, लेकिन एक सूचना मैं उनको देना चाहता हूं कि जैसलमेर के इलाके में हमको बहुत सारी गैस टरनोट नम्बर दो के कुएं से मिली है, हम राजस्थान गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि रामगढ़ में 15 मेगावाट के बजाए 50 मेगावाट का पावरप्लांट लगाये। वहां से काफी गैस हम देंगे।

अध्यक्ष महोदय : यादव जी पूछिए, लेकिन यह प्रश्न सिर्फ केरल के लिए है।

श्री राम सिंह यादव : मैं तो नीति के बारे में पूछना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, 20000 की आबादी की बात कही गई है, लेकिन जिन सब डिवीजंस की आबादी 19000 उन उप जिला खण्ड पर भी गैस एजेंसी की व्यवस्था करें, क्योंकि सब डिवीजन खासतौर से राजस्थान स्टेट में उनकी आबादी 20000 से कम हो सकती है, लेकिन फिर भी वहां की आवश्यकता को देखते हुए यह बहुत जरूरी है। तो क्या आप अपनी नीति में संशोधन करेंगे और जो 20000 आबादी वाले कस्बे अब भी राजस्थान में काफी संख्या में रह गये हैं, वहां पर जल्दी-से-जल्दी गैस एजसी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे।

श्री ब्रह्म दत्त : अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि एल० पी० जी० के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है और वह ठीक भी है, मेन फ्यूअल है। हम भी इसको बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि इंडिजनस प्रोडक्शन हमारा सीमित है। अभी हजीरा प्लांट लगाया है, 5 लाख क्यूबिक मीटर गैस फ्लो कर रही है तो 2 लाख टन बना रहे हैं, जब 10 लाख टन फ्लो करेगी तो 4 लाख बन जायेगी। विजयपुर में भी प्लांट लग रहा है, उसमें 2-4 साल लगेंगे, हम इंपोर्ट करने को भी तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितना एल० पी० जी० हम इंपोर्ट करेंगे, उतना कम केरोसिन हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन इंपोर्ट करने में दिक्कत यह है कि हमारे पास विसाग और बम्बई दो पोर्ट हैं। बम्बई पोर्ट बहुत कंजस्टड है और विसाग में नेवल स्टेबलिशमेंट होने के कारण सीमित मात्रा में इंपोर्ट अलाऊ करते हैं। इसलिए एजेंसी खोलने से ज्यादा फायदा नहीं होगा जब तक एल० पी० जी० की उपलब्धता अधिक न हो। जैसे-जैसे उपलब्धता बढ़ती जायेगी, वैसे-वैसे ज्यादा-से-ज्यादा एजेंसियां देंगे।

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष महोदय, रेगिस्तान के बाद पहाड़ का नम्बर आता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्रों के पर्यावरण संबंधी कारणों को देखते हुए उन क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में एल० पी० जी० के वितरण के लिए छोटी-छोटी गैस एजेंसियां स्वीकृति करने के प्रश्न पर विचार करेंगे।

श्री ब्रह्म दत्त : माननीय सदस्य को मालूम है कि जिस पहाड़ी क्षेत्र से वे आते हैं वहां कुमाऊं विकास निगम यह काम करता है, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वहां गढ़वाल विकास निगम करता है, लेकिन कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, गढ़वाल, कुमाऊं, अरुणाचल से लेकर त्रिपुरा तक, तमिलनाडु के कुछ इलाके, महाराष्ट्र के कुछ इलाके, प्लानिंग कमीशन ने जो इलाके पर्वतीय क्षेत्र घोषित किए हैं, वन सम्पदा की रक्षा के लिए हमने निर्णय लिया है कि वहां पर गैस एजेंसी के बजाए एक्सटेंशन प्वाइंट भी देंगे। यह भी निर्णय लिया है कि जिस रेट पर मैदानी इलाके में सप्लाई करते हैं, उसी रेट पर पहाड़ों में भी सप्लाई करेंगे, सारा किराया अपने ऊपर ले लिया है, किराया अगर प्राइवेट एजेंसी को देना शुरू करेंगे तो दिक्कत होगी। इसलिए हमारी नीति यह है कि पहाड़ी क्षेत्रों में सरकारी एजेंसी चाहे निगम हों, कोआपरेटिव्स हों, जो प्रदेश सरकार के हों, वे इस काम को करें, क्योंकि सबसिडी में झंझट न पड़े, बाद में यह ऐतराज न हो कि आपने उस आदमी को ज्यादा रुपया दे दिया, या कम दे दिया। पहाड़ी क्षेत्रों में इस बारे में ख्याल कर रहे हैं, फारेस्ट बचाना है, फारेस्ट की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र से आपके और मेरे क्षेत्र से मतलब नहीं है, सारे हिन्दुस्तान का पहाड़ी क्षेत्र इसमें आता है।

बम्बई में खाना पकाने की गैस के सिलिंडरों की वाणिज्यिक प्रयोग हेतु सप्लाई

[अनुवाद]

*907. **श्री अनूपचन्द शाह :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के दौरान बम्बई में खाना पकाने की गैस के कितने सिलिंडर, होटलों और औद्योगिक एककों को वाणिज्यिक प्रयोग हेतु सप्लाई किये गये;

(ख) क्या नये वाणिज्यिक एककों की तुलना में इनकी सप्लाई में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या होटलों द्वारा खाना पकाने की गैस के घरेलू सिलिंडरों का प्रयोग किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस गलत प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) तेल कम्पनियों द्वारा बम्बई में वाणिज्यिक प्रयोग के लिए होटलों और औद्योगिक एककों को सप्लाई किये गये एल० पी० जी० सिलिंडरों (14.2 कि०ग्रा०) की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	सिलिंडरों की संख्या (लाख)
1987-88	10.62
1988-89	12.49

इस सम्बन्ध में वर्ष 1986-87 के लिए तेल कम्पनियों द्वारा रिकार्ड नहीं रखा गया है क्योंकि अलग मूल्य नीति मार्च 1987 में ही लागू की गई थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) हालांकि इस सम्बन्ध में कोई विशेष मामला सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है फिर भी कुछ बेईमान तत्वों द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए निर्दिष्ट एल० पी० जी० सिलिंडरों को वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को अनधिकृत रूप से सप्लाई करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस हेराफेरी को रोकने के लिए तेल उद्योग द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) गैर घरेलू उपभोक्ताओं का निर्धारण।

(2) गैर घरेलू उपभोक्ताओं को सप्लाई किये जाने वाले सिलिंडरों पर नीली पट्टी लगाना।

(3) वितरकों और प्रयोगकर्ता के स्थानों पर क्षेत्र कर्मचारियों द्वारा अचानक निरीक्षण करना।

(4) गैर घरेलू प्रयोगकर्ताओं का चरणबद्ध रूप में विभिन्न आकारों के सिलिंडर सप्लाई करना।

(5) घरेलू और गैर-घरेलू प्रयोगकर्ताओं के लिए वितरकों द्वारा अलग-अलग रजिस्टर रखना।

(6) उन वितरकों से जो हेरा-फेरी में लगे हुए हैं, से उपभोक्ताओं का अन्य वितरकों को पुनः आबंटन।

(7) वितरकों द्वारा घरेलू और गैर-घरेलू रिफिलों के लिए अलग-अलग मांगपत्र भेजना।

(8) विभिन्न स्तरों पर तेल कम्पनियों के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण।।

(9) सरकार द्वारा एल० पी० जी० (सप्लाई का विनियमन और वितरण) आदेश 1988 जारी करना। इससे उन स्थानों पर जहां इसको अनधिकृत रूप से भेजा जा रहा है, निर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा प्रवेश करना/जांच करना और उसे जब्त करना, इसका अधिकार मिल गया है और

(10) चरणबद्ध रूप में घरेलू गैस उपभोक्ता कार्ड जारी करना।

श्री अनूपचन्द शाह : माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि आपूर्ति में कोई कमी नहीं आई है। परन्तु वर्ष 1987-88 और 1988-89 के आंकड़ों के अनुसार सप्लाई किये गये गैस सिलिंडरों की संख्या में बहुत कम वृद्धि हुई है। वर्ष 1988-89 के आंकड़े 12.49 लाख की तुलना में वर्ष 1987-88 में सप्लाई किये गये सिलिंडरों की संख्या 10.62 लाख थी जबकि खाना पकाने की गैस का प्रयोग करने वाली औद्योगिक इकाइयों, होटलों और अन्य संस्थानों के आंकड़ों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। गैस सिलिंडरों की संख्या की तुलना में वर्ष 1987-88 एवं 1987-88 में को संख्या बम्बई में खाना पकाने की गैस का प्रयोग करने वाले औद्योगिक एवं वाणिज्यिक गैस उपभोक्ताओं की संख्या मैं जानना चाहूंगा।

श्री ब्रह्म दत्त : 1986-87 के आंकड़ों को बनाये नहीं रखा जा सका क्योंकि दरें भिन्न-भिन्न नहीं थी। वर्ष 1987-88 में 10.62 लाख उपभोक्ता थे और 1988-89 में 12.49 लाख उपभोक्ता थे।

श्री अनूपचन्द शाह : आपने गैस सिलिंडरों के आंकड़े दिये हैं परन्तु उपभोक्ताओं के आंकड़े नहीं दिये हैं। एक उपभोक्ता अनेक गैस सिलिंडरों का प्रयोग कर रहा हो, ऐसा हो सकता है और हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। मैं वर्ष 1987-88 और 1988-89 में उपभोक्ताओं की सुनिश्चित संख्या जानना चाहता हूं। यह मेरा पहला अनुपूरक प्रश्न है जिसका उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री ब्रह्म दत्त : मैं सूचना मंगाऊंगा। और यदि उपभोक्ताओं और गैस-सिलिन्डरों की संख्या में अन्तर होगा तो मैं निश्चित रूप से उन्हें इसकी सूचना दूंगा।

श्री अनूपचन्द शाह : मुझे आशा है कि आप मुझे वर्ष 1987-88 और 1988-89 के उपभोक्ताओं की संख्या से अवगत करायेंगे।

श्री ब्रह्म दत्त : हां।

श्री अनूपचन्द शाह : आपने बताया है कि दोहरी मूल्य नीति के कारण खाना पकाने की गैस का दुरुपयोग हो रहा है और बम्बई के अधिकतर होटलों में वाणिज्यिक सिलिंडरों का प्रयोग न करके साधारण सिलिंडरों का प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपने घरों पर गैस-कनेक्शन लिये है। वे घर के नाम पर लिए गए इन गैस-सिलिंडरों का उपयोग होटलों में कर रहे हैं। आपने 'ब्लू-डाईंग' इत्यादि के बारे में सुझाव दिया है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या हम एक ऐसी

प्रक्रिया अपनाने की स्थिति में हैं जिससे इस प्रकार भ्रष्टाचार को विशेष रूप से बम्बई शहर में फैलने से रोका जा सके। मैं इन सब बातों के बारे में आपको बता रहा हूं क्योंकि मेरा बम्बई के खाना पकाने की गैस का प्रयोग करने वाली संस्था से घनिष्ठ सम्पर्क है और उन्होंने अनेक बार इस मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि इस प्रकार का भ्रष्टाचार वहां जारी है क्योंकि होटलों के मालिक, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपयोगकर्ता सप्लायरों से मिले हुए हैं। मैं जानना चाहूंगा कि इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आप किस प्रकार की आम-प्रक्रिया अपनाएंगे।

श्री ब्रह्म दत्त : मैं सोचता हूं कि माननीय मंत्री महोदय का आम प्रक्रिया से अभिप्राय यह है कि इनकी दर एक सी हो।

श्री अनूपचन्द शाह : मैं समान दर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि दोनों प्रकार के सिलिंडरों में कुछ निश्चित अन्तर होना चाहिए।

[हिन्दी]

घरों में जो सिलिंडर यूज करते हैं उसको वहां यूज नहीं कर पा रहे हैं, अगर करते हैं, तो उसको ईजीली पकड़ा जा सकता है।

श्री ब्रह्म दत्त : माननीय सदस्य, स्टेटमेंट का आखिरी हिस्सा देखें। जो ब्लू-बेन्डिंग है वह नॉन-डोमेस्टीक कंज्यूमर्स को दिया जाता है, वह पर्याप्त है। उससे फौरन पता चल जाता है कि वह डोमेस्टीक है या नॉन-डोमेस्टीक है।

[अनुवाद]

श्री अनूपचन्द शाह : सभी कम्पनियों के साथ ऐसा नहीं है। कुछ कम्पनियों ने इस ब्लू-बेंडिंग को अपनाया है और अन्य कंपनियों ने इसे नहीं अपनाया है।

श्री ब्रह्म दत्त : सभी कम्पनियां इसे अपनायेंगी।

कागज के मूल्य में वृद्धि

***908. श्री बलवंत सिंह रामूवालिया :**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों में, विशेष कर वर्ष 1988-89 में विभिन्न प्रकार के कागजों के मूल्य में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988-89 में कागज के मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में कागज की कमी है;

(घ) यदि हां, तो कागज के मूल्य में वृद्धि की प्रवृत्ति को रोकने और कागज उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) कागज के मूल्यों में वृद्धि 1988 के आरम्भ में से ही देखी गई है। जनवरी, 1988 से विभिन्न किस्मों के कागज के मूल्यों में कथित वृद्धि 16.4 प्रतिशत और 4 .8 प्रतिशत के बीच रही है और इसका मुख्य कारण विभिन्न निविष्टियों के मूल्यों में पर्याप्त वृद्धि का होना है, जिनका प्रयोग कागज तथा गत्ते का उत्पादन करने के लिए किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) कागज तथा गत्ते के मूल्यों पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है। देश में कागज तथा गत्ते का उत्पादन बढ़ाने तथा उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता का अपेक्षाकृत अधिक उपयोग कर सकने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल है :—

(1) 1989 के आरम्भ में 30.14 लाख मी० टन अधिष्ठापित क्षमता के अतिरिक्त, कागज और गत्ते का निर्माण करने के लिए औद्योगिक लाइसेंसों/आशय पत्रों तथा पंजीकरण के रूप में लगभग 13.55 लाख मी० टन क्षमता स्वीकृत की गयी है।

(2) गैर-एम० आर० टी० पी०/गैर-फैरा कम्पनियों के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है, किन्तु इनमें वे परियोजनाएं शामिल नहीं हैं जिनमें 50 करोड़ रुपये से अधिक निवेश किया गया है और जो केन्द्र द्वारा घोषित पिछड़े क्षेत्रों में स्थित हैं या वे जिनमें 15 करोड़ रुपये से अधिक निवेश किया गया है और जो गैर पिछड़े क्षेत्रों में स्थित हैं बशर्ते कि ये कुछ मानक शर्तें पूरी होती हों।

(3) कुल लाइसेंस प्राप्त क्षमता के भीतर गत्ते/स्ट्राबोर्ड सहित सभी किस्म के कागज तथा कागज के दर्जे की लुगदी का निर्माण करने की छूट।

(4) विद्यमान कागज मिलों को अखबारी कागज का निर्माण शुरू करने की छूट।

(5) खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत लकड़ी की लुगदी, चिप्स, लट्ठों व रद्दी कागज का आयात करने की सुविधा।

(6) 1-4-1979 और 31-3-1990 के बीच शुरू होने वाले एककों के लिए 5 वर्ष के लिए उत्पाद शुल्क में रियायत।

(7) गैर परंपरागत कच्चे माल का इस्तेमाल करने के लिए उत्पाद शुल्क में राहतें/रियायतें।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया है कि कागज के मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि की गई थी। इसके कारण स्कूल जाने वाले बच्चे, लेखक, प्रेस और प्रकाशन उद्योग एवं प्रत्येक व्यक्ति को कठिनाई हो रही है। मन्त्री जी ने कहा है कि मूल्य वृद्धि में कमी करने के लिए मन्त्रालय ने कुछेक उपाय किए हैं जिनमें अखबारी कागज के निर्माण हेतु विद्यमान कागजी मिलों को ढील दी गई है तथा खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत बेकार कागज, लट्ठे, चिप्स और लकड़ी की लुग्दी के आयात की सुविधा दी गई है। इसके बावजूद पिछले, 12 महीनों के दौरान आयातित लुग्दी की कीमत में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है अर्थात् 750 डॉलर से 950 डॉलर हो गई है। रुपये-डॉलर की समानता भी 25 प्रतिशत बढ़ गई थी। इसी प्रकार से कीमत बढ़ रही है।

जैसे कि मैं स्वयं कृषक-वर्ग से संबंधित हूं। क्या मैं मन्त्री महोदय से पूछ सकता हूं कि और

अधिक विदेशी मुद्रा खर्च करने वाली आयातित लुग्दी पर निर्भर रहने के बजाय क्या मन्त्रालय यूकेलिप्टस के ज्यादा-से-ज्यादा प्रयोग की तरफ ध्यान देगा ? यूकेलिप्टस को बहुत कम मूल्य पर बेचा जा रहा है। भारत सरकार और सभी राज्य सरकारों ने अनेक वर्ष पहले किसानों को यह प्रेरणा दी थी कि यदि वे अपने खेतों में यूकेलिप्टस उगाएं तो वे 2 लाख रुपये अथवा $1\frac{1}{2}$ लाख रुपये प्रति एकड़ कमा सकते हैं। परन्तु इस समय यूकेलिप्टस खरीदा नहीं जा रहा है। यूकेलिप्टस का प्रयोग कागज बनाने में किया जा सकता है।

क्या आप प्रत्येक नये प्रार्थी के लिए यह अनिवार्य करेंगे कि यूकेलिप्टस का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे हमें आयातित लुग्दी से मुक्ति मिल सके और यूकेलिप्टस का प्रयोग करके हम अपने किसानों की सहायता कर सकें।

उद्योग मंत्री (श्री के० वेंगल राव) : इसी प्रश्न पर 5-5-1989 को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। मैंने इस पर विस्तृत विवरण दिया था। जैसा श्री रामूवालिया जी ने कहा, कि कागज एक विनियंत्रित मद है और हमने इस पर विनियंत्रण किया है। इसके लाइसेंस पर नियंत्रण रखने के लिए कोई सांविधिक अधिकार नहीं है।

इस समय जो यूकेलिप्टस हम उगा रहे हैं वह देश की सभी कागज मिलों के लिए अपर्याप्त है। हमारे पास कच्ची सामग्री की कमी है क्योंकि भारत सरकार और राज्य सरकारें कागज मिलों को पेड़ लगाने के लिए जमीन नहीं दे रही है। अतः वे अपने पेड़ नहीं लगा सकते हैं। न सिर्फ कागज मिलें अपितु कृत्रिम रेशम की मिलें भी कृत्रिम रेशमी लुग्दी के लिए यूकेलिप्टस खरीदती हैं।

उन्होंने बच्चों की पाठ्य-पुस्तिकाओं के बारे में बताया। यह मानव संसाधन विकास विभाग का कर्तव्य है। उन्हें यह राशि कागज एककों को आर्थिक सहायता के रूप में देनी चाहिए तब वे इसे कर सकते हैं।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : मैं मन्त्री महोदय का आभारी हूं क्योंकि उन्होंने कम-से-कम यह आश्वासन तो दिया है कि कुछ मिलें यूकेलिप्टस का उपयोग करेंगी।

33 प्रतिशत कागज आन्ध्र प्रदेश की चार मिलों द्वारा निर्मित किया जाता है। ये मिलें हैं—भद्राचलम पेपर बोर्ड्स, ए० पी० पेपर मिल्स, श्री रायलसीमा पेपर मिल्स और सिरपुर पेपर मिल्स। देश में आवश्यक कुल कागज का 33 प्रतिशत भाग इन चार मिलों द्वारा निर्मित किया जाता है। परन्तु ये मिलें भी अपनी क्षमता से कम कागज का उत्पादन कर रही हैं क्योंकि उन्हें बांस की सप्लाई नहीं की जा रही है। उन्हें बांस की सप्लाई करने के लिए आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री के० वेंगल राव : श्री रामूवालिया का पूरक प्रश्न ठीक है। आन्ध्र प्रदेश सरकार उन्हें बांस की सप्लाई नहीं कर रही है। मैं इस बारे में क्या कर सकता हूं ? वे लोग जन-बूझकर पर्याप्त कागज की सप्लाई नहीं कर रहे हैं। एक मिल को बन्द कर दिया गया। (व्यवधान) वर्ष 1974 में बांस पर रायल्टी 3 रुपये थी। बाद में इसे बढ़ाकर 30 रुपये कर दिया गया और फिर इसे बढ़ाकर 60 रुपये कर दिया गया। अब वर्तमान सरकार ने रायल्टी को बढ़ाकर 560 रुपये प्रति टन कर दिया है। इस दर पर भी वे इसे पेपर मिलों को सप्लाई नहीं कर रहे हैं। यह समस्या है।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : महोदय, अखबारी कागज की कमी के परिणामस्वरूप भारत के बारे में गलत जानकारी मिलती है क्योंकि पाठ्य-सामग्री की कमी के कारण सामान्य जनता कम शिक्षा प्राप्त करती है। क्या सरकार, विशेष रूप से उद्योग मन्त्री, चीनी मिलों के एक प्रमुख उप-

उत्पाद अर्थात खोई के बारे में जांच करेंगे जिसे आजकल चीनी मिलों द्वारा जलाया जा रहा है ? यदि उद्योग मन्त्रालय, तमिलनाडु और कर्नाटक की भांति, जहां कागज उत्पादन के लिए इस खोई का उपयोग किया जा रहा है इस बारे में ध्यान देंगे तो हम उन लाखो रुपयों की बचत कर सकेंगे, जिन्हें हम कागज आयात करने पर खर्च करते है। दूसरे हमारे लिए बहुत-सा अखबारी कागज उपलब्ध होगा। अत: क्या सरकार इस ओर ध्यान देगी कि विशेष रूप से यू० पी० और महाराष्ट्र की चीनी मिलों के लिए आवश्यक मूलभूत ढांचे अथवा वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जाए ताकि कागज उत्पादन के लिए इस खोई का उपयोग किया जा सके ?

श्री जे० वेंगल राव : मैं माननीय सदस्य के सुझाव से सहमत हूं। हम खोई का उपयोग करने वाली मिलों के लिए पहले ही चार आशय-पत्रों की अनुमति दे चुके हैं। यदि कोई व्यक्ति खोई पर आधारित इकाइयों को आरम्भ करना चाहता है तो हम उसे आशय पत्र जारी कर देंगे। खोई उपयोग से निर्मित कागज पर कोई उत्पात शुल्क भी नहीं है। इसके लिए सभी छूट दी जाती हैं। यदि कोई व्यक्ति मिलों को आरम्भ करने के लिए तैयार है तो हम अधिक आशय पत्र देने के लिए तैयार हैं।

श्री बसुदेव ग्राचार्य : कागज के मूल्य में वृद्धि कागज मिलों में कागज उद्योग के क्षमता से कम उपयोग के कारण नहीं हुई है। अपितु वास्तव में हमारे देश में कागज उद्योग संकट में है। भारी संख्या में कागज मिलें या तो रुग्ण हो गई है अथवा बन्द कर दी गई है। पश्चिमी बंगाल में कम-से-कम तीन पेपर मिल पिछले कई सालों से बन्द पड़ी हैं। क्या मैं सरकार से यह जान सकता हूं कि क्या एक सबसे बड़ी अग्रणी पेपर मिल अर्थात पश्चिमी बंगाल की टीटागढ़ पेपर मिल को दोबारा खोलने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री जे० वेंगल राव : यदि प्रबन्धन मिल को खोलने में रुचिकर है तो हम निश्चित रूप से उनकी सहायता करेंगे।

श्री बसुदेव ग्राचार्य : आप प्रबन्धन का उत्तरदायित्व लीजिए और उसे खोलिए।

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : महोदय, केन्द्रीय सरकार ने देश भर में प्रारम्भिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के सर्वव्यापीकरण की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण योजना आरम्भ की है। परन्तु यह पता चला है कि कागज की आवश्यक मात्रा की कमी के कारण पाठ्य-सामग्री की कमी है जिसके कारण इन योजनाओं को भली प्रकार नहीं चलाया जा रहा है। क्या मैं मन्त्री महोदय से यह जान सकता हूं कि पाठ्य-सामग्री तैयार करने के लिए कागज की मांग को पूरा करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है। देश में प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार और प्रारम्भिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण प्रभावशाली ढंग से किया जाना चाहिए।

श्री जे० वेंगल राव : इस प्रश्न का उत्तर मानव संसाधन विभाग द्वारा दिया जाना चाहिए। फिर भी मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। अभ्यास पुस्तिकाओं की कुल मांग 1,50,000 है। अब वे केवल 80,000 अभ्यास पुस्तिकाएं ले रहे हैं। इन 80,000 अभ्यास पुस्तिकाओं के लिए भी वे बाजार मूल्य की अदायगी करने की स्थिति में नहीं हैं। कागज मिलें लाभ कमा रही है। वे दानशील संस्थान नहीं हैं। उन्हें बाजार मूल्य और रियायती मूल्य के बीच के अन्तर की अदायगी करनी चाहिए और तब मिलें पर्याप्त मात्रा में सप्लाई करेंगी।

रसोई गैस का आयात

*909. श्री राम प्यारे पनिका :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान, वर्षवार रसोई गैस की कितनी मात्रा का आयात किया गया;

(ख) क्या वर्ष 1989-90 के दौरान इसके आयात में वृद्धि होने की सम्भावना है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) वर्ष 1989-90 के दौरान इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होने की सम्भावना है; और

(ङ) देश में रसोई गैस के उत्पादन में वृद्धि करने और विदेशी मुद्रा के बचत करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) आयात की गई एल० पी० जी० की मात्रा इस प्रकार है :—

वर्ष	मात्रा ('०००' टन)
1987-88	1·3.5
1988-89 (अस्थायी)	252.0

(ख) और (ग) देश में कमी को पूरा करने के लिए वर्ष 1989-90 के दौरान 3,00,000 टन एल० पी० जी० का आयात करने का प्रस्ताव है।

(घ) इस पर लगभग 107 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा के खर्च होने का अनुमान है।

(ङ) एल० पी० जी० और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से विजयपुर में एल० पी० जी० निकालने के एक संयंत्र की स्थापना के अतिरिक्त देश में शोधन क्षमता को बढ़ाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 4 वर्षों से लगातार पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में उत्तरोत्तर विकास हो रहा है और यह जानकर सदन को खुशी होगी कि यदि हम इनके अचीवमेंट को देखें छठवीं और सातवीं पंचवर्षीय योजना में, तो छठी पंचवर्षीय योजना में क्रूड आयल का प्रोडक्शन 102.77 था जो 4 वर्षों में 123 कर लिया। इसी तरह से नेचुरल गैस की बात है। वह 24.3 से बढ़कर 39.10 कर ली और रिफाइनरीज का हमारा जो काम चल रहा है वह भी बहुत अच्छा चल रहा है। 160 मि० टन से हमने 184.75 मि० टन कर लिया है और यह मान्यवर जो हमारी मिनिस्ट्री है, जो हमारी कम्पनीज हैं, ओ० एन० जी० सी० है, यह एक लाभ कमाने वाली अंडरटेकिंग है जिसका लाभ उत्तरोत्तर बढ़ता जा

रहा है और इस साल तो 22109 करोड़ रुपये का लाभ कमाया है, लेकिन मान्यवर आवश्यकता इस बात की है जैसा कि मन्त्री जी ने कहा कि अच्छा काम हो रहा है और वर्जनों नई जगह गैस और तेल खोजा है, तो मान्यवर इन सबको देखते हुए आज जो कठिनाई एल० पी० जी० के सैक्टर में हो रही है, उसके सम्बन्ध में अभी माननीय मन्त्री जी ने सदन में बताया कि फारेन एक्सचेंज को प्राब्लम नहीं है क्योंकि यदि हम इस एल० पी० जी० को बाहर से मंगाते हैं, इम्पोर्ट करते हैं तो उसमें केरोसीन आयल पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, वह बचती है, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है, तो क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो दो प्रस्तावित प्लांट वैल इक्विप्ड बनाने की योजना है, जहां तक मेरी जानकारी है एक मंगलौर में प्रपोजल है और दूसरा हजीरा में, तो क्या यह समझकर कि देश में एनवायरनमेंट को देखते हुए और अपने फारेन एक्सचेंज रिजर्व जो समाप्त होता जा रहा है, उसको देखते हुए इन दोनों प्लांटों को वैल इक्विप्ड मशीनों से तैयार करके शीघ्रातिशीघ्र प्रायर्टी बेसिस पर इसका निर्माण कराने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही सवाल के उत्तर में कह चुका हूं कि दो तरह की कोशिश हम कर रहे हैं—पहली कोशिश तो यह है कि जो हमारा खुद का उत्पादन है, वह बढ़े और विजयपुर में हम प्लांट लगा रहे हैं और हजीरा में 4 लाख टन कैपेसिटी का प्लांट हो जाएगा, हालांकि अभी वह 2 लाख टन का है, लेकिन वह 4 लाख टन का हो जाएगा, कुछ हजीरा में भी निकलेगा और कुछ और एरियाज में भी निकलेगा। इसके अलावा जहां-जहां हमारी रिफायनरी है वहां-वहां बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसा हमारे माननीय सदस्य ने खुद कहा, हम इसको आयात करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि एक तो हमारी वन सम्पदा बचती है और दूसरे मिट्टी के तेल पर जो हमारी विदेशी मुद्रा खर्च होती है, उसमें भी कमी आती है। लेकिन हमारे पास आयात करने के लिए केवल दो ही स्थान हैं – एक बम्बई और दूसरा विशाखापटनम। बम्बई में बहुत भीड़ है। वहां आयात बढ़ नहीं सकता है। विशाखापटनम में हमारी नौसेना का अड्डा है। इसलिए वहां भी दिक्कत पड़ती है। कोशिश हम कर रहे हैं कि वहां ज्यादा से ज्यादा लाएं। लेकिन दो-तीन एल०पी०जी० के नए टर्मिनल बनाने की हम चेष्टा कर रहे हैं और इसका प्रस्ताव हमारे विचाराधीन है। जब वह हो जाएंगे तो हमको आयात करने में आसानी होगी।

श्री राम प्यारे पनिका : मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट हूं और मैं सुझाव देना चाहता हूं। इस समय देश में पोल्यूशन की बड़ी जटिल समस्या है और यहां तक है कि जो हमारी फारेस्ट कवरेज है वह 22 या 17 परसेंट कहने की बात है लेकिन अपना प्रैक्टिकल अनुभव यह है कि वह 10, 12 परसेंट से ज्यादा नहीं है और इस समय देश में फ्यूल की बड़ी समस्या है। क्या माननीय मंत्री जी इस कठिनाई को देखते हुए वर्तमान परिस्थितियों में ही जो 20 हजार आबादी वाले शहरों में गैस एजेन्सी देने की बात है, क्या उसको देश के ब्लाक लैवल पर और खासकर उन ब्लाकों में जहां जंगल हैं, जंगलात कटते जा रहे हैं, तो क्या आप ब्लाक लैवल पर और कम-से-कम ऐसी पहाड़ी जगहों पर जो डैजर्ट एरिया में हैं, साइक्लोन, ड्राट-प्रोन वाले ऐरिया में लगाने लगाने का प्रयास करेंगे ताकि वहां भी एजेन्सी जा सकें और वनों की कठिनाई बच सके ?

श्री ब्रह्म दत्त : इसके बारे में मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि प्रयास तो हमारा है, यह विचार भी बड़ा उत्तम है लेकिन हमारी सीमाएं हैं और उनके अन्दर जो कुछ हम कर सकते हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं। उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, आयात करने के लिये भी जोर दे रहे हैं, खाली एजेंसी खोल देने से काम नहीं चलेगा, जब तक देने के लिए माल नहीं होगा। इस तरह से तो असंतोष बढ़ेगा, फायदा नहीं होगा। खाली हमको एल०पी०जी० पर जोर नहीं देना चाहिए, साथ-साथ

बायोगैस पर भी जोर देना चाहिए। जहां बायो-गैस नहीं हो सकती है, एल०पी०जी० नहीं हो सकती है, वहां हम किरासिन आयल की पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन सिद्धान्ततः तो आप ठीक ही हैं।

[अनुवाद]

श्री मुरली देवरा : तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओ०एन०जी०सी०) के अध्यक्ष ने बम्बई में एक प्रेस सम्मेलन में यह कहा है कि केवल बम्बई हाई द्वारा ही लगभग 300 करोड़ रुपये कीमत की वाणिज्यिक गैस जल रही है दूसरी ओर हम एल०पी०जी० के आयात पर 153 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। इसका कारण यह वास्तविकता है कि आपके पास एल०पी०जी० उपलब्धि के पर्याप्त संयंत्र नहीं हैं। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि भारत सरकार को फील्ड से आने वाली प्रत्येक क्यूबिक मीटर गैस का उपयोग करने और उसका अपव्यय न करने की व्यवस्था करने में कितना समय लगेगा।

श्री ब्रह्म दत्त : प्राकृतिक गैस का 100 प्रतिशत उपयोग संभव नहीं है। दूरदराज के क्षेत्रों में प्रतिदिन एक नये कुएं का पता लगाया जाता है और उनसे निकलने वाली गैस सहयोगी गैस होती है।

जैसे-जैसे मूलभूत ढांचे में विकास होता है प्रज्वलन की मात्रा कम हो जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रज्वलन की मात्रा 42 प्रतिशत से घटकर 22 प्रतिशत हो गई है और हम देश भर में मूलभूत ढांचे में सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव : मंत्री महोदय ने श्री मुरली देवरा द्वारा उठाये गये पूरक प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है। जिस प्रकार प्राकृतिक गैस को जलाकर और वायुमंडल में छोड़कर उसका अपव्यय किया जा रहा है उससे इस देश के लोगों को बहुत हैरानी है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि व्यापक राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए, कृष्णा-गोदावरी घाटी में पाये जाने वाली प्राकृतिक गैस के भारी संसाधनों का उपयोग करने के लिए, निकट भविष्य में सरकार क्या ठोस कार्यवाही करने का प्रस्ताव कर रही है। क्या सरकार कुछ ऐसे संयंत्र स्थापित करने के लिए कुछ ठोस कार्यवाही करने जा रही है जिनके द्वारा प्राकृतिक गैस को तरल पैट्रोलियम गैस में बदला जा सके?

श्री ब्रह्म दत्त : दूर आन्ध्र प्रदेश में कृष्णा-गोदावरी घाटी में हमें तेल और गैस दोनों मिले हैं। पूर्वी गोदावरी जिले के द्वीपीय क्षेत्र में विशेष रूप से गैस की मात्रा अधिक है। उस क्षेत्र से केवल कोवूर तक हम पहले ही एक पाईप लाइन बिछा चुके हैं। हम नरसापुर विद्युत संयंत्र के बारे में पहले ही वचनबद्ध हैं। उसके बाद काकीनाड़ा में विद्युत संयत्र स्थापित किया जाएगा। वर्तमान समय में हम इससे सन्तुष्ट नहीं हैं क्योंकि इसका उत्पादन अधिक नहीं है। गैस को परिवर्तित करने का प्रश्न बाद में आयेगा। प्रथम चरण पार करने से पहले ही हम तीसरे चरण पर क्यों जाएं?

श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव : आठवीं योजना में इस बारे में आपकी कुछ योजनायें होनी चाहिए।

श्री ब्रह्म दत्त : यह बात बिलकुल ठीक है। सन्दर्शी योजना तैयार है।

[हिन्दी]

श्री अरविन्द नेताम : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने नये टर्मिनल की जो बात कही है मैं उसके बारे में यह जानना चाहता हूं कि सरकार के सामने कितने नये टर्मिनल प्रस्तावित हैं, वह कौन-

कौन से हैं और कब तक यह नये टर्मिनल बन जाने की उम्मीद है ?

श्री ब्रह्म दत्त : महोदय, नये टर्मिनल्स के बारे में हम विचार कर रहे हैं और यह समुद्र के किनारे ही होंगे। जैसे ही हमें इस बारे में तकनीकी सहायता मिल जाएगी हम काम शुरू करवा देंगे। मुझे उम्मीद है कि इस साल के अन्त तक हमें तकनीकी सलाह मिल जाएगी और फिर उसके बाद टर्मिनल बनाने में दो साल लग जाएंगे।

विस्फोट रोकने वाला उपकरण

[अनुवाद]

***910. श्री बनवारी लाल पुरोहित**†:

प्रो० रामकृष्ण मोरे :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुणे स्थित एक कम्पनी ने ऐसा सुरक्षा उपकरण तैयार किया है जो ईंधन कंटेनरों में ज्वलन अथवा आग के कारण विस्फोट से जान और मशीनों की रक्षा करता है;

(ख) क्या उक्त उपकरण किसी भी ईंधन कंटेनर कार के पेट्रोल, टैंक, विमान, गैस सिलेंडरों आदि में और यहां तक कि इस समय उपयोग में लाये जा रहे कंटेनरों में भी आसानी से लगाया जा सकता है; और

(ग) क्या सरकार ने इस उपकरण के कार्यकरण की जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) दिसम्बर 1987 में मैसर्स फर्मा एक्सकों इंडिया प्रा० लि०, पुणे को लघु उद्योग क्षेत्र में विस्फोटक नियंत्रण उपकरण और दहनशील ईंधन के लिए फिलर बॉडी के विनिर्माण के लिए मैसर्स जेनिथ इन्डस्ट्रियन लगेनबो गैस एम०बी०एच० आस्ट्रिया के साथ विदेशी सहयोग की मंजूरी दी गई है। यह दावा किया जाता है कि उक्त उपकरण या तो ईंधन भण्डारण टैंकरों के निर्माण अथवा मोटर वाहन ईंधन टैंकों में भरे गये निवेशन के समय लगाया जा सकता है। इन फिलर बाडीज के उपयोग से, ईंधन टैंक में सम्भावित विस्फोट को रोका जाता है। विदेशी सहयोग का अनुमोदन केवल 1987 में किया गया था। परियोजना के क्रियान्वयन या उपकरण के कार्यकरण के विषय में अभी तक कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : माननीय अध्यक्ष जी, आयल टैंकरों, पैट्रोल में टैंक और एल०पी०जी० सिलेंडरों में विस्फोट होने से कई जानें जाती हैं। यदि यह कम्पनी हमारे देश में फॉरेन कोलैबरेशन से ऐसे उपकरण बना रही है जिस को लगाने से विस्फोट हो ही नहीं सकता है तो उसकी जानकारी हासिल करना सरकार के लिए जरूरी हो जाता है। मुझे यह जानकारी मिली है कि कम्पनी ने जो उपकरण बनाए उसका वह डैमनस्ट्रेशन भी कर चुकी है। अतः जनता में विश्वास पैदा करने के लिए सरकार की किसी एजेंसी से इसकी जांच करवायी जानी चाहिए क्योंकि आजकल कई तरह की कम्पनियां आती हैं जो ड्यूप करती हैं। क्या आप इसकी किसी एजेंसी से जांच कर के इस सदन को बता

सकते हैं कि यह उपकरण सही है और इसको लगाने से इस तरह के जो विस्फोट होते हैं व जान-माल को जो नुकसान होता है वह बन्द हो जाएंगे ?

[अनुवाद]

श्री एम० अरुणाचलम : यह एक नया तरीका है जो पहली बार भारत में आया है और इसे हाल ही में आरम्भ किया गया है। हमने हाल ही में लाइसेंस दिए हैं। हमारा अपना तकनीकी विकास विभाग है। हम अपने लोगों से इसकी जांच करने और सुरक्षा उपायों का अध्ययन करने के लिए कहेंगे।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपके पास एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट है अत: आप अपने उस डिपार्टमेंट को कहें कि वह इसकी जांच करे और अगर वह उपकरण सही हो तो उसकी जानकारी इस सदन को देने की कृपा करें। यह जो उपकरण डेवलप हुआ है उसका उपयोग करने से विस्फोट होने से बचा जा सकेगा और जान-माल को भी नुकसान होने से बचाया जा सकेगा। आप इस उपकरण की जानकारी जनता को भी दें जिससे जनता के मन में भी यह विश्वास पैदा हो जाये कि यह उपकरण सही है।

[अनुवाद]

श्री एम० अरुणाचलम : माननीय सदस्य ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है। मैं विस्फोट विभाग से यह कहूंगा कि वह सुरक्षा उपायों का पता लगाने के लिए डी०जी०टी०डी० के साथ कार्य करें।

विद्युत उत्पादन के लिए तरल प्राकृतिक गैस का आयात

[हिन्दी]

*911. श्री दिनेश गोस्वामी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी मात्रा में तरल प्राकृतिक गैस का आयात किया गया और उस पर कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) इस समय देश में उपलब्ध प्राकृतिक गैस के कितने प्रतिशत भाग का विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग में वृद्धि न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) देश में उपलब्ध प्राकृतिक गैस का विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग में वृद्धि न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिये समयबद्ध योजना तैयार करने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) तरलीकृत प्राकृतिक गैस का आयात नहीं किया जाता है। विद्युत उत्पादन के लिए सप्लाई की जा रही संपूर्ण प्राकृतिक गैस देशी स्रोतों से प्राप्त होती है।

(ग) से (ङ) गैस की वर्तमान उपलब्धता को मद्देनजर रखते हुए विद्युत उत्पादन के लिए यथासंभव गैस देने के वचन दिये गये हैं। आगे और वचन देना गैस की बढ़ी हुई उपलब्ध मात्रा, उर्वरक और स्पंज आइरन जैसे प्रवरता वाले क्षेत्र की आवश्यकता और इसके उपयोग की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता पर आधारित होगा।

श्री दिनेश गोस्वामी : ऐसा लगता है कि सरकार का एक भाग योजना आयोग के विरोध के बावजूद एल० एन० जी० का आयात करने की कोशिश कर रहा है और वे सच्चर समिति की रिपोर्ट को फिर लागू करने की कोशिश कर रहे हैं जिसने ऐसे आयात का समर्थन किया था। क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि एल० एन० जी० को आयात नहीं किया जायेगा क्योंकि ऐसा लगता है कि ऐसा करना देश के हित के लिए हानिकारक होगा।

श्री ब्रह्म दत्त : महोदय कोई भी कार्य जो देश के हित के लिए हानिकारक है, नहीं किया जायेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कर्नाटक में मिनी सीमेंट संयंत्रों की समस्याएं

*912. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट उद्योग पर से नियंत्रण उठाये जाने के बाद, कर्नाटक में मिनी सीमेंट संयंत्रों की समस्याएं और बढ़ गई हैं;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार से मिनी सीमेंट संयंत्रों की समस्याओं का समाधान करने के लिए अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (ग) सीमेंट उद्योग पर लगे मूल्य तथा वितरण नियंत्रणों को 1 मार्च, 1989 से हटा लिया गया है।

कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने लघु सीमेंट संयंत्रों पर उत्पादन शुल्क कम करने का मामला शुरू किया है।

मिनी सीमेंट संयंत्रों की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार करने के लिए वर्टिकल शाफ्ट भट्टे का

प्रयोग करने वाले तथा 200 मी० टन प्रति दिन तक की कुल लाइसेंस प्राप्त क्षमता वाले कारखानों द्वारा निर्मित सीमेंट पर 1 मार्च, 1989 से 115 रुपये प्रति मी० टन उत्पाद शुल्क की रियायती दर निर्धारित की गई है। जबकि सामान्य उत्पाद शुल्क की दर 215 रुपये प्रति मी० टन है।

रोटरी भट्टे का प्रयोग करने वाले तथा 200 मी० टन प्रति दिन की क्षमता वाले मिनी सीमेंट संयंत्रों के लिए भी 27 अप्रैल, 1989 से यह रियायती दर लागू की गई है।

विदेशी समझौते/सहयोग-करार

*913. श्री सी० जंगा रेड्डी :

डा० फूलरेणु गुहा :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितने विदेशी समझौते सहयोग-करार किये गये और इनमें देश वार कितना विदेशी पूंजी निवेश अन्तर्निहित है; और

(ख) इस समय देश वार कितने विदेशी समझौते कार्यान्वित किये जा रहे हैं, कितनों के सम्बन्ध में निर्णय किया जा चुका है किन्तु कार्यान्वित होने हैं और कितने विचाराधीन हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा स्वीकृत कुल विदेशी सहयोग तथा विदेशी निवेश नीचे दर्शाया गया है:—

वर्ष	कुल विदेशी सहयोग		स्वीकृत निवेश (रु० लाख में)
	कुल	वित्तीय	
1986	957	240	10695.15
1987	853	242	10770.57
1988	926	282	23975.75

1987 और 1988 के दौरान स्वीकृत विदेशी सहयोगों के देश-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं। परिचालन में और कार्यान्वयनाधीन विदेशी सहयोग स्वीकृतियों की मानीटरी करना राज्य सरकारों तथा विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों की जिम्मेदारी है। इस सम्बन्ध में कोई केन्द्रीकृत सूचना नहीं रखी जाती है। विचाराधीन विदेशी सहयोग प्रस्तावों के ब्यौरे तब तक प्रकट नहीं किये जाते जब तक सरकार इन पर अन्तिम निर्णय नहीं ले लेती।

विवरण

क्र० सं०	सहयोगी देश का नाम	1987		1988	
		कुल	वित्तीय	कुल	वित्तीय
1	2	3	4	5	6
1.	अर्जेन्टीना	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6
2.	आस्ट्रेलिया	12	5	12	2
3.	आस्ट्रिया	9	2	6	2
4.	बहामा	—	—	—	—
5.	बहरीन	1	1	—	—
6.	बेलज्यिम	7	1	6	—
7.	बरमूडा	—	—	—	—
8.	ब्राजील	—	—	1	1
9.	बुलगारिया	1	—	1	1
10.	कनाडा	9	4	10	4
11.	चीन	—	—	1	—
12.	चैकोस्लोवाकिया	5	—	4	1
13.	डेनमार्क	11	3	11	4
14.	साइप्रस	1	—	—	—
15.	दुबई	—	—	—	—
16.	फैरिओ आइलैंड	—	—	—	—
17.	फिनलैंड	2	2	10	2
18.	एफ० आर० जी०	149	39	178	47
19.	फ्रांस	44	10	42	13
20.	जी० डी० आर०	3	1	5	—
21.	ग्रीस	—	—	1	—
22.	हांगकांग	5	3	10	4
23.	हंगरी	3	—	3	1
24.	इरान	—	—	—	—
25.	आइरेलैंड	—	—	1	1
26.	इटली	50	10	53	18
27.	जापान	71	15	96	16

1	2	3	4	5	6
28.	जोर्डन	—	—	—	—
29.	दक्षिण कोरिया	15	3	11	3
30.	कुवैत	—	—	—	—
31.	लाइबेरिया	—	—	—	—
32.	लक्सेमबर्ग	—	—	3	1
33.	मलेशिया	1	1	—	—
34.	मैक्सिको	2	1	1	1
35.	नीदरलैंड	23	6	15	3
36.	नार्वे	2	—	8	5
37.	न्यूजीलैंड	—	—	—	—
38.	पनामा	1	1	—	—
39.	पोलैंड	1	—	—	—
40.	पुर्तगाल	—	—	—	—
41.	रोमानिया	—	—	—	—
42.	सऊदी अरब	—	—	—	—
43.	सिंगापुर	5	2	11	5
44.	स्पेन	5	1	2	1
45.	स्वीडन	19	4	11	3
46.	स्विटजरलैंड	31	11	41	8
47.	श्रीलंका	—	—	—	—
48.	ताइवान	8	2	14	3
49.	थाईलैंड	—	—	—	—
50.	तुर्की	1	—	—	—
51.	यू० ए० ई०	1	—	—	—
52.	यू० के०	122	27	134	36
53.	यू० एस० ए०	196	57	191	71

1	2	3	4	5	6
54.	यू०एस०एस०आर०	6	2	7	2
55.	युगोस्लाविया	3	1	1	1
56.	एन०आर०आई	28	27	25	23
	योग :	853	242	926	282

फ्रांस से स्टीम जेनरेटर पैकेज प्रोजेक्ट खरीदना

*914. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :**

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का फ्रांस से एक स्टीम जेनरेटर पैकेज प्रोजेक्ट खरीदने का विचार है;

(ख) क्या इस प्रयोजन से फ्रांस के साथ कोई समझौता किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) तलचेर सुपर ताप विद्युत परियोजना के लिए स्टीम जेनरेटर पैकेज की प्राप्ति हेतु मै० स्टीन (एस० टी० ई० आई० एन०) इण्डस्ट्री, फ्रांस के सहयोग में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम तथा मै० भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० के बीच अप्रैल, 1989 में एक करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण

[हिन्दी]

*915. **श्री हरीश रावत :**

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में ग्रामों के विद्युतीकरण का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या राज्य के प्रत्येक जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण संबंधी कार्य योजना लक्ष्य के अनुरूप चल रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) लक्ष्य में रही कमी का क्या ब्यौरा है और निर्धारित अवधि के भीतर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) योजना आयोग

ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए उत्तर प्रदेश में 25170 गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया था।

(ख) से (घ) योजना आयोग पूरे राज्य के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है तथा जिलावार कार्यक्रम को राज्य स्तर पर अन्तिम रूप दिया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से प्राप्त प्रगति रिपोर्टों के आधार पर सातवीं योजना के पहले चार वर्षों के लिए 15040 गांवों के लक्ष्य की तुलना में 1-4-85 से 31-3-1989 तक की अवधि के दौरान 1545 गांवों (अनन्तिम) को विद्युतीकृत किया जा चुका है।

चमेरा, सलाल और अन्य जल विद्युत परियोजनाओं से बिजली के लिए ग्रिड केन्द्र

[अनुवाद]

*916. **श्री मोहम्मद अयूब खां** (उधमपुर) :

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर राज्य के कठुआ जिले में महानपुर नामक स्थान पर चमेरा, सलाल और अन्य जल विद्युत परियोजनाओं से बिजली के लिए एक ग्रिड केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी;

(ग) इस परियोजना पर अब तक किये गये कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस परियोजना के कब तक पूरी होने की संभावना है?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) सलाल जल विद्युत परियोजना चरण-दो के सम्बद्ध पारेषण स्कीम में महानपुर में एक ग्रिड उप-केन्द्र का प्रावधान सम्मिलित है।

(ख) इस उप-केन्द्र के लिए परियोजना रिपोर्ट में 17.01 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान है।

(ग) अभी तक कोई भी कार्य नहीं किया गया है क्योंकि इस स्कीम को अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया है।

(घ) परियोजना रिपोर्ट के अनुसार निवेश निर्णय की तारीख से ग्रिड उप-केन्द्र को पूरा करने में लगभग 48 महीने लगेंगे।

उद्योगों का विस्तार

*917. **श्री सनत कुमार मंडल** :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रमुख उद्योगों का विस्तार करने की किसी योजना पर विचार कर रही है ताकि लघु और सहायक उद्योगों को सहायता मिल सके तथा राज्यों में रोजगार के अवसर बढ़ सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) सरकार की औद्योगिक नीति में औद्योगिक आधार के विस्तार तथा उसका दिशांतरण और तेजी से औद्योगिक विकास पर बल देना है। सरकार लघु और अनुषंगी एककों के विकास को उच्च प्राथमिकता देती है। बड़े औद्योगिक उपक्रमों और अनुषंगी एककों के बीच सम्पर्क को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। लघु तथा अनुषंगी एककों के विकास के लिए राजकोषीय तथा वित्तीय प्रोत्साहन भी दिये जा रहे हैं।

कन्याकुमारी, तमिलनाडु में ताप-बिजली परियोजना की स्थापना

*918. श्री एन० डेनिस :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में एक ताप-बिजलीघर स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) तमिलनाडु में कन्याकुमारी जिले में एक ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

खादी ग्रामोद्योग के कार्यकलापों को बढ़ावा देना

*919. डा० प्रभात कुमार मिश्र :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 में खादी ग्रामोद्योग के कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) इससे कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए; और

(ग) उपरोक्त वर्ष के दौरान क्या उपलब्धियां हुईं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) 1988-89 के दौरान खादी ग्राम्योद्योग कार्यकलापों को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें शामिल हैं—26 उद्योगों की विद्यमान सूची में 34 नये ग्राम्योद्योग का जोड़ना, सारे देश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए सहायता के उदारीकृत प्रतिमान का विस्तार बशर्ते कि वे गरीबी की सीमा रेखा के नीचे आते हों, खादी कारीगरों की मजदूरी में 10% की वृद्धि, 8 नये जिलों के लिए विशेष रोजगार कार्यक्रमों का विस्तार, विशेष बिक्री अभियान जिसमें खादी तथा ग्राम्योद्योग उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए प्रदर्शनियां लगाना, मेलों, व्यापार मेलों आदि में भाग लेना शामिल है, प्रौद्योगिकी उन्नयन प्रयासों को तेज करना और पालीवस्त्र के निर्माण के लिए पोलिस्टर फाइबर पर उत्पाद शुल्क से छूट देना।

(ख) खादी ग्राम्योद्योग आयोग ने 1988-89 के लिए प्रायोगिक रूप से 43.50 लाख

व्यक्तियों को रोजगार का लक्ष्य निर्धारित किया था जबकि 1987-88 में 41.80 लाख व्यक्तियों की उपलब्धि थी।

(ग) 1988-89 के दौरान खादी तथा ग्राम्योद्योग क्षेत्र में कुल उत्पादन के 1745 करोड़ रुपये तक बढ़ने की आशा है जबकि 1987-88 के दौरान 1488 करोड़ रुपये का उत्पादन हुआ। इससे 17% की वृद्धि दर्ज की गई।

हल्दिया पेट्रो रसायन परियोजना

*920. डा० सुधीर राय :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा मंजूर की गई हल्दिया पेट्रो-रसायन परियोजना का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय की स्वीकृति हेतु विचाराधीन है;

(ख) विदेशी सहयोग कब तक समाप्त हो जाएगा;

(ग) परियोजना को स्वीकृति देने में विलम्ब के कारण क्या कोई कठिनाइयां उत्पन्न होंगी;

(घ) इस विलम्ब के परिणामस्वरूप लागत में यदि कोई वृद्धि होगी तो कितनी वृद्धि होगी; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा मंजूरी देने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ग) से (ङ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०) हल्दिया स्थित परियोजना का अपने मूल्यांकन के फलस्वरूप यह बताया गया था कि इथाइलीन संयंत्र का आकार जो परियोजना का एक भाग था, न्यूनतम आर्थिक आकार से काफी नीचे है और इसके परिणामस्वरूप उत्पादन की लागत अलाभकारी होगी। आई०डी० बी० आई० ने वित्त पोषण में भी पर्याप्त अन्तर पाया था। इसको मद्देनजर रखते हुए हल्दिया पेट्रो-केमिकल्स लि० को प्रथम चरण में डाउन स्ट्रीम परियोजना को कार्यान्वित करने की सम्भावना की जांच करने के लिए कहा गया था। इस संबंध में आई० डी० बी० आई० की कम्पनी से अभी तक कोई अन्तिम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) पार्टी के पास नैपथा क्रेकर और 1986 के बाद से स्वीकृत अनेक डाउनस्ट्रीम एककों के लिए विदेशी सहयोग की स्वीकृतियां हैं। पार्टी के अनुरोध पर ऐसी स्वीकृतियों की वैधता समय-समय पर बढ़ाई जा रही हैं।

ताप विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए जापान से प्रौद्योगिकी का आयात

*921. श्री हुसैन दलवाई :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ताप विद्युत केन्द्रों का ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए

हैं अथवा उठाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार का ताप विद्युत केन्द्रों से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए जापान में विकसित आधुनिक प्रौद्योगिकी का आयात करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) 85390 डेसीबल्स के स्वीकार्य स्तर तक ध्वनि स्तर को परिसीमित करने के लिए ताप विद्युत केन्द्रों में प्रयुक्त उपस्कर का अभिकल्प प्रायः अभिकल्प चरण में इंगित विशिष्टियों के अनुरूप किया जाता है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने उल्लेख किया है कि उन्हें ध्वनि प्रदूषण में कमी लानें के लिए किसी प्रकार की विशेषीकृत प्रौद्योगिकी के आयात की आवश्यकता नहीं है।

मेटल कन्टेनर इन्डस्ट्री का आधुनिकीकरण

*922. **श्रीमती बसवराजेश्वरी :**

श्री सतीश चन्द्र सिन्हा :

क्या उद्योग मंत्री में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार मेटल कन्टेनर इंडस्ट्री के विकास के लिए विभिन्न उपायों पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए किसी विदेशी सहयोग के लिए मंजूरी दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (ग) सरकार यथा आवश्यक होने पर विदेशी सहयोग और पूंजीगत वस्तुओं के आयात की अनुमति देती है ताकि उद्योग को आधुनिक बनाया जा सके। दो मौजूदा और दो नये एककों को विदेशी सहयोग की अनुमति दी गई है। इन चार स्वीकृतियों में से, तीन तकनीकी एवं वित्तीय दोनों सहयोग हैं और शेष एक केवल तकनीकी सहयोग है।

सूचना केन्द्र

*923. **श्री चिन्तामणि जेना :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, राज्यवार कितने सूचना केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) इन केन्द्रों द्वारा किए जा रहे कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में ऐसे और अधिक केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1989-90 के दौरान राज्यवार, किन स्थानों पर ये केन्द्र स्थापित किए जाएंगे ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) देश में, पत्र सूचना कार्यालय के पांच कार्यालय सह-सूचना केन्द्र और तीन सूचना केन्द्र हैं। इन केन्द्रों का राज्यवार/संघ शासित क्षेत्रवार ब्योरा निम्नलिखित हैं :—

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कार्यालय-सह-सूचना केन्द्र	सूचना केन्द्र
जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	—
मणिपुर	इम्फाल	—
मिजोरम	—	आइजोल
नागालैंड	कोहिमा	—
पंजाब	जलंधर	—
सिक्किम	गंगटोक	—
अंडमान एवं निकोबार	—	पोर्ट ब्लेअर
दिल्ली	—	नई दिल्ली

(ख) पत्र सूचना कार्यालय के सूचना केन्द्र, मुद्रित सामग्री और दृश्य-श्रव्य साधनों से सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों तथा उपलब्धियों से संबंधित मामलों में प्रेस और आम जनता के लिए सूचना के "स्टोर हाउस" के रूप में कार्य करते हैं। वे महत्वपूर्ण समाचारपत्रों एवं पत्रिकाओं तथा अन्य संदर्भ सामग्री से सुसज्जित होते हैं।

(ग) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आधुनिक सार्वजनिक टेलीफोन व्यवस्था

*924. श्रीमती किशोरी सिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र से 50 पैसे के दो सिक्के डालने पर अथवा रुपये का एक सिक्का डालने पर अथवा दोनों में से किसी भी एक विधि से टेलीफोन किया जा सकता है;

(ख) क्या ऐसे सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों पर स्पष्ट अनुदेश दिए गए हैं कि कैसे सिक्के डाल कर यहां से टेलीफोन किया जा सकता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या विकसित देशों की तरह यहां आधुनिक सार्वजनिक टेलीफोन व्यवस्था शुरू करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह) : (क) से (ङ) आधुनिक टेलीफोन या तो 50-50 पैसे के दो सिक्कों या नये एक रुपये के एक सिक्के पर कार्य करते हैं।

2. ऐसे प्रत्येक टेलीफोन उपकरण पर लगी प्लेट पर इस्तेमाल किए जाने वाले सिक्कों की किस्म के संबंध में स्पष्ट अनुदेश दिए होते हैं।

3. देश में नये सिक्के/टोकन और कार्ड के जरिए चलाए जाने वाले एस० टी० डी० पेफोन धीरे-धीरे शुरू करने का प्रस्ताव है।

गुजरात में तेल और गैस के लिए ड्रिलिंग कार्य

[हिन्दी]

*804. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि** :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के कई जिलों में तेल और गैस की खोज के लिए ड्रिलिंग कार्य चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस समय कितने ड्रिलिंग प्लेटफार्म कार्य कर रहे हैं; और

(ग) अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) केवल अपतट में ही ड्रिलिंग प्लेटफार्मों का प्रयोग किया जाता है। गुजरात के विभिन्न भागों में इस समय कुल 35 ड्रिलिंग रिंग काम कर रहे हैं।

(ग) मार्च, 1989 तक गुजरात में 2205 कुएं खोदे गए हैं जिनमें से 1377 तेल युक्त तथा 127 कुएं गैस युक्त पाए गए। 1-1-89 तक तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने गुजरात में 745.81 मिलियन टन कच्चे तेल और कनडेनसेट के तथा 185.78 मिलियन टन गैस के बराबर तेल के भूमिगत भंडारों का पता लगाया।

केरल में सौर तथा पवन ऊर्जा योजना

[अनुवाद]

*814. **प्रो० पी० जे० कुरियन** :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में सौर तथा पवन ऊर्जा के उपयोग की कोई योजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन स्रोतों से इस समय कितनी बिजली पैदा की जा रही है; और

(घ) आगामी वर्षों के दौरान किए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी हां।

(ख) केरल राज्य में स्थापित की गई सौर तथा पवन ऊर्जा प्रणालियों और युक्तियों का विवरण नीचे दिया गया है : –

1. सौर तापीय प्रणालियां

1. जल तापन प्रणालियां	20
2. वायु तापन प्रणालियां	1
3. सौर स्टिल्स	10
4. सौर कुकर	50

2. सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां

1. सड़क रोशनी एकक	144
2. जल पम्पन प्रणालियां	6
3. सामुदायिक रोशनी प्रणालियां	6

3. पवन ऊर्जा प्रणालियां

1. पवन विद्युत जनित्र	1 (100 किलोवाट)
2. जल पम्पन पवन चक्कियां	10

(ग) राज्य में अभी तक पवन तथा सौर प्रकाशवोल्टीय पर आधारित लगभग 113 किलोवाट विद्युत क्षमता की स्थापना की जा चुकी है इसके अतिरिक्त, लगाई गई सौर तापीय प्रणालियां प्रतिवर्ष लगभग 6 लाख यूनिट तापीय ऊर्जा का सृजन/बचत करने की क्षमता रखती हैं।

(घ) आगामी वर्षों में केरल में अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों का अत्यधिक विस्तार करने का प्रस्ताव है। आठवीं योजना के प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के विस्तार की सीमा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि और तकनीकी विकासों पर निर्भर करेगी।

"शार्ट डिस्टेंस कालिंग एरिया स्कीम"

8593. श्री वाई० एस० महाजन :

क्या संचार मंत्री 11 अप्रैल, 1989 के तारांकित प्रश्न संख्या 579 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शार्ट डिस्टेंस कालिंग एरिया का सीमांकन कार्य कब तक पूरा किया जाएगा और इसे कब तक स्वीकृति दी जाएगी तथा परिमंडलों, महानगरों, बड़े और छोटे जिलों के प्रमुखों को उक्त प्रस्ताव किस तारीख तक प्रस्तुत करने को कहा गया है;

(ख) 278 लांग डिस्टेंस कालिंग क्षेत्रों सहित सभी 320 सेकेण्डरी स्विचिंग क्षेत्रों को किस तिथि तक अधिकार क्षेत्र की दृष्टि से को-टर्मिनस बनाया जाएगा;

(ग) क्या योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु मान्यता प्राप्त सभी पर्वतीय राज्यों/क्षेत्रों को शार्ट डिस्टेंस कालिंग एरिया की सीमा निर्धारित किए जाने हेतु (दो एक्सचेंजों के बीच) 50 किलोमीटर की दूरी रहने दी जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू और काश्मीर तथा महाराष्ट्र में सेकेण्डरी स्विचिंग क्षेत्रों के क्या नाम हैं तथा प्रत्येक लांग डिस्टेंस कालिंग एरिया के अन्तर्गत शामिल किए जाने वाले प्रस्तावित लांग डिस्टेंस कालिंग एरिया तथा शार्ट डिस्टेंस कालिंग एरिया कौन-कौन से हैं और उनके अधिकार क्षेत्र का ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) कम दूरी के कालिंग क्षेत्रों (एस०डी०सी०ए०) का सीमांकन पूरा करने और मंजूर करने की संभावित तारीख दिसम्बर 1989 है।

(ख) जी हां। लम्बी दूरी के सभी कालिंग क्षेत्रों को मौजूदा गौण स्विचिंग क्षेत्रों के साथ सह-टर्मिनस कर दिया जाएगा। यदि और कोई परिवर्तन न किए जाने हों तो इस कार्य के 30-12-1989 तक पूरा है जाने की संभावना है।

(ग) यह रियायत सभी पहाड़ी इलाकों पर लागू होगी बशर्ते कि संबंधित तहसील में 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला कम से कम एक स्टेशन हो।

(घ) लम्बी दूरी के संशोधित कालिंग क्षेत्रों का अभी सीमांकन किया जाना है और सारे देश में पुनर्सीमांकन को अन्तिम रूप दे देने के बाद ही सूचना उपलब्ध होगी।

भारत कोकिंग कोल लि० का कार्मिक प्रबंध

8594. श्री रेणुपद दास :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लि० के कार्मिक प्रबन्ध के कार्य की पूर्णतः पुनरीक्षा करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) इस समय सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। किन्तु सरकार तथा कोल इंडिया लि० के स्तर पर कम्पनी के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा निरन्तर होती रहती है। कम्पनी के कार्मिक प्रशासन को, कार्मिक प्रबंधन, औद्योगिक सम्बन्ध, कल्याण के उपायों के क्रियान्वयन आदि के क्षेत्रों में पूरी तरह से प्रभावशाली एवं पर्याप्त पाया गया है। कंपनी के उत्पादन क्रियाकलाप भी बहुत संतोषप्रद पाए गए।

पूंजीगत उपकरणों तथा उपभोक्ता उत्पादों की क्षमता का उपयोग

595. **श्री परसराम भारद्वाज :**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पूंजीगत उपकरणों तथा उपभोक्ता उत्पादों का ब्यौरा क्या है जिसके सम्बन्ध में देश में विद्यमान उपलब्ध क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले के तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं; और

(ग) उन पूंजीगत उपकरणों तथा उपभोक्ता उत्पादों का ब्यौरा क्या है जिसके सम्बन्ध में देश विद्यमान उपलब्ध क्षमता घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से कम है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम) : (क) से (ग) अलग-अलग उद्योग में क्षमता का अधिकतम उपयोग स्तर भिन्न-भिन्न होता है। अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग कम होने के कारण निम्नलिखित हैं :—कच्चे माल की अपर्याप्तता, बिजली और कोयला आदि जैसी मूलभूत निविष्टियों का अभाव, मांग की कमी, वित्तीय अड़चनें आदि ।

वर्ष 1987 और 1988 के दौरान चुने हुए पूंजीगत माल और उपभोक्ता वस्तु उद्योगों का क्षमता उपयोग निम्नलिखित रहा :—

चुने हुए उद्योगों में क्षमता उपयोग का प्रतिशत

	1987	1988
पूंजीगत माल		
1	2	3
इंजन	49	69
बाल व रोलर बियरिंग	81	128
स्टोरेज बैटरियां	83	83
शुष्क सेल	94	56
पावर ट्रांसफार्मर्स	52	64
बिजली की मोटरें	52	58
रेलगाड़ियों के डिब्बे	40	61
वाणिज्यिक वाहन	46	46
सवारी कारें	70	92
कृषि ट्रैक्टर	70	93
उपभोक्ता वस्तुएं		
चीनी	94	95

1	2	3
वनस्पति	63	62
कागज व गत्ता	57	60
रबड़ के जूते/चप्पलें	71	63
रेडियो रिसीवर	42	36
सीमेंट	79	76
सिगरेटें	45	32

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम में कर्मचारियों को आनुपातिक पेंशन के लाभ

8596. **श्री राम सिंह :**

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सरकारी उपक्रमों के नाम क्या हैं जिन्होंने सितम्बर, 1972 से दिसम्बर, 1983 की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए अपने कर्मचारियों को आनुपातिक पेंशन लाभ दिये हैं; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के आनुपातिक पेंशन लाभों के दावों पर विचार न करने के क्या कारण हैं और ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है तथा इन पर कितना खर्चा आएगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) केन्द्रीय क्षेत्र सार्वजनिक उपक्रमों में समाविष्ट केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की शर्तों को सरकार के अनुदेशों द्वारा विनियमित किया गया है। तथापि, 27 सितम्बर, 1972 को ब्यूरो आफ पब्लिक एण्टरप्राइजेज की अधिसूचना के द्वारा ग्राम विद्युतीकरण निगम (ग्रा०वि०नि०) को इसके उद्देश्यों को दृष्टि में रखते हुए सार्वजनिक उपक्रमों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। तदनुसार, ग्राम विद्युतीकरण निगम के कर्मचारियों को अन्य केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों पर, यथा लागू यथा-अनुपात पेंशन लाभों को 31 दिसम्बर, 1983 तक बन्द कर दिया गया था, 1-1-1984 से इसे सार्वजनिक उपक्रमों की श्रेणी में पुनः सम्मिलित कर लिया गया था। अतः अपवर्जन की इस अवधि के दौरान ग्राम विद्युतीकरण निगम में समाविष्ट किये गये केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थायीरूप से समाविष्ट सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू यथा-अनुपात सेवानिवृत्ति लाभ नहीं दिए गए हैं।

ग्राम विद्युतीकरण निगम में उपर्युक्त अवधि के दौरान समाविष्ट कर्मचारियों की संख्या 60 है तथा इसमें 6.5 लाख रुपये का वित्तीय भार समाविष्ट है।

आयातित औषधों की अधिक मूल्य पर की गई बिक्री से प्राप्त राशि को वसूली

[हिन्दी]

8597. **श्री पीयूष तिरकी :**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने आयातित औषधों की अधिक मूल्य पर बिक्री करके अत्यधिक लाभ अर्जित किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को 400 करोड़ रुपये की राशि सरकार को लौटाने का आदेश दिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इन कम्पनियों ने यह राशि वापस कर दी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) अनुसूचीबद्ध प्रपुंज औषधों, चाहे वे आयातित हों अथवा स्वदेश में निर्मित की गई हों, के मूल्य डी०पी०सी० ओ०, 1979 के उपबंधों के अन्तर्गत निर्धारित किए गए थे। कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों सहित कुछ कंपनियों ने सरकार द्वारा कुछ औषधों के लिए निर्धारित मूल्यों को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी जो बाद में सर्वोच्च न्यायालय में गई। सर्वोच्च न्यायालय ने 10 अप्रैल,/1 मई, 1987 को दिए गए अपने निर्णय में इन सभी मामलों को रद्द कर दिया और सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों को वैध ठहराया।

(ख) और (ग) दिल्ली उच्च न्यायालय मे दिए गए वचन के अनुसार न्यायालय के मामले में अन्तर्ग्रस्त कम्पनियों ने उनके द्वारा वसूल किए गए मूल्यों और सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों के सन्दर्भ में अन्तर का भुगतान करना है।

(घ) और (ङ) इन कम्पनियों से वसूली योग्य राशियों को अन्तिम रूप देने हेतु 1987 में गठित 4 सदस्यीय विशेष दल ने 31-12-1983 को समाप्त अवधि के लिए सात कंपनियों के बारे में राशि की अन्तिम रूप से गणना कर ली है। शेष कंपनियों के बारे में इसके द्वारा शीघ्र ही निर्धारण पूरा किए जाने की आशा है। विशेष दल द्वारा निर्धारित और कंपनियों द्वारा भुगतान की गई राशियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए जाते हैं।

विवरण

क्रम सं०	कंपनी का नाम	प्रपुंज औषध/सूत्रयोग का नाम	31-12-1983 को समाप्त अवधि के लिए परिकल्पित राशियां (लाख रु० में)	कंपनियों द्वारा भुगतान की गई राशियां (लाख रु० में)
1	2	3	4	5
1.	मे० साइनामाइड इंडिया लि०	टेट्रासाइक्लिन और फार्मू०	389 06	50,00

1	2	3	4	5
2.	मे० हेक्सट इंडिया लि०	बरालगन, पाइरालीडीन मिथाइल टेट्रासाइक्लीन, फिनीरेमाइन, ग्लाइबेन-क्लेमाइड फ्रूसेमाइड और फार्मू०	458.10	300.00
3.	मे० जोहन वायथ इंडिया लि०	बेन्जाथीन पेनि० और इसके फार्मू०	133.46	25.00
4.	मे० ज्योफरी मेसर्स लि०	—वही—	28.37	
5.	मे० इथरोन लि०	टेट्रामिसोल और इसके फार्मू०	0.15	8.00
6.	मे० फ्रैंकों इंडिया फार्मा० प्रा०लि० और मे० ग्रीफोन लि०,	प्रोकेन पेनि० वी और इसके फार्मू०	11.02	0.43
7.	मे० फाइजर लि०	आक्सीटेट्रासाइक्लीन और इसके लवण और उन पर आधारित फार्मूलेशंस	48.21	10.00

पोलावरम, आन्ध्र प्रदेश में टेलीफोन प्रणाली

[अनुवाद]

8598. **श्री सोडे रमैया :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ महीनों से तकनीकी खराबियों के कारण आन्ध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में पोलावरम के साथ टेलीफोन के माध्यम से बाहरी लोगों द्वारा सम्पर्क करना कठिन हो गया है;

(ख) क्या हाल ही में कोव्वूर से निडदवोलु तक ट्रंक एक्सचेंज प्रणाली और अधिक खराब हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो वहां पर टेलीफोन प्रणाली में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी नहीं। ट्रंक सेवाएं ठीक से काम कर रही हैं हालांकि ट्रंक लाइनों में कुछ व्यवधान हो सकते हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

नोएडा में रसोई गैस की सप्लाई

8599. श्री कमल चौधरी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस तरह की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि नोएडा में रसोई गैस की एजेंसियों द्वारा सप्लाई किये गये रसोई गैस के सिलिंडर प्राय: कम वजन के होते हैं और सप्लाई में एक सप्ताह अथवा इसके भी अधिक का विलम्ब होता है; और

(ख) यदि हां, तो इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी है और उपभोक्ताओं को इस सम्बन्ध में क्या सुविधाएं दी गई हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) इस सम्बन्ध में तेल कम्पनियों को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) ऐसी सभी शिकायतों की तत्काल जांच करवायी जाती है और दोषी एल० पी० जी० वितरकों के विरुद्ध विपणन अनुशासन दिशा निर्देशों के अनुसार यथावश्यक कारंवाई की जाती है। कम भरे हुए सिलिंडरों के बारे में प्राप्त शिकायतों के साबित होने पर कम भरे हुए सिलिंडरों को मुफ्त में बदल दिया जाता है।

सागरपुर, नई दिल्ली में डाक घर खोलना

8600. श्री सीताराम जे० गावली :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सागरपुर, नई दिल्ली-46 में एक नया डाकघर खोलने की मांग की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) माननीय संसद सदस्य ने तत्कालीन ऊर्जा एवं संचार मंत्री को भेजे अपने दिनांक 25-5-1988 के पत्र में सागरपुर (नई दिल्ली) में एक डाकघर खोलने का प्रस्ताव दिया था। कुछ अन्य एसोसिएशनों, जैसे भारतीय युवा किसान मजदूर कांग्रेस और डा० अम्बेडकर कल्याण समिति ने भी इस इलाके में एक डाकघर खोलने के लिए प्रतिवेदन भेजे थे।

यह निर्णय लिया गया है कि जैसे ही उचित किराये पर कोई भवन मिल जायेगा, इस इलाके में डाकघर खोल दिया जायेगा।

भंडार वस्तुओं की सप्लाई हेतु कम्पनियों का पंजीकरण

8601. डा० वी० वेंकटेश :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहरादून स्थित तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को भंडार वस्तुओं की सप्लाई हेतु सप्लायरों/विक्रेताओं के रूप में पंजीकरण हेतु सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र की किन-किन कम्पनियों को पंजीकृत किया गया है; और

(ग) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अपनी मांग को सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के माध्यम से पूरा करने हेतु समुचित समर्थन प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ओ० एन० जी० सी० के पास पंजीकृत माने जाते हैं।

(ग) ओ०एन०जी०सी० वर्तमान सरकारी नीति की शर्तों के अनुसार तथा भारतीय सप्लायरों को दी जाने वाली कीमत वरीयता की प्रणाली के अंतर्गत नियमित रूप से भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को आर्डर दे रहा है।

हिमाचल प्रदेश में देहरा को सम्मिलित करने के लिए हमीरपुर सेकेंडरी स्विचिंग क्षेत्र को नई लाइन से जोड़ना

8602. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** :

क्या संचार मंत्री हिमाचल प्रदेश में देहरा को सम्मिलित करने के लिए हमीरपुर सेकेंडरी स्विचिंग क्षेत्र को नई लाइन से जोड़ने के बारे में 14 मार्च, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2673 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर सेकेंडरी स्विचिंग क्षेत्र के साथ देहरा सिविल उपमंडल को नई लाइन से जोड़ने के लिए इस बीच मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार, हिमाचल प्रदेश, शिमला को आदेश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो ये आदेश किस तारीख को जारी किए गए, कार्यान्वित किये गये और उनका मूल पाठ क्या है;

(ग) क्या हमीरपुर के लिए प्रस्तावित अलग टेलीग्राफ इंजीनियरिंग डिवीजन का कार्यभार देहरा उपमंडल की सम्मिलित सूची सहित इससे जुड़े विस्तृत हमीरपुर से सेकेंडरी स्विचिंग क्षेत्र के आधार पर निश्चित करने की मांग की गई थीं;

(घ) यदि हां, तो नई लाइन से जोड़ने के पश्चात् हमीरपुर सेकेंडरी स्विचिंग क्षेत्र के अन्तर्गत वास्तविक कार्य भार कितना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और आदेश आगे जारी करने/लागू करने में विलम्ब होने के लिए कोई उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा, और इसे किस तारीख तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 17-2-89 और 26-4-89 के पत्र सं० 16-14/83-पी०एच० टी० द्वारा आदेश

जारी कर दिए गए हैं।

(ग) जी हां।

(घ) देहरा राजस्व उपमण्डल को शामिल करने के बाद हमीरपुर गौण स्विचिंग का कार्य-भार श्रेणी-1 के मानदण्डों पर कर्मचारी निरीक्षण एकक (एस० आई० यू०) मुद्दों के आधार पर 5077 है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि हमीरपुर दूरसंचार जिला बनाने के लिए स्वीकृति 1-5-89 के प० सं० 5-28/87-टी ई-1 द्वारा जारी की जा चुकी है।

टरबाइन जेनरेटरों का आयात

8603. श्री एच० एन० नन्जे गौडा :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए भाप पर आधारित टरबाइन जेनरेटरों के आयात करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या स्विटजरलैंड की ए० बी० बी० कम्पनी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम अथवा किसी अन्य एजेंसी के साथ विभिन्न "टर्न-की" परियोजनाओं अथवा उसके उपकरणों की सप्लाई करने के लिए कार्य कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) द्विपक्षीय वित्त-पोषण प्रबन्ध के अन्तर्गत राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की रिहन्द चरण-दो, विंध्याचल चरण-दो, कायम-कुलम चरण-एक, मंगलौर चरण-एक तथा यमुना नगर ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए वाष्प पर आधारित टरबाइन जनित्रों को आयातित किया जा सकता है।

(ख) और (ग) तलचेर सुपर ताप विद्युत परियोजना के स्टीम टरबाइन जेनरेटर पैकेज की प्राप्ति के लिए ठेका मैं० एसिया ब्राउन बोवेरी (ए० बी० बी०) तथा उनके मनोनीत प्रतिनिधि मैं० हिन्दुस्तान ब्राउन बोवेरी (ए० बी० बी०) को दिया गया था।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किराए पर उपकरण लेना

8604. श्री लक्ष्मण मलिक :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा हेलीकाप्टर, तेल रिगों आदि सहित किराए पर लिए गए विभिन्न उपकरणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक उपकरण के लिए किराये के रूप में अलग-अलग कितनी धनराशि का भुगतान किया गया;

(ग) किराये की दरों को किस आधार पर अन्तिम रूप दिया गया;

(घ) क्या इन उपकरणों को किराये पर लेने से पहले इनकी खरीद किये जाने पर विचार किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) 1985—88 के दौरान सेवाओं को किराये पर लेने पर तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा खर्च की गई कुल राशि इस प्रकार है :—

	करोड़ रुपये
1985-86	319
1986-87	410
1987-88	580

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा ली गई बड़ी मात्रा में सेवाओं को देखते हुए प्रत्येक प्रकार की मदों के बारे में सूचना एकत्र करने में लगने वाला समय और श्रम वांछित उद्देश्य के अनुरूप नहीं होगा।

(ग) इनके लिए दरें विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए विश्व व्यापी टेंडरों के प्रत्युत्तर में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को प्राप्त कोटेशनों के आधार पर निर्धारित की गई।

(घ) और (ङ) सभी संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखकर ही उपकरणों को चार्टर हायर पर लिया जाता है।

शुद्ध ग्लुकोस का बाजार में बेचा जाना

8605. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तरल शुद्ध ग्लुकोस की बिक्री सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा की जाती है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि शुद्ध ग्लुकोस बाजार में आसानी से मिल सके, क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (ग) पीने के काम आने वाला शुद्ध ग्लुकोज औषध न होने के कारण डी० पी० सी० ओ०, 1987 के उपबन्धों की सीमा में नहीं आता है।

दूरदर्शन केन्द्र का भली-भांति कार्य न करना

8606. **श्री अमर सिंह राठवा :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वर्ष 1988 के दौरान कतिपय दूरदर्शन केन्द्रों/रिले केन्द्रों के भली-भांति कार्य न करने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सभी रिले केन्द्रों/दूरदर्शन केन्द्रों का कार्य सन्तोषजनक ढंग से सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के०के० तिवारी) : (क) से (ग) दूरदर्शन के नेटवर्क में विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों/रिले केन्द्रों का समग्र कार्य निष्पादन संतोषजनक है। तथापि, कुछ ऐसे अवसर आये हैं जब कुछ ट्रांसमीटरों के कुछ पुर्जे खराब हो जाने के कारण उनमें गड़बड़ी पैदा हुई है। इस प्रकार की गड़बड़ियों पर तत्परता से कार्रवाई की जाती है और प्रभावित ट्रांसमीटरों के निष्पादन को पुन: चालू करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। ऐसे भी अवसर आये हैं जब असामान्य रूप से उच्च मौर प्रक्रिया के कारण दूरस्थ दूरदर्शन ट्रांसमीटरों से सिगनलों के दीर्घ दूरी प्रेषण अनियमितता के कारण पिछले कुछ महीनों के दौरान कुछ ट्रांसमीटरों से संग्रहण में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अब इस स्थिति में सुधार हो गया है।

विदेशी औषध कम्पनियों के कार्य-कलापों को अनुपलब्ध प्रौद्योगिकी क्षेत्रों तक सीमित रखना

8607. **श्री जगन्नाथ पटनायक** :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय औषध परिषद् द्वारा गठित लाइसेंस-सम्बन्धी कार्य दल ने भविष्य में विदेशी औषध कम्पनियों के कार्य-कलापों को ऐसे क्षेत्रों तक ही जिनके लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं है सीमित रखने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशी कम्पनियां उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र है जबकि भारतीय कम्पनियों द्वारा इन वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है;

(ग) क्या भारतीय औषध निर्माता एसोसिएशन ने सुझावों में इस प्रकार से संशोधन करने की मांग की है कि अनुपलब्ध प्रौद्योगिकी में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् तथा देश में स्थापित अन्य मान्यता प्राप्त अनुसंधान तथा विकास संगठनों द्वारा विकसित की जा रही प्रक्रिया को शामिल किया जाना चाहिए; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध मे अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (घ) भारत में औषध और भेषज उद्योग के युक्तिकरण, गुणवत्ता नियंत्रण और विकास के लिए नए उपायों की घोषणा राष्ट्रीय औषध तथा विकास परिषद की भी रिपोर्ट पर विचार करने के बाद दिसम्बर, 1986 में की गई थी। नीति संबंधी इन उपायों के अन्तर्गत फेरा कंपनियों का प्रवेश केवल 66 मदों तक सीमित है।

कीटनाशकों का निर्माण करने वाले औद्योगिक एकक

8608. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन औद्योगिक एककों का ब्यौरा क्या है जो सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में कीटनाशकों का निर्माण कर रहे हैं; और

(ख) इन एककों में निर्माण की जा रही कीटनाशकों का ब्यौरा ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी संलग्न विवरण में दी जाती है।

विवरण

तकनीकी कीटनाशियों को बनाने वाले कार्यरत एककों की सूची (संगठित क्षेत्र)

क्रम० सं०	एकक	उत्पादित कीटनाशियों के नाम
1	2	3
1.	एग्रोमेर लि०	इथोपेन, ड्यूरोन, कोमब्रिल
2.	अतुल प्रोडक्टस लि०	डियूरोन, आइसोप्रोट्यूरोन, 2, 4, डाइक्लोरोफिनोक्सी 2,4 डी सोडियम मेटाक्सरेस
3.	भारत पलवराईजिंग मिल्स लि०	इण्डोसल्फान, सिपरमेथरिंग, सोडियम साल्ट, डी० डी० वी० पी० (डिक्लोरोलेस) फिनोथिएट, निकल क्लोराइड, कार्बोक्सि बूटाक्लोर, एलुमिनियम, फास्फाइड, सल्फर
4.	बेयर (इंडिया) लि०	पेराथियोन, मेटासिस्टेक्स, पेन्थरथियोन, पोरफरेब, प्रोपेक्सर, ट्रिब्यूनिल
5.	बी०ए०एस०एफ० इंडिया लि०	कार्बेन्डाजिन, सिपरमेथरिन, गिकोल फल्यूक्लोरेलिन
6.	हिन्दुस्तान सीबा गेगी लि०	डी०डी०वी०पी०, मोनोक्रोटोफोस, फाल्फामाइड, आइसोप्रोट्यूरो
7.	सिनामिड इंडिया लि०	थीमेट, फेनथ्रोथियोन, मेलाथियोन, टेमफोस, फिरेट, फेनीथ्रोथियोन
8.	एक्सील इंडस्ट्रीज लि०	इन्डोसल्फान, मेलाथियोन, थीरम अर्गेनो मरकोरियल्स सल्फर
9.	फिकोन आर्गेनिक लि०	मेलाथियोन
10.	निको प्रोडक्ट्स लि०	सिकोसिल, डेलापोन
11.	गुजरात इन्सेक्टिसाइड्स लि०	कारबानडीजिन, आइसोप्रोट्यूरोन, जिपरमेथरिन फेनोवेलीरेट, क्लोरोप्रिफोरम, क्वीनलफोस, फास्फामिडोन
12.	गुजचेम डिस्टलरीज इन्डिया लि०	2, 4डी

1	2	3
13.	धारदा केमिकल्स प्रा० लि०	क्लोरोथीरोलोन, आइसोप्रोट्यूरस
14.	हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लि०	डी०डी०टी०, बी०एच०सी०, बूटाक्लोर, आइसोप्रोट्यूरन, कार्बाफ्यूरन, इन्डोसल्फान, मेलाथियोन, मोनोक्रोटोफोस, आक्सीआरबाबोक्सिन
15.	हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लि०	फंगीसाइड
16.	आई०ई०एल०	बी०एच०सी०
17.	इन्डियन आर्गेनिक केमिकल्स लि०	—
18.	इन्डोफिल केमिकल्स लि०	डिथीनो, जिरम, मेनोकोजेब
19.	इफको	मेलाथियोन
20.	आई०ई०एल० वेस्ट बंगाल	मेनाजोन
21.	केनोरिया केमिकल्स इन्ड०	बी०एच०सी०, लिन्डेन
22.	खासाउ जन्डर लि०	डिमेथोएल, मेलाथियोन, मोनोक्रोटोफोस, फेनथोएट डिक्लोरो (डी०डी०वी०पी०) मेथीडाथियोन
23	लपिन लेब्स प्रा० लि०	डी०डी०वी०पी०
24.	मध्य प्रदेश यूनाइटेड केम एन्ड पेस्टि लि०	मेलाथियोन
25.	मिको फार्म चेम लि०	लिन्डेन, डिमेथोएट
26.	नेशनल आरगेनो चेम इन्ड० लि०	डी०डी०वी०पी०, फास्फामाइड, मोनोक्रोटोफोस सिपरमेथरिन
27.	पोषक लि०	असइमोप्रोटूरीन, कार्बारिल कार्बेन्डिशजिन एलपस नेपथील, एसिटिक एसिड
28.	शो वेलेस एन्ड कंपनी	डिमेथोएली, फेनथ्रोथियोन
29.	पेस्टिसाइड्स इन्डिया	मेलाथियोन, फोरेट, इथीओन
30.	रेलिस इंडिया लि०	फेनथ्रोथियोन, डिमेथोएली, इथीयोन, मिथाइल पाराथियोन, मोनोकोर्टिफोस फासफेमिडिन एसिफेट, आई० ई० पी० फिसेल, इथोफियोन, एट्राजिन सिमजीन केपटाफोल/केपटोन फेनवेलीरेट
31.	शो वेलेस एन्ड कंपनी लि०	इथीयोन, फेनटीथ्रोथियोन, डिमिथोएट

1	2	3
32.	सेन्डोज (इंडिया) लि०	क्वीनलफोस, मेटाक्यूरोन
33.	साराभाई एम० केमिकल्स	गीकोसिल
34.	ई०आई०डी० पेरी (इंडिया) लि०	पेस्टीसाइड्स फार्मूलेशंस
35.	सलेग (इन्डिया) लि०	बूटाक्लोर, फेनवेलीरेट, क्वीनलफोस
36.	शिवालिक रसायन लि०	मिथाइल पेराथियोन, फोरेट
37.	सुदर्शन केमिकल्स इन्ड०	मोनोक्रोटोफोस, बूटाक्लोर, क्वीसलफोस, फोसफामिडो डी०डी०वी०पी०, डियाजिनोन, कार्बोक्सिन, केपटेन/ केपटाफोल एट्राजिन
38.	साउर्थन पेस्टिसाइड्स लि० कार्पो०	बी०एच०सी०
39.	स्वदेशी केमि० (प्रा०) लि०	एल्यूमिनियम फास्फाइड, जिंक फास्फाइड
40.	ट्रावनकोर कैमि० एन्ड एम०एफ०जी० कं० लि०	कापर आक्सीक्लोराइड, कापर सल्फेट
41.	टाटा केमिकल्स लि०	बी०एच०सी०, मिथाइल, ब्रोमाइड, कापर, आक्सीक्लोराइड, इथाइलीन डिब्रोमाइड
42.	यूनाइटेड फोस० प्रा० लि०	क्वीनोलफोस, आर्गेनो मरकेरियल एल्यूमिनियम फास्फाइड, इथाइलनो डिब्रोमाइड
43.	उत्तर रसायन उद्योग लि०	मेलाथियोन
44.	वेलरहा लि०	फोसालिन, मेलाथियोन, फोरेट मिथाइल पाराथिये डोजिनोन सिपरमेथरिन, ग्लाइफोस्फेट
45.	ट्रिटि केमि० लि०	आइसोप्रोटयूरोन
46.	फिकोन आर्गेनिक लि०	मेलाथियोन, फेनोथोएट

तिरूरंगाडी केरल में हस्तचालित टेलीफोन एक्सचेंजों को स्वचालित एक्सचेंजों में बदलना

8609. श्री जी० एम० बनातवाला :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कालीकट और अन्य स्थानों के बीच सम्पर्क स्थापित करने के

लिए तिरूरंगाडी (जिला मालाप्पुरम, केरल) में हस्तचालित टेलीफोन एक्सचेंज को ग्रुप डायलिंग सुविधा सहित स्वचालित एक्सचेंजों में बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तिरूरंगाडी टेलीफोन एक्सचेंज के पुनः विकास की कोई योजनायें हैं, तो वे क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) जी हां। तिरूरंगाडी में 250 लाइनों के मौजूदा सी०बी०एन०एम० एक्सचेंज को वर्ष 1989-90 के दौरान 400 लाइनों के एम०ए०एक्स०-II एक्सचेंज में बदलने का प्रस्ताव है। तिरूर के साथ ग्रुप डायलिंग सुविधा स्वचालीकरण के बाद शुरू करने का प्रस्ताव है। कालीकट के साथ ग्रुप डायलिंग सुविधा संभव नहीं है क्योंकि इसकी रेडियल दूरी 20 कि०मी० से अधिक है।

(ग) इस समय ऊपर उल्लिखित प्रस्ताव के अलावा और कोई प्रस्ताव नहीं है।

पटना में सरकारी कपड़ा मिलों द्वारा डाक कर्मचारियों को कपड़ों और वर्दी के कपड़ों की उधार बिक्री

8610. **श्री एच० बी० रामुलु** :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना में डाक कर्मचारियों ने मासिक वेतन से आसान किश्तों के रूप में कटौती के आधार पर सरकारी कपड़ा मिलों से कुछ प्रकार के कपड़ों और वर्दी के कपड़ों (ड्रेस मेटिरियल्स) की उधार खरीद की है;

(ख) क्या पटना डाक प्राधिकारी प्रत्येक कर्मचारी के मासिक वेतन या मजूरी से इसकी किश्त की कटौती कर रहे हैं;

(ग) क्या डाक प्राधिकारियों ने उन सप्लायरों को यह राशि प्रेषित नहीं की है, जिन्होंने उनकी उचित अनुमति से उधार बिक्री कैंप लगाये थे;

(घ) क्या पटना में डाक कर्मचारियों को कानूनी नोटिस जारी किये गये हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(च) मामले को सुलझाने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां। निदेशक लेखा (डाक) पटना के कार्यालय के 55 कर्मचारियों ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए उनकी "क्रेडिट सेल स्कीम" के अन्तर्गत भारत सरकार के उपक्रम मै० लाल इमली मिल्स से कपड़ों की खरीद की थी।

(ख) जी हां।

(ग) राशि संबंधित सप्लायर को भेज दी गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते ।

केन्द्रीय वित्त पोषित विद्युत परियोजनाओं से सप्लाई की जाने वाली विद्युत की कोटा प्रणाली को समाप्त करना

8611. **डा० बी० एल० शैलेश :**

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने केन्द्रीय वित्त पोषित परियोजनाओं से राज्यों द्वारा बिजली का हिस्सा बांटने सम्बन्धी कोटा प्रणाली समाप्त करने तथा इसकी बजाय उन राज्यों को विद्युत सप्लाई करने की सिफारिश की है जो विद्युत उत्पादन लागत पर आधारित विद्युत प्रभार देने के इच्छुक हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का औचित्य क्या है; और

(ग) इससे प्रस्तावित राष्ट्रीय ग्रिड स्थापित करने में कहां तक सहायता मिलेगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

नेशनल ट्रांसमिशन कार्पोरेशन

8612. **श्री महेन्द्र सिंह :**

श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि :

क्या ऊर्जा मंत्री नेशनल ट्रांसमिशन कार्पोरेशन की स्थापना के बारे में 15 नवम्बर, 1988 के तारांकित प्रश्न संख्या 74 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ट्रांसमिशन निगम की स्थापना के प्रस्ताव पर कोई निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो किन परियोजनाओं में इस कार्पोरेशन की स्थापना की जा रही है और इससे किन उद्देश्यों को पूरा किया जायेगा; और

(ग) यह कब तक स्थापित हो जायेगी और यह कब से कार्य कर देना आरम्भ कर देगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) राष्ट्रीय ट्रांसमिशन निगम की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

(ख) जिन परिस्थितियों के कारण इस प्रकार की राष्ट्रीय ट्रांसमिशन निगम स्थापित किए जाने की आवश्यकता है उनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है :

(1) केन्द्रीय क्षेत्र में पारेषण लाइनों पर कई निकायों (एन०टी०पी०सी, एन०एच०पी०सी०, नीपको, एन०एल०सी० आदि) का स्वामित्व है जोकि ई०एच०वी० लाइनों के डिजाइन अभियान्त्रिकी कार्यान्वयन एवं रख-रखाव के माप के विशिष्टीकरण एवं मितव्ययिता के लिए सहायक नहीं है ।

(2) वित्त पोषण के लिए उपयुक्त सांस्थानिक "फ्रेम वर्क" विद्यमान नहीं है एवं के०वि०प्रा० के समयानुसार कार्यान्वयन ने एक राज्य से दूसरे राज्य में बिजली पहुंचाने के लिए

समर्थ बनाने हेतु अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली को अनुमोदित कर दिया है।

(3) राष्ट्रीय ग्रिड के एकीकृत प्रचालन के लिए वास्तविक भार प्रबन्ध एवं विद्युत प्रवाह के विनियमन की आवश्यकता होती है। इसके लिये खर्चीली संचार, सामग्री अधिगम एवं पर्यवेक्षणीय नियंत्रण सुविधाओं की अपेक्षा होती है।

(4) आने वाले समय में, कोई भी राज्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिये केन्द्र को बिजली के उत्पादन एवं पोषण में बढ़-चढ़ कर भूमिका निभानी पड़ती है।

(ग) इस प्रकार की निगम की स्थापना के लिये कई मुद्दों का परीक्षण एवं अनेक संगठनों/एजेंसियों के साथ अंतर्क्रिया करनी होती है। इसलिये यथातथ्य समय-सीमा निर्धारित करना कठिन है।

महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक घर खोलना

8613. **श्री अशोक शंकरराव चव्हाण :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना की शेष अवधि के दौरान महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

महाराष्ट्र

तीन महीने के भीतर खोले जाने वाले स्वीकृत नये डाक घरों की
जिले-वार संख्या

क्र० सं०	जिला	उप डाकघर	शाखा डाकघर
1	2	3	4
1.	नानडेड	—	13
2.	परभनी	—	15
3.	नासिक	—	11
4.	शोलापुर	—	5
5.	जालना	—	3
6.	औरंगाबाद	—	1

1	2	3.	4
7.	पुणे	—	15
8.	सतारा	—	14.
9.	कोल्हापुर	—	17
10.	चंद्रपुर	—	4
11	गढचिरोली	—	8
12.	नागपुर	—	3
13.	यवतमाल	—	1
14.	भण्डारा		4
15.	बुलढाना	—	2
16.	धुले	—	3
17.	रत्नागिरी	—	2.
18.	सांगली	—	3
19.	भीड	—	6
20.	अहमदनगर	—	3
21.	लातूर	—	1
22.	उस्मानाबाद	—	5
23.	अकोला	—	5
24.	अमरावती	—	2
25.	जलगांव	—	5

~~डीजल में मिट्टी के तेल की मिलावट~~

[हिन्दी]

8614. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के नालन्दा, पटना, नावदा, औरंगाबाद और जहानाबाद जिलों में कुछ पेट्रोल-पम्प मिट्टी के तेल की मिलावट वाले डीजल की बिक्री करते पाये गए हैं और इस मिलावट के कारण उपभोक्ताओं के वाहनों के इंजिनों में विभिन्न प्रकार की खराबियां पैदा हो जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में जांच करने का विचार है; और

(ग यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) तेल विपणन कम्पनियों द्वारा इन जिलों में मिलावट का कोई भी मामला नहीं पाया।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

केन्द्रीय निवेश सहायता योजना

[अनुवाद]

8615. **प्रो० मधु दंडवते** :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के पिछड़े जिले रत्नागिरी में लघु उद्योगों को पहले दी जाने वाली केन्द्रीय निवेश सहायता बन्द कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे लघु उद्योग को फिर से ठेस पहुंचने की आशंका के कारण महाराष्ट्र के लोगों मे असन्तोष फैल गया है; और

(ग) रत्नागिरी जिले में लघु उद्योगों को खतरे से बचाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले सहित, केन्द्रीय निवेश राज सहायता योजना जो केंद्र सरकार द्वारा औद्योगिक रूप से पिछड़े माने गये सभी जिलों में लागू थी, 30 सितम्बर, 1988 तक बढ़ा दी गयी। इसके बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सरकार ने इसे 30 सितम्बर, 1988 से आगे बढ़ाने का निर्णय नहीं लिया है।

सोवियत संघ को भारतीय निर्यातकों का प्रतिनिधि मण्डल

8616. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सचिव, रसायन के नेतृत्व में मई, 1989 में एक प्रतिनिधि मण्डल सोवियत संघ जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उनके साथ जाने वाले अधिकारियों के नाम क्या हैं;

(ग) इस दौरे पर कितना खर्च आने का अनुमान है; और

(घ) इस खर्च को कैसे पूरा किया जायेगा ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) सचिव, रसायन एवं पेट्रोरसायन मास्को में आयोजित होने वाले इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री पर सेमिनार में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं, जो यू० एस० एस० आर० के माइक्रोबायलाजी मंत्रालय के सहयोग से इंडोपूरक एस० आर० के० मेम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री के अनुरोध पर आयोजित किया जा रहा है।

(ख) रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में संयुक्त सचिव, भेषज उद्योग, डी वी टी डी और स्वास्थ्य तथा वाणिज्य मंत्रालयों के प्रतिनिधि सचिव (रसायन एवं पेट्रो रसायन) के साथ जायेंगे।

(ग) और (घ) प्रत्येक अधिकारी के दौरे पर होने वाला व्यय उनकी पात्रता के आधार पर सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

उड़ीसा के जाजपुर सब-डिविजन के लिए डाक-वैन

8617. श्री प्रनाविचरण दास :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में कटक जिले में जाजपुर सब-डिविजन के लोगों द्वारा डाक-बस को रद्द करने तथा डाक-वैन की स्वीकृति न दिये जाने के कारण प्रायः 3-4 दिन तक डाक सेवाएं निलंबित रहने से होने वाली कठिनाइयों की जानकारी है;

(ख) इस स्थिति को हल करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है;

(ग) आर० एम० एस० जाजपुर-क्योंझर रोड से जाजपुर टाऊन तथा जाजपुर सब-डिवीजन के अन्य स्थानों को डाक थैले ले जाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है; और

(घ) जाजपुर क्योंझर रोड से जाजपुर सब-डिविजन के अन्य स्थानों को डाक थैले ले जाने हेतु एक डाक-वैन की स्वीकृति न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) डाक लाने-ले-जाने के लिए प्राइवेट वाहन नियमित रूप से किराए पर लिए जाते हैं। तथापि, उड़ीसा के कटक जिले के जाजपुर उप-डिवीजन में, उड़ीसा राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों द्वारा डाक को सुगमता से लाने-लेजाने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के प्रयोजन से इस मामले को राज्य सरकार के अलावा भू-तल परिवहन मंत्रालय के साथ उठाया है।

(घ) जाजपुर-क्योंझर रोड से जाजपुर उप-डिवीजन के अन्य स्थानों के लिए डाक की मात्रा कम होने के कारण वहां विभागीय डाक मोटर सेवा का औचित्य नहीं बनता गया है।

आनंदपुर, उड़ीसा में दूरदर्शन रिले केन्द्र

8618. श्री हरिहर सोरन :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के आनंदपुर में दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना में देरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उपरोक्त प्रस्ताव के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) से (ग) इस

समय दूरदर्शन की सातवीं योजना के अन्तर्गत उड़ीसा के आनन्दपुर में दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने की कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

चर्म शोधन शालाओं को अपशिष्ट पदार्थ शोधन संयंत्रों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता

8619. **श्री ए० जयमोहन :**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चर्म शोधन शालाओं को अपशिष्ट पदार्थ शोधन संयंत्रों के निर्माण हेतु बैंकों के माध्यम से सहायता प्रदान करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उन्हें कितने प्रतिशत राज सहायता प्रदान की जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) चर्म शोधनशालाओं के समूहों के लिए सामान्य बहिस्राव शोधन संयंत्र लगाने के लिए राज्यों को सहायता देने हेतु 1989-90 से तीन वर्ष के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक नई योजना शुरू की गई है। केन्द्रीय सरकार से मिलने वाली सहायता कुल परियोजना लागत के 25% के तुल्य अनुदान के रूप में होगी, जो राज्य सरकार के 25% अंशदान, लाभार्थी चर्म शोधनकर्ताओं के न्यूनतम 10% अंशदान और वित्तीय संस्थाओं से लिए ऋण के 40% तक राशि के अनुरूप होगी। सामान्य बहिस्राव शोधन संयंत्रों की परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियां या तो राज्य सरकारें स्वयं होंगी, या वे अपने सम्बन्धित चमड़ा विकास निगमों जहां वे विद्यमान हों, के जरिए कार्यान्वयन करेंगी।

दिल्ली में पेट्रोल पम्पों और रसोई गैस एजेंसियों का आवंटन

8620. **श्री गंगा राम :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री दिल्ली में पेट्रोल पम्पों और रसोई गैस एजेंसियों को आबंटन के बारे में 11 अप्रैल, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5740 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन व्यक्तियों को खुदरा बिक्री केन्द्रों और रसोई गैस वितरण एजेंसियों का आबंटन किया गया है; उनका नाम और पते सहित ब्योरा क्या है तथा ये केन्द्र और एजेंसियां कहां-कहां हैं तथा आबंटित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या सामान्य श्रेणी में से किस किस से संबंधित है;

(ख) प्रत्येक खुदरा बिक्री केन्द्र और रसोई गैस एजेंसी के आबंटन किस तिथि को किए गए; और

(ग) इस संबंध में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को 25 प्रतिशत बिक्री केन्द्र/रसोई गैस एजेंसियां देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना को संकलित करने में लगने वाले प्रयास वांछित उद्देश्य की पूर्ति के अनुरूप नहीं होंगे।

(ग) डीलरशिपें/वितरणशिप देने के लिए वार्षिक विपणन योजनाएं बनाते समय 25% स्थानों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए निर्दिष्ट रखा जाता है। राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार आरक्षित चुनाव क्षेत्रों में तेल उद्योग द्वारा 25% का आरक्षण किया जाता है। यदि किसी मामले में किसी विशेष विपणन योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अन्तर्गत डीलरशिप/वितरण केन्द्र चालू नहीं किया जा सकता तो उसे अगली या भावी वितरण योजना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए 25 प्रतिशत के आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाता है।

नरेला में औद्योगिक प्लाटों का आवंटन

[हिन्दी]

8621. श्री खेलन राम जांगड़े :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम ने वर्ष 1987 में नरेला औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक प्लाटों के आवंटन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे तथा आवेदकों की भारी धनराशि एकत्रित की है;

(ख) अब तक प्लाटों का आवंटन न किए जाने और आवेदकों को उनके द्वारा जमा की गई राशि पर ब्याज न देने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस निगम द्वारा आवेदकों को इन प्लाटों का आवंटन कब तक किया जाएगा ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) नरेला में औद्योगिक प्लाटों के लिए दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम को प्लाट के आकार के आधार पर पंजीकरण जमा राशि के साथ लगभग 3500 आवेदन पत्र प्राप्त हुए।

(ख) दिल्ली प्रशासन के अनुसार अन्तर्ग्रस्त उद्योगों के विभिन्न कार्यात्मक वर्गों के लिए भिन्न-भिन्न समितियों द्वारा आवेदनपत्रों की जांच तथा मूल्यांकन की प्रक्रिया के लिए समय चाहिए। उद्यमियों की कुछ श्रेणियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जो दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन हैं। शर्तों में ब्याज के भुगतान की परिकल्पना नहीं है।

(ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा आवंटन नीति को अन्तिम रूप दिए जाने पर आवंटन किए जाएंगे।

तंजावूर, तमिलनाडु का दूरदर्शन रिले केन्द्र

[अनुवाद]

8622. श्री एस० सिंगारावडीवेल :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तंजावूर नगर, तमिलनाडु में एक किलोवाट का दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और इस केन्द्र से प्रसारण कब से आरम्भ हो जाएगा;

(ख) क्या इस एक किलोवाट के दूरदर्शन रिले केन्द्र से होने वाले प्रसारण से कोडइकनाल दूरदर्शन रिले केन्द्र, जो इस समय इस क्षेत्र में मौजूद है, से हो रहे प्रसारण में व्यवधान पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो इस ऐसी स्थिति को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) फिलहाल, दूरदर्शन की सातवीं योजना के अन्तर्गत तंजावूर शहर में दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने की कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय प्रेस परिषद में वित्तीय संकट

8623. कुमारी ममता बनर्जी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रेस परिषद में पंजीकृत समाचारपत्रों से कुल कितना शुल्क वसूल किया जाता है;

(ख) भारतीय प्रेस परिषद को वर्ष में कुल कितनी धनराशि की अनुदान सहायता दी जा रही है;

(ग) क्या भारतीय प्रेस परिषद द्वारा पंजीकृत समाचारपत्रों से शुल्क की राशि वर्ष भर वसूल की जा रही है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और अब तक शुल्क की कितनी राशि बकाया है;

(ङ) क्या उनके मंत्रालय ने अनुदान सहायता देते समय भारतीय प्रेस परिषद में व्याप्त वित्तीय संकट के बारे में जांच की है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) भारतीय प्रेस परिषद को समाचारपत्रों तथा समाचार एजेंसियों द्वारा देय लेवी की वार्षिक राशि तथा सरकार द्वारा दी गई अनुदान राशि, प्रति वर्ष अलग-अलग होती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) लेवी शुल्क का संकलन करने के लिए सांविधिक प्रावधानों के बावजूद कुछ समाचार पत्र तथा समाचार एजेंसियां भुगतान में चूक करती हैं। देय बकाया राशि की वसूली बोझिल तथा अधिक समय लगने वाली प्रक्रिया है। लेवी-शुल्क की ओर कुल बकाया धनराशि 19.30/- लाख रु० (लगभग) है।

(ङ) और (च) परिषद में कोई वित्तीय संकट नहीं है।

कोस्ट अकाउन्टेन्टों की ओर से ज्ञापन

8624. **श्री आर० जीवरत्नम :**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे** कि :

(क) क्या कुछ समय पूर्व व्यावसायिक योग्यता प्राप्त कोस्ट अकाउन्टेन्टों ने सरकार को एक ज्ञापन दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) भारतीय लागत तथा संकर्म लेखापाल संस्थान (आई० सी० डब्ल्यू० ए० आई०) ने 10-5-88 को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था।

(ख) और (ग) उपरोक्त ज्ञापन का मुख्य मुद्दा भारतीय लागत तथा संकर्म लेखापाल के नाम को भारतीय लागत तथा प्रबन्ध लेखापाल संस्थान में प्रस्तावित परिवर्तन से सम्बन्धित था। मामले की जांच की गई तथा यह महसूस किया गया कि प्रस्ताव में कोई विशिष्ट गुण नहीं है और लाभ का संतुलन यथा स्थिति जारी रखने में प्रतीत होता है।

दक्षिण क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता

8625. **श्री० पी० एम० सईद :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे** कि :

(क) क्या गैस पर आधारित उद्योगों को चलाने के लिए दक्षिण क्षेत्र में प्राकृतिक गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो प्राकृतिक गैस का स्रोत क्या है और यह कितनी मात्रा में उपलब्ध है;

(ग) उसे औद्योगिक एककों को कब तक उपलब्ध करा दिया जाएगा; और

(घ) ऐसे कौन-कौन-से उद्योग हैं जिन्हें स्थापित किया जा सकता है और प्राकृतिक गैस के आधार पर चलाया जा सकता है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (घ) दक्षिण क्षेत्र में कृष्णा-गोदावरी बेसिन में और कावेरी बेसिन में गैस उपलब्ध है।

उन उपभोक्ताओं के नाम जिन्हें केजी बेसिन और कावेरी बेसिन से गैस के लिए वचन दिए गए हैं तथा वचनबद्धता की मात्रा का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इसके अतिरिक्त काकीनाडा में नागार्जुन फर्टिलाइजर संयंत्र के लिए भी गैस देने के लिए सिद्धान्त रूप में वचन दिए गए हैं।

विवरण

क्र० सं०	पार्टी का नाम	गैस के लिए दिए गए वचन (सी०एम०डी० में)
के० जी० बेसिन		
1.	मैसर्स आन्ध्रा शुगरस, टनाकू*	16,000
2.	मैसर्स गोस्वामी साल्वेंट्स (पी) लि०, टनाकू*	5,000
3.	मैसर्स कास्टल आग्रो इंडस्ट्रीयल काम्पलेक्स टनाकू	5,000
4.	मैसर्स ए० पी० बागासी प्रोडक्ट्स लि० पाला-टनाकू	9,000
5.	मैसर्स डैल्टा पेपर मिल्स, भिमावरम*	28,000
6.	मैसर्स ए० पी० शुगरस, कोवूर	6,0[illegible]0
7.	मैसर्स कोस्टल केमिकल्स, गौरीपट्नम*	30,000
8.	मैसर्स जयपुर शुगरस, छागलू, (फालन बैक बेसिस-सीजनल रिक्वायरमेंट)	40,000
9.	मैसर्स साउथर्न पेस्टीसाइड्स, कोवूर	6,000
10.	मैसर्स साउथर्न मैंगनेशियम लि०	10,000
11.	एपीएसईबी	4,00,000
कावेरी बेसिन		
1.	मद्रास केमिकल्स	3,000
2.	दीपक केमिकल्स	3,000
3.	शारदा केमिकल्स इंडस्ट्रीज	3,000
4.	सनराइज केमिकल्स इंडस्ट्रीज	3,000
5.	पांडिचेरी इलैक्ट्रिकल्स डिपार्टमेंट	1,00,000
6.	बिनी लि०	18,000
7.	इंडियन स्टील रोलिंग मिल्स*	6,000
8.	किरन सिलिकेट्स*	3,000
9.	श्री जयदेवी इंडस्ट्रीज*	7,000
10.	तमिलनाडु इलैक्ट्रिसिटि बोर्ड	70,000

(*तीन पार्टियों को सप्लाई आरम्भ की गई है)

भारतीय औषध तथा भेषज लिमिटेड द्वारा लघु औषध फार्मूलेशन उत्पादकों को टेट्रासाइक्लीन एच० सी० एल० सप्लाई

8626. श्री जय प्रकाश अग्रवाल :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औषध तथा भेषज लिमिटेड ही लघु औषध फार्मूलेशन उत्पादकों को टेट्रासाइक्लीन एच० सी० एल० की सप्लाई करता है;

(ख) क्या टेट्रासाइक्लीन एच० सी० एल० की अत्यधिक कमी है तथा गत कई महीनों से लघु एककों को उपलब्ध नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) देश में टेट्रासाइक्लीन एच० सी० एल० के तीन निर्माता हैं अर्थात मैं० आई० डी० पी० एस०, मैं० सिनबायोटिक्स और साइनामाइड्स और लघु उद्योग भेषज सूत्रयोग निर्माताओं को इस वस्तु का मुख्य वितरक आई० डी० पी० एल० है।

(ख) और (ग) आई० डी०पी० एल० को टेट्रासाइक्लिन एच०सी०एल० के सूत्रयोग निर्माताओं की पंजीकृत मांग की 40 प्रतिशत आपूर्ति का अनुदेश दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन सेवा

8627. डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंज में कर्मचारी कम हैं जिसके कारण वहां टेलीफोन सेवा के स्तर और गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या उचित कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) कुछेक एक्सचेंजों में कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी और लाइनमैन जैसे कुछ संवर्गों में कर्मचारियों की संख्या किंचित् कम है लेकिन यह कमी इस हद तक नहीं है। जिससे सेवा के मानकों और गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ता हो।

(ख) 1984—88 के दौरान भर्ती पर लगा प्रतिबन्ध ही कर्मचारियों की कमी का मुख्य कारण है। इसके अलावा. कुछ क्षेत्रों में उपयुक्त स्थानीय उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तथा अन्य क्षेत्रों के कर्मचारी इन क्षेत्रों में जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं।

(ग) पदों को भरने के लिए भर्ती संबंधी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

विश्व बैंक द्वारा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान का दिए जाने वाला ऋण रोका जाना

8628. प्रो० राम कृष्ण मोरे :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को पूरे नगर के लिए 400 किलोवाट की एक रिंग के लिए विश्व बैंक द्वारा प्रदान किये जाने वाले 60 मिलियन डालर के ऋण को रोक दिये जाने के कारण विद्युत संकट का सामना करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विश्व बैंक द्वारा उक्त ऋण को रोक दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का विद्युत संकट का सामना करने के लिए क्या और कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) मई 1987 में, विश्व बैंक राष्ट्रीय राजधानी विद्युत आपूर्ति परियोजना के लिए 485 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण-राशि देने के लिए सहमत हुआ था, इस ऋण राशि में दिल्ली के चारों तरफ 400 के०वी० का ट्रांसमिशन रिंग बनाने के लिए डेसू के लिए 60 मिलियन अमरीकी डालर भी शामिल है। विश्व बैंक के साथ किये गये इस समझौते से अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया जाता है कि अपनी वित्तीय व्यवहार्यता को सुधारने के लिए एवं अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के लिए डेसू फरवरी, 1988 तक विश्वबैंक को एक सन्तोषजनक योजना प्रस्तुत करने के लिए डेसू उपाय करेगा। कई पेचीदी समस्याओं वाली इस प्रकार की योजना को बनाने एवं अन्तिम रूप देने में लगे अधिक समय के कारण विश्व-बैंक ने डेसू के हिस्से को 60 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण-राशि को 6 जनवरी, 1989 से आस्थगित कर दिया है। डेसू की वित्तीय स्थिति को फिर से ठीक करने के लिए एक कार्य-योजना तैयार की गई है।

महाराष्ट्र में डाक एजेंसियां

8629. श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय महाराष्ट्र में जिला-वार, कितनी डाक एजेंसियां कार्यरत हैं;

(ख) क्या सरकार का वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी संख्या में वृद्धि करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो जिलावार, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) नीति सम्बन्धी मामले के तौर पर 13-7-1987 से लाइसेंस प्राप्त डाक एजेंटों को कोई नये लाइसेंस जारी नहीं किए जा रहे हैं। तथापि कमीशन के आधार पर डाक टिकटें

और स्टेशनरी बेचने के लिए निर्धारित शर्तों के अनुसार प्राप्त आवेदनों के संदर्भ में लाइसेंस जारी किये जाते हैं। इस संबंध में कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं।

विवरण

महाराष्ट्र

क. लाइसेंस प्राप्त डाक एजेंटों (एल० पी० ए०) की जिलावार संख्या

जिला	एल० पी० ए० की संख्या
बम्बई	7
थाणे	[illegible]
अकोला	3
अमरावती	1
नागपुर	12
अहमदनगर	5
औरंगाबाद	6
भिड	1
धुले	2
जलगांव	7
नासिक	13
उस्मानाबाद	3
नानडेड	6
शोलापुर	9
पुणे	4
कोल्हापुर	1
सांगली	1
रायगढ़	1

ख. कमीशन के आधार पर डाक टिकटें और स्टेशनरी बेचने के लिए लाइसेंस प्राप्त एजेंटों की क्षेत्रवार संख्या

क्षेत्र	एजेंटों की संख्या
नागपुर	24
बम्बई	42
पुणे	259
औरंगाबाद	44

जिलेवार आंकड़ों की जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

आंध्र प्रदेश में सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग

8630. श्री वी० तुलसीराम :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) आगामी दो वर्षों के दौरान इन स्रोतों से कितनी ऊर्जा प्राप्त होने की सम्भावना है; और

(घ) इस प्रकार पैदा हुई विद्युत से राज्य की कितनी आवश्यकता की पूर्ति होगी?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग राज्य नोडल एजेंसी के सहयोग से आंध्र प्रदेश राज्य में सौर तथा पवन ऊर्जा के उपयोग के लिए एक कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। सौर तापीय कार्यक्रम के अन्तर्गत, 65 सौर जल तापन प्रणालियां, 58 घरेलू सौर जल तापन प्रणालियां, एक वाष्प तापन प्रणाली, एक सौर काष्ठ भट्टी और 67 सौर भभके (स्टिल्स) स्थापित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, 1280 सौर कुकर बेचे गये। इन सौर तापीय युक्तियों से प्रतिवर्ष लगभग 5.5 मिलियन किलोवाट घंटा तापीय ऊर्जा की बचत/उत्पादन होने की आशा की जाती है। 20 किलोवाट क्षमता का एक प्रयोगात्मक सौर तापीय विद्युत संयंत्र सलोजिपल्ली में स्थापित किया गया है। सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम के अन्तर्गत दूर-दराज के गांवों और गांव झुरमुटों में 2953 सौर प्रकाशवोल्टीय सड़क बत्तियां उपलब्ध कराई गई। अन्य प्रविस्तारण प्रणालियों में पेय जल आपूर्ति/सूक्ष्म सिंचाई के लिए 70 सौर जल पम्पन प्रणालियां, 3 सामुदायिक प्रणाली और टी० वी० प्रणालियां तथा 50 घरेलू रोशनी यूनिट शामिल हैं। 7.3 किलोवाट और 5 किलोवाट क्षमता की दो केन्द्रीकृत प्रकाशवोल्टीय विद्युत प्रणालियां क्रमश: मेढ़क जिले के सलोजिपल्ली गांव और हैदराबाद में लगाई गई है।

राष्ट्रीय पवन पम्प प्रदर्शन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में 273 जल पम्पन पवन चक्कियों की स्थापना की गई है। विभिन्न प्रकार के बैटरी चार्जिंग अनुप्रयोगों के लिए 4 किलोवाट के तीन बैटरी चार्जर स्थापित किये गये हैं। 110 किलोवाट के पांच पवन विद्युत जनित्रों पर आधारित 550 किलोवाट क्षमता का एक पवन फार्म तिरूमाला पहाड़ियों पर शुरू किया जा रहा है। पवन पम्पों से प्रति वर्ष लगभग 355 टन डीजल अथवा 54,600 यूनिट विद्युत की बचत होने की आशा की जाती है। पवन फार्म से वर्ष में लगभग एक मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन करने की आशा की जाती है।

इसके अतिरिक्त, बायोगैस, बायोमास, उन्नत चूल्हा आदि जैसी दूसरी अपारंपरिक ऊर्जा से भी राज्य में ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा में बचत/उत्पादन करने में सहायता मिल रही है।

मैसर्स स्टैंडर्ड मोटर्स लिमिटेड द्वारा एकत्र की गयी धनराशि

8631. **राव बीरेन्द्र सिंह :**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्ज स्टैंडर्ड मोटर्स लिमिटेड को इस शर्त पर 2000 से अधिक कारों का निर्माण करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस दिया गया कि ये कम ईंधन खर्च करने वाली कारें होंगी;

(ख) क्या इस कम्पनी ने उपर्युक्त कारों का निर्माण करना आरम्भ कर दिया है और क्या ये कारें कम ईंधन खर्च करने के परीक्षण में खरी उतरी हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) इस कम्पनी ने आर्डर बुक करने के रूप में कितनी धनराशि एकत्र की है और जिन उपभोक्ताओं ने कार खरीदने से मना कर दिया है, उन्हें कितनी धनराशि वापस कर दी गयी है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) मै० स्टैंडर्ड मोटर्स के औद्योगिक लाइसेंस में इस प्रकार की शर्त शामिल नहीं है।

(ख) कम्पनी ने स्टैंडर्ड 2000 कार का उत्पादन नवम्बर, 1985 में शुरू किया था। यह वाहन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कम ईंधन खर्च करने के परीक्षण में खरा उतरा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कम्पनी ने सूचित किया है कि उसने लगभग 20.19 करोड़ रु० अग्रिम राशि के रूप में एकत्र किये थे, इसमें से 5.40 करोड़ रु० कारों की डिलीवरी के एवज में समायोजित कर दिये गये हैं तथा 2.52 करोड़ रु० बुकिंग रद्द कराने के एवज में ग्राहकों को लौटाये गये हैं।

भारतीय एक्सट्रा डिपार्टमेंटल पोस्टल एम्प्लाइज, गुजरात की मांगें

8632. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल पोस्टल एम्प्लाइज, गुजरात सर्किल ने वरिष्ठ अधीक्षण डाकघर, राजकोट डिवीजन गुजरात को कोई मांगपत्र प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

आंध्र प्रदेश में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के छापे

8633. श्री सी॰ सम्भु :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने वर्ष 1987 और 1988 के दौरान आंध्र प्रदेश में उनके मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के घरों और दफ्तरों पर कितने छापे मारे थे; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) वर्ष 1987 और 1988 के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मारे गए छापे इस प्रकार हैं :—

1987	—	सात
1988	—	पांच

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

आर/सी सं०	नाम व पदनाम	वह परिसर जिसकी तलाशी की गई थी — कार्यालय या घर तथा तलाशी की तारीख	क्या अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था या नहीं	पकड़े गए अभिशंसी दस्तावेजों की संख्या
1	2	3	4	5
		1987		
आर सी सं० 43/87	श्री डी० रामकृष्ण छंटाई सहायक	घर 18.11.1987	नहीं	शून्य
	श्री जय रामा रेड्डी डाक सहायक	घर 18.11.1987	नहीं	शून्य
	श्री वी० शिवरामैया छंटाई सहायक	घर 18.11.1987	नहीं	शून्य

1	2	3	4	5
आर/सी सं० 23 (ए)/87-बी एस पी	श्री वाई०वी० रतनम कार्यपालक इंजीनियर (सिविल)	कार्यालय एवं घर 23.7.1987	नहीं	25 अभिशंसी दस्तावेज एक वैयक्तिक फाइल तथा छह सी टी डी पास बुकें पकड़ी गई थीं।
	श्री वी० सत्यनारायण, कार्यपालक इंजीनियर, श्री वाई० वी० रतनम का भाई	घर 23.7.1987	नहीं	गृहकर और भूमि कर से सम्बन्धित तीन रसीदें पकड़ी गई थीं
	श्री वाई० नागेश्वर राव सहायक इंजीनियर (सिविल)	घर 23.7.1987	नहीं	कुछ दस्तावेज पकड़े गये थे।
		1988		
आर/सी सं० 44/87	श्री टी० वी० कामेशम् छंटाई सहायक	घर 16.1.88	नहीं	तीन दस्तावेज पकड़े गए।
	श्री जी० सांभामूर्ति डाक सहायक	घर 16.1 88	नहीं	तीन दस्तावेज पकड़े गए।
	श्री डी० ब्रह्म सुधाकर डाक सहायक	घर 10.2.88	नहीं	तीन दस्तावेज पकड़े गए।
आर/सी सं० 5/88	श्री पी० वी० वी० शेषाचलम टेलीफोन निरीक्षक	घर 10.2.88	नहीं	दो फाइलें पकड़ी गईं।
आर/सी सं० 12/88	श्री चौ० रायन्ना सहायक अधीक्षक तार परियात	कार्यालय 31.3.1988	नहीं	एक फाइल पकड़ी गई।

अधिक प्रभार की धनराशि की वसूली

8634. **श्री राम कुमार राय :**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध कम्पनियों ने न्यायालयों को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 को चुनौती देने के मामलों में प्रभारित मूल्य और निर्धारित मूल्य के बीच अन्तर को जमा करने के सम्बन्ध में एक वचन दिया था;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने निर्धारित मूल्य और प्रभारित मूल्य के बीच अन्तर की वसूली कर दी है और उसे औषध मूल्य समकरण खाते में जमा कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो यह गणना किस आधार पर की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) जी, हां।

(ख) वसूली योग्य राशियों को अन्तिम रूप देने के लिए 1987 में गठित 4 सदस्यीय दल ने 31.12.1983 तक की अवधि के लिए 7 कम्पनियों के बारे में राशि को अन्तिम रूप दे दिया है। शेष कम्पनियों के बारे में इनके द्वारा निर्धारण शीघ्र ही पूरा कर लेने की आशा है। विशेष दल द्वारा निर्धारित की गई और कम्पनी द्वारा भुगतान की गई राशियां संलग्न विवरण में दी जाती हैं।

(ग) और (घ) 31.12.83 तक देय राशियों का निर्धारण कम्पनियों द्वारा वसूल किये गये मूल्यों और सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों के संदर्भ में किया गया है।

विवरण

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	प्रपंज औषध/ सूत्रयोग का नाम	31.12.89 को समाप्त अवधि के लिये गणना (लाख रु० में)	कम्पनी द्वारा भुगतान की गई राशियां (लाख रु० में)
1	2	3	4	5
1.	मै० सिनामिड इंडिया लिमिटेड	टेट्रासाइक्लीन और सूत्रयोग	389.06	50.00
2.	मै० हैक्स्ट इंडिया लि०	बंरालगन, पायरोलिडाइन, मिथाइल टेट्रासाइक्लीन, फेनिरामाइन, ग्लाइबेनक्लेमाइड, फ्रूतेमाइड और सूत्रयोग	458.10	300.00

1	2	3	4	5
3.	मै० जॉन येथ इंडिया लि०	बेंजाथाइल पेनिसिलीन एवं उसके सूत्रयोग	133.46	25.00
4.	मै० ज्योफेरी मैनर्स लि०	—वही—	28.36	
5.	मै० इथनोर लि०	टेट्रामिसोल एवं सूत्रयोग	8.15	8.00
6.	मै० फ्रेंको इंडिया और मै० ग्रीफोन लिमिटेड	प्रोकेन पेनिसिलीन जी और उसके सूत्रयोग	11.02	0.43
7.	मै० फाइजर लिमिटेड	आक्सीटेट्रासाइक्लीन और उसका साल्ट और उन पर आधारित फार्मू०	48.21	10.00

गुजरात में बी०पी०सी०एल० के वितरकों द्वारा रसोई गैस कनेक्शन देना

8635. श्री सोमजीभाई डामर :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में रसोई गैस कनैक्शनों की प्रतीक्षा सूची में शामिल कई आवेदकों ने 1 जनवरी, 1987 के बाद भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा नियुक्त वितरकों से कनैक्शन नहीं लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वितरकों को प्रतीक्षा सूची में दर्ज अगले आवेदकों को रसोई गैस कनैक्शन प्रदान करने की अनुमति देने का विचार है; और

(ग) उन्हें ऐसे नए कनैक्शन कब तक रिलीज किए जाएंगे ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन सहित तेल विपणन कम्पनियां मासिक आधार पर अपने वितरकों को नए एल०पी०जी० कनैक्शन जारी करती हैं जो अपने आबंटित कोटे में से प्रतीक्षा सूची में दर्ज भावी उपभोक्ताओं को सूचना पत्र भेजते हैं। यदि सूचना पत्र के प्रत्युत्तर स्वरूप ऐसे कुछ उपभोक्ता आगे नहीं आते हैं तो वितरकों को अनुदेश है कि वे अपने मासिक आबंटन को पूरा करने के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज अगले उपभोक्ताओं को कनैक्शन जारी कर दें।

भ्रामक विज्ञापन की जांच

8636. श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1988 के दौरान एकाधिकार और अद-

रोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने भ्रामक विज्ञापन के कितने मामलों पर कार्यवाही की है और गत तीन वर्षों की तुलना में इन मामलों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने 1987 के दौरान 184 मामलों, 1986 के दौरान 80 मामलों और 1985 के दौरान 45 मामलों की तुलना में 1988 के दौरान भ्रामक विज्ञापनों के 97 मामलों में जांच संस्थित की है।

असम औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड को आशय पत्र जारी करना

8637. **श्री भद्रेश्वर तांती** :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने गैस संसाधन हेतु आशय पत्र देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) मै० असम औद्योगिक विकास निगम लि० ने गैस पर आधारित पेट्रो-रसायन काम्प्लेक्स के लिए आशय पत्र हेतु आवेदन दिया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के ट्रांसफार्मरों की मरम्मत करने वाले वर्कशाप में आग

8638. **श्री प्रकाश चन्द्र** :

श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 अप्रैल, 1989 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है कि 6 अप्रैल, 1989 को ओखला औद्योगिक क्षेत्र चरण-दो में स्थित दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के ट्रांसफार्मरों की मरम्मत करने वाले वर्कशाप में भीषण आग लग गई थी।

(ख) यदि हां, तो उक्त आग के क्या कारण हैं;

(ग) इस दुर्घटना में कितने व्यक्ति मारे गये और कितने घायल हुए; और

(घ) आग के कारण कितनी राशि की सम्पत्ति के क्षतिग्रस्त होने का अनुमान है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) डेसू के अनुसार, यह आशंका व्यक्त की जाती है कि वर्कशाप प्रकरण करने वाली एल०टी० केबल क्षतिग्रस्त हो गई थी एवं केबल के चिनगारियों से तेल-पाइपों का तेल प्रज्वलित हो उठा था।

(ग) और (घ) डेसू के अनुसार उक्त आग में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई थी अथवा कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था। डेसू की क्षतिग्रस्त सम्पत्ति अनुमानतः 9 लाख रुपए थी।

एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा दिल्ली में विद्यालयों के विरुद्ध दर्ज मामले

8639. श्री कमला प्रसाद सिंह :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा दिल्ली में विद्यालयों के विरुद्ध दर्ज मामलों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) ये मामले किस स्तर पर लम्बित पड़े हैं; और

(ग) चालू प्रवेश-सत्र के दौरान एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम का उल्लंघन करने वाले अन्य विद्यालयों के विरुद्ध मामला दर्ज करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) सम्बन्धित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग जो एक न्यायिक कल्प निकाय है, को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत समुचित कार्यवाही करने की शक्तियां प्राप्त हैं।

विवरण

क्र० सं०	प्रतिवादी का नाम	जांच संख्या	आरोप	की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5
1.	सैंट माइकल्स स्कूल, नई दिल्ली	आर० टी० पी० ई०, 558/87	शिक्षा देने से सम्बन्धित सेवा प्रभारों में हेरा फेरी	जांच लम्बित है।
2.	ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल, दिल्ली	आर०टी० पी० ई०, 1331/87	—यथोपरि—	—यथोपरि—
		आर० टी० पी० ई०, 629/87	—यथोपरि—	—यथोपरि—
		यू० टी० पी० ई० 1/88	स्कूलों की मान्यता सहित शिक्षा के स्वरूप तथा स्तर के बारे में झूठे तथा भ्रामक प्रतिवेदन जो कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 36क(1) के अर्थ में अनुचित व्यापार प्रथा है।	—यथोपरि—

1	2	3	4	5
3.	बिरला विद्या निकेतन, नई दिल्ली	आर० टी० पी० ई० 1570/87	विद्यार्थियों को केवल एक ही दुकान से, किसी और दुकान से नहीं, स्कूल की वर्दियां सिलवाने के लिए दबाव डालने की व्यापार प्रथा	कार्रवाई बंद कर दी गई।
4.	मॉडर्न नई दिल्ली पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली	आर० टी० पी० ई० 571/87	स्कूल से ही वर्दी तथा लेखन सामग्री खरीदने के लिए विद्यार्थियों पर दबाव डालना	जांच लम्बित पड़ी है।
		यू० टी० पी० ई० 69/88	स्कूल की मान्यता से संबंधित मिथ्या निरूपण	एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 36(घ) (2) के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया।
5.	एवरग्रीन पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली	आर० टी० पी० ई० 487/87	सेवा प्रदान करने के प्रभारों एवं पुस्तकों के मूल्यों से सम्बन्धित पुनः बिक्री मूल्य रखने में हेरा-फेरी	कार्यवाही रोक दी गई।

1	2	3	4	5
6.	श्री आर० के आहूजा, प्रिंसीपल फ्लोरेंस पब्लिक, दिल्ली	यू० टी० पी० ई० 28[illegible]/88	स्कूल की मान्यता के सम्बन्ध में गलत अभिवेदन।	जांच लम्बित है।
7.	रेमल पब्लिक सैकेन्डरी स्कूल, दिल्ली	यू० टी० पी० ई० 299/88 आर० टी० पी० ई० 246/88	—यथोपरि शिक्षा प्रदान करने के मूल्यों में हेराफेरी	जांच लम्बित है। —यथोपरि—
8.	सनहिल पब्लिक स्कूल,	यू० टी० पी० ई० 256/88	स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा के स्वरूप या स्तर के बारे मे गलत प्रतिवेदन।	जांच हो रही है।
9.	सेंट फ्रांसिस डी सेल्स सीनियर सैकेन्डरी स्कूल नई दिल्ली	आर० टी० पी० ई० 478/88	शिक्षा प्रदान करने के मूल्यों में हेराफेरी से संबंधित अवरोधक व्यापारिक व्यवहार में संलिप्त रहना	जांच लम्बित है।
10.	सीनियर कैम्ब्रिज स्कूल, नई दिल्ली	आर० टी० पी० ई० 377/88	विद्यार्थियों के विरुद्ध भेदभाव	जांच हो रही है।
11.	डी० ए० वी० पब्लिक स्कूल, दिल्ली	आर० टी० पी० ई० 42[illegible]/88	शिक्षा प्रदान करने के मूल्यों में हेराफेरी	—यथोपरि—
12.	माडर्न पब्लिक स्कूल, दिल्ली	आर० टी० पी० ई० 44[illegible]/88	—यथोपरि—	—यथोपरि
13.	बाल मन्दिर, पब्लिक नर्सरी स्कूल, दिल्ली	आर० टी० पी० ई० 460/88	—यथोपरि —	—यथोपरि—

1	2	3	4	5
14.	एहलकोन पब्लिक स्कूल, दिल्ली	आर० टी० पी० ई० 52/89	शुल्क में एकदम बहुत वृद्धि	जांच हो रही है
15.	ए०पी०जे० स्कूल, दिल्ली	आर० टी० पी० ई० 1626/87	ट्यूशन फीस में अत्यधिक बढ़ोत्तरी और बच्चों से बिना किसी ब्याज के सुरक्षित जमा के लिए कहना जो कि सेवा के मूल्यों में हेराफेरी करना है।	जांच लम्बित है।
16.	ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, दिल्ली	आर० टी० पी० ई० 75/89	फीस में बढ़ोत्तरी	महानिदेशक (जांच एवं पंजीकरण) द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट आयोग के विचाराधीन है।
17.	नूतन विद्या मंदिर सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, दिल्ली	आर० टी० पी० ई० 270/88	शिक्षा प्रदान करने की सेवा के मूल्यों में हेर-फेर करना	जांच हो रही है।
18.	हिलग्रोव पब्लिक स्कूल, दिल्ली	आर० टी० पी० ई० 319/88	ट्यूशन फीस में बढ़ोत्तरी करना	—यथोपरि—
19.	हंसराज स्मारक स्कूल, दिल्ली	आर० टी० पी० ई० 64/89	शिक्षा प्रदान करने के लिए फीस में अन्यायिक वृद्धि	जांच लम्बित है।

बिहार में बिजली उत्पादन

[हिन्दी]

8640. श्री चन्द्र किशोर पाठक :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) क्या बिहार के सभी बिजलीघरों की पूरी क्षमता का उपयोग किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इन बिजलीघरों की क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(ङ) कहलगांव बिजलीघर में बिजली उत्पादन कब से आरम्भ होगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) 31-3-1989 की स्थिति के अनुसार बिहार में प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता 1575 मे०वा० की तथा 1988-89 के दौरान वास्तविक उत्पादन 4522 मिलियन यूनिट था।

(ख) और (ग) उत्पादन यूनिटों से उनकी पूरी क्षमता तक विद्युत उत्पादन करना सम्भव नहीं है क्योंकि विद्युत केन्द्रों का कार्य-निष्पादन कई घटकों पर निर्भर करता है जिनमें ताप विद्युत तथा न्यूक्लीय यूनिटों के मामले में आयोजित अनुरक्षण, प्रणोदित काम बन्दी, प्रणाली भार स्थितियां, संयंत्र की कालावधि आदि तथा जल विद्युत केन्द्रों के मामले में जल की उपलब्धता सम्मिलित है।

(घ) ताप विद्युत केन्द्रों का उत्पादन सुधारने के लिए किए गए उपायों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित नवीकरण तथा आधुनिकीकरण स्कीम को लागू करना, अतिरिक्त पुर्जों के प्रापण के साथ-साथ संयंत्र बेहतरी कार्यक्रम शुरू करने में राज्य विद्युत बोर्डों को सहायता देना, कोयले की अपेक्षित गुणवत्ता तथा मात्रा में आपूर्ति करना, कार्मिकों का प्रशिक्षण आदि शामिल है।

(ङ) वर्तमान गणना के अनुसार कहलगांव सुपर ताप विद्युत परियोजना में विद्युत उत्पादन 1991-92 में शुरू होने की प्रत्याशा है।

एल० एम० एल० लिमिटेड, कानपुर के विरुद्ध एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा जांच किया जाना

[अनुवाद]

8641. श्री बनवारी लाल पुरोहित :

श्री रामकृष्ण मोरे :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने तथाकथित अवरोधक व्यापारिक व्यवहार के लिए एल० एम० एल० लिमिटेड, कानपुर के विरुद्ध कोई जांच प्रारम्भ की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या एल० एम०एल० लिमिटेड, कानपुर ने स्कूटरों की बुकिंग के लिए प्राप्त धनराशि वापस नहीं की है; और

(ग) यदि हां, तो कम्पनी के विरुद्ध सरकार का आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने मै० लोहिया मशीन्स लिमिटेड, कानपुर के विरुद्ध 1-5-1989 को जांच संस्थित करने का आदेश दिया है। आयोग न्यायिक कल्प निकाय होने के कारण एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत यथोचित आदेश पारित करने के लिए सक्षम है।

आंध्र प्रदेश में विद्युत परियोजना की स्थापना

8642. **श्री बी० बी० रमैया :**

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश में विद्युत परियोजनाओं (जल विद्युत और ताप विद्युत) की स्थापना हेतु कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) : तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के० वि० प्रा०) में आन्ध्र प्रदेश से विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए पन्द्रह प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से छः प्रस्तावों को के०वि०प्रा० द्वारा तकनीकी-आर्थिक अनुमोदन दे दिया गया है। चार स्कीमों को राज्य प्राधिकारियों को या तो परियोजना रिपोर्ट के संशोधन के लिए अथवा अपर्याप्त ब्यौरों के कारण वापिस लौटा दिया गया है। शेष पांच स्कीमों को विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के खण्ड 29 के अनुसार सांविधिक अपेक्षाओं के परियोजना प्राधिकारियों द्वारा अनुपालन करने के पश्चात तथा/अथवा कोयला लिंकेज के साथ-साथ पर्यावरणीय पहलू समेत विभिन्न अनुमोदन जैसे आवश्यक निवेशों को सहबद्ध करने के पश्चात् अनुमोदन दिया जा सकता है।

उड़ीसा में रसायन उद्योग

8643. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में अब तक कितने तथा किन-किन स्थानों पर रसायन उद्योग स्थापित किए गए हैं; और

(ख) उन उद्योगों द्वारा जल और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में क्या उपाय किए गए हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) सरकार द्वारा 1985 से संगठित क्षेत्र में केवल एक कारोबार जारी-रखो लाइसेंस मै० इस्पात अलाय लिमिटेड को जारी किया गया है। यह उड़ीसा राज्य के बालासौर जिले में तहसील बेलगोपालपुर में कैल्शियम सिलिसाइड के लिए है।

(ङ) किसी भी एकक द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन संबद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् ही प्रारम्भ किया जा सकता है।

तमिलनाडु में एस०टी०डी० सुविधा

8644. श्री प्रो० मा० एम० नुंकड़ेशन :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के सभी प्रमुख नगरों में एस०टी०डी० सुविधा प्रदान की गई है;

(ख) क्या अच्छी संचार-सेवा सुनिश्चित करने के लिए हवाई अड्डों, बस स्टैंडों, रेलवे स्टेशनों इत्यादि पर एस०टी०डी० सुविधा वाले सार्वजनिक टेलीफोन लगाये गये हैं ?

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं हो तो क्या सरकार की निकट भविष्य में इन सभी स्थानों पर यह सुविधा प्रदान करने की कोई योजना है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) तमिलनाडु में एक लाख से अधिक की जनसंख्या वाले सभी शहरों को एस०टी०डी० सुविधा प्रदान कर दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) तमिलनाडु के विभिन्न स्थानों में एस०टी०डी० सुविधा युक्त 198 सार्वजनिक टेलीफोन सुलभ करा दिए गये हैं। इनमें वे सार्वजनिक टेलीफोन भी शामिल हैं जिन्हें हवाई अड्डों, कुछ बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों आदि में लगाया गया है। तमिलनाडु में वर्ष 1989-90 के दौरान एस०टी०डी० सुविधा युक्त 200 सार्वजनिक टेलीफोन सुलभ कराने की योजना बनाई गई है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान के ग्रामीण, पिछड़े और रेगिस्तानी क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधायें

8645. श्री वृद्धि चन्द्र जैन :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सातवीं योजना अवधि के दौरान राजस्थान के ग्रामीण, पिछड़े, और रेगिस्तानी क्षेत्रों में और अधिक टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यक्रम तैयार किया गया तथा इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि नियत की गई है और इस संबंध में अब तक कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : सातवीं योजना अवधि के दौरान राजस्थान के ग्रामीण, पिछड़े और रेगिस्तानी क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाओं में वृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम तथा अब तक की उपलब्धि के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

7वीं योजना के दौरान नए छोटी आटोमैटिक एक्सचेंजों की संस्थापना का लक्ष्य	31-3-89 की स्थिति के अनुसार उपलब्धि	सातवीं योजना के दौरान लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने का लक्ष्य	31-3-99 की स्थिति के अनुसार उपलब्धि
200	208	1370	1018

इस उद्देश्य के लिए अलग से कोई निधि अलाट नहीं की गई है। खर्चों को सर्किल को दिए गए एक मुश्त अनुदान में से पूरा किया जाएगा।

असम के धुबरी तथा गोलपाड़ा जिलों के गांवों में टेलीफोन सुविधाएं

8646. **श्री अब्दुल हमीद :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान असम के धुबरी तथा गोलपाड़ा जिलों के कितने गांवों में टेलीफोन सुविधा प्रदान की जाएगी; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) असम के धुबरी तथा गोलपाड़ा जिलों के तीन-तीन ग्रामों में दूरसंचार सुविधा 1989-90 में प्रदान किए जाने की संभावना है।

(ख) इस उद्देश्य के लिए अलग से कोई निधि आबंटित नहीं की जाती इसके व्यय का भुगतान सर्किल को उपलब्ध करायी गई एक मुश्त अनुदान राशि से किया जाता है।

कृष्णा-गोदावरी और कावेरी बेसिनों तथा अंडमान में तेल और गैस की खोज

8647. **डा० कृपा सिंधु भोई :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने कृष्णा-गोदावरी और कावेरी बेसिनों तथा अंडमान में तेल की खोज के लिए एक नई विधि अपनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह विधि किस हद तक सफल हुई है;

(घ) क्या इस विधि को अपनाकर तटवर्ती क्षेत्रों के शेष भागों में भी तेल की खोज की जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) इस पद्धति में एअरबोर्न सिंथेटिक एपरचर रेडार (एस० ए० आर०) के प्रयोग के द्वारा इलेक्ट्रो- मेगनेटिक स्पेक्ट्रम के माइक्रोवेव रिजन में छायांकन का कार्य निहित होता है।

(ग) विस्तृत भूमिगत विवेचन के लिए संभारतंत्र की दृष्टि से दुर्गम क्षेत्रों में हाई रिजोल्यूशन क्लाइड और वनस्पति हीन तराई वाले क्षेत्र के (वेजिटेशन फ्री टैरेन) चित्र प्राप्त किए गए।

(घ) कावेरी और अण्डमान बेसिनों के ऊपर पहले ही प्राप्त आंकड़ों के विवेचन और उसकी प्रभावशीलता के मूल्यांकन के बाद ही इस प्रणाली को देश के अन्य भागों के लिए लागू किया जाएगा।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में तेल और गैस की खोज

8648. श्री के० मोहनदास :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में तेल और गैस का पता लगाने के लिए अब तक किए गये खोज कार्य का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ख) क्या निकट भविष्य में केरल में और अधिक खोज कार्य करने का कोई कार्यक्रम है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) केरल-कोंकण बेसिन के तटवर्ती भाग में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अब तक किए गए सर्वेक्षणों के आधार पर हाइड्रोकार्बन की संभावनाएं अभी तक उभर कर नहीं आई हैं इसलिए इस समय ऐसे और खोज के प्रयास नहीं किए जा रहे हैं।

अपतटीय भाग में 1975—88 के दौरान तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा चार कुएं खोदे गये और ये सब शुष्क पाए गये। इस समय एक कुएं में ड्रिलिंग का काम चल रहा है। दो विदेशी कंपनियों अर्थात् मैसर्स बी०एच०पी० और मैसर्स शैल को इस बेसिन के 3 अपतटीय ब्लाकों में खोज के लिए ठेके दिए गए हैं।

आठवीं योजना के दौरान उड़ीसा में दूरसंचार सुविधाएं

8649. श्री राधाकान्त डिगाल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में मौजूदा दूरसंचार प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त दूरसंचार सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लिए आठवीं योजना के दौरान निर्धारित कार्यक्रम क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान, उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में 160 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन (एल० डी० पी० टी०) खोलने का प्रस्ताव है। उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में, नये टेलीफोन कनेक्शनों की पर्याप्त मांग होने पर चालू वर्ष के दौरान 20 नये एम० ए० एक्स-III एक्सचेंज खोलने का भी प्रस्ताव है। इस वर्ष के दौरान 30 स्थानों पर स्थित ग्रामीण एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने का भी प्रस्ताव है।

(ग) आठवीं योजना के लिए उड़ीसा दूरसंचार सर्किल के योजना प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

उड़ीसा में बिजली परियोजनाओं को पूरा करना

86'0. श्री सोमनाथ रथ :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इन्द्रावती बहुउद्देश्यीय परियोजना तथा ऊपरी कोलाब पनबिजली परियोजना यूनिट-दो में कब तक बिजली का उत्पादन आरम्भ हो जाएगा; और

(ख) प्रत्येक परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है तथा इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) उड़ीसा में अपर इन्द्रावती जल विद्युत परियोजना (4 × 150 मे० वा०) की दो इकाइयों को 1992-93 में शेष दो इकाइयों को 1993-94 में प्रचालित किए जाने की सम्भावना है तथा अपर कोलाब चरण-एक (3 × 80 मे० वा०) की दो इकाइयां पहले से ही प्रचालित की जा चुकी हैं। तीसरी इकाई को सितम्बर, 1989 में प्रचालित किए जाने की सम्भावना है। अपर कोलाब चरण-दो (1 × 80 मे०वा०) की एक इकाई को अक्तूबर, 1990 में प्रचालित किए जाने की सम्भावना है।

(ख) इन परियोजनाओं की नवीनतम अनुमानित लागत तथा किया गया व्यय नीचे दिया गया है :—

(करोड़ रुपयों में)

परियोजना का नाम	नवीनतम अनुमानित लागत	व्यय
अपर इन्द्रावती जल विद्युत परियोजना (4 × 150 मे० वा०)	380.65 (विद्युत को प्रभार्य)	186.28 (मार्च, 1989 तक)
अपर कोलाब जल विद्युत परियोजना चरण-एक (3 × 80 मे० वा०)	198.01	179.82 (फरवरी, 1989 तक)
अपर कोलाब जल विद्युत परियोजना चरण-दो (1 × 80 मे० वा०)	18.62	3.38 (फरवरी, 1989 तक)

सिक्किम में पनबिजली परियोजनाएं

8651. श्रीमती डी० के० भंडारी :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में सिक्किम में कुछ पनबिजली परियोजनाएं स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या सरकार का आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तीन और पनबिजली परियोजनाएं स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन के लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) सिक्किम में निम्नलिखित मिनी/माइक्रो जल विद्युत परियोजनाएं, जिनसे सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लाभ मिलने की परिकल्पना की गई है, पहले ही चालू की जा चुकी है।

(1) राग्निच्यू चरण-दो (5 × 500 कि० वा०)

(2) रिम्बी चरण-दो (2 × 500 कि० वा०)

(ग) और (घ) निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाएं जिन्हें 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लाभकारी पाए जाने के लिए मोटे रूप से पता लगाया गया है, इस समय कार्यान्वयनाधीन है :—

	स्कीम का नाम क्षमता सहित	जिला जिसमें स्थित है	चालू किए जाने का सम्भावित वर्ष
1.	म्यांग्चू (4 मेगा०)	उत्तरी सिक्किम	1991-92
2.	अपर राग्निच्यू (4 × 2 मेवा०)	पूर्वी सिक्किम	1991-92
3.	कालेज खोला (2 × 1 मेवा०)	पश्चिम सिक्किम	1992-93

इसके अतिरिक्त पश्चिमी सिक्किम के जिले में स्थित रंगीत जल विद्युत परियोजना (60 मेगावाट) को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति दे दी गई है एवं निवेश संबंधी निर्णय प्रतीक्षित है।

रमाम नदी पर स्थित पश्चिम बंगाल की रमाम जल विद्युत परियोजना चरण-एक (3 × 12 मेगावाट) जिसका 50% आवाह-क्षेत्र (कैचमैंट एरिया) सिक्किम में है, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन की प्रक्रिया में है।

मंगलौर में तेल टर्मिनलों की स्थापना

8652. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने मंगलौर में एक तेल टर्मिनल स्थापित करने के बारे में एक संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की संशोधित अनुमानित लागत क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) मंगलौर में तेल टर्मिनल और पेट्रो-रसायन परिसर की स्थापना कब तक की जाएगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) मंगलूर में प्रस्तावित 3.0 मिलियन टन प्रति वर्ष की क्षमता वाली पेट्रो-रसायन रिफाइनरी की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। इस रिपोर्ट की जांच करने तथा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार मूल्यांकन करने के बाद ही इस पर अन्तिम निर्णय लिया जाएगा। इस परियोजना के क्रियान्वयन की सम्भावित अवधि 48 महीने की है।

केरल में अल्लेप्पी जिले में टेलीफोन सुविधाओं का विस्तार

8653. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के अल्लेप्पी जिले में टेलीफोन सुविधाओं के विस्तार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) 1989-90 के दौरान अल्लेप्पी जिले में छह टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार करने का प्रस्ताव है। ये एक्सचेंज इस प्रकार हैं :—

1. कुथियाथोडे
2. शेरतल्लाई
3. चेगान्नूर
4. इडातुआ
5. हरीपद
6. मांकोम्बू

इसके अतिरिक्त अल्लेप्पी स्थित आई० सी० पी० एक्सचेंज का विस्तार करने की सम्भावना है।

फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंज का सुधार करना

[हिन्दी]

8654. श्री राम प्यारे सुमन :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में कुछ स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंज सही तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का निकट भविष्य में विद्यमान टेलीफोन एक्सचेंजों में नये उपकरण लगाकर और उनकी लाइन क्षमता बढ़ाकर इनकी स्थिति में सुधार करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में टेलीफोन एक्सचेंजों का कार्यकरण सामान्यतया संतोषप्रद है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां। मौजूदा एक्सचेंजों को बदले जाने की योजना उपस्कर की मियाद तथा अन्य तकनीकी बातों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। एक्सचेंजों की क्षमता का विस्तार मांग को ध्यान में रखकर किया जाता है।

(घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

गैर-सरकारी क्षेत्र में विद्युत कम्पनियां

[अनुवाद]

8655. श्री बी० भूपति :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गैर-सरकारी क्षेत्र में कुछ विद्युत कम्पनियां कार्य कर रही हैं;

(ख) क्या इन कम्पनियों ने इस बारे में सरकार से अनुमति ली है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

डाक-तार विभाग का औरंगाबाद में क्षेत्रीय कार्यालय खोलना

8656. श्री अरविन्द तुलसीराम काम्बले :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में औरंगाबाद में डाक-तार विभाग का एक नया क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं। वैसे, महाराष्ट्र सर्किल के औरंगाबाद में निदेशक, डाक सेवा द्वारा संचालित पहले ही एक क्षेत्रीय कार्यालय है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में, सबलगढ़ में विद्युत परियोजनाएं

[हिन्दी]

8657. श्री कम्मोदीलाल जाटव :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में सबलगढ़ तहसील में, 310 मेगावाट क्षमता की विद्युत परियोजना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस विद्युत परियोजना के कब से चालू हो जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) चम्बल दायां तट मुख्य नहर जल विद्युत परियोजना (3 × 600 कि० वा०) जो कि मध्य प्रदेश के जिला मोरेना में स्थित है, को 1989-90 के दौरान प्रचालित किए जाने की सम्भावना है।

दमन और दीव में उद्योगों की स्थापना

[अनुवाद]

8658. श्री गोपाल के० टंडेल :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र के दमन और द्वीप जिलों में विद्यमान उद्योगों और चालू वर्ष के दौरान वहां स्थापित किए जाने वाले उद्योगों की अलग-अलग संख्या कितनी है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के उपबंधों के अधीन दमन और दीव में उद्योगों की स्थापनार्थ 1987, 1988 और 1989 (फरवरी "89 तक) में 4 अगले पृष्ठ पर लिखित आशय पत्र जारी किये गए थे :—

उपक्रम का नाम व प्रकार	स्थापना स्थल	निर्माण की वस्तु और वार्षिक क्षमता
1. अशोक पुंज (मै. ब्रोकन हिल्स इन्डस्ट्रीज प्रा० लि०) (नया उपक्रम)	दमन, दमन और दीव	1. कट और पोलिश्ड ग्रेनाइट टाइले = 60000 वर्ग मी० 2. ग्रेनाइट स्लैब्स = 37500 वर्ग मी० आदि
2. आकाश संगीमाल शाह, एस० ए० केमिकल्स प्रा० लि० (प्रस्तावित) (नया उपक्रम)	दमन, दमन और दीव	1. स्टार्च (आलमिडोन) = 4500 मी० ट० 2. औद्योगिक अल्कोहल = 10, 00, 000 लिटर आदि
3. के० पी० मेहता (नया उपक्रम)	दमन, दमन और दीव	विभिन्न सैक्शनों के अल्यूमिनियम एक्सट्रजन = 5000
4. डायनोडिया पैकेजिंग प्रा० लि० (नया उपक्रम)	दमन, दमन और दीव	इलेक्ट्रानिक और इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन आदि के लिए स्पेशलिटी प्रेशर सैंसिटिव सेल्फ एढेसिव कोटिड टेप्स = 1, 50, 00, 000 वर्ग मीटर

विद्यमान प्रक्रिया के अधीन, आशय पत्र तीन वर्ष की आरंभिक वैधता अवधि के लिए दिया जाता है, जिससे कि उद्यमी परियोजना का कार्यान्वयन करने हेतु प्रभावी कदम उठा सके। जब उद्यमी आशय पत्र में दी गयी सभी शर्तें पूरी कर लेता है तब आशय पत्र को औद्योगिक लाइसेंस में बदल दिया जाता है। औद्योगिक लाइसेंस की प्राथमिक वैधता अवधि दो वर्ष होती है जिसके भीतर लाइसेंसधारी से आशा की जाती है कि वह वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ कर देगा। इस प्रकार उपर्युक्त आशय पत्र कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में होंगे।

उपर्युक्त आशय पत्रों के अतिरिक्त लाइसेंस मुक्त उद्योगों के संबंध में 11 योजनाएं भी 1987, 1988 और 1989 (फरवरी, 89 तक) के दौरान दमन और दीव के संदर्भ में औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय द्वारा पंजीकृत की गयी थी।

कोयले पर आधारित रसायन उद्योग

8659. डा० सी० पी० ठाकुर :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कोयले पर आधारित रसायन उद्योग खोलने की सम्भावना की

जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या देश में ऐसा कोई उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) कोयले पर आधारित रसायनिक एकक की स्थापना करने के लिए किसी भी प्रस्ताव पर सरकार इस समय विचार नहीं कर रही है।

कीटनाशक औषधियों के फार्म्यूलेशन्स

8660. डा० जी० विजय रामा राव :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 अप्रैल, 1989 के इकानामिक टाइम्स में पेस्टिसाइड्स फ्रूमिट्स टू बी आस्क्ड टू आब्जर्व नार्म्स शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन इकाइयों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जो सरकार के मार्गनिर्देशों का पालन नहीं कर रही है और यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कीटनाशक निर्माता फार्म्यूलेशनों से भारी मुनाफा कमा रहे हैं;

(घ) क्या पेस्टिसाइड फार्म्यूलेशन्स एसोसिएशन आफ इंडिया ने सरकार को एकाधिकार वाले मूल निर्माताओं द्वारा मनमाने दाम बढ़ाने तथा अनुचित व्यापार व्यवहार अपनाने की शिकायतें की हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) सरकार टेक्निकल ग्रेड के कीटनाशियों की गैर-एसोसियेटिड सूत्रयोग विनिर्माताओं को बिक्री के लिए मानदण्डों के अनुपालन हेतु निर्देश जारी करती रही है और मानदण्डों के अनुपालन को मानीटर करती रही है। सभी विनिर्माण लाइसेंसों में यह शर्त लगाई जाती है कि तकनीकी सामग्री का 50% गैर एसोसियेटिड सूत्रयोग निर्माताओं को बेचा जायेगा। प्रश्न में उल्लिखित मुद्दों पर विचार विमर्श हेतु हाल ही में मूल-विनिर्माताओं, सूत्रयोग निर्माताओं और औद्योगिक संघों के साथ एक बैठक भी की गयी थी। आमतौर पर सभी विनिर्माता इन मानदण्डों पर चल रहे हैं और उन्होंने लाइसेंस की इस शर्त का पालन करने का अपना वायदा फिर व्यक्त किया है।

(ग) जी, नहीं। सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(घ) हमें ऐसी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं लेकिन तथ्यों की जांच पर पाया गया कि इनमें सच्चाई नहीं है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दूरदर्शन धारावाहिक "महाभारत" की संदर्भ भूमिका कन्नड़ भाषा में शुरू किया जाना

8661. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय दूरदर्शन धारावाहिक "महाभारत" के प्रत्येक भाग के प्रसारण से पूर्व उसकी संदर्भ भूमिका केवल हिन्दी में दी जाती है;

(ख) क्या बंगलौर दूरदर्शन द्वारा "महाभारत" के प्रत्येक भारत की संदर्भ भूमिका कन्नड़ भाषा में दी जाती है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का बंगलौर दूरदर्शन को महाभारत के प्रत्येक भाग के प्रसारण से पूर्व उसकी संदर्भ भूमिका कन्नड़ भाषा में देने के निर्देश देगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) दूरदर्शन केन्द्र, बंगलौर द्वारा ऐसी घोषणा की जा सकती क्योंकि धारावाहिक "महाभारत" राष्ट्रीय नेटवर्क पर टेलीकास्ट किया जाता है जो मूल रूप से दिल्ली से टेलीकास्ट किया जाता है और सभी केन्द्र इसे एक साथ टेलीकास्ट करते हैं। इन केन्द्रों को रविवार को प्रातः 9.00 बजे से लेकर बाद तक राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ संयोजित किया जाता है।

दूरसंचार सेवाओं में प्रौद्योगिकीय सुधार

8662. **श्री हन्नान मोल्लाह :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार सेवाओं में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकीय सुधार किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रौद्योगिकी स्वदेशी है अथवा आयातित और क्या उष्णकटिबन्धी परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है; और

(ग) इस प्रौद्योगिकी के सप्लाई कर्त्ताओं का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क)) जी हां।

(ख) यह भारतीय और विदेशी दोनों प्रकार की प्रौद्योगिकियों का मिश्रण है और ये भारतीय वातावरण के अनुकूल हैं।

(ग) सप्लाईकर्ता फ्रांस, जापान, नीदरलैंड, यू० के०, पश्चिम जर्मनी, इटली, स्वीडन, डेनमार्क आदि जैसे देशों से जाने-माने दूरसंचार उपस्कर विनिर्माता हैं।

नेयवेली लिग्नाइट निगम के विस्तार कार्यक्रम से प्रभावित परिवार

8663. **डा० पी० वल्लल पेरुमन :**

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेयवेली लिग्नाइट निगम के विस्तार कार्यक्रम से कितने परिवार प्रभावित हुए हैं तथा खनन हेतु निगम द्वारा कितने परिवारों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है;

(ख) क्या निगम ने जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया था उन्हें पूरा मुआवजा एवम् रोजगार दे दिया है;

(ग) क्या इस निगम द्वारा अभी भी बहुत से ऐसे परिवारों को बसाया जाना है जिनकी भूमि का इसने अधिग्रहण किया था;

(घ) यदि हां, तो इन परिवारों का पुनर्वास किस प्रकार किया जाएगा और कब तक ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) नेयवली लिग्नाइट कारपोरेशन के विस्तार कार्यक्रम के लिए 5,875 परिवारों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है। इनमें से कई परिवारों की भमि के केवल कुछ भाग को ही अधिग्रहण किया गया है और इन परिवारों को उनके जीविका के स्थान से स्थानांतरित किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(ख) भूमि अधिग्रहण नियम के अधि-निर्णयों के अनुसार मुआवजे की अदायगी कर दी गई है। किन्तु कुछ भू-मालिक अधिक मुआवजे की अदायगी किए जाने के सम्बन्ध में न्यायालयों में गए हैं। जहां तक कारपोरेशन में भू-वंचित परिवारों के सदस्यों को रोजगार देने का संबंध है, ऐसे मामलों में कुछ मानदण्डों के अनुसार भू-वंचित व्यक्तियों को रोजगार देने में तरजीह दी जाती है।

(ग) और (घ) इस सम्बन्ध में अभी भी 1343 परिवारों का पुनर्वास किया जाना है। इन व्यक्तियों का पुनर्वास किए जाने के लिए भूमि भी विनिर्दिष्ट कर दी गई है और इस बारे में आधारभूत ढांचा व्यवस्था की जा रही है।

वाणिज्यिक प्रसारण और केबल टेलीविजन हेतु समितियां

8664. श्री नरसिंह सूर्यवंशी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दो समितियां गठित करने का है जिनमें एक समिति तो वाणिज्यिक प्रसारण की "नए सिरे से विचार" करेगी और उसे अपेक्षाकृत अधिक सार्थक बनाएगी तथा दूसरी "केबल टेलीविजन" के विभिन्न पहलुओं की जांच करेगी जिसका फिल्मोद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और जिससे वीडियो की चोरी को बढ़ावा मिला है;

(ख) यदि हां, तो इन समितियों में से प्रत्येक के सदस्य कौन-कौन होंगे; और

(ग) ये समितियां अपनी रिपोर्ट कब तक पेश करेंगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो०के०के० तिवारी) : (क) से (ग) आकाशवाणी और दूरदर्शन पर वाणिज्यिक विज्ञापनों के अध्ययन के लिए सरकार ने 27 अप्रैल, 1989 को एक समिति का गठन किया है। फिल्म उद्योग के सामने आ रही समस्याओं के अध्ययन के लिए 14 फरवरी, 1989 को एक दूसरी समिति का गठन किया गया था। जिसके अध्ययन के कार्य-क्षेत्र में पायरेसी-विरोधी कानूनों और उनका कार्यान्वयन शामिल है। पहली समिति द्वारा अपनी सिफारिशें इसके गठन के तीन माह के भीतर प्रस्तुत करने की आशा है और दूसरी समिति द्वारा, इसकी प्रथम

बैठक के 6 माह के भीतर सिफारिशें प्रस्तुत किए जाने की आशा है।

आकाशवाणी और दूरदर्शन पर विज्ञापनों का अध्ययन करने वाली समिति के अध्यक्ष सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव हैं और योजना आयोग से एक प्रतिनिधि सहित सरकारी सदस्यों के अलावा, इसके सदस्य, विज्ञापन एजेंसियों, बड़े और लघु उद्योगों, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, समाज वैज्ञानिकों के प्रतिनिधि होते हैं।

फिल्म उद्योग के सामने आ रही समस्याओं का अध्ययन करने वाली समिति के अध्यक्ष भी सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव है और इसमें सरकारी सदस्यों के अलावा, फिल्म उद्योग एवं राज्य सरकारों के प्रतिनिधि हैं।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची को हुआ घाटा

[हिन्दी]

8665. श्री काली प्रसाद पांडेय :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची को वर्ष 1988-89 के दौरान लगभग 60 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; इस घाटे को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड को 1988-89 में लगभग 58 करोड़ रुपये की हानि हुई है। हानि का मुख्य कारण सरकारी ऋण पर लगभग 70 करोड़ रुपये की ब्याज राशि का होना है। अतः ब्याज अवकाश प्रदान करना उन प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव है जिसे कारपोरेशन के पूंजीगत ढांचे के पुनर्गठन के लिए समझा गया है।

राष्ट्रीय चैनल से कार्यक्रमों का प्रसारण

[अनुवाद]

8666. श्री उत्तम राठौड़ :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई स्थानों पर आकाशवाणी के राष्ट्रीय चैनल से प्रसारित कार्यक्रमों के सही ढंग से सुनाई न देने और इनके वायुमंडलीय और अन्य बाधाओं से युक्त होने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन कार्यक्रमों की श्रव्यता में सुधार लाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय चैनल से कुछ कार्यक्रमों का आधी रात से प्रसारण किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो क्या अर्द्धरात्रि को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के प्रसारण समय में उपयुक्त परिवर्तन करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) आकाशवाणी का राष्ट्रीय चैनल इस समय 1900 बजे से 0230 बजे तक कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आकाशवाणी के विभिन्न स्टेशनों पर मीडियम वेव ट्रांसमीटरों का मुख्यत: उपयोग क्षेत्रीय भाषाओं के प्रसारण के लिए होता है। वैकल्पिक चैनल के न होने से केन्द्रीय रूप से आयोजित कुछ कार्यक्रमों का प्रसारण क्षेत्रीय स्टेशनों द्वारा अल्पावधि के लिए ही किया जाता है और सर्वाधिक श्रवण समय में इनसे क्षेत्रीय सेवा को अवरोध उत्पन्न होता है। इसलिए, विशेषतया राष्ट्रीय कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु रात्रि के समय देश के प्रमुख भागों को कवर करने के लिए एक पृथक राष्ट्रीय चैनल स्थापित किया गया था। रात्रि में स्काई-वेव की उपलब्धता से भी इसका कवरेज बढ़ता है। ऊपर स्पष्ट की गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारित कार्यक्रमों का समय बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सहायक इंजीनियर

[हिन्दी]

8667. **श्री नन्द लाल चौधरी** :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के सिविल इंजीनियरिंग विभाग में कितने सहायक इंजीनियर कार्यरत हैं;

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सहायक इंजीनियरों की संख्या कितनी है; और

(ग) यदि उक्त विभाग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कोई भी सहायक इंजीनियर नहीं है, तो उसके क्या कारण है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) 37 (3.5.89 की स्थिति के अनुसार)

(ख) कोई नहीं।

(ग) डेसू के अनुसार, सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नत के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई भी विभागीय कर्मचारी पात्र नहीं पाया गया है। तथापि, उन्होंने अब सहायक अभियन्ता (सिविल) प्रत्यक्ष भर्ती कोटा के पदों को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए अपेक्षित आरक्षण शामिल है।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत रसोई गैस डीलर

[अनुवाद]

8668. श्री जी० एल० मिश्र :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के भोपाल स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सभी रसोई गैस डीलरों पर, रसोई गैस प्रयोक्ताओं के पंजीकरण और रसोई गैस की मंजूरी के मामले में समान नीति, प्रक्रिया और मानदंड लागू होते हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक रसोई गैस डीलर को आज तक कितने रेगुलेटर दिए गए हैं और कितने प्रयोकताओं का पंजीकरण, करने की मंजूरी दी गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्रम सं०	डीलर का नाम व स्थान	प्रेशर रेगुलेटरों की संख्या	31.3.89 को उपभोक्ताओं की सं०
1	2	3	4
1.	मैसर्स बुक एन कुक, भोपाल	7435	7435
2.	बी० एस० एण्ड सर प्रा० लि०, भोपाल	6828	6828
3.	दिव्या फ्लेम्स, भोपाल	5864	5864
4.	मनसाराम कोटूमल, भोपाल	6075	6075
5.	फोनिक्स जिला, भोपाल	4738	4738
6.	रूपा गैस, भोपाल	8293	8293
7.	सुनिल जनरल स्टोर्स, भोपाल	5269	5269
8.	साराह एजेंसीज, भोपाल	925	925
9.	भूहरनपुर गैस सप्लाई, कम्पनी	7421	7421
10.	प्रभात गैस एजेंसी, भूहरनपुर	1181	1181
11.	रत्नश्री एंटरप्राइजिज, दिवास	3134	3134
12.	टोपरानी गैस एजेंसी, दिवास	4966	4966

1	2	3	4
13.	आशनविट एंटरप्राइजिज, इन्दौर	8644	8644
14.	इन्दौर हाऊसहोल्ड, इन्दौर	8833	8833
15.	सुपर गैस, इन्दौर	8259	8259
16.	रुबी गैस, इन्दौर	6231	6231
17.	रत्नेश गैस एजेंसीज, इन्दौर	3935	3935
18.	महेश एंटरप्राइजिज, इन्दौर	7689	7689
19.	मंगलिया किचन सरं० मंगलिया	3045	3045
20.	जबलपुर गैस कम्पनी, जबलपुर	7965	7965
21.	ए० के० गैस, जबलपुर	1950	1950
22.	जोहर एंटरप्राइजिज, जबलपुर	6157	6157
23.	मोहाकोशाल, गैसोलीन एंटरप्राइजिज	7703	7703
24.	मोहन महल, जबलपुर	5748	5748
25.	उद्यान गैस एजेंसीज, जबलपुर	5166	5166
26.	विशाल गैस, जाबूआ, जाबूआ	4222	4222
27.	भारत गैस, माओ	6308	6308
28.	नेपानगर कम्पनी पेपर मिल्स, नेपानगर	3239	3239
29.	वीन्स एंटरप्राइजिज राजगढ़	2899	2899
30.	कार्तिक गैस, रतलाम	3890	3890
31.	रतलाम गैस एजेंसीज, रतलाम	6917	6917
32.	विदिश गैस सर्विसेज, विदिशा	2858	2858
33.	अतुल उद्योग भवन, विदिशा	7353	7353
34.	जय गैस एजेंसीज, उज्जैन	5341	5341
35.	उज्जैन गैस एजेंसीज, उज्जैन	4777	4777
36.	एम० हुसैन, सेहोर	6335	6335
37.	सुविधा फ्लेम्स, इटारसी	2036	2036
38.	राय गैस एजेंसीज, बिना	1607	1607

1	2	3	4
39.	धर गैस कम्पनी, धार	5899	5899
40.	बालाजी गैस हरदा	1194	1194
41.	सुनील गैस एजेंसीज, सागर	5114	5114
42.	सुपर गैस, खांडवा	6640	6640
43.	नन्दा गैस, खांडवा	600	600
44.	प्रभा गैस, कच्छरोद	265	265
45.	अलोक अलाइड, छिन्दवाड़ा	3831	3831
46.	नाहर अलाइड, छिन्दवाड़ा	4524	4524
47.	एम० पी० राज्य अग्रोद्योग निगम, बेतूल	3838	3838
48.	मंडल गैस कम्पनी, मंडल	3805	3805
49.	नरमदा गैस शाहदोल, शाहदोल	3942	3942
50.	गुप्ता ब्रदर्स, कटनी	5562	5562
51.	सुपीरियर सेल्स एंड सर० बालाघाट	3391	3391
52.	काबरा गैस, पचमारी	915	915
53.	एम० सी० पी० इम० कु० सो० मलंजखंड	2100	2100
	महाराष्ट्र		
54.	आनन्द गैस एंड डोम० एप० नागपुर	6407	6407
55.	काले गैस कम्पनी, नागपुर	5384	5384
56.	गांधी गैस एजेंसीज, नागपुर	5949	5949
57.	सुरेन्द्र गैस एजेंसीज, नागपुर	7583	7583
58.	किचन क्वीन गैस ट्रेड, नागपुर	3978	3978
59.	ब्लू फ्लेम ट्रेडर्स, नागपुर	4385	4385
60.	अलाइड गैस ट्रेडर्स, नागपुर	5735	5735
61.	डोम० गैस एंड एप० नागपुर	5161	5161
62.	ज्योतिका गैस एंड डोम० एपल०, नागपुर	3466	3466
63.	एन० जी० बी० यू०, नागपुर	17019	17019
64.	धर्मपीठ गैस सर०, नागपुर	9224	9224

1	2	3	4
65.	सीताबर्ल्डी गैस सर०, नागपुर	9341	9341
66.	सेंट्रल एवेन्यू, नागपुर	11696	11696
67.	प्रयागराज गैस एंड डोम० एपल० नागपुर	1095	1095
68.	इजी होम एपल०, नागपुर	835	835
69.	अग्रवाल ब्री, स्टोर्स, अम्बाजहारी	4821	4821
70.	एम्प० कं० सो०, कोराडी	3650	3650
71.	कृषक एग्री० एजें० कटोल	2429	2429
72.	सी० तिवारी एंड कं० काम्पटी	4338	4338
73.	कोठारी ब्रास० काम्पटी	3319	3319
74.	अमरावती गैस कं०, अमरावती	6002	6002
75.	विदर्भा गैस एंड डोम० एपल०, अमरावती	7899	7899
76.	रेखा गैस एंड डोम० एपल०, अमरावती	1200	1200
77.	पटेल गैस एजेंसी, अकोली	6970	6970
78.	अकोला गैस सर्विस, अकोला	9987	9987
79.	समर्थ गैस एजेंसी, अकोला	1928	1928
80.	श्रीराम गैस एजेंसी, अचलपुर	3354	3354
81.	चन्द्रा एजेंसी, अचलपुर	3092	3092
82.	भुईभार गैस कं०, अकोट	2127	2127
83.	भंडार गैस सर्विस, भंडारा	3260	3260
84.	एम्प० कं० सो० जवाहरनगर	2656	2656
85.	लाठीवाला गैस सर्विस, अरवी	2291	2291
86.	बुल्दाना गैस सर्विस, बुल्दाना	2200	2200
87.	गोंडिया गैस एजेंसी गोंडिया	4830	4830
88.	कोठारी स्टोरर्स, गोंडिया	4602	4602
89.	बजाज गैस एजेंसी, पुसाद	2440	2440
90.	फैक्टर कं० सो०, तुमसार	3280	3280

1	2	3	4
91.	इब्राहिमजी आदम जी, वरदा	5750	5750
92.	लफोटिया एंड राठी, वरदा	738	738
93.	सी० बी० मोरे, यीओटमल	3532	3532
94.	यीओटमल गैस कं०, यीओटमल	4531	4531
95.	दामनगांव गैस एंड डोम० एपल० दामनगांव	733	733
96.	वैंकटेश गैस एजें० बालरपुर	3484	3484
97.	कंजयूमर कं० स्टोर्स, आर्ड फैक्टरी, भंडाक	2804	2804
98.	खंडारे ट्रेडिंग का० चन्द्रपुर	4369	4369
99.	स्वास्तिक सेल्स एजेंसी, चन्द्रपुर	5020	5020
100.	सुप्रीम गैस एंड डोम० एपल० चन्द्रपुर	1324	1324
101.	गृह लक्ष्मी, हींगानघाट	3123	3123
102.	सत्यश्री गैस कं०, हींगानघाट	2026	2026
103.	रवि सेल्स एजेंसी, वामी	3365	3365
104.	मिनाक्षी एजेंसी, बरोरा	1953	1953
105.	खामगांव गैस एंड डोम० एपल० खामगांव	6497	6497
106.	सहयोग गैस एजेंसी, परोल	2858	2858
107.	दिलीप गैस एजेंसी, चालीसगांव	8382	8382
108.	एस० सी० पारेख, अमलनेर	4777	4777
109.	जलगांव गैस एजेंसी, जलगांव	4680	4680
110.	शीरीश एंड कं० जलगांव	7891	7891
111.	जगदीश गैस कम्पनी, चोपड़	2047	2047
112.	भूसवाल गैस एजेंसी, भूसवाल	7874	7874

फुटवियर उद्योग का विकास

8669. **श्री सनत कुमार मण्डल :**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी क्षेत्र में फुटवियर (जूते, चप्पल आदि) उद्योग के विकास की गुंजाइश है;

(ख) क्या वर्तमान समय में भारतीय चमड़े के जूतें, चप्पल आदि इनके संघटकों के समूचे निर्यात में पूर्वी क्षेत्र की बहुमत कम भागीदारी है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पूर्वी क्षेत्र में, विशेषकर पश्चिम बंगाल में फुटवियर उद्योग के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) निर्यात व स्वदेशी खपत दोनों के लिए पूर्वी क्षेत्र सहित देश में फुटवियर की अतिरिक्त क्षमता का सृजन करने की गुंजाइश है।

(ख) और (ग) 1987-88 के दौरान पूर्वी क्षेत्र से चमड़े के फुटवीयर तथा जूतों के ऊपरी हिस्सों का निर्यात 222.72 मिलियन रुपये का हुआ था जबकि पूरे भारत से 4518.66 मिलियन रुपये का निर्यात हुआ था।

(घ) केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना के अधीन बजबज में एक केन्द्रीय फुटवीयर प्रशिक्षण केन्द्र (सी० एफ० टी० सी०) स्थापित किया जा रहा है तथा इस प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार ने 35.50 लाख रुपये पहले ही दे दिए हैं। यह केन्द्र पश्चिम बंगाल सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा।

कृत्रिम रंग और गंध उत्पादन उद्योग

8670. श्री सनत कुमार मंडल :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृत्रिम रंग और गंध उत्पादन उद्योग अत्यंत लाभप्रद उद्योग है;

(ख) क्या इनका उत्पादन करने वाले एककों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कोई ऐसा अध्ययन करने के आदेश देने का है जिनसे इन पदार्थों की उत्पादन लागत का ठीक-ठीक पता लग सके; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) कृत्रिम रंग एवं गंध का विनिर्माण करने वाले अधिकतर एकक लघु उद्योग एकक हैं और इस उद्योग की लाभप्रदता का सरकार द्वारा निर्धारण नहीं किया गया है।

(ख) संगठित क्षेत्र में केवल 4 कम्पनियां हैं जो कुल 570 टन प्रति वर्ष की अधिष्ठापित क्षमता से डी० जी०टी०डी० के पास पंजीकृत हैं। सरकार के पास अत्यधिक वृद्धि की कोई जानकारी नहीं है।

(ग) और (घ) सरकार का इस उद्योग का लागत-लेखा-परीक्षण का आदेश देने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह उच्च प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र नहीं है।

सीमेंस इंडिया लिमिटेड द्वारा "कंट्रोल एंड इन्स्ट्रूमेंटेशन" उपकरणों के लिए प्राप्त क्रयादेश

8671. **श्री सनत कुमार मंडल :**

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों ने मैसर्ज सीमेंस इंडिया लिमिटेड को हाल ही में "कंट्रोल एण्ड इन्स्ट्रूमेंटेशन" सम्बन्धी उपकरणों के लिए क्रयादेश दिया है;

(ख) क्या यह कम्पनी इन क्रयादेशों का केवल 30 से 40 प्रतिशत अपने द्वारा निर्मित उपकरणों से करती है और शेष उपकरण पश्चिम जर्मनी में उनकी प्रधान कम्पनियों तथा ग्राहकों को सप्लाई के लिए अन्य भारतीय विक्रेताओं से खरीदती है; और

(ग) यदि हाँ, तो सीमेंस इंडिया लिमिटेड को इतने अधिक क्रयादेश देने के क्या कारण हैं, जबकि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, केलट्रॉन आदि जैसी सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों के पास पूर्ण स्वदेशी उपकरण उपलब्ध हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बामर लॉरी कम्पनी लिमिटेड द्वारा निर्यात

8672. **श्री एन० डेनिस :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बामर लॉरी कम्पनी लिमिटेड अपने उत्पादों का निर्यात कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो निर्यात की गई प्रत्येक मद की मात्रा और जिस देश को निर्यात किया गया है, आदि का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र० सं०	मद	देश	वर्ष 1986-87			1987-88			1988-89		
1.	मेरीन फ्रेट कंटेनर (ई० यू० में)	यू० एस० एस० आर०	520			1100			1180		
		यू० एस० ए०	—			—			15		
		माना गया निर्यात	75			—			—		
2.	हाउसिंग कंटेनर (संख्या)	जाम्बिया	—			—			32		
3.	एम० एस० बैरल कम्पोनेन्ट्स	यू० ए० ई०	विविध मदें (मूल्य 0.80 लाख रुपये)			विविध मदें (मू० 25.12 (लाख रुपये)			—		
4.	चाय (मि० टनों में)		बल्क	पैकेट	बैग्स	बल्क	पैकेट	बैग्स	बल्क	पैकेट	बैग्स
	अफगानिस्तान		256	—	—	—	343	—	—	—	—
	ए०आर०ई० (मिस्र).		—	—	—	218	—	—	280	—	—
	आस्ट्रेलिया		1	—	34	—	—	.0	0.2	—	18

	बल्क	पैकेट	बैग्स	बल्क	पैकेट	बैग्स	बल्क	पैकेट	बैग्स
डेनमार्क	—	—	—	1	—	—	—	—	—
दुबई	—	—	—	—	—	—	9	—	10
इरान	1014	—	—	1339	—	—	397	—	—
ईराक	996	95	12	530	10	—	1348	25	—
जापान	—	—	—	—	—	—	9	—	—
नाईजीरिया	17	—	—	—	—	—	—	—	—
ओमान	—	—	—	—	—	—	—	5	7
सऊदी अरेबिया	85	—	57	649	—	85	254	—	3
स्पेन	—	—	—	—	1.5	1	—	—	—
यू॰ के॰	—	—	—	—	3	1	—	7	4
यू॰ एस॰ ए॰	—	—	—	3.6	—	—	4	—	—
वैस्ट जर्मनी	—	—	—	0.4	—	—	0.5	—	—
वर्ल्ड फूड प्रोग्राम	116	—	—	125	—	—	360	—	—
(माना गया निर्यात)	2485	95	103	2866.0	357.5	97	2661.7	37	42

ऊर्जा ग्रामों की स्थापना

8673. प्रो० नारायण चन्द पराशर :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में "ऊर्जा ग्रामों" की स्थापना के लिए नोडल एजेंसियाँ स्थापित की हैं;

(ख) यदि हां, तो आज तक ऐसी एजेंसियां किन-किन राज्यों में स्थापित की हैं और शेष राज्य इस प्रकार की एजेंसियां कब तक स्थापित करेंगे;

(ग) हिमाचल प्रदेश में चार संसदीय चुनाव क्षेत्रों में प्रत्येक क्षेत्र के लिए स्थापित ऊर्जाग्रामों के नाम क्या हैं और वे किन-किन ब्लाकों और जिलों में स्थापित किए गए हैं; और

(घ) ये ऊर्जा ग्राम कब से कार्य करना आरम्भ कर देंगे और इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) अब तक 14 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों ने अपारम्परिक ऊर्जा कार्यक्रमों और कार्यकलापों का कार्य करने के लिए नोडल एजेंसियां स्थापित कर ली हैं। राज्यों/संघशासित क्षेत्रों का नाम संलग्न विवरण में दिया गया है। ऊर्जा ग्राम परियोजनाओं का कार्यान्वयन मुख्य रूप से राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है। अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग दूसरे सभी राज्यों और संघशासित क्षेत्रों से भी अपारम्परिक ऊर्जा नोडल एजेंसियों की स्थापना करने के लिए अनुरोध कर रहा है।

(ग) और (घ) हिमाचल प्रदेश की नोडल एजेंसी, हिमुर्जा ने संबंधित संसद सदस्यों के परामर्श से ऊर्जा ग्राम परियोजनाओं के लिए उना जिले में नारि गांव और मंडी जिले में स्पैपर गांव का चयन किया है। राज्य नोडल एजेंसी से प्राप्त सूचना के अनुसार शेष संसदीय चुनाव क्षेत्रों में दो और गांवों का चयन करने के लिए कदम उठाए गए हैं। ऊर्जा सर्वेक्षणों के पूरा होने तथा नोडल एजेंसी के द्वारा चुने गए गांवों के लिए परियोजना प्रस्तावों के तैयार होने पर ऊर्जा ग्राम परियोजना के कार्यान्वयन का कार्य शुरू किया जाएगा, तथा ये इसके बाद तुरन्त ही कार्य करना शुरू कर देंगी। चूंकि राज्य नोडल एजेंसी हाल ही में स्थापित की गई है इसलिए यह आशा की जाती है कि कार्यान्वयन का कार्य बिना किसी देरी के शुरू हो जाएगा।

विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम जहां अपारम्परिक ऊर्जा नोडल एजेंसियां स्थापित की गई हैं

1. आन्ध्र प्रदेश
2. बिहार
3. दिल्ली
4. गुजरात

5. हिमाचल प्रदेश
6. कर्नाटक
7. केरल
8. मध्य प्रदेश
9. महाराष्ट्र
10. मेघालय
11. उड़ीसा
12. राजस्थान
13. तमिलनाडु
14. उत्तर प्रदेश

हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल पम्पों और रसोई गैस एजेंसियों के लिए सर्वेक्षण

8674. प्रो० नारायण चन्द पराशर :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में सातवीं योजना अवधि के दौरान 31 मार्च, 1989 तक इंडियन आयल कार्पोरेशन/हिन्दुस्तान पेट्रोलियम द्वारा पेट्रोल/डीजल पम्पों और रसोई गैस एजेंसियों के आवंटन के लिए किन्हीं नये स्थानों का सर्वेक्षण किया गया है और उनका पता लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है और इन स्थानों पर पेट्रोल/डीजल पम्पों तथा रसोई गैस एजेंसियों के आवंटन संबंधी प्रक्रिया कब तक प्रारम्भ की जाएगी और आवंटन किया जाएगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) खुदरा बिक्री केन्द्र की डीलरशिपों और एल०पी०जी० वितरण केन्द्रों के लिए स्थान खोजने के वास्ते तेल उद्योग द्वारा लगातार आधार पर सर्वेक्षण किये जाते हैं। इन्हीं सर्वेक्षणों के आधार पर 1985-86 की विपणन योजना के आरम्भ होने से हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों को खुदरा बिक्री केन्द्र की डीलरशिप/एल० पी० जी० वितरण केन्द्र खोलने के लिए शामिल किया गया है :

खुदरा बिक्री केन्द्र की डीलरशिपें	एल० पी० जी० वितरण केन्द्र
1. काजा	1. नारकंडा
2. छैयला	2. परवानू
3. पंडोगा	3. कांगड़ा
4. धर्मपुर	4. डेरागोपीपुर

5. सुबाथू

6. कुमारहट्टी

7. तोतू

प्रत्येक डीलरशिप को अलाट करने के लिए चयन से पूर्व विभिन्न कदम उठाने होते हैं इसलिए निश्चित रूप से यह कहना सम्भव नहीं है कि उपर्युक्त में से अभी तक अलाट किए गए मामलों को कब तक अलाट कर दिया जाएगा।

निम्नलिखित वितरण केन्द्रों को मैसर्स हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कारपोरेशन के माध्यम से तदर्थ आधार पर चालू किया गया है :

1. केलोंग
2. रामपुर
3. [illegible]
4. नूरपुर
5. नालागढ़
6. जोगिन्दर नगर
7. रोहरू
8. नाहन
9. पियो (कल्पा)

लाइन बिछाने की सामग्री की कमी

8675. प्रो० नारायण चन्द पराशर :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'सर्किटों' और लाइन बिछाने के अन्य मदों की अत्यधिक कमी का वर्ष 1988-89 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और क्या उनकी कमी अब भी चल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गए तथा अब तक की वास्तविक स्थिति क्या है; और

(ग) यह कमी कब तक दूर हो जाएगी और क्या आश्वासन को पूरा करने के लिए कोई वैकल्पिक प्रबन्ध करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) आम तौर पर लाइन सामग्री की कोई कमी नहीं है केवल सर्किटों की कमी है जिनसे 1988-89 के दौरान दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार कार्य पर कुछ हद तक असर पड़ा है और यह अभी तक जारी है।

(ख) सर्किटों की कमी 'पिग आयरन' की कम सप्लाई के कारण हुई। सप्लाई में सुधार लाने के लिए इस्पात विभाग के साथ यह मामला उठाया गया है। वर्ष 1988-89 के लिए कुल 37.500 मीट्रिक टन की आवश्यकता थी। लेकिन भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० ने इसकी तुलना में 21000 मीट्रिक टन ही आवंटित किया। तथापि, आज तक सप्लाई की गई कुल मात्रा 5421 मीट्रिक टन है। वर्ष 1989-90 के दौरान 38000 मीट्रिक टन पिग आयरन के लिए हमारी जरूरत की

तुलना में जे० पी० सी० से केवल 20,000 मीट्रिक टन का ही आवंटन प्राप्त हुआ है।

(ग) पिग आयरन की सप्लाई में वृद्धि होने के बाद ही सर्किटों की कमी को दूर किया जाएगा। इस मामले पर इस्पात और खान मंत्रालय के साथ बात चल रही है। मुख्य महाप्रबन्धकों को सलाह दी गई है कि एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर आर०सी०सी० और ग्रेनाइट से बने सर्किटों का प्रयोग करने की सम्भावनाओं का पता लगाएं।

उड़ीसा में लघु जल विद्युत संयंत्रों की स्थापना

8676. श्री लक्ष्मण मलिक :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार लघु जल विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में ऐसे कितने लघु जल विद्युत संयंत्रों की स्थापना की गई जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी गई थी;

(ग) इन जल विद्युत संयंत्रों के लिए संयंत्रवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) इन संयंत्रों की स्थापना के लिए उड़ीसा को वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई और वर्ष 1989-90 के दौरान कितनी धनराशि आवंटित करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना प्राप्त की जा रही है तथा इसे यथा समय सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

सौर ताप परियोजनाएं

8677. श्री लक्ष्मण मलिक :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी कितनी परियोजनाओं का पता लगाया गया है जिनमें सौर ताप का प्रयोग किया जाएगा;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में व्यवहार्यता सम्बन्धी अध्ययन प्रारम्भ किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे अध्ययनों की रिपोर्ट सरकार को कब तक प्रस्तुत किए जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) सौर तापीय युक्तियां अधिकतर सभी तापमान सीमाओं (श्रेणियों) में ऊष्मा ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती हैं। कम तापमान (85 सें० से कम) अनुप्रयोगों हेतु सौर तापीय युक्तियों का देश में सफलतापूर्वक वाणिज्यीकरण किया गया है। ये युक्तियां राज्य नोडल कार्यान्वयन एजेन्सियों के माध्यम से पूरे देश में उपभोक्ताओं को उपलब्ध हैं। 31 मार्च, 1989 तक देश भर में 2315 सौर जल तापक 3289 घरेलू सौर जल तापक, 35 सौर वायु तापक/सौर फसल शुष्कक, 39 सौर काष्ठ भट्टियां, 7450 सौर स्टिल्स और 1,10,000 से अधिक

और कुकर स्थापित किए जा चुके हैं। ये युक्तियां प्रतिवर्ष लगभग 313 मिलियन किलोवाट तापीय ऊर्जा की बचत/उत्पादन करने की क्षमता रखती हैं।

सौर तापीय पम्प, सौर प्रशीतक सौर शीत भंडारण, सौर हरित गृह सौर झोपड़ियां आदि जैसे मध्यम तापमान अनुप्रयोगों के लिये सौर तापीय प्रौद्योगिकियों का भी विकास किया जा चुका है और ये इस समय क्षेत्रीय प्रदर्शन के अन्तर्गत हैं।

20 किलोवाट और 50 किलोवाट क्षमताओं के दो प्रयोगात्मक सौर तापीय विद्युत संयंत्र देश में क्रमश: आंध्र प्रदेश के सलोजिपल्ली गांव में और हरियाणा के ग्वाल पहाड़ी में कार्यशील हैं। 30 मेगावाट के एक बड़े सौर तापीय विद्युत केन्द्र की स्थापना के लिए इस विभाग द्वारा एक संभाव्यता रिपोर्ट भी तैयार की गई है और वह स्पष्टीकरण के लिए प्रस्तुत कर दी गई है। कई राज्यों ने अपने सम्बन्धित राज्यों में ऐसी 30 मेगावाट क्षमता के सौर तापीय विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने का अनुरोध किया है।

कोयला खान परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से ऋण

8678. **श्री परसराम भारद्वाज :**

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई खुले मुहाने की कोयला खान परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विश्व बैंक से ऋण प्राप्त करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए विश्व बैंक द्वारा कितनी धनराशि उपलब्ध कराये जाने की संभावना है; और

(ग) इस ऋण से कार्यान्वित की जाने वाली खुले मुहाने की खान परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मन्त्रालय में कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) निम्नलिखित कोयला परियोजनाएं विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से चलाई जा रही हैं:—

क्र०सं०	परियोजना	विश्व बैंक ऋण की राशि
1.	दुधीचुआ ओपेनकास्ट परियोजना (ना०को०लि०)	151.00 मिलियन अमरीकी डालर (ऋण मई, 1984 में स्वीकृत किया गया)
2.	झरिया कोकिंग कोल परियोजनाएं (भा०को०को०लि०)	
	(I) ब्लाक-II ओ०का०प०	248.00 मिलियन अमरीकी डालर
	(II) पुटकी बलिहारी भू०ग०	(ऋण मई, 85 में स्वीकृत किया गया)
	(III) पुटकी बाशरी	
3.	(I) सोनेपुर बाजारी ओ०का०प०, ई०को०लि०	180.00 मिलियन अमरीकी डालर
	(II) गेवरा ओ०का०प०, सा०ई०को०लि०	(ऋण जून, 1987 में स्वीकृत किया गया

कोयला खनन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से किसी अन्य प्रकार के ऋण की मांग नहीं की गई।

ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में सौर फोटोवाल्टाइक्स का उपयोग

8679. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में सौर फोटो-वाल्टाइक्स का उपयोग करना प्रारम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन प्रमुख योजनाओं के लिए इस ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है;

(ग) किन-किन राज्यों में सौर फोटोवाल्टाइक्स का उपयोग किया जा रहा है;

(घ) क्या सरकार केरल में सौर फोटोवाल्टाइक्स ऊर्जा उत्पन्न करने वाले एककों की स्थापना करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जायेगा ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) पेय जल की आपूर्ति और सूक्ष्म सिंचाई के लिए जल पम्पन, गांवों और गांव-झुरमुटों के विद्युतीकरण, ग्रामीण दूरभाष केन्द्रों टी०वी० ट्रांसमीटरों (बी०एल०पी०टी०), टेलीविजन, रेडियो सूक्ष्म लहर पुनर्रावर्त्तक केन्द्रों को बिजली प्रदान करने के क्षेत्र में पहले से ही सौर प्रकाशवोल्टीय प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है; इसके अन्य अनुप्रयोगों में बैटरी चार्जिंग तथा तेल प्लेटफार्मों में टेली मीटरी के लिए बिजली की आपूर्ति, तेल पाइप लाइनों को कैथोडिक सुरक्षा, रेलवे ट्रैकिंग सर्किटों तथा क्रासिंग गेटों, रेलवे में संकेतन तथा पैनल अंत:कीलन, जल संशोधन के लिए, कीटमार दवाइयों का छिड़काव करने, विद्युत का बाड़ा लगाने, औषधीय प्रशीतन, मौसम प्रबोधन तथा डांटा संचयन आदि शामिल हैं।

देश में लगभग सभी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों की स्थापना की जा चुकी है। आन्ध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, लक्षद्वीप, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में कुछ ग्राम स्तर की सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत यूनिटों (1 से 7 किलोवाट क्षमता वाली) की स्थापना की जा चुकी है। हरियाणा और उड़ीसा में क्रमश: 20 और 25 किलोवाट की क्षमता के दो अपेक्षाकृत अधिक बड़े विद्युत संयंत्रों की स्थापना की जा रही है।

(घ) और (ङ) केरल में 56 गांवों और गांव-झुरमुटों को सौर प्रकाशवोल्टीय सड़क बत्तियां उपलब्ध कराई गई हैं। केरल में निजी उपभोक्ताओं को छह सौर प्रकाशवोल्टीय जल पम्पन प्रणालियां भी उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्थापना के लिए छह प्रकाशवोल्टीय रोशनी यूनिटें सप्लाई की गईं। प्रदर्शन उद्देश्यों के लिए रेलवे क्रासिंग फाटकों और सार्वजनिक स्थानों पर सात रोशनी यूनिटें लगाई गई हैं। केरल राज्य में और अधिक गांवों और गांव-झुरमुटों को बिजली प्रदान करने के लिए 100 अतिरिक्त सौर प्रकाशवोल्टीय सड़क रोशनियों की मंजूरी दी गई है।

केरल में पवन की चक्कियां

8680. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बिजली उत्पादन के लिए केरल के तट पर पवन चक्कियों की स्थापना के लिए कोई अंशदान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इन पवन चक्कियों के न चलने के बारे में कोई सूचना प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग ने, पालघाट जिले के कोट्टामाला स्थान पर, 100 किलोवाट ग्रिड से जुड़े एक पवन विद्युत जनित्र प्रदर्शन एकक की स्थापना के लिए, 13.56 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की है। एकक ने 11 मार्च, 1989 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है ।

(ग) और (घ) जांच करने के दौरान, कुछ प्रारम्भिक समस्याएं थीं परन्तु रिपोर्टों के अनुसार, पवन विद्युत जनित्र संतोषजनक कार्य कर रहा है और इसने अब तक राज्य विद्युत स्टेशन को लगभग 5,000 विद्युत एककों की पूर्ति की है ।

बिजली पारेषण और वितरण में हानि

8681. श्री जगन्नाथ पटनायक :

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान प्रत्येक राज्य में पारेषण और वितरण में राज्यवार बिजली की कितनी प्रतिशत हानि हुई;

(ख) वर्ष 1988-89 के दौरान किन-किन राज्यों में विद्युत पारेषण और वितरण में न्यूनतम हानि हुई है; और

(ग) वर्ष 1988-89 के दौरान इससे देश में अनुमानतः कुल कितनी धनराशि की हानि हुई ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) 1988-89 के दौरान राज्य-वार पारेषण एवं वितरण विद्युत की प्रतिशत हानि का अनन्तिम आकलन संलग्न विवरण में दिया गया है । समूचे देश के लिए 1988-89 के दौरान पारेषण एवं वितरण के जरिए बेकार गई बिजली की वित्तीय कीमत मोटे तौर पर 2800 करोड़ रुपये आंकी गई है ।

विवरण

वर्ष 1988-89 के दौरान राज्य विद्युत बोर्डों में प्रतिशत पारेषण एवं वितरण हानियां (वाणिज्यिक हानियों समेत)*

क्र०सं०	राज्य विद्युत बोर्ड	अपरिकालित वाणिज्यिक हानियों (चोरी आदि जैसी) समेत प्रतिशत पारेषण एवं वितरण हानियां
1.	आन्ध्र प्रदेश	19.50
2.	बिहार	21.00
3.	गुजरात	22.00
4.	हरियाणा	17.50
5.	हिमाचल प्रदेश	22.64
6.	कर्नाटक	20.50
7.	केरल	22.99
8.	मध्य प्रदेश	20.00
9.	महाराष्ट्र	14.31
10.	उड़ीसा	22.50
11.	पंजाब	18.20
12.	राजस्थान	21.54
13.	तमिलनाडु	18.67
14.	उत्तर प्रदेश	26.50
15.	पश्चिम बंगाल	21.50
16.	असम	21.08
17.	मेघालय	10.55

* अनन्तिम

दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन

8682. श्री मोहनभाई पटेल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में प्रत्येक टेलीफोन एक्सचेंज से नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए किये गये पंजी-

करण में से कब तक के पंजीकृत लोगों को प्रत्येक श्रेणी में नये कनेक्शन दे दिए गए हैं;

(ख) प्रत्येक एक्सचेंज में इस समय कितनी टेलीफोन लाइनें हैं; और

(ग) दिल्ली में, विशेषकर शक्तिनगर और राजौरी गार्डन एक्सचेंजों में प्रतीक्षा सूची को समाप्त करने के लिये और अधिक एक्सचेंज खोलने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) शक्ति नगर और राजौरी गार्डन एक्सचेंज सहित दिल्ली में वर्ष 1989-90 के दौरान, 40,000 नये टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किये जाने की आशा है। राजौरी गार्डन और शक्ति नगर एक्सचेंजों की क्षमता को चालू वर्ष के दौरान क्रमश: 3,000 और 4,000 लाइनों तक बढ़ाया जाएगा। जनकपुरी में चालू वर्ष के दौरान 20,000 लाइनों का एक नया इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित किया जाएगा जिससे राजौरी गार्डन एक्सचेंज द्वारा सेवित क्षेत्रों को भी राहत मिलेगी ।

विवरण

दिल्ली में श्रेणीवार और एक्सचेंजवार अप्रैल, 1989 में नये टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में निपटान की तारीख और चालू कनेक्शनों की संख्या

क्र० सं०	एक्सचेंज का नाम	प्रतीक्षा सूची के निपटान की तारीख					टेलीफोन लाइनों की संख्या
		ओवाईटी सामान्य	ओवाईटी विशेष	गैर ओ वाई टी-एस एस	गैर ओवाई टी विशेष	गैर ओवाई टी-सा०	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	जनपथ	31.3.89	31.3.89	31.3.89	31.3.89	23.3.88	7,290
2.	जोरबाग	11.11.87	2.2.88	31.3.88	5.4.88	20.12.83	17,718
3.	किदवई भवन	20.11.86	5.2.87	26.4.88	25.4.88	7.10.85	16,919
4.	राजपथ	17.5.82	12.11.86	30.11.87	11.12.82	24.4.80	8,502
5.	लोधी रोड	25.3.88	25.3.88	25.3.88	25.3.88	25.3.88	2,696
6.	सेना भवन	1.4.86	30.9.87	28.2.87	30.9.86	30.9.85	8,843
7.	अलीपुर	30.4.89	30.4.89	30.4.89	30.4.89	31.1.89	228

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	बादली	30.3.88	16.3.89	16.3 89	16.2 85	13.5.82	[illegible]763
9.	तीस हजारी	3.4.89	30 3.89	10.4 89	21.3.89	15.10.86	47006
10.	नरेला	19.12.86	12.6 86	28 2.86	31 3.86	15.1.82	582
11.	शक्तिनगर	26.5.88	20.2.89	20.2.89	19.8.88	29.10 82	41,595
12.	रोहिणी	10.3.89	10.3.89	21.3.89	21.3.89	21.12.84	4,792
13.	दिल्ली गेट	10.2.88	16.3.89	16.3.89	26.12.88	18.11 82	17,096
14.	ईदगाह	4.8.88	16.3.89	16.3.89	22.11.88	7.2.86	38,018
15.	लक्ष्मीनगर	2.9.88	2.9.88	16.9.88	13.9.88	5.2.85	25,325
16.	शाहदरा	20.3 87	24.2.88	31.1.89	17.3.82	26.12.79	4,471
17.	चाणक्यपुरी	18.2.86	31.3.86	29.2.88	21.1.85	31.12.83	18,678
18.	हौजखास	9.12.86	30.4.87	15.2.88	29.1.87	2.9.82	17,778
19.	नेहरू प्लेस	19.8.87	7.12.87	23.2.89	2.11.88	7.1.83	34,207
20.	ओखला	3.11.88	31.1.89	15.2.89	2.12.88	29.9.87	21,747

1	2	2	4	5	6	7	8
21.	दिल्ली कैंट	9.12.87	9.12.87	17.12.87	16.12.87	12.8.84	3,585
22.	जनकपुरी	31.12.85	31.12.85	31.12.85	1.6.83	26.2.80	4,173
23.	करोल बाग	8.12.88	31.1.89	21.2.89	21.2.89	16.3.85	36,442
24.	नजफगढ़	23.6.88	30.6.88	30.1.89	30.1.89	29.7.85	754
25.	नागलोई	3.5.88	22.2.89	22.2.89	19.2 88	12.9.84	2,320
26.	राजोरी गार्डन	30.12.86	2.1.87	4.12.86	8.12.86	26.9.81	41,440

केरल में मलापपुरम जिले में डाक सुविधा

8683. **श्री जी० एम० बनातवाला :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरक के मलापपुरम जिले में पोन्नानी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले उन क्षेत्रों, गांवों आदि के नाम क्या हैं जहां उप डाक घर और एक लैटर बाक्स तक भी उपलब्ध नहीं है;

(ख) डाक सेवा रहित इन क्षेत्रों में डाक सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की यदि कोई योजनायें हैं तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन सभी क्षेत्रों में कम से कम लैटर बाक्स प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराये जाएंगे और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) उक्त निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी गांव ऐसा नहीं है जिसमें एक डाकघर (उप डाकघर अथवा शाखा डाकघर) अथवा एक लैटर बाक्स न हो। फिर भी, बड़े गांवों में, जहां न्यायसंगत हो, अतिरिक्त डाकघर खोले जाते हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र में दो नये डाक घर मंजूर किये गये हैं जिसमें से एक उत्लानम उत्तर में और दूसरा पुतिया-कड़प्पुरम में लगाया जाएगा।

न्यूजरीलों और वृत्तचित्रों का निर्माण

8684. **श्री चिंतामणि जेना :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान देश में कितनी न्यूजरील और वृत्तचित्र बनाए गए;

(ख) ये न्यूजरील और वृत्तचित्र किन विषयों पर तैयार किये गये हैं; और

(ग) देश के जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में विशेषकर उड़ीसा में, उन्हें प्रदर्शित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अतिरिक्त, निजी निर्माताओं द्वारा भी वृत्त-चित्र का निर्माण किया जाता है। फिल्म निर्माण कार्य (वृत्त चित्र सहित) अनियंत्रित है, अत: निर्मित वृत्त-चित्रों की कुल संख्या की कोई सूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। परन्तु, जनता को दिखाई जाने वाली सभी फिल्मों को केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से प्रमाण-पत्र लेना अपेक्षित होता है। वर्ष 1988 के दौरान, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने 859 वृत्त-चित्रों और न्यूजरीलों (समाचार पत्रिकाओं) को प्रमाणित किया है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर में उल्लिखित स्थिति की दृष्टि से, पूरी सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, फिल्म प्रभाग द्वारा निर्मित वृत्त-चित्रों तथा समाचार पत्रिकाओं में इन बातों का समावेश रहता है। समसामयिक घटनाएं, परिवार नियोजन, कृषि, रक्षा, खेल तथा राष्ट्रीय नेताओं की जीवनी आदि, आदि।

(ग) फिल्म प्रभाग द्वारा निर्मित समाचार पत्रिकाओं तथा वृत्त-चित्रों का पूरे देश में प्रदर्शन,

अनिवार्य प्रदर्शन योजना के तहत सिनेमा थियेटरों में किया जाता है। इन वृत्त-चित्रों में से कुछ वृत्त-चित्रों का प्रदर्शन और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के चल प्रचार-यूनिटों द्वारा भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त, विशिष्ट एजेंसियों की चल यूनिटें तथा परिवार कल्याण, कृषि आदि के क्षेत्रों मे प्रसार-कार्य कर रहे विभाग भी अपने-अपने विषयों में वृत्त-चित्रों का प्रदर्शन करते हैं। राष्ट्रीय नेटवर्क तथा क्षेत्रीय केन्द्रों से दूरदर्शन भी वृत्त-चित्रों को टेलीकास्ट करता है।

दिल्ली में रविवार और अवकाश के दिन खोले जाने वाले डाकघरों के कार्य घंटे

8685. श्री चिन्तामणि जैना :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रविवार वाले दिन तथा राष्ट्रीय अवकाश वाले दिन कुछ डाकघर खोले जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली और नई दिल्ली में खुलने वाले इन डाकघरों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनमें से प्रत्येक डाकघर के कार्य-घंटे क्या हैं और उनके द्वारा जनता को क्या सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) दिल्ली और नई दिल्ली में 13 ऐसे डाकघर हैं जहां जनता को रविवार और राष्ट्रीय छुट्टियों के दिनों में सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

अनुबंध

क्रम सं०	डाकघर का नाम	डाकघर के काम करने के घंटे	जनता को उपलब्ध कराई गई सुविधाएं
1	2	3	4
1.	दिल्ली जी०पी०ओ० दिल्ली-110006.	10.00 से 13.00 बजे तक	(i) पंजीकृत पत्रों/बीमाकृत पत्रों पार्सलों की बुकिंग (ii) भारतीय पोस्टल आर्डरों की बिक्री और भुगतान (iii) धनादेश जारी करना और तार धनादेशों का भुगतान। (iv) डाक टिकटों की बिक्री (v) स्पीड पोस्ट वस्तुओं की बिक्री। (vi) पोस्टिंग के प्रमाण पत्राधीन वस्तुओं को स्वीकार करना।

1	2	3	4
2.	करोल बाग डाकघर नई दिल्ली-110005.	10.00 बजे से 13.00 बजे तक	(i) पंजीकृत पत्रों/पार्सलों की बुकिंग (ii) धनादेश/तार धनादेशों का जारी करना। (iii) भारतीय पोस्टल आर्डरों की बिक्री। (iv) डाक-टिकटों की बिक्री। (v) पोस्टिंग के प्रमाण-पत्राधीन वस्तुएं स्वीकार करना।
3.	ईस्टर्न कोर्ट डाकघर नई दिल्ली-110001	10.00 बजे से 13.00 बजे तक	—वही—
4.	नई सब्जी मण्डी डाकघर दिल्ली-110033.	10.00 बजे से 13.00 बजे तक	(i) पंजीकृत पत्रों/पार्सलों की बुकिंग (ii) धनादेश जारी करना। (iii) डाक टिकटों की बिक्री। (iv) पोस्टिंग के प्रमाण पत्राधीन वस्तुओं को स्वीकार करना।
5.	लाजपत नगर डाकघर नई दिल्ली-110024.	10.00 बजे से 13.00 बजे तक	(i) पंजीकृत पत्रों/पार्सलों की बुकिंग (ii) धनादेश/तार धनादेशों को जारी करना। (iii) भारतीय पोस्टल आर्डरों की बिक्री। (iv) डाक-टिकटों की बिक्री। (v) तारों की बुकिंग। (vi) पोस्टिंग के प्रमाण पत्राधीन वस्तुएं स्वीकार करना
6.	एन०आई०एस्टेट, डाकघर नई दिल्ली-110028.	10.00 बजे से 13.00 बजे तक	(i) पंजीकृत पत्रों/पार्सलों की बुकिंग। (ii) धनादेश जारी करना। (iii) भारतीय पोस्टल आर्डरों बिक्री। (iv) डाक-टिकटों की बिक्री। (v) पोस्टिंग के प्रमाण पत्राधीन वस्तुएं स्वीकार करना।

1	2	3	4
7.	डी०आई० क्षेत्र नई दिल्ली-110015.	10.00 बजे से 13.00 बजे तक	(i) पंजीकृत पत्रों/पार्सलों की बुकिंग। (ii) धनादेश जारी करना। (iii) भारतीय पोस्टल आर्डरों की बिक्री। (iv) डाक टिकटों की बिक्री। (v) पोस्टिंग के प्रमाण पत्राधीन वस्तुएं स्वीकार करना।
8.	शाहदरा डाकघर दिल्ली-110032.	10.00 बजे से 13.00 बजे तक	(i) पंजीकृत पत्रों/पार्सलों की बुकिंग। (ii) धनादेश जारी करना। (iii) भारतीय पोस्टल आर्डरों की बिक्री। (iv) डाक टिकटों की बिक्री। (v) पोस्टिंग के प्रमाण पत्राधीन वस्तुएं स्वीकार करना।
9.	इन्दिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एअर पोर्ट डाकघर नई दिल्ली।	चौबीसों घंटे (राष्ट्रीय छुट्टियों सहित)	(I) पंजीकृत वस्तुओं की बुकिंग। (ii) धनादेश जारी करना। (iii) भारतीय पोस्टल आर्डरों की बिक्री। (iv) डाक-टिकटों की बिक्री। (v) पोस्टिंग के प्रमाण पत्राधीन वस्तुएं स्वीकार करना।
10.	पालम एअर पोर्ट डाकघर एक्सटेंशन काउन्टर, नई दिल्ली.	06.00 बजे से 21.00 बजे तक (राष्ट्रीय छुट्टियों सहित)	(i) पंजीकृत वस्तुओं की बुकिंग। (ii) डाक टिकटों की बिक्री। (iii) पोस्टिंग के प्रमाणपत्राधीन वस्तुएं स्वीकार करना।
11.	नजफगढ़ डाकघर नई दिल्ली	08.00 बजे से 10.00 बजे तक	(i) तार कार्य
11.	नरेला डाकघर दिल्ली	08.00 बजे से 09.30 बजे तक	(i) तार कार्य
13.	महरौली डाकघर, नई दिल्ली-110030.	12.00 बजे से 14.00 बजे तक	(i) तार कार्य

कम्पनियों द्वारा सावधि जमा राशि का भुगतान न करना

8686. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

क्या उद्योग मंत्री कम्पनियों द्वारा सावधि जमा राशि के भुगतान के बारे में 11 अप्रैल, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5703 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन गबनकारी कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिन्हें सावधि-जमाराशि का भुगतान करने के लिए पहले सलाह दी गई थी लेकिन इन्होंने इसका अब तक भुगतान नहीं किया है; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार को पुन: कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1988 द्वारा यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 58क के संशोधित उपबन्ध अभी तक लागू नहीं किए गए हैं। इस प्रकार, चूक करने वाली कम्पनियों के विरुद्ध उक्त संशोधित धारा के अन्तर्गत कोई कारंवाई नहीं की जा सकी ।

(ख) सूचना एकत्र करने में लगने वाला समय एवं प्रयास प्राप्त होने वाले सम्भाव्य परिणामों के अनुरूप नहीं होगा ।

टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया में घाटा

8687. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री एच० जी० रामुलु :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड को परिचालन और वित्तीय घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और गत तीन वर्षों के दौरान 31 मार्च, 1989 तक हुए घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन अपनी विभिन्न स्टोर-वस्तुएं सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों से खरीद रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) कम्पनी के निदेशक मण्डल के वर्तमान सदस्यों का ब्यौरा क्या है और उनका कार्यकाल कितना है; और

(च) कम्पनी के कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड को पिछले तीन वर्षों में हुए घाटे का विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	संचालन हानि	शुद्ध हानि (लाख रुपये में)
1986-87	289.88	939.61
1987-88	255.70	1069.16
1988-89	427.79	1370.79
(अनन्तिम)		

हानि होने के मुख्य कारण ये हैं— कामगार की न्यून उत्पादकता, औसत परिलब्धियों के संबंध में प्रति कर्मचारी कम वर्द्धित मूल्य, सरकार से लिए गए कर्ज पर भारी ब्याज-बोझ, श्रमिकों के हठीले रवैये के कारण सुयोग्य प्रबन्ध कार्यकारियों का जल्दी-जल्दी परिवर्तन और अलाभकारी मूल्य-ढांचा।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) वर्तमान निदेशक मण्डल में दो कार्यकारी निदेशक अर्थात अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा निदेशक (उत्पादन) और चार अंशकालिक निदेशक हैं। कार्यकारी निदेशकों का कार्यकाल पांच वर्ष का है जबकि अंशकालिक निदेशकों के मामले में यह तीन वर्ष का है।

(च) टैफको के प्रबन्ध मण्डल में कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति के अलावा सरकार ने आधुनिकीकरण, अप्रचलित मशीनों का नवीकरण/प्रतिस्थापन आदि करके कार्यक्षमता में सुधार करने के लिए कदम भी उठाए हैं।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा ऊनी ड्रेस सम्बन्धी सामग्री की खरीद

8688. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा ऊनी ड्रेस सम्बन्धी सामग्री की खरीद के बारे में 11 अप्रैल, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5973 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स रामाकृष्णा एजेंसिज कलकत्ता ने ठेके में निर्धारित अवधि में तथा समय पर माल की सुपुर्दगी दे दी है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) ऊनी वर्दी के लिए 2.8 मीटर की लम्बाई वाले 9,332 टुकड़ों की एक आर्डर मैसर्स रामाकृष्णा एजेंसीज, कलकत्ता को दिया गया था। जो 17-4-1989 तक निर्धारित रूप से सुपुर्दगी के लिए था। वर्दी सामग्री के 5000 टुकड़े 31-3-1989 को भेजे गए थे तथा शेष 4,332 टुकड़ों के सुपुर्दगी की तारीख के अन्दर ही 3-4-1989 को निरीक्षण के लिए पेशकश की गई। निरीक्षण और अन्य औपचारिकताओं को पूरी करने के लिए समय देने हेतु सुपुर्दगी की तारीख को 17-5-1989 तक बढ़ाया गया था।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को वस्तुओं की सप्लाई

8689. श्री एच० बी० रामुलु :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल स्थित भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने कुछ स्टोर-वस्तुओं की सप्लाई हेतु कुछ अन्य सरकारी उपक्रमों को सूचीबद्ध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) भोपाल स्थित भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा गत एक वर्ष में पंजीकृत सूचीबद्ध किए गए इन एककों के क्या नाम हैं; और

(घ) अन्य सरकारी उपक्रमों को भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को वस्तुओं की सप्लाई करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए आगे क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगलराव) : (क) और (ख) बी०एच०ई०एल० के भोपाल एकक ने वस्तुओं की सप्लाई करने के लिए 44 सरकारी उद्यमों को पंजीकृत किया है। अन्य में ये शामिल हैं : इस्पात की सप्लाई के लिए "सेल", मशीनी औजारों के लिए एच०एम०टी०, गैसों के लिए फर्टीलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया लुब्रिकेन्ट्स के लिए इण्डियन आयल कारपोरेशन/हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन, विभिन्न प्रकार के यन्त्रों के लिए इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड और सरणीबद्ध आयातित वस्तुओं के लिए एम० एम०टी०सी० ।

(ग) बी०एच०ई०एल० के भोपाल एकक ने वर्ष 1988-89 में सरकारी क्षेत्र के किसी नए उद्यम को पंजीकृत नहीं किया था।

(घ) बी०एच०ई०एल० भोपाल सरकारी क्षेत्र के अन्य उद्यमों को बिना किसी मूल्यांकन औपचारिकता को पूरा किये हुए उनको पंजीकृत करके वस्तुओं की सप्लाई के लिए प्रोत्साहित करता है जैसाकि गैर-सरकारी क्षेत्र के एककों के लिए किया जा रहा है। सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार उनको खरीद और मूल्य-वरीयता भी दी जाती है।

औषध उद्योग को रियायतें

8690. डा० बी० एल० शैलेश :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो ने अनेक बल्क औषधों को सरकारी मूल्य नियंत्रण के स्थान पर टैरिफ आधारित मूल्य नियंत्रण के अन्तर्गत लाकर औषध उद्योग को और अधिक रियायतें देने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) इसके बारे में केलकर समिति, न कि औद्योगिक लागत एवं जांच ब्यूरो ने अपनी पूरक रिपोर्ट में, कुछ सिफारिशें की हैं। इनकी जांच की जा रही है।

टायर और ट्यूब उत्पादन क्षमता में वृद्धि

8691. डा० बी० एल० शैलेश :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में टायरों (नाइलोन टायरकोर्ड सहित) और ट्यूबों की उत्पादन क्षमता में भारी वृद्धि करने के कोई प्रस्ताव हैं;

(ख) यदि हां, तो विद्यमान अधिष्ठापित क्षमता क्या है और इसमें अब कितनी अतिरिक्त क्षमता की वृद्धि करने का विचार है;

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय टायर व्यापार में भारत के केवल 0.4 प्रतिशत भागेदारी को देखते हुए सरकार टायर और ट्यूब निर्माता कम्पनियों से कोई निर्यात वादा करायेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) टायर उद्योग नयी क्षमता का सृजन सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने नीति सम्बन्धी विभिन्न उपाय किए हैं। सरकार टायर उत्पादन के लिए उदारतापूर्वक नयी क्षमता की स्वीकृति देती है। इस समय आटोमोबील टायरों व ट्यूबों की वार्षिक लाइसेंसीकृत/अधिष्ठापित व स्वीकृत क्षमता क्रमशः 288 लाख नग व 182 लाख नग है।

नायलन टायरकोर्ड की वर्तमान लाइसेंसीकृत क्षमता 33,000 मी० टन वार्षिक है। क्षमता का विस्तार करके तथा नये एकक लगाकर 40,000 मी० टन अतिरिक्त क्षमता स्वीकृत की गयी है। इसके अलावा, मौजूदा सिंथेटिक फिलामेंट यार्न विनिर्माता विशद वर्गीकरण (ब्राड बैंडिंग) सुविधा से नायलन का भी उत्पादन कर सकते हैं।

(ग) और (घ) मौजूदा नीति में टायर निर्माताओं पर निर्यात दायित्व लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तथापि यह उद्योग 1985-86 में हुए 47 करोड़ रुपये के निर्यात को वर्ष 1988-89 की अवधि में बढ़ाकर अनुमानतः 70 करोड़ रुपये तक करने की स्थिति में है।

अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र फिल्म समारोह का आयोजन

8692. डा० बी० एल० शैलेश :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989 के अन्त तक आयोजित किये जाने वाले देश के प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र फिल्म समारोह के आयोजन की तैयारियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस कार्य की देख-रेख कौन सी एजेंसी कर रही है तथा इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है;

(ग) समारोह के लिए वृत्तचित्र फिल्मों का चयन करने की प्रक्रिया क्या है;

(घ) क्या निजी वृत्तचित्र फिल्म निर्माताओं को कोई भूमिका दी गई है; और

(ङ) समारोह को सफल बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (घ) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फिल्म प्रभाग द्वारा महाराष्ट्र की राज्य सरकार, भारतीय वृत्तचित्र निर्माता संघ भारतीय फिल्म सोसायटी संघ और फिल्म समारोह निदेशालय के सहयोग से पहला अन्तर्राष्ट्रीय वृत्त फिल्म समारोह आयोजित किया जाना है। समारोह के लिए स्थाई स्थल बम्बई होगा। यह प्रारम्भ में गैर-प्रतियोगी समारोह होगा और यह एक वार्षिक घटना होगी। समारोह की योजना बनाने में फिल्म प्रभाग की सहायता के लिए एक आयोजन समिति गठित की गई है। इस समिति में सरकारी और गैर-सरकारी सदस्य शामिल हैं। गैर-सरकारी सदस्यों में जाने-माने स्वतंत्र वृत्तचित्र फिल्म निर्माता, भारतीय वृत्तचित्र निर्माता संघ के प्रतिनिधि, भारतीय फिल्म सोसायटियों का संघ शामिल हैं। चालू वर्ष के लिए फिल्म प्रभाग के बजट में इस प्रयोजन के लिए 25 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। आयोजन समिति फिल्मों की चयन प्रणाली, भारतीय और विदेशी प्रविष्टियों के लिए विनियम बनाने पर नीति तैयार करने में फिल्म प्रभाग की मदद करेगी। आयोजन समिति की पहली बैठक शीघ्र होने वाली है।

(ङ) इस समारोह को सफल बनाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रयोजन के लिए, भारतीय वृत्तचित्र निर्माता संघ और भारतीय फिल्म सोसायटीज फेडरेशन का सहयोग मांगा गया है। इसके अलावा, महाराष्ट्र की राज्य सरकार और विभिन्न संस्थानों जैसे राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान आदि का सहयोग भी मांगा जा रहा है। इस अन्तर्राष्ट्रीय घटना का विस्तृत प्रचार किया जाएगा।

कम्पनी अधिनियम की धारा 630 को लागू करना

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

8693. श्री सनत कुमार मंडल :

क्या उद्योग मंत्री कम्पनी अधिनियम की धारा 630 के अन्तर्गत आवेदन के बारे में 25 मार्च, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3611 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बारे में अब तक एकत्र की गई जानकारी का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण दूरसंचार नेटवर्क में सुधार

8694. श्री अशोक शंकरराव चव्हाण :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना की शेष अवधि के दौरान ग्रामीण दूरसंचार नेटवर्क में सुधार के लिए किन-किन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का चयन किया गया है; और

(ख) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में नवीं योजना की शेष अवधि के दौरान ग्रामीण दूरसंचार नेटवर्क को उन्नत बनाने का एक कार्यक्रम है। एम० ए० आर० आर० और परा उच्च आवृत्ति (बी० एस० एफ०) जैसे सुदृढ़ एवं संचार माध्यमों को ग्रामीण क्षेत्रों में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन सुलभ करने के लिए शामिल किया जा रहा है। सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों के इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज भी स्थापित किये जा रहे हैं।

(ख) इस प्रयोजन के लिए अलग से कोई निधि आबंटित नहीं की जाती है। इस पर होने वाला व्यय सर्किलों को दिये गये एकमुश्त अनुदान में से पूरा किया जाता है।

अल्कोहल को मोटर ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने के बारे में समिति का गठन

8695. श्री अशोक शंकरराव चव्हाण :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परिवहन क्षेत्र में अल्कोहल को मोटर ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने की संभावना का पता लगाने के लिए एक समिति गठित की है;

(ख) इस समिति के पदाधिकारियों के क्या नाम हैं और उसके क्या निदेश पद हैं; और

(ग) यह समिति अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयोग करने के लिए मोटर स्प्रिट में मेथेनोल और इथेनोल मिलाने के बारे में तकनीकी आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन करने के लिए एक अन्तर-मंत्रालीय समिति का गठन किया गया जिसमें रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, तेल उद्योग, आई० ओ० सी० के अनुसंधान और विकास केन्द्र, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल थे।

रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और एक महीने के अन्तर्गत यह रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दिये जाने की संभावना है।

महाराष्ट्र में एस० टी० डी० की सुविधा देना

8696. श्री अशोक शंकरराव चव्हाण :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के शेष अवधि के दौरान महाराष्ट्र के किन-किन स्थानों में एस०टी०डी० की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की संभावना है; और

(ख) महाराष्ट्र में एस० टी० डी० सुविधा प्राप्त किन-किन स्थानों को माइक्रोवेव प्रणाली से जोड़ दिया गया है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) सातवीं योजना के शेष अवधि के दौरान महाराष्ट्र के निम्नलिखित शहरों को एस० टी० डी० सुविधा मिल जाने की संभावना है :

अलीबाग, भण्डारा, बुलधना, भीड, बेसीन, गोंडिया, गडचिरोली, इचलकरांजी, खोपोली,

लोनावाला, पल्टन, पातालगंगा, परभनी, रत्नागिरि, तुम्सार, उरुलीकंचन।

(ख) एस० टी० डी० सुविधा के लिए महाराष्ट्र सर्किल के निम्नलिखित शहरों को माइक्रोवेव प्रणाली से जोड़ दिया गया है।

चन्द्रापुर, पंजिम, सोलापुर, बारामति, ओसमानाबाद, बर्सी, लतूर।

इन्द्रप्रस्थ ताप विद्युत केन्द्र से राख उठाने का ठेका

[हिन्दी]

8697. **श्री हरीश रावत :**

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा इन्द्रप्रस्थ ताप विद्युत स्टेशन से राख उठाने का ठेका देने और "केवल जॉयन्ट" खरीदने के बारे में कोई जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस ठेके को देने में निर्धारित नियमों और प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) हेसू के अनुसार इस मामले में सतर्कता छान-बीन शुरू की गई है। बहरहाल, कोई भी गम्भीर अनियमितता सामने नहीं आई है।

रसोई गैस कनैक्शन जारी करना

[अनुवाद]

8698. **श्री सोमजी भाई डामर :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ रसोई गैस एजेंसियों ने तेल कम्पनियों से अनुरोध किया है कि उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों अथवा छोटे शहरों के आस-पास के क्षेत्रों में रसोई गैस कनैक्शन जारी करने के लिए अनुमति दी जाए;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ग) इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान एल० पी० जी० के वितरकों से उनके आस-पास के देहाती और छोटे-छोटे शहरों में एल० पी० जी० कनैक्शन जारी किये जाने के बारे में 179 अनुरोध प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक मामले के गुण दोष के आधार पर और इस बावत नीति दिशा निर्देशों को ध्यान में रखकर कार्यवाही की जा रही है।

तेल कम्पनियों द्वारा खाना पकाने की गैस के कनैक्शन जारी करना

8699. श्री सोमजी भाई डामर :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक तेल कम्पनी द्वारा अपने-अपने वितरकों को खाना पकाने की गैस के कितने-कितने कनैक्शन जारी किये गये हैं;

(ख) उपभोक्ताओं को वास्तविक रूप से कितने-कितने कनैक्शन जारी किये गये हैं;

(ग) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनके पास सिलिंडर है लेकिन रेगुलेटर नहीं है अथवा रेगुलेटर हैं लेकिन सिलिंडर नहीं हैं अथवा दोनों हैं लेकिन लेखन सामग्री नहीं है जिसके परिणामस्वरूप खाना पकाने की गैस के नए कनैक्शन जारी नहीं किए जाते;

(घ) इन कम्पनियों को किन परिस्थितियों के अंतर्गत नए वितरण केन्द्र खोलने की अनुमति दी जा रही है जबकि वे विद्यमान वितरकों की मांग को ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं;

(ङ) क्या भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के खाना पकाने की गैस के वितरकों के पास 3000 से कम कनैक्शन हैं; और

(च) यदि हां, तो इन वितरण केन्द्रों को आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद बनाने के लिए इस कम्पनी की क्या योजनाएं हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी किए गए नए एल० पी० जी० कनैक्शनों की संख्या इस प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	तेल कम्पनी	1986-87	1987-88	1988-89
1.	इंडियन आयल कार्पोरेशन लि० (असम आयल डिवीजन सहित)	8.097	7.046	5.834
2.	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन	3.906	3.255	2.520
3.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन	5.080	4.073	3.209
	कुल :	17.083	14.374	11.563

(ग) शून्य

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, हां।

(च) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन सहित तेल विपणन कम्पनियों द्वारा उत्पाद, उपकरण और सुविधाओं के उपलब्ध होने पर उन वितरकों के माध्यम से चरणबद्ध रूप में अपने वार्षिक नामांकन के लक्ष्य के अनुरूप नए कनैक्शन जारी किये जाते हैं, जो अधिकतम सीमा से कम पर काम कर रहे हैं।

कोयले का मूल्य

8700. श्रीमती जयन्ती पटनायक :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के खुले बाजार मूल्य में, विशेषकर उत्तरी भारत में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इनके बाजार मूल्यों को अधिसूचित मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) कोयला कम्पनियों द्वारा कोयले की बिक्री भारत सरकार द्वारा निर्धारित पिट्-हैड कीमतों से प्रशासित होती है। हालांकि कोयले की बिक्री के लिए कोई संगठित रूप में कोई खुला बाजार नहीं है, लेकिन कुछ उपभोक्ता एक विनिर्दिष्ट अवधि में अपनी आवश्यकताओं से अधिक कोयले की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए कोयले की कुछ खरीद-फरोख्त करते हैं। इस सम्बन्ध में कोई नियमित बाजार न होने के कारण कीमतों का निर्धारण किया जाना कठिन कार्य है। इसके अलावा विगत के कुछ महीनों में किसी विनिर्दिष्ट दूरी के लिए कोयले की कीमतों की सही रूप में तुलना नहीं की जा सकती है। इसका कारण 1.1.1989 से प्रभावी कोयले की प्रशासित कीमतों तथा रेलवे भाड़े में 1.4.1989 से वृद्धि का होना है। किन्तु इस बात का संकेत है कि उत्तर भारत में कोयले की कीमतों में, पिट्-हैड कीमत तथा भाड़े में हुई वृद्धि पर भी अनदेखी की जाए, कुछ गिरावट देखने में आई है।

कोल इंडिया लि० ने उपभोक्ताओं को स्टीम कोयले की उपलब्धता में वृद्धि के लिए कुछ कदम उठाए हैं ताकि उपभोक्ताओं की आवश्यकता पूर्णतः पूरी की जा सके तथा इस कार्रवाई द्वारा बाजार भावों को नीचे रखा जा सके। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(क) रानीगंज कोयला क्षेत्र में, जोकि उपभोक्ताओं का अधिकतम तरजीही स्रोत है, से स्टीम कोयले की आपूर्ति तथा लादान में वृद्धि।

(ख) वर्ष 1989 के उपभोक्ता कार्यक्रमों के एवज में वैगनों का 100% आवंटन तथा वर्ष 1988 के लिए कोयला कार्यक्रमों के बकाया मामलों का परिसमापन।

(ग) स्टाकयार्ड आदि से परिवहन के अन्य साधन द्वारा रेल यातायात में हुई कमी को पूरा किया जाना।

दूरदर्शन द्वारा फिल्मों का पुनः सेंसर किया जाना

8701. श्री सी० जंगा रेड्डी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन किन्हीं ऐसी फिल्मों का पुनः सेंसर करता है जिनकी सेंसर बोर्ड द्वारा पहले ही जांच की जा चुकी है और स्वीकृत किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(ग) क्या इस प्रकार पुनः सेंसर करने के लिए सम्बन्धित निर्माता-अधिकार/धारक की सहमति

प्राप्त की जाती है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) से (ङ) दूरदर्शन, प्रसारण के लिए उन्हीं फीचर फिल्मों पर विचार करता है जो केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा विधिवत प्रमाणित होती हैं। दूरदर्शन, उन्हें पुनः सेंसर नहीं करता है। परन्तु, कभी-कभी दूरदर्शन के लिए, उपलब्ध प्रसारण समय में फिल्म को समायोजित करने के लिए उसे सम्पादित करना आवश्यक हो जाता है या उन दृश्यों को निकालना आवश्यक हो जाता है जिन्हें परिवार के साथ देखना तथा दूरदर्शन जैसे जन माध्यम पर प्रसारित करना उचित नहीं समझा जाता है। निर्माताओं/अधिकार धारकों के साथ किये गये एक समझौते के जरिए दूरदर्शन, टेलीकास्ट से पूर्व फिल्मों में इस प्रकार के दृश्यों को निकालने के लिए प्राधिकृत भी है। अतः ऐसे दृश्यों को निकालने के लिए अलग-अलग निर्माताओं/अधिकार-धारकों से परामर्श करने की आवश्यकता का प्रश्न नहीं उठता है।

सरकार ने कुछ समाचार पत्रों की रिपोर्ट को देखा है जिसमें कहा गया है कि "पार" फिल्म के निर्माता श्री गौतम घोष ने एक पत्रकार सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ, यह आरोप लगाया था कि दूरदर्शन ने टेलीकास्ट से पूर्व उनकी फिल्म के कुछ भागों को काट दिया था।

सीमेंट निर्माता एसोसिएशनों के अभ्यावेदन

8702. **श्री पी० एम० सईद :**

श्री वी० कृष्ण राव :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सीमेंट निर्माता एसोसिएशनों की ओर से इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण उनकी लभ प्रदता में कमी आई है;

(ख) अभ्यावेदन में किन-किन मुख्य बातों का उल्लेख किया गया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) से (ग) सीमेंट उद्योग को पेश आने वाली वित्तीय कठिनाइयों के बारे में सीमेंट निर्माता एसोसिएशन से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें निम्नलिखित मुद्दों का उल्लेख किया गया है :—

1. दुर्लभ निविष्टियों की लागत में निरन्तर वृद्धि से उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है।

2. मांग की तुलना में अत्यधिक आपूर्ति से खुले बाजार मूल्यों में निरन्तर कमी हुई है।

3. देश में सीमेंट की मांग सीमेंट उत्पादन से कम हो रही है।
यह भी उल्लेख किया गया कि सीमेंट और मूल कच्चे माल को लाने ले जाने पर होने वाले रेल भाड़े की दरों में और वृद्धि होने और उत्पाद शुल्क में वृद्धि होने के कारण स्थिति और भी नाजुक हो गई है।

एसोसिएशन ने वर्गीकरण और रेल भाड़े की दरों में वृद्धि से सीमेंट और कोयले में छूट देने, नये और पुराने एककों में समानता बनाए रखने के लिए उत्पाद शुल्क मे राहत देने, उत्पाद शुल्क में उचित छूट देने ताकि कैप्टिव डी० जी० सेटों के प्रयोग और कैप्टिव डी० जी० सेटों के आयात पर 35% की रियायती आयात शुल्क जारी रखने की भी मांग की है।

अतीत में सीमेंट उद्योग समय-समय पर अभ्यावेदन देता रहा है जिसमें बिजली, कोयला, रेल भाड़े जैसी निविष्टियों की लागत में वृद्धि, महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि इत्यादि के कारण आने वाली कठिनाइयों का विशेष उल्लेख किया गया। सीमेंट उद्योग की लाभकारिता में सुधार करने और सीमेंट उत्पादन को अधिकतम करने के उद्देश्य से सरकार सीमेन्ट उद्योग को समय-समय पर अनेक राहतें देती रही है। अब मूल्य और वितरण नियंत्रण की योजना लागू थी तब सीमेन्ट उद्योग को निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रोत्साहन और राहतें दी जाती थीं :-

(1) लेवी सीमेन्ट के संधारण मूल्य में समय-समय पर वृद्धि की गयी थी और सीमेन्ट उद्योग पर लेवी दायित्व को उत्तरोत्तर कम कर दिया गया था ताकि उत्पादन लागत में वृद्धि के लिए उद्योग प्रतिपूर्ति और इसकी लाभकारिता जैसे दोहरे उद्देश्य प्राप्त किए जा सकें।

(2) 1-1-1982 से 31-3-1986 के बीच और 1-4-1986 को अथवा इसके पश्चात् उत्पादन प्रारम्भ करने वाले नये एककों के सम्बन्ध में क्रमश: 20 रुपये प्रति मी० टन और 50 रु० प्रति मी० टन तक उत्पाद शुल्क में छूट दी जाती थी। उक्त राहत 31 मार्च, 1990 तक वैध है।

(3) सीमेन्ट उद्योग को कैप्टिव पावर जनित्रण क्षमता स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था और लेवी दायित्व को कम करके उचित राहत दी गई ताकि उच्च लागत वाले डी० जी० कैप्टिव पावर की मदद से उत्पादन लागत में होने वाली वृद्धि की प्रतिपूर्ति की जा सके।

(4) 300 मी० टन प्रति दिन क्षमता तक के लघु सीमेन्ट संयंत्रों के उत्पादन पर कोई मूल्य और वितरण नियंत्रण नहीं है, अत: इन संयंत्रो द्वारा लेवी सीमेन्ट की आपूर्ति का कोई दायित्व नहीं है।

(5) सीमेन्ट उद्योग पर उत्पाद शुल्क 1-3-1986 से 225 रुपये प्रति मी० टन से घटाकर 205 रुपये प्रति मी० टन कर दिया गया है।

(6) सीमेन्ट आयुक्त, सीमेन्ट उद्योग के कार्यालय द्वारा सीमेन्ट के उत्पादन की कड़ी निगरानी की जाती है ताकि कोयले, बिजली और वैगनों जैसी विभिन्न निविष्टियों की उपलब्धता के बारे में राज्य बिजली बोर्डों, रेल मन्त्रालय, कोयला विभाग, कोयला

संगठनों इत्यादि जैसे सम्बन्धित प्राधिकरणों के साथ सम्पर्क करके सीमेन्ट उद्योग को सहायता दी जा सके।

(7) 100% क्षमता से अधिक प्राप्त करने के लिए सीमेन्ट एककों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 100% के बाद और 125% तक के उत्पादन के लिए लेवी दायित्व में विशेष कमी की गयी है।

सरकार ने 1-3-1989 से सीमेन्ट उत्पादन के सम्बन्ध में सीमेन्ट उद्योग पर लगा मूल्य और वितरण जनियंत्रण समाप्त कर दिया गया है।

मिनी सीमेन्ट संयंत्रों की आर्थिक जीव्यता में सुधार करने के लिए वर्टीकल शाफ्त भट्टे का प्रयोग करके सीमेन्ट का उत्पादन करने वाले कारखानों जिनकी कुल लाइसेंस प्राप्त क्षमता 200 मी० टन प्रति दिन से अधिक नहीं है, के लिए 1 मार्च, 1989 से 115 रुपये प्रति मी० टन उत्पाद शुल्क की रियायती दर निर्धारित की गयी है जबकि सामान्य उत्पाद शुल्क की दर 215 रुपये प्रति मी० टन है। बाद में रोटरी भट्टे का प्रयोग करने वाले मिनी सीमेन्ट संयंत्रों जिनकी क्षमता 200 मी० टन प्रति दिन तक है, के लिए 27 अप्रैल, 1989 से रियायती दर लागू कर दी गयी है।

दूरदर्शन धारावाहिक

8703. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान दूरदर्शन द्वारा मुस्लिम, ईसाई, सिख, बुद्ध और जैन सम्प्रदायों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन से सम्बन्धित कौन-कौन से समकालीन धारावाहिक प्रसारित किए गए और धारावाहिकों का प्रसारण समय कितना था;

(ख) क्या और भी धारावाहिक विचाराधीन हैं;

(ग) क्या प्रसारित किए गए किसी धारावाहिक की भ्रामक प्रसारण अथवा सम्बन्धित समुदायों के सामाजिक मानदण्ड से हटकर प्रसारण करने के लिए आलोचना की गयी थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी अथवा करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) और (ख) दूरदर्शन द्वारा टेलीकास्ट किए जाने वाले धारावाहिक, एक राष्ट्र के रूप में भारतीय जनता के सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन को प्रतिबिम्बित करते हैं। धारावाहिकों का चयन किसी धर्म या जाति से उनके किसी सम्बन्ध के आधार पर नहीं किया जाता है। अतः, इन्हें मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, जैन आदि के रूप में वर्गीकृत करना सम्भव नहीं है।

(ग) और (घ) माननीय सदस्य ने सरकार को एक पत्र में लिखा था कि दूरदर्शन द्वारा टेलीकास्ट धारावाहिक 'कर्मभूमि' ने अन्तर-धार्मिक विवाह को बढ़ावा दिया है जिसका मुस्लिम समुदाय द्वारा सामान्यतः विरोध किया जाता है। उन्हें उत्तर दिया गया कि नीति सम्बन्धी मामले के हक में अन्तर-समुदाय भाईचारे को प्रतिबिम्बित करने वाले और राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों को टेलीकास्ट करना दूरदर्शन की सतत् प्रक्रिया है।

पेट्रोलियम परियोजनाओं के लिए कराया गया अध्ययन

8704. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ पेट्रोलियम परियोजनाओं में प्रयोजनार्थ पेट्रोलियम पदार्थों का परिष्करण संसाधन, रूपांकन और इंजीनियरिंग करने सम्बन्धी प्रक्रियाओं के बारे में कोई अध्ययन किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो अब तक किए गए अध्ययनों का ब्यौरा क्या है और इनसे इन परियोजनाओं को क्या लाभ हुआ है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) ऐसे अध्ययन समय-समय पर किए जाते हैं और ये विभिन्न नई परियोजनाओं तथा कार्यरत रिफाइन-रियों की आवश्यकता पर निर्भर करते हैं। ऐसे अध्ययनों के ब्यौरों और उनके लाभों को एकत्र करने में लगने वाले प्रयास वांछित उद्देश्य की पूर्ति के अनुरूप नहीं होंगे।

गैस पर आधारित विद्युत एककों में उत्पादन

[हिन्दी]

8705. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :**

श्री दिनेश गोस्वामी :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा निर्मित गैस पर आधारित दो विद्युत एककों, जिन्हें हाल ही में चालू किया गया था, का उत्पादन उत्तरी क्षेत्र के विद्युत बोर्डों द्वारा विद्युत लेने के लिए तैयार न होने के कारण कम कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या गैस पर आधारित संयंत्रों में विद्युत उत्पादन की लागत अपेक्षाकृत अधिक है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विद्युत उत्पादन लागत कम करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ताकि इसे विद्युत उत्पादन के अन्य स्रोतों की तुलना में व्यवहार्य बनाया जा सके ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (रा०ता०वि० नि०) द्वारा अंटा (राजस्थान) में तथा औरेया (उत्तर प्रदेश) में प्रचा-लित गैस टरबाइन यूनिटें वर्तमान में प्रायोगिक प्रचालन के अन्तर्गत है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के विद्युत केन्द्रों में उत्पादन को क्षेत्रीय विद्युत बोर्डों जो कि क्षेत्रीय विद्युत ग्रिडों में समग्र प्रचालन को समन्वित करते हैं, द्वारा विनियमित किया जाता है।

(ख) से (घ) बिजली के उत्पादन की लागत संयंत्र की किस्म, यूनिट आमाप, प्रयुक्त ईंधन का मूल्य तथा गुणवत्ता, ईंधन आपूर्ति के स्रोत के सम्बन्ध में विद्युत केन्द्र का स्थल तथा एक वर्ष में प्रचालन घंटों आदि जैसे विभिन्न घटकों पर निर्भर करती है। गैस के लिए ईंधन लागत पिट-हैड केन्द्रों

के लिए यथा लागू बराबर मूल्य कोयले की लागत से अधिक होती है। प्राकृतिक गैस का मूल्य निश्चित करने के प्रश्न की इस प्रयोजन के लिए स्थापित एक समिति द्वारा समीक्षा की जा रही है।

टेलीफोन पर बातचीत को बीच में सुना जाना

[अनुवाद]

8706. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :**

क्या संचार मंत्री संदेशों को बीच में सुने जाने के बारे में 28 मार्च, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3546 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1989 तक केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार की ओर से सर्किलवार किन-किन व्यक्तियों के टेलीफोन वार्ता को बीच में सुने जाने के आदेश दिए गए;

(ख) क्या संदेशों को बीच में सुने जाने के आदेश किसी निश्चित अवधि के लिए हैं अथवा उन पर समय-समय पर पुनः विचार किया जाता है; और

(ग) क्या वर्ष 1988-99 के दौरान किसी सक्षम अधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्तियों की सूची की जांच की गई है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है जिसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

कैम्बे बेसिन में तेल की खोज

8707. **श्रीमती बसवराजेश्वरी :**

श्री शांतिलाल पटेल :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में कैम्बे बेसिन में तेल की खोज के लिए खोदे गए एक कुएं में सोवियत विशेषज्ञों ने तेल का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सोवियत संघ ने तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को इस सम्बन्ध में कितनी सहायता प्रदान की है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) सोवियत विशेषज्ञ पाटन और संचोर के मध्य कम्भात बेसिन के उत्तरी भाग में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के साथ सम्पूर्ण कार्य आधार पर की गई संविदा के अधीन भूकंपीय सर्वेक्षण और अन्वेषण ड्रिलिंग कर रहे हैं। कम्भात बेसिन में अन्वेषण कार्य को तेज करने की दृष्टि से इनके प्रयास तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के प्रयासों के पूरक हैं। इस अन्वेषण के दौरान धरनोज-2 नामक कुएं में तेल प्राप्त होने के संकेत मिले हैं।

कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में यमन, प्रजातांत्रिक गणराज्य के साथ समझौता ज्ञापन

8708. **श्रीमती बसवराजेश्वरी :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और यमन प्रजातांत्रिक गणराज्य ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की संयुक्त रूप से खोज और प्रसंस्करण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो किए गए समझौते का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) हाइड्रोकार्बन्स इंडिया लिमिटेड और पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ यमन के उप मन्त्री (एनर्जी एण्ड मिनरल्स) के नेतृत्व वाले शिष्टमण्डल के बीच हुई बैठक के सहमत कार्यवृत्त पर हाइड्रोकार्बन्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ यमन के उप मन्त्री (एनर्जी एण्ड मिनरल्स ने हस्ताक्षर किए थे) उसमें दोनों पक्षों के बीच सहयोग के सम्भावित क्षेत्रों को निर्दिष्ट किया गया था।

विद्युत वित्त निगम

8709. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :**

क्या उद्योग मंत्री मैं यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत वित्त निगम का बांड आदि के माध्यम से धनराशि जुटाकर ऋण मंजूर करने सम्बन्धी अपनी क्षमता में वृद्धि करने का विचार है;

(ख) क्या विद्युत वित्त निगम को जन सामान्य के अंशदान के माध्यम से ऐसे बांड जारी करके धनराशि जुटाने की अनुमति दे दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) विद्युत वित्त निगम ने मार्च, 1989 के अन्त तक बंध-पत्र जारी करके 720 करोड़ रुपये एकत्र किए थे। इसमें से, निगम द्वारा 100 करोड़ रुपये 1987-88 में निजी नियोजन आधार पर तत्पश्चात, जनसाधारण को विक्रय हेतु एक प्रस्ताव द्वारा एकत्र किए गए थे। निगम को दिसम्बर, 1989 तक जनसाधारण को बंध-पत्र जारी करके 50 करोड़ रुपये एकत्र करने की अनुमति दी गई है।

असम में सरकारी क्षेत्र के उद्योग

8710. **श्री मुहेश्वर तांती :**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सातवीं योजना अवधि के दौरान असम में सरकारी क्षेत्र में कितने उद्योग स्थापित किए जाने का लक्ष्य निश्चित किया गया था और वास्तव में अब तक कितने उद्योगों की स्थापना की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में केन्द्रीय सरकारी

क्षेत्र का कोई उद्यम, जिसका पंजीकृत कार्यालय असम राज्य में स्थित हो, स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, राज्य में मौजूदा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में केन्द्रीय औद्योगिक तथा खनिज क्षेत्र में चालू और नई योजनाओं के लिए योजना में 349.93 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सीधी भर्ती

8711. श्री सैयद शाहबुद्दीन :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के सभी उपक्रमों में अपने कार्यकारी, प्रबन्धकीय और तकनीकी संवर्गों की स्थापना की गई है;

(ख) क्या इन संवर्गों में सीधी भर्ती के लिए एक समान योजना प्रारम्भ करने के लिए कोई सामान्य दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या भर्ती योजना में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार तथा/अथवा व्यक्तित्व परीक्षा शामिल होती है; और

(घ) लिखित परीक्षा और साक्षात्कार तथा/अथवा व्यक्तित्व परीक्षा को सापेक्ष रूप से कितना महत्व दिया जाता है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० बेंगल राव) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधक अपने निगमों में निदेशक मण्डल स्तरीय पदों से निचले स्तर के सभी पदों पर भरती करने के तथा इस सम्बन्ध में अपनी निजी योजनाएं स्थापित करने के लिए सक्षम हैं। सरकार का सम्बन्ध केवल निदेशक मण्डल स्तरीय पदों पर भरती करने से है। निदेशक मण्डल स्तरीय पद पदावधि पद हैं और उन पर नियुक्तियां निर्धारित अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर की जाती हैं, जहां तक निदेशक मण्डल स्तरीय पदों से निचले स्तर के पदों पर सीधी भरती का सम्बन्ध है, कोई एक समान योजना लागू नहीं की गई है क्योंकि इन पदों पर भरती करने का काम प्रबन्धकों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

केरल में एम० ए० एक्स०-II टाइप के एक्सचेंजों की स्थापना

8712. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में जिला-वार कितने एम०ए०एक्स०-II टाइप के टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या केरल में वर्ष 1989-90 के दौरान एम०ए०एक्स०-II टाइप के कुछ और एक्सचेंज स्थापित किए जायेंगे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) केरल में प्रमुख तीन सबसे बड़े टेलीफोन एक्सचेंजों के नाम क्या हैं; और

(ङ) उनकी क्षमता का ब्योरा क्या है, इन एक्सचेंजों द्वारा कितने कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं और 31 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार इन एक्सचेंजों में नए कनेक्शनों के लिए कितने आवेदन-पत्र लम्बित पड़े हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) केरल में एम०ए०एक्स०-II-किस्म के चालू एक्सचेंजों की जिलावार संख्या इस प्रकार है :—

त्रिवेन्द्रम-9, क्विलोन-12, पटनमथिट्टा-7, अल्लेप्पी-9, कोट्टायम-20, इड्डिकी-4, एर्नाकुलम-17, त्रिचूर-20, पालघाट-9, मालापुरम-15, कालीकट-8, विनाड-4, कन्नानूर-10, कासरगाड-8।

(ख) 1989-90 के दौरान 19 अतिरिक्त एम० ए० एक्स०-II एक्सचेंज खोलने की सम्भावना है।

(ग) विवरण नीचे दिया गया है :

त्रिवेन्द्रम-1, क्विलोन-1, पटनमथिट्टा-1, अल्लेप्पी-1, कोट्टायम-2, इड्डिक्की-2, एर्नाकुलम-1, त्रिचूर-1, पालघाट-2, मालापुरम-2, कालीकट-2 और कन्नानूर-3

(घ) केरल में सर्वाधिक टेलीफोन प्रणालियां—एर्नाकुलम, त्रिवेन्द्रम और कालीकट में हैं।

(ङ) 31-3-89 की स्थिति के अनुसार सज्जित क्षमता/चालू कनेक्शन/प्रतीक्षा सूची नीचे दी गई है :

स्टेशन	क्षमता	चालू कनेक्शन	प्रतीक्षा सूची
एर्नाकुलम	.8,174	26,204	10,475
त्रिवेन्द्रम	21,500	20,486	9,479
कालीकट	17,700	14,208	4,367

कालीकट और मंगलौर बरास्ता कण्णनौर के बीच माइक्रोवेव सम्पर्क

8713. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट से मंगलौर तक, बरास्ता कण्णनौर, माइक्रोवेव सम्पर्क स्थापित करने का कार्य शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो कालीकट और कण्णनौर के बीच उक्त सम्पर्क कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) इस सम्पर्क से भविष्य में क्या फायदा होने की सम्भावना है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं। ऐसी कोई योजना नहीं है। फिर भी, कालीकट और कन्नानूर के बीच एक 7 जी०एच० ग्रेड 34 एम०बी०/एस० डिजीटल माइक्रोवेव प्रणाली द्वारा मौजूदा नैरो बैंड एनालॉग माइक्रोवेव लिंक को बदलने की योजनाएं हैं।

उपस्कर आयात करने के आदेश दे दिए गए हैं।

(ख) वर्ष 1989-90 के अन्त तक उपस्कर प्राप्त हो जाने की संभावना है तथा कालीकट-कन्नानूर के बीच मौजूदा एनालाग लिंक को बदलने का कार्य वर्ष 1990-91 के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है।

(ग) डिजीटल माइक्रोवेव लिंक से उच्च श्रेणी के विश्वसनीय सर्किट प्रदान किए जाने की सम्भावना है और इस प्रणाली में और विस्तार करने की योग्यता है।

खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को शामिल करना

[हिन्दी]

8714. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

श्री दिनेश गोस्वामी :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए कोई व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) खाद्य संसाधन उद्योग खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत पहले ही सम्मिलित कर लिए गए हैं। इनमें अनाज तथा दालों का संसाधन, खजूर गुड़, गुड़ तथा खांडसारी का संसाधन एवं फल तथा सब्जियों का संसाधन और संरक्षण सम्मिलित है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

रसोई गैस का उत्पादन और खपत

8715. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

श्री दिनेश गोस्वामी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान रसोई गैस का कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ, इसकी कितनी खपत हुई तथा कितनी मात्रा में इसका आयात किया गया; और

(ख) वर्तमान तथा भविष्य में रसोई गैस की मांग को पूरा करने के लिए इसका देश में उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ताकि इसका आयात करने की आवश्यकता न पड़े ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) 1988-89 में

किया गया एल०पी०जी० का उत्पादन, खपत और आयात क्रमशः लगभग 1751.40 हजार टन, 1980.0 हजार टन और 240.50 हजार टन है।

(ख) नई रिफाइनरियों/विखंडन संयंत्रों की स्थापना होने से तथा वर्तमान में कुछ रिफाइनरियों के विस्तरण और अन्य कारणों से आगामी वर्षों में स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि होने की सम्भावना है।

अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ विदेशी दौरों पर जाने वाले पत्रकार

[अनुवाद]

8716. **श्री सी० जंगा रेड्डी :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री 15 नवम्बर, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 501 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मन्त्री के साथ पिछले तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विदेश दौरों पर उनके साथ जाने वाले पत्रकारों के नामों का यात्रा-वार तथा समाचार पत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) राष्ट्रपति/उप राष्ट्रपति के साथ उक्त अवधि के दौरान विदेश दौरों पर उनके साथ जाने वाले पत्रकारों के (तथा उनके समाचारपत्रों के) नामों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन दो मामलों में पत्रकारों के चयन के लिए अपनाये गए मार्गनिर्देशों में अन्तर था और यदि हां, तो किस-किस विषय के सम्बन्ध में यह अन्तर था ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे यथा समय सभा पटल पर रखा जायेगा।

क्वास, दुलहस्ती और रिहांद विद्युत परियोजनाओं के लिए विदेशों से कथित मूल्य (कोटेशन) मांगना

8717. **श्री सी० जंगा रेड्डी :**

डा० ए० के० पटेल :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्वास, दुलहस्ती और रिहांद विद्युत परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए विदेशी फर्मों से कथित मूल्य (कोटेशन) मंगाये गये थे;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और प्रारम्भिक राशि तथा पुनः उद्धृत की गई राशि कितनी-कितनी थी तथा प्रत्येक मामले में पृथक-पृथक निकटतम बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत राशि की तुलना में इनकी स्थिति क्या है;

(ग) पुनः उद्धृत किये गये मूल्य में वृद्धि होने तथा विनिमय दर में अन्तर होने के कारण प्रत्येक मामले में अनुमानतः कितना घाटा हुआ तथा राजस्व की कितनी हानि हुई; और

(घ) ऐसी हानियों से बचने के लिए विशेषरूप से विद्युत परियोजनाओं के मामलों में मूल्यों के

पुन: उद्धरण से बचने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) कवास गैस आधारित परियोजना के लिए रा०ता०वि० निगम द्वारा बोली आमन्त्रित की गई थी और रिहन्द सु०ता०वि० परियोजना चरण-दो के लिए बोली पुन: आमन्त्रित नहीं की गई थी। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना के लिए बोली में भाग लेने वाली दोनों पार्टियों ने संशोधित मूल्य बोली प्रस्तुत कर दी है।

(ख) कवास परियोजना के लिए मूल जांच आदेश को उस समय चुनी गई पार्टी द्वारा अस्वीकार शर्तों और अन्य कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका। दुलहस्ती परियोजना के ठेके को फ्रेंच सहायता संघ के साथ अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका जिन्होंने संशोधित मूल्य बोली भी प्रस्तुत की है। संशोधित मूल्यों की जांच की जा रही है।

(ग) और (घ) मूल्यों को अन्तिम रूप देने के पश्चात ही मूल्य बोलियों में परिवर्तन के प्रभावों के बारे में भी पता लग सकेगा। सामान्यतया ठेके मूल प्रस्तावों के आधार पर ही दिये जाते हैं केवल कुछ मामलों में अपवादस्वरूप ही संशोधित प्रस्तावों पर विचार किया जाना अपेक्षित होता है।

उत्तर प्रदेश में बागेश्वर टेलीफोन एक्सचेंज का आधुनिकीकरण

[हिन्दी]

8718. **श्री हरीश रावत** :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में बागेश्वर टेलीफोन एक्सचेंज को आधुनिक बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगों) : (क) स्विचिंग उपस्कर की कमी होने के कारण मौजूदा सी०बी०एन०एम० एक्सचेंज को बदलने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) इस पर आठवीं योजना के दौरान विचार किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ जिलों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलना

8719. **श्री हरीश रावत** :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ सार्वजनिक टेलीफोन खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष इन जिलों में कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोले जाएंगे;

(ग) क्या सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने सम्बन्धी स्थानों के बारे में भी निर्णय ले लिया

गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां।

(ख) इन दो जिलों में खोले जाने वाले प्रस्तावित सार्वजनिक टेलीफोन घरों की संख्या निम्नलिखित है :

जिला	1989-90
अल्मोड़ा	1
पिथौरागढ़	8

आठवीं योजना के लिए प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में शाखा डाकघर और उप डाकघर खोलना

8720. श्री हरीश रावत :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ और शाखा डाकघर और उप डाकघर खोलने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक जिले में किन-किन स्थानों पर प्रत्येक वर्ष शाखा तथा उप डाकघर खोले जायेंगे ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) वर्ष 1989-90 के दौरान अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में नए शाखा डाकघर खोले जा सकते हैं। इन नामों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। फिलहाल दोनों जिलों में नए उप डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

1990-91 के सम्बन्ध में स्थिति का पता आठवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देने के बाद ही लगाया जाएगा।

खजूर-गुड़ उत्पादन उद्योग

[अनुवाद]

8721. श्री एन० डेनिस :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का खजूर-गुड़ उत्पादन उद्योग को, जिसकी स्थिति बिगड़ती जा रही है, पुनः

सक्षम बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग और राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड देश में खजूर गुड़ उद्योग के विकास के लिए सभी सम्भव उपाय कर रहे हैं। इस दिशा में किये गये प्रयासों में खजूर गुड़ प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण उप उत्पादों का विकास, उद्योग की आर्थिक जीव्यता के लिए उत्पादों का दिशान्तरण और बिना छिदे खजूर वृक्षों का उपयोग शामिल है। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने खजूर गुड़ उद्योग में लगे कारीगरों तथा सहकारी समितियों को कारगर तथा समय पर सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मदुरई में खजूर-गुड़ उद्योग का एक क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थापित किया है। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा खजूर-गुड़ उद्योग के विकास के लिए अनुसंधान कार्यक्रम चलाने के लिए मद्रास में एक केन्द्रीय खजूर-गुड़ अनुसंधान संस्थान भी स्थापित किया गया है। खजूर-गुड़ उद्योग द्वारा वर्षों से की गई प्रगति नीचे तालिका में दी गई है :—

वर्ष	उत्पादन (रु० करोड़ में)	बिक्री (रु० करोड़ में)	रोजगार (व्यक्ति लाख में)
1983-84	31.90	38.73	5.27
1984-85	40.55	49.55	6.25
1985-86	45.42	53.97	6.40
1986-87	57.10	68.04	6.65
1987-88	74.03	84.18	6.88

तत्काल टेलीफोन योजना

8722. **श्री हुसैन दलवाई** :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तत्काल योजना के अंतर्गत बम्बई नगर में मात्र 50,000 रु० का भुगतान करके कनेक्शन मांगने पर टेलीफोन कनेक्शन देने की व्यवस्था की गई थी;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988-89 के दौरान उक्त योजना के अन्तर्गत कितने टेलीफोन कनेक्शन दिये गये; और

(ग) क्या वर्ष 1989-90 में इस योजना के अन्तर्गत जमा की जाने वाली राशि को कम करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) "तत्काल योजना" के अधीन टेलीफोन कनेक्शन बम्बई नगर सहित देश में, यदि सम्भव हो तो, दो सप्ताह के भीतर 30,000 रु० के भुगतान पर प्रदान किए जाते हैं।

(ख) 1988-89 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत बम्बई में 696 टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए थे।

(ग) जी, नहीं।

दिल्ली में ताप विद्युत केन्द्रों से ध्वनि प्रदूषण

8723. श्री हुसैन दलवाई :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के दो ताप विद्युत केन्द्रों से बहुत अधिक ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है;

(ख) क्या "लोड शेडिंग" के कारण रात्रि में इन दोनों विद्युत केन्द्रों से दिन का बजाय रात को अधिक ध्वनि प्रदूषण फैलता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए क्या उपाय कर रही है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निकाले गये आंकड़े से संकेत मिलता है कि इन्द्रप्रस्थ विद्युत केन्द्र पर 100—110 डेसीबल (क) के स्तर का शोर होता है जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को स्वीकार्य 90 डेसीबल (क) (8 घंटे औसत) के स्तर से थोड़ा सा ऊंचा है। बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र के बारे में अभी तक कोई आंकड़ा नहीं निकाला गया है।

(ख) रात्रि के समय, शोर का स्तर और अधिक महसूस होता है क्योंकि उस समय यातायात का शोर स्तर कम रहता है।

(ग) केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड ने ताप विद्युत संयंत्रों सहित औद्योगिक प्रचालनों से होने वाले शोर के लिए मानक निर्धारित करने के लिए एक समिति गठित की है। निर्धारित मानक की अनुपालना वायु (प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण) एक्ट, 1981 जैसा कि 1987 में संशोधित किया गया था के प्रावधानों के माध्यम से की जायेगी।

कोयले पर आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्रों द्वारा ध्वनि प्रदूषण

8724. श्री हुसैन दलवाई :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले पर आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्रों से अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण होता है;

(ख) क्या गैस पर आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्रों से बहुत कम ध्वनि प्रदूषण होता है;

(ग) क्या सरकार का विचार बड़े नगरों में कोयले पर आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्रों के स्थान पर गैस पर आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख)

कोयले पर आधारित तथा गैस पर आधारित विद्युत केन्द्रों से शोर का स्तर प्रायः निर्धारित स्वीकार्य सीमाओं और अभिकल्प चरण पर ही विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर होता है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

अतिरिक्त पन-बिजली उत्पादन क्षमता

8725. **श्रीमती बसवराजेश्वरी :**

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने आठवीं योजना अवधि के दौरान पन-बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) आठवीं योजना में पन-बिजली उत्पादन क्षमता का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग 38000 मे०वा० की उत्पादन क्षमता, जिसमें से लगभग 8000 मे०वा० जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों से होगी, के संवर्द्धन की अन्तरिम रूप में परिकल्पना की गई है।

पेट्रो-रसायन इंटरमिडिएट्स निर्माण करने वाले संयंत्रों का न्यूनतम अर्थक्षम उत्पादन स्तर

8726. **श्रीमती बसवराजेश्वरी :**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेट्रो रसायन इंटरमिडिएट्स निर्माण करने वाले संयंत्रों के न्यूनतम अर्थक्षम उत्पादन स्तर में पर्याप्त वृद्धि करने के बारे में मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति ने अन्य क्या सिफारिशें की हैं;

(ग) इनमें से कितनी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं; और

(घ) इन सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (घ) पेट्रो रसायन क्षेत्र में कार्य संचालन के न्यूनतम आर्थिक आकारों की योजना के पुनरीक्षण हेतु श्री जे० जे० मेहता, भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, आई० डी० सी० एल० की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है।

आठवीं योजनावधि के दौरान प्राकृतिक गैस का उत्पादन

8727. **श्रीमती किशोरी सिंह :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं योजनावधि के दौरान प्राकृतिक गैस के उत्पादन में वृद्धि करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस गैस के समुचित और मितव्ययी उपयोग की योजनाएं तैयार की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (घ) यह पूर्वानुमान लगाया गया है कि आठवीं योजना की अवधि के दौरान प्राकृतिक गैस के उत्पादन में वृद्धि होगी, खपत की मात्रा की योजना के ब्यौरे को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

तेल और गैस क्षेत्र के लिए होल्डिंग कम्पनी

8728. **श्रीमती किशोरी सिंह :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल शोधक कारखानों और पेट्रो-रसायन एककों सहित समूचे तेल और गैस क्षेत्र के प्रबन्ध के लिए एक होल्डिंग कम्पनी बनाये जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त): (क) जी, नहीं

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

डी०एम०टी०/पी०टी०ए० के मूल्यों में वृद्धि

8729. **श्रीमती किशोरी सिंह :**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी०एम०टी०/पी०टी०ए० के प्रयोक्ताओं ने इनके मूल्यों में अचानक वृद्धि होने की शिकायतें की हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इनके उत्पादन और खपत में संतुलन लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) उनके क्या परिणाम निकले ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) डी०एम०टी० और पी०टी०ए० पालियस्टर के निर्माण के लिए वैकल्पिक कच्चे माल हैं। पालियस्टर उद्योग की मांग को पूरी तरह से पूरा करने के लिए डी०एम०टी० की घरेलू उपलब्धता इस समय अपर्याप्त है। पालियस्टर के निर्माताओं को अपने उत्पादन को अधिक से अधिक स्वदेशी कच्चे माल पर आधारित करने के लिए समय-समय पर सलाह दी जाती रही है ताकि इन कच्चे मालों के कुल आयात को न्यूनतम स्तर तर रखा जा सके।

समस्या के दीर्घकालीन समाधान द्वारा डी०एम०टी और पी०टी०ए० के निर्माण के लिए अतिरिक्त क्षमताएं स्वीकृत की गई हैं ।

बिहार में बैजनाथपुर पेपर मिल का निर्माण

[हिन्दी]

8730. **श्री चन्द्र किशोर पाठक :**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के सहरसा जिले में बैजनाथ पेपर मिल के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस कब मंजूर किया गया था;

(ख) क्या इस मिल का निर्माण पूरा हो गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) यह कब तक पूरा किया जाएगा; और

(ङ) क्या इस परियोजना का निर्णय केन्द्रीय सरकार के सहयोग से किया जा रहा है?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) बिहार के सहरसा जिले में एक नया औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम को 10-2-1981 को एक औद्योगिक लाइसेंस जारी किया गया था।

(ख) से (घ) बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम से उपलब्ध सूचना के अनुसार परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति इस प्रकार है :—

(1) 48 एकड़ जमीन : अधिग्रहित कर ली गई है, कुछ सिविल कार्य पूरा हो गया है और शेष सिविल कार्य चल रहा है। कई उपकरणों के लिए क्रयादेश भी दिए गए हैं तथा कुछ उपकरणों के लिए निविदाएं प्राप्त हुई हैं एवं क्रियादेश को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(2) विभिन्न कार्यकलापों को पूरा करने में अभी तक 395 लाख रु० की राशि खर्च की जा चुकी है।

(3) संशोधित समय सारणी के अनुसार परियोजना के दिसम्बर, 1989 तक चालू हो जाने की आशा है ।

(ङ) यह परियोजना बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही है जो राज्य सरकार का एक उपक्रम है। केन्द्र सरकार इस परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित नहीं है।

फरीदाबाद में गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र

[अनुवाद]

8731. श्री बनवारी लाल पुरोहित :

प्रो० रामकृष्ण मोरे :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी क्षेत्र में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का विचार फरीदाबाद जिले में गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या परियोजना की ईंधन संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए सरकार का विचार संयंत्र स्थल तक एच०बी०जे० पाइप लाइन की एक शाखा (ब्रांच) लाइन बिछाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा और इससे उत्तरी क्षेत्र की बिजली की कमी किस हद तक पूरी हो जाएगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) जनवरी, 1989 में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (रा०ता०वि०नि०) द्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के०वि०प्रा०) को फरीदाबाद में एक गैस पर आधारित संयुक्त साइकल विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए एक व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इस समय, फरीदाबाद तक पाइप लाइन बिछाने के लिए कोई भी अनुमोदित प्रस्ताव नहीं है।

प्रस्तावित परियोजना (600 मेगावाट) को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में ब्यौरों का के०वि०प्रा० द्वारा स्कीम का मूल्यांकन करने के पश्चात् तथा इस स्कीम के सम्बन्ध में निवेश संबंधी निर्णय लिए जाने के पश्चात् ही पता चलेगा।

महाराष्ट्र में माजलगांव पन-बिजली परियोजना को स्वीकृति

8732. श्री बनवारी लाल पुरोहित :

प्रो० रामकृष्ण मोरे :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में माजलगांव पन-बिजली परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस पन-बिजली परियोजना में उत्पादन कब तक हो जाएगा;

(ग) इस परियोजना द्वारा कितनी बिजली का उत्पादन किया जाएगा; और

(घ) इस परियोजना से महाराष्ट्र में बिजली की कितनी कमी को पूरा किया जा सकेगा ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) महाराष्ट्र की

मजलगांव जल विद्युत परियोजना (3 × 750 कि०वा०) को योजना आयोग द्वारा 31 मार्च, 1989 को 488.60 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर स्वीकृत किया गया है।

(ख) योजना आयोग ने इसे महाराष्ट्र की 7वीं पंचवर्षीय योजना (1985—90) में सम्मिलित करने के लिये स्वीकृति दे दी है।

(ग) इस परियोजना के पूर्ण हो जाने पर 8.782 मिलियन यूनिट वार्षिक ऊर्जा उत्पादन प्राप्त होगा।

कोल इण्डिया लि० की सहायक कंपनियों द्वारा भुगतान

8733. डा० मनोज पांडे :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० की सहायक कंपनियों ने बंगलौर में प्राकृतिक आपदाओं के लिये भारी धनराशि का भुगतान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त भुगतान की स्वीकृति सहायक कंपनियों के निदेशक मंडल से प्राप्त की गई थी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (घ) कोल इंडिया की सहायक कंपनियों ने परम्परा के अनुरूप प्राकृतिक आपत्तियों से प्रभावित हुए व्यक्तियों के लिये राहत उपायों के माध्यम से सहायता देने के लिये वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० ने बंगलौर शहर में हुई भारी वर्षा से प्रभावित परिवारों को तत्काल खर्च करने के लिए आरम्भिक रूप में कुछ राशि उपलब्ध कराई। चूंकि कंपनियों द्वारा दी गई अग्रिम की राशि बाढ़ और भूकम्प पीड़ित व्यक्तियों को सहायता देने के लिए कर्मचारियों से अंतिम रूप में वसूली योग्य है और उक्त राशि कंपनियों द्वारा दिया गया अभिदान नहीं है, अत: कंपनियों के निदेशक बोर्डों से इसकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक नहीं था।

हैदराबाद के दूरदर्शन केन्द्र से कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमों के प्रसारण का समय

8734. श्री बी० बी० रमैया :

श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन केन्द्र, हैदराबाद प्रसारण से कृषि संबंधी कार्यक्रमों का सायंकाल प्रसारण किस समय किया जाता है;

(ख) क्या बम्बई और दिल्ली के दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा किये जा रहे प्रसारण की भांति इस

कार्यक्रम को किसानों के लाभ के लिए 7.30 बजे सायं से 8 बजे सायं प्रसारित करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) दूरदर्शन केन्द्र, हैदराबाद से 6.30 बजे सायं से 7.00 बजे सायं के दौरान कृषि कार्यक्रम टेलीकास्ट किये जाते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) 7.30 बजे सायं और 8.00 बजे सायं के बीच के समय स्लाट, क्षेत्रीय समाचार बुलेटिनों तथा किसानों सहित सामान्य दर्शकों की रुचि सम्बन्धी अन्य कार्यक्रमों के लिये आरक्षित होता है।

डाक और तार भेजने में विलम्ब

[हिन्दी]

8735. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** :

श्री आर० एम० भोये :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कभी-कभी तार डाक द्वारा भेजे जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे मामलों में तार भेजने वाले का तार प्रभार वापस दे दिया जाता है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या देश के दूरस्थ पर्वतीय और मरुस्थली क्षेत्रों में डाक वितरण में अत्यधिक विलम्ब होता है; और

(ङ) यदि हां, तो विलम्ब को कम करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) तारों को यदा-कदा ही डाक द्वारा भेजा जाता है उदाहरण के लिये अपवादस्वरूप कर्मचारियों की अत्यधिक कमी होने अथवा दूर-संचार प्रणाली में कोई बड़ी खराबी उत्पन्न हो जाने के कारण।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में खादी ग्रामोद्योग आयोग के कार्यकलाप

[अनुवाद]

8736. श्री अब्दुल हमीद :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग का पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपने कार्यकलाप बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी विस्तृत रूपरेखा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) इस समय पूर्वोत्तर क्षेत्र में खादी तथा ग्रामोद्योग के कार्यकलापों का कार्यान्वयन 5 राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्डों, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग से सीधे सहायता प्राप्त 46 पंजीकृत संस्थानों एवं सहकारी समितियों के जरिये किया जा रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में संस्थागत संगठनात्मक ढांचे को सुदृढ़ करके भिन्न-भिन्न औद्योगिक विषयों में प्रशिक्षण सुविधाओं में सुधार करके, अधिक विभागीय एकक खोलकर और उदारीकृत सहायता पैटर्न का विस्तार करके खादी तथा ग्रामोद्योग के कार्य-संचालन को बढ़ाने का प्रस्ताव है ताकि खादी तथा ग्रामोद्योग कार्यक्रमों से इस क्षेत्र के काफी लोगों को लाभ मिल सके। इस क्षेत्र के लिये 7वीं योजना के प्रथम तीन वर्षों की अवधि के लिये दी गई वित्तीय सहायता की राशि क्रमश: 231.19 लाख रु०, 229.62 लाख रु० और 362.09 लाख रु० है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में खादी तथा ग्रामोद्योग कार्यक्रमों के विस्तार की दिशा में किये जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप छठी योजना के अंत तक प्राप्त 25.79 करोड़ रु० के उत्पादन की तुलना में 7वीं योजना के अन्त तक उत्पादन स्तर बढ़कर 55.50 करोड़ रु० हो जायेगी। तदनुरूप रोजगार का स्तर 1.50 लाख व्यक्तियों से बढ़कर 2.05 लाख व्यक्तियों तक हो जायेगा।

असम में डाक तथा दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों को आवास सुविधा

8737. श्री अब्दुल हमीद :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में डाक तथा दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों को आवास सुविधा उपलब्ध है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1987-88 तक 1988-89 में कितने कर्मचारियों को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) 1987-88 और 1988-89 के दौरान डाक विभाग के जिन कर्मचारियों को यह सुविधा प्रदान की गई है उनकी संख्या क्रमश: 386 और 407 है। जहां तक दूरसंचार विभाग का संबंध है, 1987-88 में 22 कर्मचारियों को और 1988-89 के दौरान 60 कर्मचारियों को आवासीय सुविधा प्रदान की गई।

असम में धुबरी तथा गोलपाड़ा टेलीफोन एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण

8738. **श्री अब्दुल हमीद :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में धुबरी तथा गोलपाड़ा टेलीफोन एक्सचेंजों को आधुनिक करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा; और

(ग) क्या ये एक्सचेंज एस० टी० डी० की सुविधा उपलब्ध कराएंगे ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) उपस्कर उपलब्ध होने पर, मार्च, 1990 तक ग्वालपाड़ा एक्सचेंज को आधुनिक बनाने का प्रस्ताव है।

(ग) धुबरी में एस० टी० डी० सुविधा पहले से ही उपलब्ध है और ग्वालपाड़ा में 1989-90 के दौरान स्वचलीकरण करने के बाद एस० टी० डी० सुविधा प्रदान की जाएगी।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को हुआ घाटा

8739. **डा० बी० एल० शैलेश :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 2 अप्रैल, 1989 के "बिजिनस स्टैंडर्ड" कलकत्ता में "डिसरप्शन आफ आउटपुट प्लान कोस्ट्स ओ० एन० जी० सी० 15,000 डालर ए डे" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) परियोजना को चालू करने में हुए विलम्ब के कारण तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को कितना वित्तीय भार वहन करना पड़ा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) सेटेलाइट फील्ड-डी-18 के लिए प्रस्तावित शीघ्र उत्पादन प्रणाली के सम्बन्ध में एक को दूसरे के साथ जोड़ने हेतु कूप प्रवाह लाइनें बिछाने के लिए जून, 1988 में दिए गए विश्वव्यापी टेंडर के प्रति तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा चयनित मैसर्स कामेकस फ्रांस नामक ठेकेदार के छोड़कर चले जाने के कारण तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को इस टेंडर में अन्य बोली दाताओं से काम को पूरा कराने के लिए वार्ता करनी पड़ी। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के इस कार्य को कराने के लिए 4.650 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य पर चयनित नई पार्टी को ठेका देने के प्रस्ताव को सरकार ने अनुमोदित कर दिया है।

(ग) इस परियोजना के देरी से चालू होने के कारण कच्चे तेल के उत्पादन में हानि होने की सम्भावना नहीं है। ऐसा उत्पादन विलम्ब से हो सकता है।

इलेक्ट्रानिक टेलेक्स एक्सचेंजों की स्थापना

8740. श्री जगन्नाथ पटनायक :

श्री आर० एम० भोये :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में इलेक्ट्रानिक टेलेक्स एक्सचेंजों की स्थापना के लिए एक व्यापक कार्यक्रम आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने इलेक्ट्रानिक टेलेक्स एक्सचेंज चालू किए गए हैं;

(ग) उनमें से कितने एक्सचेंजवार 1987-88 और 1988-89 के दौरान चालू किए गए; और

(घ) वर्ष 1989-90 के दौरान ऐसे कितने इलेक्ट्रानिक टेलेक्स टेलीफोन एक्सचेंज चालू करने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) अब तक 82 इलेक्ट्रानिक टेलेक्स एक्सचेंज चालू किए जा चुके हैं।

(ग) ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

1987-88	—	22
1988-89	—	47

(घ) वर्ष 1989-90 के दौरान 54 इलेक्ट्रानिक टेलेक्स एक्सचेंज चालू किए जाने का प्रस्ताव है।

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा स्थापित उद्योग

8741. श्री जगन्नाथ पटनायक :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजनावधि के दौरान खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अब तक स्थापित किये गये उद्योगों का ब्यौरा क्या है और इनसे कितने व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हुआ; और

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिये क्या-क्या प्रस्ताव विचाराधीन हैं और इनसे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के कितने अवसर उपलब्ध होंगे ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जुलाई, 1987 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम में संशोधन किये जाने से पहले, खादी के अलावा 26 ग्रामोद्योग खादी और ग्रामोद्योग अधिनियम के अधीन सहायता पाने के पात्र थे। संशोधित खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम के अधीन ग्रामोद्योगों की पुनर्परिभाषा के परिणामस्वरूप 34 नये उद्योगों को पहले से ही खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अधिकार क्षेत्र के अधीन लाया जा चुका है।

ग्रामोद्योग की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र के अधीन सृजित रोजगार के वर्षवार ब्यौरे इस प्रकार हैं : -

रोजगार (लाख व्यक्ति)

वर्ष	खादी	ग्रामोद्योग	योग
1985-86	13.47	25.61	39.08
1986-87	13.88	26.82	40.70
1987-88	14.14	27.66	41.80
1988-89 (लक्ष्य)	14.71	28.79	43.50

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग द्वारा गठित खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र संबंधी कार्य दल को अपनी रिपोर्ट को अभी अन्तिम रूप देना है।

विवरण

खादी और ग्रामोद्योग अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट विद्यमान
26 ग्रामोद्योगों की सूची

1. मधुमक्खी पालन।
2. कुटीर माचिस उद्योग, आतिशबाजी और अगरबत्तियों का उत्पादन।
3. कुटीर मृत्तिका भाण्ड उद्योग।
4. कुटीर साबुन उद्योग।
5. खालों और चमों को उधेड़ना परिस्करण, कमाना तथा इससे संबंधित सहायक उद्योग एवं कुटीर चमड़ा उद्योग।
6. घानी तेल उद्योग।
7. हस्तनिर्मित कागज।
8. गन्ने से गुड़ और खण्डसारी बनाना।
9. ताड़ से गुड़ बनाना और अन्य ताड़ उत्पादन उद्योग।
10. खाद्यान्नों, दालों, मसालों, अचारों, मसालों इत्यादि का प्रसंस्करण, पैकिंग और विपणन।
11. गाय के गोबर और अन्य रद्दी उत्पादों (जैसे मरे हुए जानवरों का मांस, गोबर खाद इत्यादि) से खाद और मैथेन गैस बनाना और उपयोग करना।

12. चूने का पत्थर, चूना पट्टिका तथा चूने के अन्य उत्पादों के उद्योग।

13. लाख विनिर्माण।

14. औषधीय कार्यों के लिए वन्य पौधों व फलों का एकत्रीकरण।

15. आचार सहित फल तथा वनस्पति प्रसंस्करण परिरक्षण और डिब्बाबंदी।

16. बांस तथा बेंत कार्य।

17. लोहारी।

18. बढ़ईगिरी।

19. कयर के अलावा फाइबर।

20. एल्युमिनियम से घरेलू बर्तनों का विनिर्माण।

21. कत्था विनिर्माण।

22. गोंद शल का विनिर्माण।

23. लोक वस्त्र कपड़े का विनिर्माण।

24. 'पोली वस्त्र' जिसका अर्थ है कि कोई भी वह कपड़ा जिसे भारत में हथकरघे पर बुना गया है और जिसके धागे की कताई भारत में हाथ से की गई हो और यह धागा मानव निर्मित फाइबर और सूत, रेशम या ऊन अथवा इनमें से किन्हीं दो के या इन सबके मिश्रण से बना हो या जिसका धागा भारत में हाथ से कते हुए मानव निर्मित फाइबर धागे और भारत में हाथ से कते हुए सूती, रेशमी या ऊनी धागों या इनमें से किन्हीं दो के अथवा सभी धागों के मिश्रण से बना हो।

25. मक्का और मोटे अनाज का प्रसंस्करण।

26. रबड़ की वस्तुओं (डिम्पड लेटेक्स प्रोडक्ट्स) का विनिर्माण।

1988-89 के दौरान अनुसूची में जोड़े गए 34 नए ग्रामोद्योगों की सूची

समूह 1 खनिज आधारित उद्योग

1. मन्दिरों और भवनों के लिए पत्थर की कटाई, पिसाई, नक्काशी और उत्कीर्णन।

2. पत्थर से बनाई गई उपयोगी वस्तुएं।

समूह 2 वन आधारित उद्योग

3. कागज के कप, प्लेट, थैले तथा अन्य कागज कन्टेनरों का विनिर्माण।

4. कागज से बनाई गई अन्य सभी लेखन सामग्री सहित अभ्यास पुस्तिकाओं का निर्माण, जिल्दसाजी, लिफाफा बनाना, रजिस्टर बनाना।

5. खस टट्टी तथा झाड़ू निर्माण।

6. वन उत्पाद का संचय, संसाधन तथा पैकिंग।

7. फोटो फ्रेम बनाना।

समूह 3 कृषि आधारित तथा खाद्य उद्योग

8. पिथ कार्य, पिथ, चटाई तथा माला इत्यादि का विनिर्माण।

9. काजू संसाधन।

10. पत्ते से कप बनाना।

समूह 4 पोलिमर तथा रसायन आधारित उद्योग

11. रेक्सिन, पी० वी० सी० इत्यादि से उत्पाद।

12. हाथी दांत उत्पादों सहित सींग तथा हड्डी।

13. मोमबत्ती, कपूर तथा सील करने हेतु मोम बनाना।

समूह 5 इंजीनियरी तथा गैर-परम्परागत ऊर्जा

14. पेपर पिनों, क्लिपों, सुरक्षा पिनों, स्टोव पिनों आदि का विनिर्माण।

15. सजावटी बल्बों, बोतलों, ग्लास इत्यादि का विनिर्माण।

16. छतरी सज्जीकरण।

17. सौर एवं वायु ऊर्जा उपकरण।

18. पीतल से हस्तनिर्मित बर्तनों का विनिर्माण।

19. तांबे से हस्तनिर्मित बर्तनों का निर्माण।

20. कांस्य से हस्तनिर्मित बर्तनों का विनिर्माण।

21. पीतल, तांबे तथा कांस्य से बनी अन्य वस्तुएं।

22. रेडियो का उत्पादन।

23. रेडियो के साथ लगी हुई अथवा न लगी हुई कैसेट प्लेयरों का उत्पादन।

24. रेडियो के साथ लगे हुए अथवा न लगे हुए कैसेट रिकार्डर।

25. वोल्टेज स्टेबिलाइजरों का उत्पादन।

समूह 6 वस्त्र उद्योग (खाद के अतिरिक्त)

26. होजरी।

27. दर्जीगीरी और सिले-सिलाए कपड़े तैयार करना।

28. नायलोन/सूत से मछली पकड़ने के जाल का हाथ से निर्माण करना।

समूह 7 सेवा उद्योग

29. कपड़ों की धुलाई (लौन्ड्री)।

30. नाई।

31. नलसाजी।

32. विद्युत वायरिंग तथा इलैक्ट्रानिक घरेलू यंत्रों और उपकरणों की सेवा।

33. डीजल इंजन, पम्प सेटों आदि की मरम्मत।

34. इलैक्ट्रोनिक घड़ियां।

राष्ट्रीय फिल्मोत्सव की आय और व्यय

8742. श्री जगन्नाथ पटनायक :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय फिल्मोत्सवों से आय और उन पर हुए व्यय में अन्तर बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो देश में आयोजित पिछले सात राष्ट्रीय फिल्मोत्सवों की आय और व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार इन्हें वित्तीय दृष्टि से लाभप्रद बनाने हेतु क्या कदम उठा रही है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) विभिन्न क्षेत्रों की फिल्म संस्कृतियों का सम्मान करने तथा राष्ट्रीय सद्भावना और एकता को बढ़ावा देने वाली सुरुचिपूर्ण महत्व और सामाजिक प्रासंगिक फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक उन्नतशील कार्यकलाप के रूप में वर्ष 1953 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आरम्भ किए गए थे। यह एक लाभ कमाने वाला या वाणिज्यिक कार्यकलाप नहीं है। इस योजना के अन्तर्गत पुरस्कार विजेताओं को नकद और स्वर्ण तथा रजत पदक प्रदान किए जाते हैं। टिकटों के विक्रय के माध्यम से राजस्व की कुछ राशि प्राप्त की जाती है जो मुख्यत: थियेटरों में प्रवेश को विनियमित करने के लिए है न कि राजस्व कमाने अथवा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार योजना को वित्तीय रूप से व्यवहार में लाने के लिए है। इस नीति में कोई परिवर्तन करने की अपेक्षा नहीं है। पिछले सात वर्षों में हुए व्यय तथा टिकटों की बिक्री से हुई आय का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

वर्ष	रा०फि० समारोह	आय (लाख रुपयों में)	व्यय (लाख रुपयों में)
1982-83	29वां	0.68	12.93
1983-84	30वां	0.63	11.78
1984-85	31वां	0.87	13.83
1985-86	32वां	1.12	20.61
1986-87	33वां	1.00	20.58
1987-88	34वां	0.74	20.18
1988-89	35वां	1.89	21.24

गुजरात में नये आकाशवाणी दूरदर्शन केन्द्र

8743. श्री मोहनभाई पटेल :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में वर्ष 1988-89 के दौरान किन-किन स्थानों पर नये आकाशवाणी केन्द्र और दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित किए गए; और

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान गुजरात में किन-किन स्थानों पर नये आकाशवाणी केन्द्र और दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित किए जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के०के० तिवारी) : (क) वर्ष 1988-89 के दौरान, यद्यपि कोई नया रेडियो स्टेशन चालू नहीं किया गया फिर भी, गुजरात राज्य के एक भुज में एक उच्च शक्ति (1 किलोवाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर (जिसे पहले अहमदाबाद में 10 किलोवाट ट्रांसमीटर चालू किए जाने पर बन्द कर दिया गया था) तथा आहवा, गोधरा, वलसाद, पोरबन्दर और जूनागढ़ में एक-एक अर्थात कुल मिलाकर 5 नये अल्पशक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर चालू किए गए थे ।

(ख) गोधरा में एक नया रेडियो स्टेशन तथा अहमदाबाद में 50 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर को बदलकर 200 कि० वा० मी० वे० ट्रांसमीटर 1989-90 के दौरान चालू करने का विचार है ।

जहां तक दूरदर्शन का संबंध है, भुज में (मौजूदा अल्प शक्ति ट्रांसमीटर को बदलकर) उच्च शक्ति (10 किलोवाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने, जामनगर में एक अल्प शक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर तथा काकरापार में एक अति अल्प शक्ति (2×10 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने की स्कीमें सातवीं योजना में शामिल हैं । जामनगर और काकरापार के ट्रांसमीटरों के 1989-90 के दौरान चालू किए जाने का विचार है ।

सिक्किम में केन्द्रीय निवेश राज-सहायता

8744. श्रीमती डी० के० भण्डारी :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम में केन्द्रीय निवेश राज-सहायता योजना सितम्बर, 1988 तक चलाई गई है;

(ख) क्या सरकार ने इस योजना को सितम्बर, 1988 के बाद भी जारी रखने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या वर्ष 1988-89 के दौरान सिक्किम को कोई केन्द्रीय राजसहायता जारी की गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना 30 सितम्बर, 1988 तक बढ़ायी गयी थी। इस योजना को 30 सितम्बर से आगे बढ़ाने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) और (ङ) वर्ष 1988-89 के दौरान केन्द्रीय निवेश सहायता के रूप में सिक्किम को 0.97 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की गयी थी।

इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों का प्रावधान और सिक्किम में यू० एच० एफ० प्रणाली से जिला मुख्यालयों को जोड़ना

8745. **श्रीमती डी० के० भण्डारी :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1988-89 के दौरान सिक्किम मे यू० एच० एफ० प्रणाली के माध्यम से जिला मुख्यालयों को जोड़ने के लिए कोई कार्यक्रम बनाया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या वर्ष 1988-89 के दौरान गंगतोक में एम० ए० एक्स०—एक एक्सचेंज चालू करने का भी प्रस्ताव था;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वर्ष 1988—90 के दौरान गंगतोक में एक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज की व्यवस्था कराने की सरकार की कोई योजना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) सिक्किम के सभी तीन जिला मुख्यालयों को पराउच्च आवृत्ति प्रणालियां (यू० एच० एफ०) प्रदान करने का कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना में ही तैयार कर लिया गया था लेकिन 1987-88 तक कई स्थानों में जमीन उपलब्ध न होने के कारण यह कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं किया जा सका। कार्यक्रम 1988-89 के दौरान दोबारा तैयार किया गया।

(ख) चूंकि अब सभी स्थानों पर जमीन उपलब्ध हो गई है इसलिए टावर और भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है और इस वर्ष के अन्त तक पूरा हो जाने की सम्भावना है। उपस्कर फिर से आयात किया जा रहा है और यह इस वर्ष उपलब्ध हो जाएगा। नामची, गीजिंग और मंगन नामक तीन जिला मुख्यालयों को वर्ष 1989-90 के दौरान पराउच्च आवृत्ति (यू० एच० एफ०) के जरिए राज्य की राजधानी से जोड़ दिए जाने की आशा है।

(ग) जी, हां।

(घ) एम० ए० एक्स० —1 एक्सचेंज के लिए उपस्कर प्राप्त हो गया था लेकिन स्थापित नहीं किया गया क्योंकि राज्य सरकार ने गंगटोक में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज प्रदान करने के लिए अनुरोध किया था।

(क) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गंगटोक में उच्च शक्ति का दूरदर्शन ट्रांसमीटर

8746. **श्रीमती डी० के० भण्डारी :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान गंगटोक मे एक उच्च शक्ति का दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या इस सम्बन्ध में अब तक कोई प्रगति हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) और (ख) दूरदर्शन की सातवीं योजना में अन्य बातों के साथ-साथ, गंगतोक में एक उच्च शक्ति (1 कि० वा०) दूरदर्शन ट्रांसमीटर (वर्तमान अल्प शक्ति ट्रांसमीटर को बदलकर) तथा एक कार्यक्रम निर्माण सुविधा (पी० जी० एफ०) केन्द्र स्थापित करने की योजना शामिल है। इस परियोजना के लिए अपेक्षित उपकरण के आदेश दे दिए गए हैं। जबकि ट्रांसमीटर के लिए, जिसकी वर्ष 1990-91 तक सेवा के लिए चालू हो जाने की आशा है, भवन और टावर के निर्माण से सम्बन्धित कार्य सौंप दिए गए हैं, कार्यक्रम निर्माण सुविधा केन्द्र के लिए कार्य आरम्भ करना सम्भव नहीं हो पाया है क्योंकि राज्य सरकार ने अभी तक अपेक्षित स्थल हस्तांतरित नहीं किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नेपाली फीचर फिल्म का दूरदर्शन से प्रसारण

8747. **श्रीमती डी० के० भण्डारी :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने अपने राष्ट्रीय नेटवर्क से नेपाली भाषा में अब तक कोई फीचर फिल्म प्रदर्शित की है;

(ख) यदि हां, तो उन फिल्मों के नाम क्या हैं और वे कब दिखायी गई;

(ग) क्या भविष्य में कुछ और नेपाली फीचर फिल्में दिखायी जाएंगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) दूरदर्शन, रविवार को दोपहर बाद राष्ट्रीय नेटवर्क पर टेलीकास्ट के लिए क्षेत्रीय भाषा की उन फीचर फिल्मों पर विचार करता है जो निम्नलिखित मानदण्डों में से किसी को

पूरा करती हैं :—

(1) वर्ष की श्रेष्ठ या द्वितीय श्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार (सभी भाषाओं को मिलाकर);

(2) किसी क्षेत्रीय भाषा में श्रेष्ठ फिल्म के लिए "रजत कमल" का राष्ट्रीय पुरस्कार;

(3) राष्ट्रीय एकता पर श्रेष्ठ फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार;

(4) किसी निर्देशक की श्रेष्ठ प्रथम फिल्म के लिए इन्दिरा गांधी पुरस्कार; और

(5) भारत के किसी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव/फिल्मोत्सव के पेनोरमा सेक्शन में प्रवेश प्राप्त।

यदि उपर्युक्त मानदण्डों को पूरा कर रही नेपाली भाषा की फीचर फिल्में निर्माता/अधिकार धारक द्वारा टेलीकास्ट के लिए भेजी जाती हैं, तो दूरदर्शन उनके टेलीकास्ट के लिए विचार करेगा।

दूरसंचार सेवाओं में बिगाड़

8748. प्रो० नारायण चन्द पराशर :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के समाचारों के अनुसार हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में टेलीफोन सेवाओं में भारी बिगाड़ आया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए इस मामले में एक उच्च अधिकार प्राप्त जांच के आदेश देने का है;

(घ) यदि हां, तो ऐसा कब तक हो जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार का स्थिति में कैसे सुधार लाने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब की टेलीफोन सेवाएं आमतौर पर सन्तोषप्रद हैं। तथापि, कोई शिकायत प्राप्त होने पर इसे दूर करने की कारंवाई की जाती है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

(ङ) सेवाओं में और सुधार करने के लिए मिशन बेहतर संचार के अधीन कारंवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है, जिसकी मुख्य मदें इस प्रकार हैं :

(1) पुराने घिसे-पिटे टेलीफोन उपकरणों को बदलना।

(2) पुरानी खराब केबिलों को बदलना।

(3) आधी ओवर हैड लाइनों के स्थान पर भूमिगत केबिल बिछाना।

(4) जिनकी मियाद खत्म हो चुकी है उन इलैक्ट्रो मैकेनिकल एक्सचेंजों को बदलना।

(5) कर्मचारियों को ग्राहकोन्मुखी प्रशिक्षण देना।

बायोगैस संयंत्र

8749. श्री अमरसिंह राठवा :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बायोगैस कार्यक्रम देश में अत्याधिक सफल सिद्ध हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में अब तक कितने बायोगैस संयंत्र स्थापित किये गये हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार बायोगैस के उत्पादन तथा प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए बायोगैस कार्यक्रम विकसित करने हेतु कोई बोर्ड अथवा आयोग गठित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां अभी तक इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, बायोगैस कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या अन्य उपाय किये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी हां।

(ख) बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना (एन० पी० बी० डी०) के अन्तर्गत, वर्ष 1981-82 से 1988-89 तक देश में कुल 10.75 लाख से भी अधिक परिवार आकार के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना की गई है। संलग्न विवरण में राज्यवार ब्यौरे दिए गए हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना, जो कि परिवार आकार पर आधारित बायोगैस संयंत्रों की आवश्यकता की पूर्ति करती है, को वर्ष 1989-90 के दौरान जारी रखा जा रहा है। देश में बायोगैस कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए कई उपाय प्रारम्भ किए गए हैं। इन उपायों में तकनीकी और प्रशिक्षण सहायता, स्टाफ सहायता के स्थान पर सेवा प्रभार (खर्च), मरम्मत और रख-रखाव के खर्च, केन्द्रीय आर्थिक सहायता, टर्न-की जाब फीस, अभिवृद्धि संबंधी अन्य प्रोत्साहन, राज्य सरकारों खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, जिला एवं ग्राम पंचायतों को पुरस्कार देना, खाद के उपयोग पर क्षेत्रीय प्रदर्शन, सफाई शौचालयों से जुड़े हुए बायोगैस संयंत्रों का संवर्धन, क्षेत्रीय बायोगैस विकास एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना, मानिटरिंग, मूल्यांकन, प्रचार और विस्तार जैसे उपाय सम्मिलित हैं। उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा पहाड़ी जिलों जैसे क्षेत्रों के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है जहां कि यह कार्यक्रम प्रारम्भ किया है और लोकप्रिय होता जा रहा है।

विवरण

वर्ष 1981-82 से 1988-89 तक की अवधि के दौरान स्थापित किये गये परिवार आकार के बायोगैस संयंत्रों की राज्यवार संख्या

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र प्रशासित क्षेत्र	स्थापित किए गए संयंत्रों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	86141
2.	अरुणाचल प्रदेश	9
3.	असम	6980
4.	बिहार	53863
5.	गोवा (दमन एवं दीव भी)	1170
6.	गुजरात	76603
7.	हरियाणा	16098
8.	हिमाचल प्रदेश	15736
9.	जम्मू और कश्मीर	651
10.	कर्नाटक	58093
11.	केरल	19746
12.	मध्य प्रदेश	32901
13.	महाराष्ट्र	320598
14.	मणिपुर	148
15.	मेघालय	96
16.	मिजोरम	486
17.	नागालैंड	75
18.	उड़ीसा	31223
19.	पंजाब	12725
20.	राजस्थान	31121
21.	सिक्किम	201

1	2	3
22.	तमिलनाडु	112469
23.	त्रिपुरा	39
24.	उत्तर प्रदेश	167101
25.	पश्चिम बंगाल	30077
26.	अंडमान निकोबार	87
27.	चंडीगढ़	72
28.	दादर और नगर हवेली	123
29.	दिल्ली	543
30.	पांडिचेरी	426
	कुल योग :	1075601

उत्तरी बंगाल के दार्जीलिंग, जलपाईगुड़ी और कूचबिहार जिलों में रसोई गैस की एजेंसियां

[हिन्दी]

8750. **श्री पीयूष तिरकी :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर बंगाल के दार्जीलिंग, जलपाइगुडी और कूचबिहार जिलों में रसोई गैस की कितनी एजेंसियां हैं और प्रत्येक एजेंसी द्वारा कितने उपभोक्ताओं को गैस सप्लाई की जाती है;

(ख) इन तीन जिलों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और विकलांगों की श्रेणियों के लिए श्रेणी-वार पृथक-पृथक रसोई गैस की कितनी एजेंसियां आवंटित की गयी हैं;

(ग) क्या भविष्य में उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि को देखते हुए, इन जिलों में रसोई गैस की एजेंसियों की संख्या में वृद्धि किये जाने की सम्भावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) इस समय पश्चिमी बंगाल दार्जीलिंग, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार जिलों में 19 एल० पी० जी० वितरण केन्द्र काम कर रहे हैं। स्थानों के नाम जहां ये वितरण केन्द्र काम कर रहे हैं, तथा उनमें से प्रत्येक की श्रेणी तथा उनके पास उपभोक्ताओं की संख्या के बारे में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) 1988-89 तक की वार्षिक एल० पी० जी० विपणन योजना तक तेल कम्पनियों द्वारा पश्चिमी बंगाल में तीन और वितरण केन्द्र अर्थात् एक जलपाईगुड़ी, जिला जलपाईगुड़ी एक दार्जलिंग, जिला दार्जलिंग में और एक दिनहाला, जिला कूच बिहार में वितरण केन्द्र खोलने की योजना है।

(ङ) उपर्युक्त (ग) और (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र०सं०	स्थान	जिला	श्रेणी	उपभोक्ताओं की संख्या
1.	जलपाईगुड़ी	जलपाईगुड़ी	डी जी आर	5592
2.	मालबाजार	जलपाईगुड़ी	एस टी	1702
3.	अलीगपुरद्वार	जलपाईगुड़ी	एस टी	2971
4.	बिनागुड़ी	जलपाईगुड़ी	ओ पी	2247
5.	हसीमारा	जलपाईगुड़ी	अन्य	1012
6.	दार्जलिंग	दार्जलिंग	ओ पी	2521
7.	दार्जलिंग	दार्जलिंग	डी सी	43
8.	बागडोगरा	दार्जलिंग	ओ पी	2142
9.	कुरस्योंग	दार्जलिंग	ओ पी	1083
10.	कलीमपौंग	दार्जलिंग	एस टी	1811
11.	सिलीगुड़ी	दार्जलिंग	डी जी आर	6378
12.	सिलीगुड़ी	दार्जलिंग	ओ पी	837
13.	सिलीगुड़ी	दार्जलिंग	यू जी	1327
14.	सिलीगुड़ी	दार्जलिंग	एस टी	2 00
15	सुकना	दार्जलिंग	अन्य	सेना की रसाई की आवश्यकता को पूरी करने के लिए आर्मी सप्लाई डिपुओं को दिया गया।
16.	लाबौंग	दार्जलिंग	अन्य	
17.	बंगदुबी	दार्जलिंग	अन्य	
18.	कूच बिहार	कूच बिहार	एस सी	4[illegible]99
19.	कूच बिहार	कूच बिहार	एस सी	1828

नारियल जटा उत्पादों पर छूट

[अनुवाद]

8751. श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल जटा उत्पादों के विदेशी खरीददारों को काफी छूट दिए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कदम के विरुद्ध केरल स्थित नारियल जटा के निर्यातकों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) जी, नहीं। कयर बोर्ड ने नकद छूट की श्रेणीबद्ध प्रणाली चालू करने के वास्ते इसका संभाव्यता-अध्ययन किया था जिससे कि बड़े विदेशी क्रेताओं को अधिक मात्रा में कयर उत्पाद और कयर धागा खरीदने हेतु प्रोत्साहन मिले। किन्तु इस प्रणाली में दिये गये प्रोत्साहन विदेशी क्रेताओं को पर्याप्त फलदायी नहीं लगे। अतः इस प्रस्ताव पर कार्य नहीं किया जा रहा है।

केरल में पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्र

8752. श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में, इस समय जिलावार, पेट्रोल/डीजल के कितने खुदरा बिक्री केन्द्र चलाये जा रहे हैं;

(ख) क्या राज्य के कुछ स्थानों पर नए खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार, ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 1989-90 के दौरान किन-किन स्थानों पर बिक्री केन्द्र खोले जाएंगे या खोलने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है :

(ख) और (ग) समय-समय पर विभिन्न साधनों से इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं। इनके बारे में अलग से कोई आंकड़े नहीं रखे जाते। ऐसे अनुरोधों के आधार पर भी संभाव्यता और निर्दिष्ट मानदंडों को ध्यान में रखते हुए तेल उद्योग इस बात का निर्धारण करने के लिए कि अमुक स्थान खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने के लिए न्यायसंगत है कि नहीं, सर्वेक्षण करता है।

(घ) उन स्थानों को जिन्हें तेल उद्योग ने 1987-88 तक की अपनी वार्षिक विपणन योजनाओं में खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने के लिए शामिल किया गया है, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण-2

में दिया गया है। खुदरा बिक्री केन्द्र की स्थापना करने में उठाये जाने वाले कदमों को ध्यान में रखते हुए यह कहना व्यवहार्य नहीं होगा कि 1989-90 में इनमें से कितने केन्द्र वास्तव में खुल जाएंगे।

विवरण-1

क्र० सं०	जिला	खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या
1.	त्रिवेन्द्रम	59
2.	क्यूलोन	60
3.	पत्थानमथीटा	29
4.	इडुकी	24
5.	कोट्टयम	63
6.	एल्लपी	42
7.	एर्नाकुलम	110
8.	त्रिचूर	76
9.	पालघाट	46
10.	वायनाड	9
11.	मालापुरम	37
12.	कालीकट	62
13.	केनानोर	51
14.	कासारगोडे	11
	जोड़ :	679

विवरण-2

क्र० सं०	स्थान	जिला
1	2	3
1.	अलाथूर	पालघाट
2.	पन्नूर	केनानौर
3.	कोचीन वाटर फ्रंट	एर्नाकुलम
4.	पथुविल	क्यूलोन
5.	करालीजंग	—वही—

1	2	3
6.	औषीमा	क्यूलोन
7.	पुत्तूर	—वही—
8.	अगली	पालघाट
9.	कूटनाड	पालघाट
10.	एंगोडे	त्रिवेन्द्रम
11.	कोंडोटी	मालापुरम
12.	पुथाबल	त्रिचूर
13.	तलप	केनानोर
14.	एम० जी० रोड़	एर्नाकुलम
15.	नलिमपत्थी	पालघाट
16.	वेंचूचीरा	पंथनमिथीटा
17.	त्रिपुरा	त्रिविन्द्रम
18.	वेडिपेरियार	इडुकी
19.	चौघाट	त्रिचूर
20.	शेषघामंगलम	त्रिवेन्द्रम
21.	उरक्कम	त्रिचूर
22.	एल्लोर	त्रिचूर
23.	वेंगारा	मालापुरम
24.	मीनांगडी	वायनाड
25.	कोचीन बाय पास	एर्नाकुलम
26.	कालीपुरम	क्यूलोन

त्रिवेन्द्रम से मलयालम कार्यक्रमों का दूरदर्शन से प्रसारण

8753. श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कितने प्रतिशत जनसंख्या को दूरदर्शन कार्यक्रमों के प्रसारण की सुविधा उपलब्ध है;

(ख) कितने प्रतिशत जनसंख्या त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन द्वारा प्रसारित मलयालम कार्यक्रमों को देख

सकती है; और

(ग) दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) और (ख) इस समय राज्य की करीब 86 प्रतिशत जनसंख्या को दूरदर्शन सेवा उपलब्ध है और राज्य की दूरदर्शन सेवा से कवर होने वाली करीब 85 प्रतिशत जनसंख्या दूरदर्शन केन्द्र, त्रिवेन्द्रम से शुरू होने वाले कार्य-क्रमों को देख सकती है।

(ग) सातवीं योजना के भाग के रूप में, केरल में कालीकट के अल्प शक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर को उच्च शक्ति (10 किलोवाट) ट्रांसमीटर से बदले आने के अलावा, इदुकी और पतनामथित्ता में एक-एक अल्प शक्ति (100 वाट) ट्रांसमीटर कार्यान्वियनाधीन हैं। इन ट्रांसमीटरों के चालू हो जाने से राज्य की करीब 97 प्रतिशत जनसंख्या को दूरदर्शन कवरेज प्राप्त होने की उम्मीद है।

बिहार शरीफ के लिये टेलीफोन एक्सचेंज

[हिन्दी]

8754. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में, नालन्दा जिला मुख्यालय, बिहार शरीफ में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना के लिये क्या लक्ष्य तारीख निर्धारित किये गये हैं;

(ख) क्या वहां टेलीफोन एक्सचेंज चालू हो गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) मार्च, 1989 में, बिहार शरीफ में 800 लाइनों का एक एम०ए०एक्स-II किस्म का एक्सचेंज पहले ही संस्थापित एवं चालू कर दिया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार शरीफ में "सुपर पावर ग्रिड"

8755. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के नालन्दा जिले में बिहार शरीफ में राष्ट्रीय ताप विद्युत के सुपर पावर ग्रिड की स्थापना की निर्धारित तिथि समाप्त हो गई है परन्तु उसे अभी तक चालू नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) फरक्का

सुपर ताप विद्युत केन्द्र चरण-दो के साथ सम्बद्ध पारेषण प्रणाली के अन्तर्गत राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा बिहार-शरीफ में एक 400/220 कि०वा० उपकेन्द्र समेत फरक्का से बिहार-शरीफ तक एक 400 कि०वा० दिष्ट धारा लाइन का निर्माण किया जा रहा है। इस लाइन तथा उपकेन्द्र को 1990-91 तक पूरा किया जाना अनुसूचित है।

कथारा क्षेत्रों में कोयले की धूल से प्रभावित सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० के कर्मचारी

8756. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कथारा क्षेत्रों में सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० में कार्यरत कर्मचारी इसके पास स्थित बोकारो ताप बिजलीघर से निकलने वाली कोयला धूल से बुरी तरह से प्रभावित हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्रों के समाचारों का दूरदर्शन/आकाश वाणी द्वारा प्रसारण

[**अनुवाद**]

8757. **श्री ओ० भूपति :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों के समाचारों को आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रसारणों में महत्व नहीं दिया जाता है;

(ख) क्या इनके लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन अधिकांशतः जिलों में अंशकालिक संवाददाताओं पर निर्भर करते हैं;

(ग) क्या राज्य सरकारों के मंडलीय जन सम्पर्क अधिकारियों द्वारा भेजे गये समाचारों को भी दूरदर्शन/आकाशवाणी से प्रसारित करने के लिये विचार किया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के समाचार, उनकी समाचारिक उपयोगिता पर निर्भर करते हुए कवर किए जाते हैं।

(ख) आकाशवाणी का दीर्घकालीन उद्देश्य, सभी जिलों में नियमित संवाददाता रखना है किन्तु इस उद्देश्य के प्राप्त होने तक अंशकालिक संवाददाताओं की सेवाओं का भी उपयोग किया जा रहा है।

घटनाओं की दृश्य कवरेज करने के लिये, दूरदर्शन के पास अनेक कैमरा यूनिटें/स्ट्रीन्गर्स हैं। इसके अलावा, माईक्रोवेव लिंक तथा समाचार एजेंसियों के भी मार्फत केन्द्रीय समाचार कक्ष को क्षेत्रीय दूरदर्शन केन्द्रों से दृश्य कहानियां प्राप्त होती हैं।

(ग) समाचार बुलेटिनों में राज्य सरकार के प्राधिकारियों से प्राप्त समाचार मदों तथा प्रेस टिप्पणियों को भी उनकी समाचार उपयोगिता के आधार पर तथा इस बारे में माध्यम सलाहकार समिति द्वारा निर्मित मार्गदर्शी सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए, शामिल किया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

टेलेक्स प्रभारों में असमानता

8758. **श्री जी० एम० बनातवाला :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगरों में सार्वजनिक टेलेक्स केन्द्रों द्वारा गैर सरकारी प्रयोक्ताओं और आम जनता से टेलेक्स सुविधा के लिए विशेषकर अन्तर्राष्ट्रीय संदेश भेजने के मामले, में लिए जाने वाले न्यूनतम टेलेक्स प्रभार में असमानता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इन प्रभारों को युक्तिसंगत बनाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है। जिसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

वेतनमानों में संशोधन सम्बन्धी लम्बित मामले

[हिन्दी]

8759. **श्री राम कुमार राय :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न न्यायालयों में कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन सम्बन्धी मामले लम्बित पड़े हैं; और

(ख) इन मामलों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

खाना पकाने की गैस एजेंसियों के आबंटन की प्रक्रिया

[अनुवाद]

8760. **श्री परसराम भारद्वाज :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाना पकाने की गैस एजेंसी के आबंटन की क्या प्रक्रिया है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को सहायता देने के लिए कोई सलाहकार बोर्ड है;

(ग) यदि हां, तो इसके वर्तमान सदस्यों की संख्या, शर्तें और नामों सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या प्रत्येक राज्य के लिए रसोई गैस वितरक हेतु कोई कोटा निर्धारित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में विशेषकर जनजातिय क्षेत्रों में आबंटित की गई खाना पकाने की गैस एजेंसियों की संख्या सहित उनकी प्रतिशतता का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) उन स्थानों के सम्बन्ध में जिन्हें तेल उद्योग की विभिन्न वार्षिक एल०पी०जी० विपणन योजनाओं के रोस्टर में रखा गया है। एल०पी०जी० वितरण केन्द्र अलाट करने के लिए तेल कम्पनियां विज्ञापन के द्वारा उन उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करती हैं जो पात्रता के मानदण्डों अर्थात् आयु, अर्हताएं, निवास, आय आदि के मानदंड पूरा करते हों। पात्र उम्मीदवारों को सम्बन्धित तेल चयन बोर्ड द्वारा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है इसके बाद सामान्यत: गुण-दोष के आधार पर तीन व्यक्तियों का पैनल बनाया जाता है। संबंधित तेल कम्पनी बाद में औपचारिकताओं और सुविधाएं स्थापित करने के लिए कार्रवाई करने के वास्ते पैनल में सर्वप्रथम उम्मीदवार को डीलरशिप आफर करती है।

(ख) चयन का कार्य करने के लिए चार तेल चयन बोर्डों का गठन किया गया है।

(ग) चार तेल चयन बोर्डों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) तेल चयन बोर्ड (उत्तर)

अध्यक्ष	—	न्यायमूर्ति टी० एन० निरारवेलू (सेवानिवृत्त)
सदस्य	—	श्री के० ए० रामासुब्रह्मणियम

(2) तेल चयन बोर्ड (दक्षिण)

अध्यक्ष	—	न्यायमूर्ति के० के० दूबे (सेवानिवृत्त)
सदस्य	—	श्री एस० एन० भान

(3) तेल चयन बोर्ड (पश्चिम)

अध्यक्ष	—	न्यायमूर्ति प्रेमशंकर सहाय (सेवानिवृत्त)
सदस्य	—	श्री अवतार सिंह रिखी।

(4) तेल चयन बोर्ड (पूर्व)

अध्यक्ष	—	न्यायमूर्ति एस० जे० देशपांडे (सेवानिवृत्त)
सदस्य	—	श्री के० सी० सोबिया

उपर्युक्त बोर्डों का सेवाकाल तीन वर्षों के लिए है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए राज्यवार/संघ राज्य

क्षेत्रवार 25 प्रतिशत का आरक्षण है। उपर्युक्त आरक्षण कोटा इस प्रकार भरा जाता है कि ये दोनों समुदाय किसी विशेष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अपनी जनसंख्या के अनुपात में अपना हिस्सा ले सकें।

1-4-89 तक मध्य प्रदेश में दिए गए एल०पी०जी० वितरण केन्द्रों की कुल संख्या 197 थी इनमें से अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अन्तर्गत 16 एल०पी०जी० वितरण केन्द्र अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के पास थी।

दूरदर्शन कार्यक्रमों के लिए प्रतिभाशाली विकलांग व्यक्तियों का सर्वेक्षण

8761. **श्री परसराम भारद्वाज :**

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन कार्यक्रमों के लिए प्रतिभाशाली विकलांग व्यक्तियों की सेवाओं को उपयोग में लाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में ऐसे व्यक्तियों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है अथवा करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० के० तिवारी) : (क) से (ग) प्रतिभाशाली विकलांग व्यक्तियों को पहले ही दूरदर्शन कार्यक्रमों में कार्यक्रम की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अवसर दिया जा रहा है। तथापि, इस सम्बन्ध में दूरदर्शन द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है या न ही ऐसा करना प्रस्तावित है।

कोल इंडिया लि० कोयले का उत्पादन और घाटा

8762. **डा० वी० वेंकटेश :**

डा० मनोज पांडे :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० को गत वर्षों की तुलना में वर्ष 1988-89 के दौरान भारी घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोल इंडिया लि० में नवम्बर, 1988 से उत्पादन में निरंतर गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो कोल इंडिया लि० में 1987-88 और 1988-89 के दौरान कोयले के मासिक उत्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कोल इंडिया लि० का उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि० के वर्ष 1988-89 के खातों को अभी अन्तिम रूप में नहीं किया गया है। किन्तु यह आशा की जाती है कि वर्ष 1988-89 की अवधि में घाटा वर्ष 1987-88 अथवा वर्ष

1986-87 की अवधि की तुलना में कम रहेगा।

(ग) और (घ) कोल इंडिया लि० के उत्पादन में नवम्बर, 1988 से गिरावट नहीं आई है जिसे वर्ष 1987-88 तथा वर्ष 1988-89 की अवधि में कोल इंडिया लि० के कच्चे कोयले के माहवार उत्पादन से देखा जा सकता है। इस उत्पादन को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ङ) कोयले के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदमों के साथ-साथ निम्नलिखित कदम शामिल हैं—नई खानों का खोला जाना, वर्तमान खानों को आधुनिकीकृत करना, नई प्रौद्योगिकी को लगाना ताकि अधिकतम परिणाम प्राप्त किए जा सकें और कोयले का अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए अपेक्षित आगत तथा आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराना।

विवरण

कोल इण्डिया लि० के माहवार कच्चे कोयले का उत्पादन

(मिलियन टनों में)

माह	उत्पादन	
	1987-88	1988-89
अप्रैल	11.29	11.70
मई	11.33	12.16
जून	11.36	12.02
जुलाई	10.69	11.34
अगस्त	10.66	11.34
सितम्बर	10.95	12.32
अक्तूबर	12.05	13.26
नवम्बर	13.94	15.22
दिसम्बर	15.90	16.91
जनवरी	16.57	17.90
फरवरी	16.35	17.53
मार्च	17.96	19.85
जोड़ :	159.05	171.55

भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड का विस्तार

8763. डा० सी० पी० ठाकुर :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड का इस समय विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

रामागुंडम सुपर ताप बिजली संयंत्र से कर्नाटक को बिजली की सप्लाई

8764. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रामागुंडम सुपर ताप बिजली संयंत्र से कर्नाटक को सप्लाई की जा रही बिजली के लिए क्या शुल्क दर प्रभावित किया जाता है;

(ख) क्या राष्ट्रीय ताप बिजली निगम ने शुल्क दर में कोई वृद्धि की है;

(ग) यदि हां, तो बढ़ा हुआ शुल्क दर कितना है;

(घ) क्या शुल्क दर में वृद्धि न करने के बारे में कर्नाटक सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) दक्षिणी क्षेत्र में विभिन्न लाभान्वित राज्यों (कर्नाटक समेत) के सम्बन्ध में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (रा० ता० वि० नि०) की टैरिफ 51.47 पैसे/कि० वा० घ० जिसमें इंधन कीमत समायोजन के प्रति 8.47 पैसे एक कि० वा० घं० सम्मिलित है, 346.943 लाख रुपये प्रति मास के पारेषण प्रभारों को विभिन्न विद्युत बोर्डों द्वारा उनके द्वारा ली गई ऊर्जा के अनुपात में बांटा जाता है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) और (ङ) 500 मे० वा० की यूनिट के प्रचालन के बाद, रामागुण्डम सुपर ताप विद्युत केन्द्र से बिजली की बिक्री के लिए वर्तमान टैरिफ का संशोधन करना होगा । राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने सम्बन्धित विद्युत बोर्डों को इस इस सम्बन्ध में प्रस्ताव भेज दिए हैं ।

बंगलौर में "होस्टलों" के लिए रसोई गैस की सप्लाई

8765. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर नगर में होस्टलों के लिए रसोई गैस कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर आवंटित और सप्लाई की जाती है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का बंगलौर नगर में होस्टलों के लिए प्राथमिकता के आधार पर रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) एल० पी० जी० की सीमित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए बंगलूर सहित पूरे देश में केवल स्कूलों और कालेजों से सम्बद्ध होस्टलों को ही वरीयता के आधार पर एल० पी० जी० जारी की जा रही है।

असम में एस० टी० डी० टेलीफोन सुविधा

8766. **श्री मक्केश्वर तांती** :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में किन-किन जिलों में इस समय एस० टी० डी० टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं है; और

(ख) इन जिलों के एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) इस समय असम के निम्नलिखित जिलों में एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध नहीं है—बारापेटा, टाऊन, चन्द्रापुर, दिफू, गोलाघाट, ग्वालपाड़ा, करीमगंज, कोकराझार, लखीमपुर, मंगलदेई, नलबाड़ी, नौगांव, तेजपुर।

(ख) चालू करने के लिए कार्य चल रहा है :

(i) आटोमेटिक स्थानीय एक्सचेंज

(ii) गुवाहाटी और जोरहाट में ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज और

(iii) इन स्थानों को ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंजों से जोड़ने के लिए विश्वसनीय संचारण माध्यम।

आकाशवाणी/दूरदर्शन द्वारा राज्य की घटनाओं का प्रसारण

8767. **श्री मक्केश्वर तांती** :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के सूचना केन्द्रों में पर्याप्त कर्मचारी हैं तथा इन्हें अर्हता प्राप्त कर्मचारियों द्वारा संचालित किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का पर्याप्त प्रसारण सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) दूरदर्शन

और आकाशवाणी के पास ऐसे कोई सूचना केन्द्र नहीं हैं। परन्तु विभिन्न राज्यों में आकाशवाणी के प्रादेशिक समाचार एकक हैं। इस प्रकार के एकक दूरदर्शन केन्द्रों में भी हैं। इन एककों में योग्य कार्मिक हैं और निर्धारित मानकों के अनुसार इनमें कर्मचारियों की व्यवस्था की गई है; और

(ख) आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रादेशिक समाचार एकक, जहां ये स्थित हैं उन राज्यों के सभी महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक घटनाओं को कवर करते हैं। इस प्रयोजन के लिए, उनके पास अनुभवी संवाददाता हैं और समाचार एजेंसी सेवाएं भी उनके लिए उपलब्ध हैं।

असम में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की मोबाइल गैस टरबाइन्स

8768. श्री मद्रेश्वर तांती :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार मोबाइल गैस टरबाइन चलाने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को कोई भुगतान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या तेल और प्राकृतिक गैस का इसकी दर में वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) गेलेकी में मोबाइल गैस टर्बाइन चलाने के लिए सप्लाई की जा रही गैस के वास्ते असम राज्य बिजली बोर्ड ने तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को मई, 1987 में कोई अदायगी नहीं की है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आकाशवाणी/दूरदर्शन को स्वायत्तता प्रदान करना

8769. प्रो० मधु दंडवते :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन और आकाशवाणी के लिए एक अलग स्वायत्तशासी निगम स्थापित करने की मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ऐसे स्वायत्तशासी निगमों की स्थापना के बारे में अपने पूर्व निर्णय की पुनरीक्षा करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का छठी लोक सभा में प्रस्तुत लेकिन उक्त लोक सभा के भंग हो जाने के कारण निरस्त हुए "प्रसार भारतीय" विधेयक को पुनरुज्जीवित करने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) और (ख) दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के लिए अलग-अलग स्वायत्तशासी निगम स्थापित करने की मांग समय-समय पर प्राप्त हुई है। आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों ही पहले से सभी व्यावसायिक पहलुओं में पूर्ण

कार्यात्मक-स्वायत्तता का उपयोग करते हैं। सरकार का यह विचार है कि माध्यम, लोगों की सेवा करने के लिए होते है तथा इस प्रयोजन के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उन्हें सांविधानिक/निकायों/निगमों के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में खिलाड़ियों की भर्ती

8770. डा० पी० वल्लल पेरूमन :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में कितने खिलाड़ियों की भर्ती की गई;

(ख) विभिन्न पदों पर नियुक्त करने के लिए खिलाड़ियों का चयन करने में क्या नियम व प्रक्रिया अपनाई गई थी;

(ग) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में भर्ती किये जाने वाले खिलाड़ियों की प्रतिशतता क्या होगी; और

(घ) क्या खिलाड़ियों का प्रतिशतता कोटा पूरा किया गया है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन ने वर्ष (1986 से 1988) तक के पिछले तीन वर्षों की अवधि के दौरान 73 खिलाड़ियों की भर्ती की।

(ख) यह भर्ती कारपोरेशन के नियमों के अनुरूप की गई।

(ग) इन खिलाड़ी कार्मिकों की स्वकार्य सीमा, कारपोरेशन की कार्मिकों की कुल संख्या का 50% है।

(घ) जी, नहीं।

आठवीं योजना के दौरान "एल० पी० जी० बाटलिंग प्लांट" स्थापित करना

8771. श्रीमती जयन्ती पटनायक :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना अवधि के दौरान कितने "एल०पी०जी० बाटलिंग प्लांट" स्थापित किए जाने का विचार है;

(ख) इस प्रयोजन के लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है;

(ग) क्या आठवीं योजना अवधि के दौरान उड़ीसा में कोई एल०पी०जी० बाटलिंग प्लांट स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रो[illegible]र प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (घ) चालू

वर्ष के अन्त तक देश में उपलब्ध बाटलिंग क्षमता 1993-94 तक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी तथा नई सुविधाओं की स्थापना में लगने वाले समय के बारे में विचार करने के बाद ही इस पर उचित समय पर विचार किया जाएगा।

बांधों पर पन-बिजली केन्द्र

8772. श्री बाला साहिब विखे पाटिल :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन बांधों पर राज्य-वार पन-बिजली केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए है?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) विद्यमान बांधों पर बनाए जाने के लिए स्वीकृत एवं निर्माणाधीन जल विद्युत स्कीमों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

विद्यमान बांध स्थलों पर बनाए जाने हेतु स्वीकृत एवं निर्माणाधीन जल विद्युत स्कीमों का ब्यौरा

स्कीम का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता	बांध का नाम	राज्य
1	2	3	4
उत्तरी क्षेत्र			
सलल चरण-दो	3 × 115 मेगवाट	सलाल	जम्मू व कश्मीर (केन्द्रीय क्षेत्र)
पश्चिमी क्षेत्र			
पनाम	2 × 1 मेगावाट	पनाम	गुजरात
कडाना	4 × 60 मेगावाट	कडाना	गुजरात
टावा एल०बी०सी०	4 × 3 मेगावाट	टावा	मध्य प्रदेश
बीरसिंहपुर	1 × 20 मेगावाट	बीरसिंहपुर	—वही—
उज्जैनी	1 × 12 मेगावाट	उज्जैनी	महाराष्ट्र
भण्डेरदारा बांध पावर हाउस	1 × 10 मेगावाट	भण्डेरदार	—वही—

1	2	3	4
खड़कवासला	1×8+1×8 मेगावाट	पंचेत व वीरभाजी पसलकार	महाराष्ट्र
भटसा	1×15 मेगावाट	भटसा	—वही—
मानिकडोह	1×6 मेगावाट	मानिकडोह	—वही—
कनहार	1×4 मेगावाट	कनहार	—वही—
सूर्या	1×5 मेगावाट	सूर्या	—वही—
धौम	2×1 मेगावाट	धौम	—वही—
वारणा	2×8 मेगावाट	वारणा	—वही—
सलौली	1×2 मेगावाट	सलौली	गोवा
अंजुनम	3×0.4 मेगावाट	अंजुनम	—वही—
दक्षिणी क्षेत्र			
श्रीसैलम एल०बी०पी०एच०	9×110 मेगावाट	श्रीसैलम	आंध्र प्रदेश
नागार्जुनसागर एल०बी०सी०	2×30 मेगावाट	नागार्जुनसागर बांध	—वही—
बलिमेला में ए०पी० पावर हाउस	2×30 मेगावाट	बलिमेला बांध	—वही—
नागार्जुनसागर आर०बी०सी० विस्तार	1×30 मेगावाट	नागार्जुनसागर बांध	—वही—
घाटप्रभा	2×16 मेगावाट	हिडकल बांध	कर्नाटक
सथानपुर बांध	2×7.5 मेगावाट	सथानपुर	तमिलनाडु
पथाकारा बांध पी०एच०	1×2 मेगावाट	पथाकारा	—वही—
लोअर भवानी आर०बी०सी० लोअर भवानी बांध	2×4 मेगावाट	लोअर भवानी	—वही—
पावर हाउस	4×2 मेगावाट	लोअर भवानी	—वही—
बेगई	2×3 मेगावाट	बेगई बांध	—वही—
कल्लाडा	2×7.5 मेगावाट	कल्लाडा	केरल
मालमपुझा	1×2.5 मेगावाट	मालमपुझा बांध	—वही—
मधुपट्टी	1×2 मेगावाट	मधुपट्टी बांध	—वही—
पेप्पारा	1×3 मेगावाट	पेप्पारा बांध	—वही—

1	2	3	4
पूर्वी क्षेत्र			
रेगाली विस्तार	3 × 50 मेगावाट	रेगाली	उड़ीसा
हीराकुन्ड विस्तार-3	1 × 37.5 मेगावाट	हीराकुन्ड	—वही—

कोल इन्डिया लि० में फालतू कर्मचारी

8773. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :**

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इन्डिया लि० में बड़ी संख्या में ऐसे श्रमिक हैं जो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे श्रमिकों की संख्या लगभग कितनी है; और

(ग) स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से कोल इन्डिया लि० के फालतू कर्मचारियों की समस्या हल करने में किस सीमा तक सहायता मिली है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) जी, नहीं। कोल इंडिया लि० की सभी सहायक कंपनियों में लगभग 10,000 कामगार कार्यरत हैं, इनमें से विशेषकर स्त्री कामगारों को कठिन परिस्थितियों के अन्तर्गत तथा कठिन प्रकृति के कार्यों में मानकीकृत उत्पादन प्राप्त करने के लिए अनुपयुक्त पाया गया है। कामगारों की कुल संख्या की प्रतिशतता को देखते हुए इनकी संख्या लगभग 1.5 प्रतिशत है।

(ग) अब कोल इन्डिया लि० की सहायक कंपनियों ने श्रमशक्ति को युक्तिसंगत बनाने तथा कामगारों की उत्पादकता को बढ़ाने की दृष्टि से एक स्वैच्छिक सेवा-निवृत्त योजना की शुरूआत की है। काफी कर्मचारियों ने इस योजना से लाभ उठाया है। अभी तक लगभग 1399 कर्मचारियों ने इस योजना का लाभ उठाया है और उन्होंने कोयला कंपनियों की सेवा से सेवा-निवृत्त होने का विकल्प किया है। कोयला कंपनियों को आगामी महीनों में इस योजना को अधिक कर्मचारियों द्वारा लाभ उठाने की आशा है। अतः इस योजना से कोयला कंपनियों को फालतू श्रमशक्ति की समस्या से निपटने में निश्चित रूप से मदद मिल रही है।

आठवीं योजना के दौरान उड़ीसा में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना

8774. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :**

डा० कृपासिंधु भोई :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना अवधि के दौरान उड़ीसा में इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना के लिए किन-किन शहरों को चुना गया है;

(ख) क्या संबलपुर में एक इलैक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी क्षमता कितनी होगी और इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) 8वीं योजना अवधि के दौरान उड़ीसा में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना के लिए चुने गये शहरों के नाम इस प्रकार हैं :—

(i) भुवनेश्वर

(ii) बरहामपुर

(iii) कटक

(iv) राउरकेला प्लांट

(v) बोलंगिर

(vi) जेपुर

(vii) बारीपाडा

(viii) पुरी

(ख) और (ग) चूंकि, हाल ही में सम्बलपुर में 3000 लाइनों के क्षमता का एक आई०सी०पी० संस्थापित किया गया है, इसलिए इस एक्सचेंज को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदले जाने के लिए 8वीं योजना के दौरान विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हो।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को विश्व बैंक से ऋण

8775. डा० कृपासिंधु भोई :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजनावधि के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने विश्व बैंक से ऋण प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने किस उद्देश्य के लिए विश्व बैंक से ऋण प्राप्त किया है; और

(ग) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा सातवीं योजनावधि के दौरान विश्व बैंक से अब तक कुल कितनी धनराशि का ऋण प्राप्त किया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) सातवीं योजना की अब तक की अवधि के दौरान विश्व बैंक के साथ निम्नलिखित दो परियोजनाओं में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के खोज और तेल निकालने के कार्यक्रम में सहायता देने के लिए ऋण करारों पर हस्ताक्षर किये हैं :

परियोजना का नाम	मूल्य (यू० एस० मिलियन डालर)
कैम्बे बेसिन पेट्रोलियम परियोजना	242.5
वेस्टर्न गैस डेवलेपमेंट परियोजना	295.0

आठवीं योजना के दौरान उड़ीसा में टेलीफोन कनेक्शन

8776. डा० कृपा सिंधु भोई :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आठवीं योजना अवधि के दौरान उड़ीसा में टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या दुगनी करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना अवधि के दौरान उड़ीसा में कितनी टेलीफोन लाइनों की व्यवस्था करने का विचार है; और

(ग) तत्सम्बन्धी कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) आठवीं योजना के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

पश्चिम बंगाल में एस०टी०डी० सुविधा

8777. डा० फूलरेणु गुहा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां एस०टी०डी० सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं; और

(ख) मिदनापुर जिले में तामलुक, कोरेवई, शारग्रानी और पनोकुटा जैसे विभिन्न उप मंडलों में एस०टी०डी० सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराई जाएंगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) पश्चिम बंगाल में जिन स्थानों को एस०टी०डी० सुविधा प्रदान की गई है उनके नाम इस प्रकार हैं :—

अंदल (इकतरफा), आसनसोल, हावड़ा, बरकर, बर्दवान, बर्नपुर, कलकत्ता, बजबज, बारासत, उलुबेरिया, कल्याणी, दुर्गापुर, हल्दिया, जमूरीयाहाट, कालिपोंग, खड़गपुर, मालदा, नयामतपुर, रानीगंज, रूपनारायणपुर, सिलीगुड़ी, कूचबिहार, दार्जिलिंग, कृष्णानगर, बागडोगरा, बोलपुर, चिन्सुराह, मिदनापुर, सूरी, त्रिवेणी, पुरलीया, भाटपाड़ा, सैंथिया, बाहुला, डायमंड हार्बर, फाल्टा, अलीपुरद्वार और मुसियांग।

(ख) आठवीं योजना अवधि के दौरान मिदनापुर जिले के चार उपमण्डलों अर्थात् तम्लुक कोरेवई, शारग्रानी और पनेकुरा में एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने की योजना बनायी गई है।

टेलीफोन के किराया प्रभार तथा कॉल प्रभार में वृद्धि

8778. डा० फूलरेणु गुहा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में टेलीफोन किराया प्रभार विश्व में सबसे अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) टेलीफोन किराया प्रभार तथा कॉल प्रभार में तीव्र वृद्धि होने के क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) भारत के टेलीफोन प्रभार विश्व में सबसे ऊंचे नहीं है। कई देशों में विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिए जाने वाले प्रभार प्रचलित प्रभारों की तुलना में काफी ऊंचे हैं।

(ख) टेलीफोन कनेक्शनों के लिए किराए की वर्तमान दर संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) मुख्यत: प्रचालनीय और अनुरक्षण की बढ़ती हुई लागतों को पूरा करने और विकास परक परिव्ययों तथा नई प्रौद्योगिकियों की शुरूआत के लिए संसाधन जुटाने के लिए शुल्क में वृद्धि करना जरूरी हो गया था। किरायों को छ: वर्ष के बाद 1-4-1988 से संशोधित किया गया था। दिसम्बर, 1986 से काल प्रभारों में वृद्धि तो की गई थी लेकिन साथ ही साथ एक द्विमासिक अवधि में अनुमत्य नि:शुल्क कालों की संख्या 200 से बढ़ाकर 275 तक बढ़ा दी थी।

विवरण

टेलीफोन किराए

(क) 1-4-88 से निर्धारित दर प्रणाली

एक्सचेंज प्रणाली	द्विमासिक किरायों के दर और स्थानीय काल शुल्क				
	किराया	दो महीने के दौरान नि: शुल्क कॉल यूनिटों की संख्या	नि:शुल्क कालों से अधिक हुई कालों के लिए प्रति यूनिट कॉल शुल्क		
			276 से 2000 कालों तक	2001 से 5000 कालों तक	5000 से अधिक कालों तक
1	2	3	4	5	6
1. 100 लाइनों से कम की एक्सचेंज प्रणाली	125	275	80	1	1—25
2. 100 लाइनों से अधिक लेकिन 1000 लाइनों से कम की एक्सचेंज प्रणाली	140	275	80	1	1—25
3. 1000 लाइनों से अधिक 10000 लाइनों से कम की एक्सचेंज प्रणाली	160	275	80	1	1—25

1	2	3	4	5	6
4. 10000 लाइनों से अधिक लेकिन 30000 लाइनों से कम की एक्सचेंज प्रणाली	200	275	80	1	1—25
5. 30000 लाइनों से अधिक लेकिन 100000 लाइनों से कम की एक्सचेंज प्रणाली	250	275	80	1	1—25
6. 100000 लाइनों से अधिक लेकिन 300000 लाइनों से कम की एक्सचेंज प्रणाली	300	275	80	1	1—25
7. 300000 और उससे अधिक लाइनों की एक्सचेंज प्रणाली	330	275	80	1	1—25

(ख) समानदर प्रणाली

एक्सचेंज का प्रभार		किराए की दर	
		वार्षिक	द्विमासिक
		रुपये	रुपये
1.	100 लाइनों और उससे अधिक क्षमता के 24 घन्टे सेवा प्रदान करने वाले एक्सचेंज	900	150
2.	100 लाइनों से कम की क्षमता वाले 24 घंटे सेवा प्रदान करने वाले एक्सचेंज	750	125
3.	कुछ प्रतिबन्धित घंटों तक ही सेवा प्रदान करने वाले करचल (मैनुअल) एक्सचेंज	600	100

तमिलनाडु में रसोई गैस की एजेंसियां

8779. श्री ए० जयमोहन :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में रसोई गैस की कुछ और एजेंसियां आबंटित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1989-90 के दौरान किन-किन स्थानों पर उक्त एजेंसियां आबंटित किये जाने की संभावना है; और

(ग) तमिलनाडु में रसोई गैस के सिलेंडरों की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) वर्ष 1988-89 तक की एल० पी० जी० विपणन योजना के अनुसार तेल कम्पनियों का तमिलनाडु राज्य में 39 और एल० पी० जी० वितरण केन्द्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है । उनके लिए स्थानों का नाम संलग्न विवरण में दिया गया हैं। एल० पी०जी० वितरण केन्द्रों के लिए चयन करने और उन्हें चालू करने से पूर्व अनेक कार्य करने होते हैं अतः उनके आबंटन और चालू किये जाने में लगने वाले समय के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है ।

(ग) तमिलनाडु राज्य में एल० पी० जी० सिलिंडरों की सप्लाई बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

1. मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड और सेलम के बाटलिंग संयंत्रों में बाटलिंग की क्षमता को बढ़ाना ।
2. नये कनेक्शन जारी करना ।
3. मौजूदा उपभोक्ताओं को दो सिलिंडर जारी करना ।
4. सप्लाई केन्द्रों से सप्लाई के लिए वितरकों के मांग पत्र को प्रभावी बनाने और बाद में उपभोक्ताओं तक को देने पर सूक्ष्म नजर रखना ।

विवरण

क्र० सं०	स्थान
1	2
1.	विलिंगटन
2.	तिरुचिरापल्ली (2 स्थान)
3.	नागरकोइल
4.	मिट्टूपलियम
5.	उदमलपेट्ट
6.	नमाकल्
7.	कोडायीकनाल
8.	अरकोनम
9.	तूतीकोरिन (3 स्थान)

1	2
10.	मदुरै (3 स्थान)
11.	मद्रास (9 स्थान)
12.	परम्बालूर
13.	तिरुपुर (2 स्थान)
14.	करुर
15.	थेनकनीकोट्टई
16.	इरोड (2 स्थान)
17.	सेलम (2 स्थान)
18.	कोयम्बटूर (4 स्थान)
19.	वेल्लौर
20.	तिरुत्तुरईपुंडी

दूरदर्शन धारावाहिक "महाभारत" का प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारण

8780. **श्री ए० जयमोहन :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन धारावाहिक "महाभारत" को सभी प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रादेशिक दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा इसका कब तक प्रसारण किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) महाभारत धारावाहिक को राष्ट्रीय नेटवर्क पर टेलीकास्ट किया जाता है और देश के सभी दर्शक इसे देख सकते हैं। अतः इसे प्रादेशिक केन्द्रों से प्रादेशिक भाषाओं में टेलीकास्ट करने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है।

तमिलनाडु में कावेरी वाले क्षेत्र में तेल और गैस का पाया जाना

8781. **श्री ए० जयमोहन :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में कावेरी थाले क्षेत्र में भारी मात्रा में तेल और गैस के भण्डारों का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कावेरी थाले में अभी तक कितने कुओं की खुदाई की गई है और नवीनतम आकलन के अनुसार कितना तेल और गैस मिलने की आशा है और इन्हें प्राप्त करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने 1-4-89 तक कावेरी बेसिन के तटवर्ती भाग में 85 स्थानों पर खुदाई की है। इस बेसिन के 5 तटवर्ती स्थानों पर और तीन अपतटीय स्थानों पर तेल और गैस मिली है, जो इस प्रकार है :—

स्थान	स्थिति
तटवर्ती	
करायकल	तेल
नारीमनम्	तेल और गैस
कोविलकल्लपल्	तेल और गैस
भुवनगिरी	तेल
नन्नीलम	तेल और गैस
अपतट	
पी वाई-1	गैस
पी एच-9	तेल
पी वाई-3	तेल

कावेरी बेसिन में 1-1-89 को 15.71 मिलियन टन कच्चे तेल का और 14.44 बिलियन घन मीटर गैस के भूगर्भीय भंडार का होना साबित हुआ है।

फिलहाल 3 तटवर्ती स्थानों अर्थात् नारीमनम्, कोविलकल्लपल् और भुवनगिरी से शीघ्र उत्पादन प्रणाली के द्वारा तेल का उत्पादन किया जा रहा है। तेल की औसत दैनिक उत्पादन दर लगभग 190 टन प्रतिदिन है और संबद्ध गैस की औसत बिक्री दर 12,000 घन मीटर प्रतिदिन है।

इस कच्चे तेल को मद्रास रिफाइनरी लिमिटेड (एम० आर० एल०) को भेजा जा रहा है। सम्बद्ध गैस को मैसर्स इंडियन स्टील्स रोलिंग मिल्स, मैसर्स किरन सिलीकेट्स और मैसर्स श्री जया देवी इंडस्ट्रीज को सप्लाई किया जा रहा है। 3 हजार घन मीटर प्रतिदिन सप्लाई देने के लिए अगले पृष्ठ पर लिखित चार अन्य उपभोक्ताओं के साथ करार किये गये हैं :—

1. मैसर्स सनराईस सिलीकेट्स
2. मैसर्स मद्रास कैमिकल्स
3. मैसर्स दीपक कैमिकल्स वर्क्स
4. मैसर्स शादरा सिलीकेट्स

अखबारी कागज का उत्पादन

8782. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अखबारी कागज की कमी है;

(ख) यदि हां, तो अखबारी कागज का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) अखबारी कागज के उत्पादन के मामले में देश के किस वर्ष तक आत्मनिर्भर होने की आशा है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं। अखबारी कागज की आवश्यकता को स्वदेशी उत्पादन और आयात दोनों के द्वारा पूरा किया जाता है।

(ख) और (ग) देश में अखबारी कागज की अधिष्ठापित क्षमता और उत्पादन बढ़ाने के लिए किये गये कार्यों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

1. अखबारी कागज उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता, जो 1979-80 में 75000 मी० टन प्रति वर्ष थी, को 1987-88 तक बढ़ाकर 3 लाख मी० टन प्रति वर्ष कर दिया गया है।
2. इस बात का सुनिश्चय किया जा रहा है कि अधिष्ठापित क्षमता का अधिक उपयोग हो।
3. औद्योगिक लाइसेंसों/आशय पत्रों के माध्यम से 5.10 लाख मी० टन की अतिरिक्त क्षमता का अनुमोदन किया गया है जिसका कार्यान्वियन हो रहा है।
4. कुछ शर्तें पूरी करने पर विद्यमान कागज मिलों को अखबारी कागज का निर्माण आरंभ करने की सुविधाएं दी जा रही हैं।

भुवनेश्वर (उड़ीसा) में इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

8783. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में भुवनेश्वर में 5000 लाइनों की क्षमता वाला एक इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) वहां पर इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज कब तक स्थापित की जाएगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां।

(ख) संस्थापना कार्य चालू कर दिया गया है।

(ग) इस इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के 1989-90 के दौरान स्थापित हो जाने की संभावना है।

नई औद्योगिक नीति

[हिन्दी]

8784. **श्री काली प्रसाद पांडेय** :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक नीति उदार बनाने से सामान्यतः औद्योगिक प्रगति हुई है जबकि कुछ उद्योगों पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो उन उद्योगों के नाम क्या हैं जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और उनकी स्थिति सुधारने के लिए क्या वैकल्पिक प्रबंध किये गये हैं;

(ग) क्या नई औद्योगिक नीति केवल गैर-सरकारी उद्योगों पर लागू की गई है और सरकारी क्षेत्र के उद्योगों पर इसे लागू नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस नीति को सरकारी क्षेत्र के उद्योगों पर भी लागू करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) औद्योगिक लाइसेंस देने की नीति को उदार बनाने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा किए गए उपायों में शामिल हैं :—एम०आर०टी०पी०/फेरा तथा गैर-एम०आर०टी०पी०/गैर-फेरा कंपनियों के लिए विशिष्ट उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करना, क्षमता उपयोग, आधुनिकीकरण एवं न्यूनतम आर्थिक माप क्षमताओं के आधार पर लाइसेंस प्राप्त क्षमता का पुनः पृष्ठांकन, विशदीकरण (ब्राड बैंडिंग), निर्यात के लिए लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक उत्पादन करने की स्वतंत्रता, आशय पत्रों की वैधता अवधि बढ़ाकर 1 वर्ष से 3 वर्ष करना, पिछड़े क्षेत्रों में अचल परिसम्पत्ति में 50 करोड़ रु० तक निवेश करने वाले तथा अन्य क्षेत्रों में 15 करोड़ रु० तक निवेश करने वाले औद्योगिक उपक्रमों को लाइसेंस प्राप्त करने की छूट।

इन उपायों से औद्योगिक विकास में तेजी आयी है और हमारे उद्योग की कार्यकुशलता तथा प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार हुआ है। पिछले चार वर्षों में औद्योगिक विकास की वार्षिक दर लगातार 8% प्रति वर्ष से अधिक रही है। प्रतिस्पर्द्धा संबंधी दबावों के कारण उद्योग की अपनी प्रौद्योगिकी का उन्नयन करने, गुणवत्ता में सुधार करने तथा उत्पादन की लागत कम करने के लिए उनकी जानकारी में वृद्धि हो रही है। जिन उद्योगों ने बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा से निपटने के लिए अपनी प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण अथवा उन्नयन नहीं किया है वे अपने लाभ को प्रतिकूल रूप से प्रभावित पायेंगे। जबकि सभी औद्योगिक एककों के लिए यह बात प्रायः सत्य है, किन्तु यह कहना सम्भव नहीं है कि इन उपायों से किसी विशिष्ट उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ग) और (घ) उदारीकरण सम्बन्धी उपाय निजी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों पर लागू हैं। तथापि, सरकारी क्षेत्र अथवा लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों को इन उपायों से बाहर रखा गया है।

मध्य प्रदेश में दाहोद सहित आदिवासी क्षेत्रों में दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना

[अनुवाद]

8785. **श्री सोमजीभाई डामर :**

श्री अमर सिंह राठवा :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना संबंधी मानदण्ड क्या हैं;

(ख) दूरदर्शन रिले केन्द्र अब तक किन-किन स्थानों में स्थापित किए जा चुके हैं;

(ग) देश के आदिवासी क्षेत्रों में किन-किन स्थानों पर अब तक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं; और

(घ) आदिवासी लोगों की सुविधा हेतु दाहोद में दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) संसाधनों और आधार-भूत सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए, ग्रामीण, पहाड़ी, पिछड़े, आदिवासी, दूरदराज, संवेदनशील और सीमावर्ती क्षेत्रों को उचित प्राथमिकता देते हुए चरणवार ढंग से अधिकतम संभावित जनसंख्या को दूरदर्शन कवरेज देने के उद्देश्य से ट्रांसमीटरों के स्थल/अवस्थिति का चयन किया जाता है। दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की अवस्थिति का निर्णय लेने के लिए राष्ट्रीय विकास परियोजनाओं वाले क्षेत्रों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है।

(ख) और (ग) देश में इस समय कार्यरत 335 दूरदर्शन ट्रांसमीटरों (द्वितीय चैनल ट्रांसमीटर को छोड़कर) में से 135 ट्रांसमीटर राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों तथा आदिवासी उप योजना (टी० एस० पी०) जिलों में स्थित हैं जहां 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी है। इसके अलावा, टी० एस० पी० क्षेत्र भी अनेक मामलों में निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थित दूरदर्शन ट्रांसमीटरों से दूरदर्शन सेवा प्राप्त करते हैं। कुछ आदिवासी क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटरों सहित देश में दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की अवस्थिति संलग्न विवरण में दी गयी है।

(घ) गुजरात के पंचमहल जिले के भागों को अहमदाबाद के उच्च शक्ति (10 किलोवाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर तथा गोधरा में कार्यरत अल्प शक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर से दूरदर्शन सेवा उपलब्ध होती है। तथापि, दाहोद शहर इन ट्रांसमीटरों के कवरेज क्षेत्र से बाहर पड़ता है और इसलिए; यह कवर नहीं होता है। दाहोद शहर सहित देश के कवर न हुए शेष भागों में दूरदर्शन सेवा का विस्तार, इस प्रयोजन के लिए संसाधनों की भावी उपलब्धता पर निर्भर करते हुए चरणवार ढंग से किया जा सकता है।

विवरण

+देश के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में तथा आदिवासी उप योजना क्षेत्रों में स्थित दूरदर्शन ट्रांसमीटरों सहित भारत में दूरदर्शन ट्रांसमीटर (9-9-89 की स्थिति के अनुसार)।

राज्य	उ०श०ट्रां० (2×10 कि०वा०/ 10 कि०वा०/1 कि०वा०	अ०श०ट्रां० (100 वाट)	अ०अ०श०ट्रां० (2×10 वाट)
1	2	3	4
1. असम	डिब्रूगढ़+(10 कि०वा०) गुवाहाटी+(10 कि०वा०) सिलचर+(0 कि०वा०)	जोरहाट+ कोकराझार+ नंजीरा+ तेजपुर+ दीफू+	
2. आंध्र प्रदेश	हैदराबाद (10 कि०वा०) विजयवाड़ा (10 कि०वा०) विशाखापट्टनम+(10 कि०वा०)	अदिलाबाद+ अदोनी अनंतपुर कुडप्पा काकीनाडा+ करीमनगर खम्मम+ कुरनूल महबूब नगर नेल्लोर ओंगोल निजामाबाद प्रोदुत्तूर रामगुण्डम राजमुंदरी+ तिरुपति वारंगल+	

1	2	3	4
3. अरुणाचल प्रदेश		ईटानगर+	अलोंग+
		पासीघाट+	बोमडिला+
		तेजू+	मियाओ+
			नामसे+
			होइंस+
			सेप्पा+
			तासांग+
			जीरो+
4. बिहार	मुजफ्फरपुर (1 कि०वा०)	बोकारो	
	पटना (10 कि०वा०)	बेतिया	
	रांची+ (10 कि०वा०)	बेगुसराय	
		भागलपुर	
		दरभंगा	
		धनबाद	
		गया	
		गिरिडीह	
		जमशेदपुर+	
		मोतीहारी	
		मुंगेर	
		पूर्णिया	
		सहरसा	
		सीतामढ़ी	
		सीवान	
5. गोवा	पणजी (10 कि०वा०)		
6. गुजरात	अहमदाबाद (10 कि०वा०)	आहवा+	
	द्वारका (10 कि०वा०)	अमरेली	
	राजकोट (10 कि०वा०)	भरूच+	
	भिज (1 कि०वा०)	भावनगर	
		भुज	

1	2	3	4
		गोधरा+	
		जूनागढ़	
		नावासारी+	
		पालनपुर+	
		पाटन	
		पोरबंदर	
		सूरत+	
		सुरेन्द्रनगर	
		बदोदरा+	
		वलसाद+	
		वेरावल	
7. हरियाणा		भिवानी	
		हिसार	
		नारनौल	
8. हिमाचल प्रदेश	कसौली (10 कि०वा०)	कुल्लू	चम्बा+
		शिमला	किलोन
		मंडी	ऊना
		बिलासपुर	
		धर्मशाला	
9. जम्मू और कश्मीर	जम्मू (10 कि०वा०)	लेह	किस्तावर
	पुंछ (10 कि०वा०)	कारगिल	राजौरी
	श्रीनगर (10 कि०वा०)		उधमपुर
10. केरल	कोचीन+(10 कि०वा०)	कालीकट+	
	त्रिवेन्द्रम+(10 कि०वा०)	कन्नानोर+	
		कालपेट्टा+	
		कासरगौड	
		मल्लापुरम+	
		पालघाट+	

1	2	3	4
11. कर्नाटक	बंगलौर (10 कि०वा०)	बेलगांव	
	गुलबर्गा (1 कि०वा०)	बीदर	
		बेल्लारी	
		भद्रवती	
		बीजापुर	
		चिकमंगलूर+	
		धारवाड़	
		दावणगेरे	
		गदग बेटगारी	
		हसन	
		हासपेट	
		कारवाड़	
		मदजकेरी+	
		मंगलौर+	
		मैसूर+	
		रायचूर	
		उदिपि	
12. मध्य प्रदेश	भोपाल (10 कि०वा०)	अंबिकापुर+	
	इंदौर (10 कि०वा०)	बेलाडीला+	
	रायपुर+(1 कि०वा०)	बेतुल+	
		बिलासपुर+	
		बुरहनपुर+	
		छतरपुर	
		छिंदवाड़ा+	
		ग्वालियर	
		गुना	
		दमोह	
		जगदलपुर	
		जबलपुर+	
		झाबुआ+	

1	2	3	4
		खंडवा+	
		खरगांव+	
		कोरबा	
		मंदसौर	
		मंडला+	
		मुरवाड़ा	
		नरसिंहपुर	
		नीमच	
		पन्ना	
		रतलाम+	
		रायगढ़+	
		राजगढ़	
		रीवा	
		सागर	
		सिवनी+	
		शहडोल+	
		शिवपुरी	
		सिंगरौली	
		सिधि+	
		टीकमगढ़	
		सतना	
13. मेघालय	तुरा+ (10 कि०वा०)	जोवाई+	
		शिलांग+	
14. महाराष्ट्र	बम्बई (चै० 1) (10 कि०वा०)	अहमदनगर+	
	बम्बई (चै० 2) (10 कि०वाट)	अकोला	
	नागपुर (10 कि०वा०)	अमरावती	
	पुणे+ (10 कि०वा०)	औरंगाबाद	
		बीड	
		भुसावल	

1	2	3	4
		चन्द्रपुर+	
		बुल्डाना	
		धुले+	
		गढ़चिरोली+	
		गोंदिया	
		जलगांव+	
		जालना	
		कोल्हापुर	
		लातुर	
		मालेगांव+	
		नांदेड़+	
		नासिक+	
		उस्मानाबाद	
		परभणी	
		पुसाद+	
		रत्नागिरी	
		सांगली	
		सतारा	
		शोलापुर	
		यवतमाल+	
15. मणिपुर	इम्फाल (1 कि०वा०)	उखरूल+	सेनापुटी
16. मिजोरम		आइजोल+	लुंगलेई+
			सैटा+
17. नागालैंड	कोहिमा+ (1 कि०वा०)	दीमापुर+	मोन+
		त्वेनसांग+	
18. उड़ीसा	कटक (10 कि०वा०)	बालेश्वर+	
	सम्बलपुर+ (1 कि०वा०)	बारीपाड़ा+	
		बरहामपुर+	
		भवानीपटना+	

1	2	3	4
		बोलनगीर	
		जैपोर+	
		कोरापुट+	
		फुलबनी+	
		राउरकेला+	
		सुन्दरगढ़	
19. पंजाब	अमृतसर (10 कि०वा०) भटिंडा (10 कि०वा०) जालंधर (10 कि०वा०)	पठानकोट	
20. राजस्थान	जयपुर (10 कि०वा०)	अजमेर	रावतभाटा+
		अलवर	
		बांसवाड़ा+	
		बाड़मेर	
		भीलवाड़ा	
		बीकानेर	
		चित्तौड़गढ़	
		चुरू	
		डूंगरपुर+	
		गंगानगर	
		झालावाड़	
		जैसलमेर	
		झुनझुनूं	
		जोधपुर	
		खेतड़ी	
		कोटा	
		नागौर	
		पिलानी	
		पाली	
		सूरतगढ़	

1	2	3	4
		सिरसी+	
		सीकर	
		उदयपुर	
21. सिक्किम		गंगटोक	मंगन+
22. तमिलनाडु	कोडईकनाल (10 कि०वा०)	कोयम्बटूर	
	मद्रास (चै० 1) (10 कि०वा०)	कुम्बाकोनम	
		नेवेली+	
	मद्रास (चै० 2) (10 कि०वा०)	सैलम+	
		तिरुचिरापल्ली+	
		वेल्लोर+	
		नागरकोइल	
		धर्मापुरी+	
23. त्रिपुरा	अगरतला+ (10 कि०वा०)		
24. उत्तर प्रदेश	आगरा (10 कि०वा०)	अलीगढ़	
	इलाहाबाद (10 कि०वा०)	बहराइच	अल्मोड़ा
	गोरखपुर (10 कि०वा०)	बलिया	मनकापुर
	कानपुर (10 कि०वा०)	बांदा	गोपेश्वर
	लखनऊ (10 कि०वा०)	बरेली	हल्द्वानी
	मसूरी (10 कि०वा०)	देवरिया	कौसानी
	वाराणसी (10 कि०वा०)	इटावा	उत्तरकाशी
		फैजाबाद	
		फर्रुखाबाद	
		गौरीगंज	
		हरदोई	
		झांसी	
		ललितपुर	
		लखीमपुर+	

1	2	3	4
		मैनपुरी	
		मुरादाबाद	
		नैनीताल	
		ओरई	
		पौड़ी	
		पिथौरागढ़	
		पूरनपुर	
		रायबरेली	
		रामपुर	
		सम्भल	
		शाहजहांपुर	
		सुल्तानपुर	
		टनकपुर	
25. पश्चिम बंगाल	आसनसोल + (10 कि०वा०)	बालूरघाट +	
	कलकत्ता (चै० 1—10 कि०वा०)	बर्धमान +	
	कलकत्ता (चैन० 2—10 कि०वा०)	दार्जिलिंग +	
	कुर्सियांग (10 कि०वा०)	[illegible]पुर +	
	मुर्शिदाबाद + (10 कि०वा०)	मालदा +	
		मेदिनीपुर +	
		शांतिनिकेतन +	
संघ शासित क्षेत्र			
1. दिल्ली	दिल्ली (चै० 1—2× 10 कि०वा०)		
	दिल्ली (चै० 2—10 कि०वा०)		
2. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह		कार निकोबार +	कैम्पबेल बे
		[illegible]	[illegible]पुर
			हटबे
			मायाबंदर
			[illegible]
			रंगत

1	2	3	4
3. दमन और दीव		दमन +	दीव
4. पांडिचेरी		पांडिचेरी	माहे कराईकाल यानम
5. लक्षद्वीप द्वीपसमूह			अगत्ती + अमीनी + अंड्रोट + चेटलट + कालपेनी + कवारत्ती + कदहृत + मिनीकाय + किल्टोन +
6. चंडीगढ़		चंडीगढ़	
7. दादरा और नगर हवेली			सिलवासा +

राष्ट्रीय ग्रामीण और लघु उद्योग आयोग की स्थापना

8786. श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय ग्रामीण और लघु उद्योग आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि इस क्षेत्र द्वारा की गई प्रगति की व्यापक जांच की जा सके और इसमें सुधार और आधुनिकीकरण के लिए सिफारिशें दी जा सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली और अहमदनगर (महाराष्ट्र) के बीच एस० टी० डी० सुविधा

8787. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार दिल्ली और अहमदनगर (महाराष्ट्र) के बीच एस० टी० डी० सुविधा आरम्भ करने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यह प्रणाली कब तक चालू हो जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) अहमदनगर के लिए कोड—0241 से दिल्ली-अहमदनगर के बीच एस० टी० डी० सुविधा पहले ही काम कर रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

आकाशवाणी द्वारा विदेशी भाषाओं में कार्यक्रमों का प्रसारण

8788. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी द्वारा कौन-कौन-सी विदेशी भाषाओं में विभिन्न कार्यक्रम और समाचार प्रसारित किए जाते हैं;

(ख) इस संबंध में श्रोताओं की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) वर्ष 1987-88 के दौरान श्रोताओं द्वारा दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन कार्यक्रमों से विदेशों में ज्ञात हमारी विदेश नीति के विभिन्न पहलुओं को तैयार करने में सहायता मिली है; और

(ङ) क्या सरकार का आकाशवाणी पर कुछ और विदेशी भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) आकाशवाणी अपनी विदेश सेवा में सोलह भाषाओं अर्थात् अरबी, बलूची, बर्मी, चीनी, दारी, फ्रेंच, इंडोनेशियाई, नेपाली, पर्शियन, पश्तो, रूसी, सिंहली, स्वाहिली, थाई, तिब्बती और अंग्रेजी में कार्यक्रम प्रसारित करती है। जिसमें समाचार बुलेटिन भी शामिल होते हैं। स्वदेशी सेवा में भी आकाशवाणी भूटानी, फ्रेंच, नेपाली और पुर्तगाली में कार्यक्रम प्रसारित करती हैं।

(ख) आकाशवाणी के विदेश सेवा प्रभाग द्वारा प्राप्त पत्रों के माध्यम से श्रोताओं की प्रतिक्रिया सभी सेवाओं के सम्बन्ध में करीब 1200 पत्र प्रतिदिन है।

(ग) श्रोताओं द्वारा दिए गए अधिकांश सुझाव इन बातों से सम्बन्धित होते हैं : (1) संग्रहण की गुणवत्ता, (2) कतिपय सेवाओं, जैसे—बलूची, दारी और सिंधी की अवधि बढ़ाना।

(घ) जी, हां। वास्तव में तो, आकाशवाणी की विदेश सेवा के उद्देश्यों में एक स्पष्ट उद्देश्य विदेशों में हमारी विदेश नीति के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देने में मदद करना है।

(ङ) अनेक कार्यक्रमों को प्रसारित करने के लिए और अधिक विदेशी भाषाओं को शामिल करना आकाशवाणी का प्रयास रहता है। परन्तु ऐसा करना संसाधनों की उपलब्धता और श्रोताओं की रुचि पर निर्भर है।

पंजाब में पारम्परिक और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत का उत्पादन

8789. श्री कमल चौधरी :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजनावधि के दौरान पंजाब में पारम्परिक और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) ऊर्जा के उपरोक्त प्रत्येक स्रोत से संबंधित अब तक क्या उपलब्धियां रहीं;

(ग) प्रत्येक मद में कितनी कमी रही; और

(घ) पंजाब में विद्युत उत्पादन में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) पंजाब में विद्युत की उपलब्धता को सुधारने के लिए विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं जिनमें—अतिरिक्त क्षमता को शीघ्रता से प्रचालन करना, विद्यमान क्षमता से उत्पादन को अधिकतम करना, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी लाना, ऊर्जा संरक्षण तथा मांग प्रबन्ध उपायों को लागू करना, निकटवर्ती प्रणालियों से सहायता लेना आदि जैसे उपाय सम्मिलित हैं। इसके अलावा इस राज्य को केन्द्र क्षेत्र की परियोजनाएं जो उत्तरी क्षेत्र में स्थापित की जा रही हैं से भी इसका हिस्सा दिया जायेगा।

विवरण

1985-86 से 1989-90 के दौरान पंजाब में लक्ष्य वास्तविक उत्पादन, कमी (—)/अधिशेष (+) तथा प्रतिशत उपलब्धि

वर्ष	श्रेणी	उत्पादन			
		लक्ष्य (मे०वा०घ०)	वास्तविक (मे०वा०घ०)	(+)/(—) (मे०वा०घ०)	लक्ष्य का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1985-86	ताप विद्युत जल	4100	4275	(+) 275	104.3
	विद्युत जोड़	1770	1487	(—) 283	84.0
		5870	5762	(—) 108	90.2

2	2	3	4	5	6
1986-87	ताप विद्युत	5000	5143	(+) 143	102.9
	जल विद्युत	1685	1622	(—) 63	96.3
	जोड़	6685	6765	(+) 80	102.2
1987-88	ताप विद्युत	4800	5403	(+) 603	112.6
	जल विद्युत	1665	1794	(+) 129	107.7
	जोड़	6465	7197	(+) 732	111.3
1988-89	ताप विद्युत	6210	4805	(—)1405	77.4
	जल विद्युत	1900	1743	(—) 157	91.7
	जोड़	8110	6548	(—)1562	00.7
1989-90*	ताप विद्युत	7270	179*	—	—
	जल विद्युत	2493	257*	—	—
	जोड़	9763	436*	—	—

*केवल अप्रैल, 1989 के लिए वास्तविक उत्पादन

नोट : अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत से पंजाब में सातवीं योजना अवधि के लिए कोई भी लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है ।

होशियारपुर (पंजाब) में दूरसंचार सुविधाओं का विस्तार

8790. श्री कमल चौधरी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का होशियारपुर (पंजाब) में दूरसंचार सुविधाओं का विस्तार करने और/अथवा आधुनिकीकरण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां ।

(ख) होशियारपुर में एक नया टेलीफोन एक्सचेंज भवन निर्माणाधीन है। यहां पर 4500 लाइनों का एक आई०सी०पी० एक्सचेंज संस्थापित करने का प्रस्ताव है जिसकी मदद से वर्ष 1990-91 के दौरान 2,100 लाइनों की क्षमता वाले मौजूदा स्ट्रोजर एक्सचेंज को बदल दिया जाएगा ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

होशियारपुर (पंजाब) में डाकघर खोलना

8791. श्री कमल चौधरी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1989-90 में पंजाब में, विशेषकर होशियारपुर जिले में नये डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो ये डाकघर कहां-कहां खोले जाएंगे ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) चोहल फैक्टरी एरिया में एक डाकघर खोलने का प्रस्ताव है। अन्य प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

पंजाब में महत्वपूर्ण उद्योग स्थापित करना

8792. **श्री कमल चौधरी :**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में कोई महत्वपूर्ण उद्योग स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) :(क) और (ख) पंजाब के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985—90) में जिन परियोजनाओं के लिए प्रावधान किये गये हैं का विवरण संलग्न है।

इसके अलावा, पंजाब में इस समय निम्नलिखित औद्योगिक एकक स्थापित किये जा रहे हैं :—

1. 310.99 करोड़ रु० की लागत से रेलवे कोच फैक्ट्री, कपूरथला।
2. 160.5 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से डीजल कम्पोनेंट वर्क्स, पटियाला।
3. 24.84 करोड़ रु० की लागत से भटिंडा में सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट।

पंजाब में विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित करने के लिए निम्नलिखित आशय-पत्र और औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं :—

वर्ष	आशय-पत्र	औद्योगिक लाइसेंस
1986	47	37
1987	38	19
1988	45	19
1989	6	2
(फरवरी, 1989 तक)		

ये आशय-पत्र और औद्योगिक लाइसेंस कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

विवरण

क्र० सं०	उपक्रम का नाम		सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985—90) परिव्यय (रु० करोड़ में)
1.	नेशनल फर्टीलाइजर लिमिटेड		110.53
	(क) इलेक्ट्रो-लाइसेंस संयंत्र का प्रतिस्थापन, नांगल	30.84	
	(ख) सी० ए० एन० संयंत्र की पुनः मरम्मत, नांलग	4.00	
	(ग) कैप्टिव पावर संयंत्र, भटिंडा (आवंटित)	59.87	
	(घ) प्रतिस्थापन, नवीकरण इत्यादि (आवंटित)	5.00	
	(ङ) वि० और० प्रौ० (विज्ञान और प्रौद्योगिकी)	2.00	
	(च) नांगल और भटिंडा में नई योजनाएं	8.82	
2.	एच० एम० टी० लि०, मोहाली		8.88
	(क) ट्रेक्टर एक्सपेंशन और एग्रीकल्चरल मशीनरी असेम्बली यूनिट	2.88	
	(ख) न्यू स्कीम्स आटो फाउंड्री एक्सपेंशन इत्यादि (आवंटित)	1.00	
	(ग) प्रतिस्थापन, नवीकरण, अनुसंधान और विकास इत्यादि	5.00	
3.	सेमी-कंडक्टर कम्पलैक्स लि०, मोहाली		5.00
4.	ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन—आधुनिकीकरण, श्रमिकों युक्तिकरण इत्यादि, धारिवाल		13.00
		योग :	177.41

नागपुर टेलीफोन एक्सचेंज

8793. श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर टेलीफोन एक्सचेंज से सम्बद्ध टेलीफोन सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, फरवरी और मार्च, 1988 के दौरान कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) टेलीफोनों को सही करने में सम्बद्ध अधिकारीगण कितना समय लेंगे; और

(घ) नागपुर में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना करने के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रति माह प्रति 100 टेलीफोनों की शिकायतों की संख्या इस प्रकार है :—

जनवरी, 1989	31
फरवरी, 1989	29
मार्च, 1989	27

(ग) टेलीफोनों को यथा शीघ्र पुनः स्थापित कर दिया जाता है। अधिकांश मामलों में टेलीफोनों की खराबी अगले दिन से पूर्व दूर कर दी जाती है।

(घ) इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना का कार्य प्रगति पर है और इसे जून, 1989 के अन्त तक चालू कर दिये जाने की योजना है।

महाराष्ट्र के नागपुर जिले में कोयले के भंडार

8794. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ महीनों के दौरान महाराष्ट्र के नागपुर जिले में कोयले के नये भण्डारों का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो कोयले की खोज के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) सरकार का नागपुर जिले में कोयले की खोज के काम में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) से (ग) जी, नहीं। पिछले कुछ महीनों के दौरान महाराष्ट्र के नागपुर जिले में कोयले के कोई नये भण्डार नहीं पाए गए हैं। नागपुर जिले के नये ब्लाकों में अन्वेषण ड्रिलिंग कार्य शुरू किया गया है। इस जिले में शुरू किए गए ड्रिलिंग कार्य में वर्ष 1987-88 के 10,400 मीटर की ड्रिलिंग से वर्ष 1988-89 में 17,000 मीटर ड्रिलिंग की वृद्धि हुई है। वर्ष 1989-90 में कुल 24,000 मीटर ड्रिलिंग किए जाने का कार्यक्रम है।

उड़ीसा के आनन्दपुर सब-डिवीजन में दूरसंचार सुविधा

8795. **श्री हरिहर सोरन** :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में क्योंझर जिले का आनन्दपुर सब-डिवीजन दूरसंचार सुविधाओं के मामले में पिछड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आनन्दपुर में 100 लाइन क्षमता का टेलीफोन एक्सचेंज लगभग बन्द हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इसे चालू करने तथा उड़ीसा के आनन्दपुर में दूरसंचार सुविधाओं का विकास करने हेतु क्या कार्यवाही की है?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) आनन्दपुर में 100 लाइन के सी०बी०एन०एम० बोर्ड की क्षमता समाप्त हो चुकी है और जुलाई, 1989 के अन्त तक इसके स्थान पर 100 लाइन का एक नया सी०बी०एन०एम० बोर्ड लगाए जाने की संभावना है। आठवीं योजना के दौरान इस एक्सचेंज को आटोमेटिक बना दिये जाने की संभावना है।

उड़ीसा में बारबिल और दिल्ली के बीच एस० टी० डी० सुविधा

8796. **श्री हरिहर सोरन** :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1989-90 के दौरान उड़ीसा में बारबिल और दिल्ली के बीच एस०टी०डी० सुविधा उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) फिलहाल बारबिल और दिल्ली के बीच एस०टी०डी० शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु के पिछड़े क्षेत्रों में माइक्रोवेव केन्द्रों की स्थापना

8797. **श्री ए० जयमोहन** :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार व्यवस्था में सुधार करने के लिए तमिलनाडु के उत्तर अरकोट जिले, विशेषरूप से वाणियमवाडि, तिरुप्पतूर तथा वेल्लोर की तरह पिछड़े क्षेत्रों में माइक्रोवेव केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आठवीं योजना में इसके लिए कितनी धनराशि नियत करने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां।

(ख) आठवीं योजना में तिरूप्पतूर तथा वाणियमवाडि के बीच 120 चैनल 8 एम बी/एस की

एक डिजिटल यू०एच०एफ० प्रणाली की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। इस लिंक का विस्तार 34 एम० बी/एस आप्टिकल फाइबर केबिल प्रणाली के जरिए वेल्लोर तक किया जाएगा। वेल्लोर एक कोएक्सियल स्टेशन होने के कारण पहले ही राष्ट्रीय संचारण नेटवर्क से जुड़ा हुआ है।

(घ) उपयुक्त निधि का आबंटन आठवीं योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद किया जाएगा।

तमिलनाडु के तंजावूर जिले में तेल और गैस की खोज

8798. श्री एस सिंगरावडीवेल :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तंजावूर जिले के कावेरी बेसिन में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज में हुई प्रगति की अद्यतन स्थिति क्या है;

(ख) इस जिले में प्रचुर मात्रा में उच्च कोटि के तेल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इस जिले में एक तेल शोधक कारखाने की स्थापना के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार नये उद्योगों के उपयोग के लिये तंजावूर जिले में उपलब्ध प्राकृतिक गैस को तंजावूर जिले में ही आबंटित करने का है; और

(घ) तंजावूर जिले में तेल और गैस की खोज के लिए अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) मार्च, 1988 में नन्जीलम में तेल और गैस की प्राप्ति के अतिरिक्त अभी हाल में कावेरी बेसिन के तंजावूर में कमलापुरम् कूप सं० 1 में तेल होने का पता चला है।

(ख) सरकार ने कावेरी बेसिन में उत्पादित कच्चे तेल के प्रसंस्करण के लिए आवश्यक प्राथमिक सुविधाएं लगाने के बारे में मद्रास रिफाइनरी लिमिटेड को कहा है।

(ग) उस क्षेत्र में अनेक उद्योगों को प्राकृतिक गैस देने के वचन दिये गये हैं।

(घ) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग खर्च का जिलांवार ब्यौरा नहीं रखता है। तथापि, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा कावेरी बेसिन में 31-3-88 तक की स्थिति को किये गये समेकित खर्च का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

(करोड़ रुपये)

	व्यय	मूल्यह्रास	कुल
अन्वेषण ड्रिलिंग	168.24	33.85	202.09
विकास ड्रिलिंग	9.30	12.89	22.19
प्री प्रोड्यूसिंग प्रोपर्टिज सहित			
	177.54	46.74	224.28

तंजावूर टेलीफोन एक्सचेंज में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

8799. **श्री एस० सिंगरावडीवेल :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तंजावूर टेलीफोन कनेक्शनों के लिए श्रेणीवार कितने व्यक्तियों का नाम प्रतीक्षा सूची में दर्ज में है;

(ख) इन व्यक्तियों के नाम प्रतीक्षा में कब से हैं;

(ग) उनको टेलीफोन उपलब्ध कराने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) प्रतीक्षा सूची समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) 31-3-89 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की श्रेणीवार संख्या नीचे दी गई है :

श्रेणी	**प्रतीक्षा सूची**
ओवाईटी विशेष	5
ओवाईटी सामान्य	3
गैर ओवाईटी विशेष	69
गैर ओवाईटी सामान्य	1573

(ख) प्रतीक्षा सूची में प्रतीक्षारत सर्वप्रथम व्यक्ति की श्रेणीवार तारीख नीचे दी गई है :

श्रेणी	**प्रतीक्षा सूची में प्रतीक्षा कर रहे सर्वप्रथम व्यक्ति की तारीख**
ओवाईटी विशेष	9-1-89
ओवाईटी सामान्य	13-3-89
गैर ओवाईटी विशेष	9-5-88
गैर ओवाईटी सामान्य	13-3-87

(ग) 7वीं योजना का उद्देश्य एम०ए०एक्स०-1 एक्सचेंजों के सम्बन्ध में 1-4-87 तक की अवधि की औसत मांग को पूरा करना है और तंजावूर एक्सचेंज से सम्बन्धित इन उद्देश्यों को 1989-90 के अन्त तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है।

(घ) तंजावूर एक्सचेंज में 3000 से 4000 लाइनों तक, 1000 लाइनें बढ़ायी जाने की संभावना है।

भारतीय प्रेस परिषद में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित कर्मचारी

8800. कुमारी ममता बनर्जी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रेस परिषद अपने कर्मचारियों की नियुक्ति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का कोई आरक्षण कोटा रखती है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय प्रेस परिषद में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित कुल कितने कर्मचारी हैं और 31-3-1989 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित कर्मचारियों की प्रतिशतता कितनी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) प्रेस परिषद के स्टाफ में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। 31-3-89 की स्थिति के अनुसार परिषद के 66 कर्मचारियों में से 6 कर्मचारी अनुसूचित जाति के हैं तथा एक कर्मचारी अनुसूचित जनजाति का है जो कि 10.6 प्रतिशत है।

(ग) उपयुक्त सुधारात्मक उपाय करने के लिए सरकार मामले की जांच कर रही है।

भारतीय प्रेस परिषद में की गई नियुक्तियां

8801. कुमारी ममता बनर्जी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रेस परिषद ने उन वेतनमानों में अनेक पदों पर नियुक्तियां की हैं जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा उन पदों के लिए निर्धारित वेतनमानों से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इनमें प्रत्येक श्रेणी में नियुक्त कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में कितना वित्तीय खर्च आया है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने इस परिषद के कार्यकलापों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मामले में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के अनुच्छेद 26(ख) के अनुसरण में परिषद केवल केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से ही अपने कर्मचारियों की सेवाओं की शर्तों को विनिर्दिष्ट करते हुए विनियम बना सकती है। इसके अतिरिक्त, भारतीय प्रेस परिषद नियमावली, 1979 के नियम 8 क(1) में यह उल्लेख है कि वेतनमान अपनाने, भत्ते स्वीकार करने और उनका संशोधन करने तथा अधिकतम वेतनमान 4500 रुपये प्रति माह से अधिक होने पर पदों के सृजन सहित परिलब्धि संरचना से सम्बन्धित सभी प्रस्ताव केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति से ही किए जाएंगे। अक्तूबर,

1984 में ऊपर उल्लिखित अनुच्छेद 26(ख) के अनुसरण में सरकार ने परिषद द्वारा प्रस्तावित पदों के वेतनमानों की संशोधित अनुसूची का सुझाव दिया था। इस मामले का अभी निपटान किया जाना है। प्रसंगवश यह उल्लेखनीय है कि यह मामला लेखा परीक्षा पैरा का भी विषय है जिस पर सरकार ध्यान दे रही है।

केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी संस्थान में अनियमितताएं

8802. **श्री एन० डेनिस :**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के प्रबन्धकों के विरुद्ध कुछ अनियमितताओं तथा शिकायतों की ओर केन्द्रीय सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई जांच पड़ताल की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (घ) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नॉलाजी (सीपेट), मद्रास के कुछ कर्मचारियों से पदोन्नति और सेवा सम्बन्धी अन्य मामलों आदि के बारे में उनकी शिकायतों के सम्बन्ध में समय-समय पर कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सरकार ने इस मामले में उपयुक्त कदम उठाए हैं।

भारतीय औषध तथा भेषज इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० द्वारा टेट्रासाइक्लीन एच० सी० एल० का आयात

8803. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल :**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औषध तथा भेषज लि० ने गत वर्ष के दौरान फार्मूलेशन उद्योग की मांगों को पूरा करने के लिए टेट्रामाइक्लीन एच० सी० एल० का आयात किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी माहवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) भारतीय औषध तथा भेषज लि० के अपने फार्मूलेशन एककों, बड़े एकक और लघु उद्योग क्षेत्र के एककों को क्रमश: कितनी-कितनी मात्रा वितरित की गई है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) जी, हां। 1988-89 के दौरान आयात के ब्यौरे बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) 1988-89 के दौरान आयातित टेट्रासाइक्लीन का वितरण इस प्रकार किया गया था :—

		किलो ग्राम
1.	आई० डी० पी० एल० के अपने ही सूत्रयोग एकक	16,385
2.	बड़े एकक	14,500
3.	लघु एकक	9,210
	कुल :	40,095

विवरण

कि० ग्रा० में प्राप्त आयातित मात्रा	के दौरान प्रप्त
50	मई, 1988
5,000	जून, 1988
5,000	जून, 1988
5,000	जुलाई, 1988
10,000	सितम्बर, 1988
30,050	
योग 10,045	आयातित सामग्री का स्टाक
40,095	

इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि० द्वारा टेट्रासाइक्लीन एच० सी० एल० की बिक्री

8804. श्री जय प्रकाश अग्रवाल :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० द्वारा किये गये सीमा शुल्क भुगतान सहित आयातित टेट्रासाइक्लिन की लागत कितनी है और इसकी लघु उद्योगों को किस मूल्य पर बिक्री की जा रही है;

(ख) क्या इसकी बहुत ही अधिक मूल्य पर बिक्री की जाती है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) सीमा शुल्क सहित आयातित टेट्रासाइक्लिन की लागत 790.33 रुपये प्रति कि० ग्रा० है और संचालनात्मक लागत सहित 924.71 रुपये प्रति कि० ग्राम है। यह 1988-89 के दौरान 971/रु० प्रति कि० ग्रा० की डी० पी० सी० ओ० कीमत पर

एस० एस० आई० एककों को बेची गई थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

आकाशवाणी रायपुर, मध्य प्रदेश से प्रसारित "घर आंगन" कार्यक्रम

[हिन्दी]

8805. डा० प्रभात कुमार मिश्र :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के रायपुर आकाशवाणी से प्रसारित "घर आंगन" कार्यक्रम में स्थानीय महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है;

(ख) यदि हाँ, तो उन्हें दी जाने वाली मजूरी का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनकी सेवा नियमित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० के० के० तिवारी) : (क) जी, हां। चूंकि, कार्यक्रम को स्थानीय बोली में टेलीकस्ट किया जाता है, अतः स्थानीय प्रतिभा का पूरा उपयोग किया जाता है।

(ख) "घर आंगन" कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए बुक किए गए कैजुअल कम्पीयरों को प्रति कम्पीयर 100 रुपये प्रति कार्यक्रम की दर से भुगतान किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) चूंकि इस कार्यक्रम की अवधि एक सप्ताह में केवल 30 मिनट है, अत: इस कार्यक्रम के लिए स्थायी स्टाफ आवश्यक नहीं है।

उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस जारी करना

[अनुवाद]

8806. डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान जिलावार कितने लघु उद्योग स्थापित किए गए;

(ख) उत्तर प्रदेश विशेषकर इसके बस्ती जिला में छोटे और बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए

लाइसेंस जारी करने हेतु कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं;

(ग) ऐसे उद्यमियों की संख्या कितनी है जिन्होंने लाइसेंस प्राप्त करने के बाद अब तक भी उद्योग स्थापित नहीं किए है; और

(घ) ऐसे दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) लघु उद्योग विकास संगठन (एस० आई० डी० ओ०) के अधिकार क्षेत्र में आने वाले तथा उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार में स्थायी रूप से पंजीकृत लघु औद्योगिक एककों (एस० एस० आई०) की संचयी संख्या निम्न प्रकार है :—

31 दिसम्बर को समाप्त होने वाला वर्ष	31 दिसम्बर, 1985, 1986 और 1987 को स्थायी रूप से पंजीकृत एस० आई० डी० ओ० एककों की संचयी संख्या
1985	88,126
1986	1,05,746
1987	1,24,336

(ख) 28-2-1989 की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश में एककों की स्थापना करने के वास्ते औद्योगिक लाइसेंस मंजूर कराने के वास्ते कुल 181 औद्योगिक लाइसेंस संबंधी आवेदन (बस्ती जिले के 3 आवेदनों सहित) कार्रवाई की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

(ग) और (घ) औद्योगिक लाइसेंस दो वर्ष की प्रारम्भिक वैधता अवधि के साथ मंजूर किया जाता है जिसमें उद्यमी से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की आशा की जाती है। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा प्रामाणिक आधार पर प्रारम्भिक वैधता अवधि में और वृद्धि की मंजूरी दी जा सकती है। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय औद्योगिक लाइसेंसों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। यदि औद्योगिक लाइसेंसधारी औद्योगिक लाइसेंस को इसकी वैधता अवधि में कार्यान्वित करने में असफल रहता है, तो इसे रद्द/मंसूख कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में एककों की स्थापना करने के लिए 1986, 1987 और 1988 के दौरान मंजूर किये गये कुल 139 औद्योगिक लाइसेंसों में आवेदक द्वारा वापिस किए गए एक औद्योगिक लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्र समाप्त करना

8807. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में पेट्रोल/डीजल के कितने खुदरा बिक्री केन्द्रों को समाप्त किया गया है और उसके क्या कारण हैं; और

(ख) उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने विज्ञप्ति खुदरा बिक्री केन्द्र हैं जिन्हें एक वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात भी स्थापित नहीं किया गया है और उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) तेल कंपनियों ने पिछले 3 वर्षों के दौरान 10 खुदरा बिक्री केन्द्र की डीलरशिपें (पेट्रोल/डीजल) समाप्त की हैं। इनको समाप्त करने के कारण डीलरों द्वारा डीलरशिप में रुचि न लेना, मालिक की मृत्यु, साझेदारों के बीच विवाद, अनिधकृत साझेदारी आदि आदि थे।

(ख) उत्तर प्रदेश में 136 खुदरा बिक्री केन्द्र (पेट्रोल/डीजल) ऐसे हैं जिनके लिए 1 वर्ष से अधिक पहले विज्ञापन दिया गया था। इनके न खुलने के विभिन्न कारण हैं जैसे, तेल चयन बोर्ड उत्तर द्वारा चयन को अन्तिम रूप देने में देरी, न्यायालयों में मामले लम्बित होने, सांविधिक निकायों से अनुमोदन प्राप्त करने में देरी आदि हैं।

कर्नाटक में सरकारी क्षेत्र के एककों की स्थापना

8808. **श्री एच० जी० रामुलु :**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कर्नाटक में सरकारी क्षेत्र के और अधिक एकक स्थापित करने का काई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन्हें कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान कर्नाटक राज्य में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के और अधिक एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

कर्नाटक में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

8809. **श्री एच० जी० रामुलु :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान कर्नाटक में कितने इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का विचार है और उन्हें कहां-कहां स्थापित किया जाएगा;

(ख) क्या इन एक्सचेंजों की स्थापना का कार्य निर्धारित समय-सारणी के अनुसार आरम्भ हो गया है; और

(ग) इसके लिए कितना धन आवंटित किया गया है और ये एक्सचेंज कब से चालू हो जाएंगे ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों को निम्नलिखित 23 नये स्थानों पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है :

—बेंगलूर—सेंट्रल-II

—बेंगलूर—कृणाराजपुरम

—बेंगलूर—येलहंका

—बेंगलूर—उलसूर

—हसन

—नीला मंगला

—टी० नरसीपुर

—गुंडलपेट

—बेथांगाडे

—तिरथाहल्ली

—अंकोला

—बलाला

—सिरा

—जामखण्डी

—भंलहेंगल

—मुल्की

—चिकोडी

—पेरियापलिना

—बन्नूर

—बिंदूर

—बेबरी

—हेगां

—श्रंगेरी

इसके अतिरिक्त, राज्य में विभिन्न स्थानों पर 78 छोटे इलेक्ट्रानिक एक्सचज स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) 5 एक्सचेंजों का कार्य समयानुसार शुरू हो चुका है। शेष एक्सचेंजों के लिए अभी उपस्कर प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) 1989-90 के दौरान इन एक्सचेंजों को स्थापित करने की अनुमानित लागत 42.02 करोड़ रुपये होगी। 1989-90 के दौरान इन एक्सचेंजों में कार्यकरण शुरू हो जाने की आशा है।

प्राकृतिक गैस का भंडार, उत्पादन और उपयोग

8810. श्री सैयद शाहबुद्दीन :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्राकृतिक गैस का अनुमानतः कितना भण्डार है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार प्राकृतिक गैस का अनुमानतः कितना उत्पादन हुआ;

(ग) वर्षवार अनुमानतः कितनी गैस का उपयोग किया गया; और

(घ) उत्पादित प्राकृतिक गैस का अधिकतम उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) 1-1-1989 को देश में प्राकृतिक गैस के प्राप्य शेष भण्डार 580 मिलियन घन मीटर के थे।

(ख) और (ग) सूचना इस प्रकार है :—

(एम० एम० सी० एम० डी०)

वर्ष	उत्पादन	उपयोग
1986-87	27.0	19.3
1987-88	31.3	21.9
1988-89 (अस्थायी)	36.20	25.6

(घ) प्राकृतिक गैस के उपयोग के लिए समय-समय पर स्कीमें बनाई जाती हैं और ये गैस की उपलब्धता तथा इसके प्रयोग की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करती हैं।

पश्चिमी दिल्ली में बिजली की सप्लाई ठप्प हो जाना

8811. डा० वी० वेंकटेश :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम दिल्ली के अनेक क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई अक्सर ठप्प हो जाती है, जिस कारण गर्मियों के दौरान वहां के निवासियों को भारी कठिनाई होती है;

(ख) यदि हां, तो बार-बार बिजली सप्लाई ठप्प हो जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस तरह से बार-बार बिजली की सप्लाई ठप्प होने से रोकने और इन क्षेत्रों, विशेष रूप से राम नगर चौखंडी, मुखराम गार्डन और सन्त नगर में नियमित रूप से बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) जी नहीं, पश्चिम दिल्ली में बिजली की सप्लाई कुल मिलाकर सन्तोषजनक है।

(ग) डेसू के अनुसार, इन कालोनियों में बिजली की सप्लाई को यथासम्भव अबाधित बनाने

के लिए विद्युत आपूर्ति प्रणाली को उपयुक्त रूप से बेहतर बना दिया गया है।

आंध्र प्रदेश में आठवीं योजना में नए ताप विद्युत केन्द्रों की स्थापना

8812. श्री वी० तुलसीराम :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं योजनावधि के दौरान आंध्र प्रदेश में नए ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने का विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ये कहां-कहां स्थापित किए जाएंगे;

(ग) उन पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी और इसे केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार में किस अनुपात में बांटा जाएगा; और

(घ) राज्य की विशेषकर कृषि और औद्योगिक प्रयोजनों के लिए विद्युत की आवश्यकता इससे कहां तक पूरी हो सकेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश में निम्नलिखित ताप विद्युत परियोजनाओं से आठवीं योजना के दौरान लाभ प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है :

क्रम सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (मे०वा०)	आठवीं योजना के दौरान लाभ (मे०वा०)	परियोजना की अनुमानित लागत (करोड़ रु० में)
1	2	3	4	5
(क)	राज्य क्षेत्र			
1.	नरसापुर (विज्जेश्वरंम) गैस पर आधारित ताप विद्युत केन्द्र	3×33=99	33	94.25
2.	मुद्दनुर ताप विद्युत केन्द्र	2×210=420	420	503.71
3.	विशाखापट्टनम ताप विद्युत केन्द्र	2×500=1000	500	1139.80
			953	

राज्य क्षेत्र परियोजनाएं होने के कारण इनके क्रियान्वयन पर खर्च को राज्य योजना परिव्ययों से पूरा किया जायेगा।

1	2	3	4	5
(ख)	केन्द्रीय क्षेत्र			
1.	गोदावरी सी०सी०जी०टी०	800	800	व्यवहार्यता रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।
	कुल (राज्य+केन्द्रीय)		1753	

केन्द्रीय क्षेत्र परियोजना पर खर्च केन्द्रीय योजना परिव्ययों में से किया जाएगा।

(घ) नवीनतम मूल्यांकन के अनुसार, आठवीं योजना के अन्त तक आन्ध्र प्रदेश में ऊर्जा उपलभ्यता ऊर्जा आवश्यकताओं से 37.5% कम होगी। विद्युत का अन्तर क्षेत्रीय वितरण राज्य प्राधिकारियों पर निर्भर करता है।

आन्ध्र प्रदेश में तेल और गैस के लिए छिद्रण कार्य

8813. **श्री बी० तुलसीराम :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों में तेल और गैस का पता लगाने तथा उनके विदोहन के लिए किए जा रहे छिद्रण कार्य के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस समय जिलावार कितने छिद्रण प्लेटफार्म कार्य कर रहे हैं; और

(ग) कार्य में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने कृष्णा-गोदावरी बेसिन में तेल और प्राकृतिक गैस की खोजी ड्रिलिंग 1978 में आरम्भ की थी। अभी तक तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा ईस्ट गोदावरी में 17 कुएं, वैस्ट गोदावरी में 15 कुएं और कृष्णा जिलों में 13 कुएं खोदे गए हैं।

(ख) इस समय इस क्षेत्र में 7 गहरे ड्रिलिंग रिग काम कर रहे हैं। इनमें से 5 रिग ईस्ट गोदावरी जिले के विभिन्न स्थानों पर ड्रिलिंग, एक रिग पश्चिमी गोदावरी जिले में तथा एक रिग कृष्णा जिले में ड्रिलिंग कर रहा है।

(ग) हाल ही में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बी० एच० ई० एल० से खरीदे गये एक रिग को शीघ्र ही इस बेसिन में लगाने की योजना है। इसके अतिरिक्त चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कृष्णा-गोदावरी बेसिन में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज के लिए और 7 ठेके के रिग लगाए जाने की संभावना है।

आंध्र प्रदेश में उद्योगों की विकास दर

8814. **श्री बी० तुलसीराम :**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उद्योगों की वर्ष वार विकास दर क्या है; और

(ख) सातवीं और छठी योजना अवधियों की तुलना में सातवीं योजना के दौरान राज्य में औद्योगिक विकास और औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार कितना हुआ ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन औद्योगिक उत्पादन का राज्यवार सूचकांक संकलित नहीं करता। परन्तु अखिल भारतीय आधार पर औद्योगिक विकास की दर इस प्रकार है :—

1985-86	8.7 प्रतिशत
1986-87	9.1 प्रतिशत
1987-88	7.5 प्रतिशत
1988-89 (अप्रैल-88-जनवरी, 1989)	9.6 प्रतिशत

(ख) श्रम मंत्रालय के अनुसार पांचवीं, छठी और सातवीं योजना के दौरान आन्ध्र प्रदेश में संगठित क्षेत्र में कुल रोजगार इस प्रकार है :—

के अन्त तक	संगठित क्षेत्र में कुल रोजगार (लाख में)
पांचवीं योजना (मार्च, 80)	14.03
छठी योजना (मार्च, 85)	15.63
सातवीं योजना (मार्च, 86)	16.11
मार्च, 1987	16.49
मार्च, 1988 (अनंतिम)	16.57

गुजरात में डाक कर्मचारियों द्वारा बातचीत के माध्यम से समझौते की मांग

8815. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय डाक कर्मचारी संघ ने दिनांक 16 नवम्बर, 1988 के ज्ञापन पर बातचीत द्वारा हल करने की मांग करते हुए 4 अप्रैल, 1989 को गुजरात में और देश के अन्य भागों में कुछ स्थानों पर धरना दिया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी उपक्रमों में भारतीय रिजर्व बैंक का मूल्य समायोजन फार्मूला

8816. डा० वी० वेंकटेश :

क्या उद्योग मंत्री भारतीय रिजर्व बैंक के सिविल इंजीनियरी के ठेके के बारे में पूछे गये दिनांक 7 अप्रैल, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5175 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त वित्तीय सहायता/अनुदान सहायता/राजसहायता से कार्य कर रहे केन्द्रीय सरकार के उपक्रम भी भारतीय रिजर्व बैंक के मूल्य समायोजन फार्मूले का अनुपालन कर रहे हैं;

(ख) क्या वर्ष 1988 के दौरान किन्हीं सरकारी उपक्रमों ने भारतीय रिजर्व बैंक, कलकत्ता से इस फार्मूले का ब्यौरा मांगा है;

(ग) यदि हां, तो किन-किन सरकारी उपक्रमों ने वर्ष 1988 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक, कलकत्ता से ऐसे ब्यौरे की मांग की थी और इनमें से कितने उपक्रम सामान्य वित्तीय नियमों का पालन कर रहे हैं; और

(घ) सरकारी उपक्रमों एवं सरकारी विभागों में उक्त नियमों को कड़ाई से लागू करने के लिए अन्य क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (घ) जहां तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाया गया मूल्य समायोजन फार्मूला उन पर लागू नहीं होता है। सरकारी उद्यम कार्यालय ने संविदा की सामान्य शर्तों तथा मानक संविदा फार्मों पर केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को ऐसे मार्गनिर्देश जारी किये हैं जिन्हें उपक्रमों द्वारा अपने सिविल निर्माण कार्यों में अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप संशोधित करने के पश्चात अपनाया जा सकता है। इन मार्गनिर्देश में अन्य बातों के साथ-साथ कतिपय शर्तों पर मूल्य में समायोजन के लिए भी व्यवस्था की गई है।

(ख) और (ग) 1988 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक, कलकत्ता से मूल्य समायोजन फार्मूला का ब्यौरा सरकारी क्षेत्र के किसी भी उपक्रम ने नहीं मांगा था।

भारत में विदेशी व्यापारियों द्वारा निवेश

8817. श्री विजय एन० पाटिल :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोप, संयुक्त राज्य अमरीका और जापान के विदेशी व्यापारियों ने भारत में धनराशि के निवेश करने की इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो बातचीत में क्या प्रगति हुई है और दिसम्बर, 1988 के अंत तक क्या समझौता हुआ है;

(ग) इन देशों के व्यापारी किस प्रकार के व्यापार में निवेश करना चाहते हैं; और

(घ) विदेशी व्यापारियों के इस प्रस्ताव पर सरकार के विचार क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम) : (क) जी हां।

(ख) यूरोप, जापान तथा संयुक्त राज्य अमरीका के लिए अनुमोदित विदेशी सहयोग निवेशों की संख्या की तुलना में अनुमोदित विदेशी सहयोगों/निवेशों की कुल संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) विदेशी सहयोग का अनुमोदन विद्युत उपकरण, औद्योगिक मशीनरी, रासायनिक उद्योग, औद्योगिक औजारों धातुकार्मिक उद्योग, मृत्तिकाशिल्प (सिरैमिक्स) तथा औषध एवं भेषजों सहित कई प्रकार के उद्योगों के लिए किया गया है।

(घ) विदेशी निवेश को जिसकी देश को आवश्यकता होती है, प्रौद्योगिकी अंतरण का माध्यम समझा जाता है। सरकार की विदेशी निवेश नीति चयनात्मक है तथा यह ऐसे निवेश को उन क्षेत्रों में लगाने के लिए तैयार की जाती है, जहां परिष्कृत प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो, या जहां नाजुक उत्पादन अन्तराल विद्यमान हो या जो निर्यात सम्भाव्यता में वृद्धि करने में सहायता करेगी।

वर्ष	विवरण										
			यूरोप		जापान			संयुक्त राज्य अमरीकी			
	विदेशी सहयोग अनुमोदनों की कुल संख्या	वित्तीय	अनुमोदित निवेश (रु० लाख में)	कुल	वित्तीय	अनुमोदित निवेश (रु० लाख में)	कुल	वित्तीय	अनुमोदित निवेश (रु० लाख में)	कुल	वित्तीय	निवेश (रु० लाख में)
1986	957	240	10695.15	567	125	5873.06	111	15	561.61	189	71	2936.90
1987	853	242	10770.57	493	119	4354.62	71	15	690.62	196	57	2951.49
1988	926	282	23975.75	538	149	9943.61	96	16	1742.58	191	71	9713.73

केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के निदेशक बोर्ड में प्रतिनिधित्व

8818. **श्री भद्रेश्वर तांती :**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में पर्याप्त आधार वाले केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के निदेशक बोर्ड में असम सरकार को प्रतिनिधित्व दिया जाता है; और

(ख) यदि नहीं' तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

12.00 **मध्याह्न**

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, मैं इसके बारे में मामला उठाना चाहता हूं···

अध्यक्ष महोदय : एक-एक करके।

(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, कृपया हमारी बात सुनिए। मैं इस सभा की परम्पराओं और परिपाटियों के बारे में प्रश्न उठाना चाहता हूं। आज बुलेटिन के भाग-2 में यह घोषणा की गई है कि अध्यक्ष ने श्री कुलनदईवेलू को लोक लेखा समिति 1989-90 का सभापति नियुक्त किया है।

महोदय, मेरे पास लोक लेखा समिति के 1967—69 से 1987—89 के सभापतियों की सूची है जो श्री मीनू मसानी से शुरू होकर अमल दत्ता तक समाप्त होती है—यह सूची दक्षिण पंथी से शुरू होकर अति वाम पंथी तक पहुंच गई है। ये सभी सदस्य विपक्षी दलों से सम्बन्धित हैं। यहां तक कि जब कांग्रेस विपक्ष में आ गई थी, तो भी कांग्रेस के लोग लोक लेखा समिति के सभापति बने थे।

महोदय, परम्परा ऐसी बनाई गई है कि विभिन्न राजनीतिक दलों की संख्या के अनुसार, हम सामान्यत: सभापति नियुक्त करते हैं और, महोदय, गत वर्ष एक संकट पैदा हो गया था लेकिन अन्ततः आपने श्री अमल दत्ता की नियुक्ति करके अच्छा ही किया था··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात काफी सुन ली है।

प्रो० मधु दंडवते : इस समय जनता दल की बारी है और उसका अकेला सदस्य श्री जयपाल रेड्डी है···

अध्यक्ष महोदय : बात केवल इतनी है आप सभा में इस प्रश्न को नहीं उठा सकते। आप आकर मुझसे मिल सकते हैं।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)*

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नलगोंडा) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आ सकते हैं और बात कर सकते हैं।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे। श्री वीर बहादुर सिंह।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे केवल बात कर सकता हूं। आपका हमेशा स्वागत है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर आपके साथ चर्चा कर सकता हूं। मेरे अपने कारण हैं और आपके अपने कारण होंगे। आपके अपने कारण अवश्य होंगे और मेरे अपने कारण अवश्य होंगे।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे बात करूंगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूं। मेरे अपने कारण हैं और आपके अपने कारण होंगे। मैं आपसे बात करूंगा।

12.13 म०प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

दूर-संचार विभाग के वर्ष 1987-88 के लाभ और हानि लेखे तथा तुलन-पत्र

संचार मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह) : मैं दूर-संचार विभाग के वर्ष 1987-88 के लाभ और हानि लेखे तथा तुलन-पत्र (प्रोद्भवन आधार पर) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रंथालय पर रखी गयीं। देखिये संख्या एल० टी० —7875/89]

---

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

दिनांक 21 अप्रैल, 1988 की अधिसूचना सा० का० नि० 475 (अ) का शुद्धि पत्र तथा कच्चे तेल के मूल्यों में गिरावट के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 6885 के 25 अप्रैल, 1989 को दिये गये उत्तर के अंग्रेजी संस्करण में शुद्धि करने वाला विवरण

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० नामग्याल) : श्री ब्रह्म दत्त की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 962 (अ), जो 28 सितम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 21 अप्रैल, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 475 (अ) का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—7876/89]

(2) कच्चे तेल के मूल्यों में गिरावट के बारे में श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 6885 के 25 अप्रैल, 1989 को दिए गए उत्तर के अंग्रेजी संस्करण में शुद्धि करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—7877/89]

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त का वर्ष 1986-87 का 28वां प्रतिवेदन

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : मैं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त के वर्ष 1986-87 के 28वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—7878/89]

इंडियन एयरलाइन्स का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा वार्षिक लेखे और कार्यकरण की समीक्षा

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० नामग्याल) : श्री शिवराज वी० पाटिल की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 37 की उपधारा (2) के अन्तर्गत इंडियन एयरलाइन्स के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) वायु निगम अधिनियम 1953 की धारा 15 की उपधारा (4) के अन्तर्गत इंडियन एयरलाइन्स के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इण्डियन एयरलाइन्स के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० —7879/89]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 आदि के अन्तर्गत अधिसूचना, आय कर (दूसरा संशोधन) नियम, 1989

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : श्री ए० के० पांजा की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962, की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 363 (अ), जो 16 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 मई, 1988 की अधिसूचना संख्या 169/88-सी०शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं और जिसके द्वारा चमड़े के परिष्करण के प्रयोगार्थ अभीष्ट विनिर्दिष्ट सघनता के पोलियूरियेन फिल्मों और पोलियूरियेन पणिकाओं पर आयात शुल्क की छूट की दर को और आगे छह माह, अर्थात् 30 सितम्बर, 1989 तक बढ़ाया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० का० नि० 387 (अ) जो, 28 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 दिसम्बर, 1986 की अधिसूचना संख्या 522/86-सी० शु० की वैधता अवधि 30 जून, 1989 तक बढ़ाई गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० का० नि० 388 (अ), जो 28 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मई, 1982 की अधिसूचना संख्या 127/82-सी० शु० की वैधता अवधि 31 मार्च, 1994 तक बढ़ाई गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० का० नि० 389 (अ), जो 28 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विनिर्दिष्ट माल पर जब उसका मिस्र से आयात किया जाए, लागू उतने मूल सीमा-शुल्क से छूट दी गई है जितना इस माल पर लागू शुल्क की मानक दर से 50 प्रतिशत से अधिक हो तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा० का० नि० 396 (अ), जो 29 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 फरवरी, 1985 की अधिसूचना संख्या 19/85-सी० शु० की वैधता अवधि 31 मार्च, 1990 तक बढ़ाई गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा० का० नि० 454 (अ), जो 20 अप्रैल, 1980 के भारत के राजपत्र में

[श्री बी० के० गढ़वी]

प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1989 की अधिसूचना संख्या 66/89-सी० शु० में कतिपय संशोधन दिये गये हैं तथा जिसके द्वारा ईंधन, इंजेक्शन, उपस्कर के विनिर्माण के लिए आयातित मुख्य माल पर शुल्क की रियायती दर निर्धारित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०— 7880/89]

(2) अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 444 (अ), जो 12 अप्रैल, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 15 सितम्बर, 1986 की अधिसूचना संख्या 415/86-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि हजीरा स्थित भारी जल संयंत्र में इस्तेमाल किए जाने के लिए अमोनिया तथा सिन्थेसिस गैस पर, जिसे कृषक भारती सहकारी लिमिटेड, हजीरा द्वारा सप्लाई किया जाता है, सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट दी जा सके, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—7881/89]

(3) वित्त अधिनियम, 1979 की धारा 41 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 464 (अ), जो 24 अप्रैल, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो 24 से 26 अप्रैल, 1989 तक भारत के दौरे पर आए सीरियाई अरब गणराज्य के विदेश मंत्री महामहिम श्री फारूक अल-शरा तथा शिष्टमंडल के अन्य सदस्यों को विदेश यात्रा-करके संदाय से छूट देने के बारे में है, कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०—7882/89]

(4) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत आयकर (दूसरा संशोधन) नियम, 1989 जो 20 अप्रैल, 1989 के भारत राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 289 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—7883/89]

भारतीय तार (प्रथम संशोधन) नियम 1988

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : मैं भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तार (पहला संशोधन) नियम, 1989 जो 18 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 179 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—7884/89]

दामोदर घाटी निगम के वर्ष 1989-90 के बजट प्राक्कलन

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : मैं दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 44 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दामोदर घाटी निगम के

वर्ष 1989-90 के बजट प्राक्कलनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—7885/89]

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली, साहित्य अकादमी, भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमीनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली, पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल०पी० शाही) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये ; देखिये संख्या एल० टी० —7886/89]

(3) (एक) साहित्य अकादमी के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) साहित्य अकादमी के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(4) उपर्युत (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०—7887/89]

(5) (एक) भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०—7888/89]

[श्री एल० पी० शाही]

(7) (एक) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०--7889/89]

(9) (एक) नेशनल इन्सटीट्यूट आफ एजूकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमीनिश्ट्रेशन नई दिल्ली, के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ एजूकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमीनिश्ट्रेशन, नई दिल्ली के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—7890/89]

(11) (एक) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पांडिचेरी विश्वविद्यालय पांडिचेरी के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) पांडिचेरी विश्वविद्यालय के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—7891/89]

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत मैसर्स इण्डिया मशीनरी कम्पनी आदि को प्रबंध ग्रहण की अवधि बढ़ाने के बारे में अधिसूचनाएं

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : मैं

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं : -

(1) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18क की उप धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) अधिसूचना संख्या का० आ० 515 (अ)/18क/आई० डी० आर० ए०/88 जो 20 मई, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो मैसर्स इंडिया मशीनरी कम्पनी लिमिटेड, हावड़ा, प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि 24 नवंबर, 1988 तक बढ़ाने के बारे में है।

(दो) अधिसूचना संख्या का० आ० 1078 (अ)/8क/आई० डी० आर० ए०/88 जो 24 नवम्बर, 1988 के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो मैसर्स इंडिया मशीनरी कम्पनी लिमिटेड, हावड़ा के प्रबंध-ग्रहण की अवधि 24 नवंबर, 1989 तक बढ़ाने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—7892/89]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 396 के अन्तर्गत तमिलनाडु मैग्नेसाइट प्रोडक्ट्स लिमिटेड और तमिलनाडु मैग्नेसाइट लिमिटेड (समामेलन) आदेश, 1989, जो 17 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 205(अ), में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—7893/89]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कम्पनी असंदत्त लाभांश (केन्द्रीय सरकार के सामान्य राजस्व लेखा में अन्तरण) संशोधन नियम, 1989, जो 1 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 136 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—7894/89]

(4) चार्टर्ड अकाउंटेंट्स 1949 की धारा 30ख के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988, जो 1 जून, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1—सी० ए० (134)/88 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—7895/89]

(दो) का० आ० संख्या 1628, जो 28 मई, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद के लिए निर्वाचन कराने हेतु क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के गठन के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—7896/89]

(5) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 22क की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का० आ० 308(अ), जो 27 अप्रैल, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यह निवेश दिया

[श्री एम० अरुणाचलम]

गया है कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1989 की धारा 21 और 22 के उपबंध कतिपय शर्तों के अध्यधीन इस अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग के संबंध में किसी प्रस्ताव पर लागू नहीं होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—7897/89]

(6) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) नेशनल स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) नेशनल स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1987-88 का वर्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखानिरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० — 7898/89]

(ख) (एक) दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(7) उपरोक्त 6(ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—7899/89]

(8) (एक) ओटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन आफ इण्डिया, पुणे के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) ओटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन आफ इण्डिया, पुणे के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—7900/89]

(9) (एक) इण्डियन रबर मैन्युफेचरर्स रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इण्डियन रबर मैन्युफेक्चरर्स रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—7901/89]

सातवीं और आठवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न आश्वासनों, वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : मैं सातवीं और आठवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मन्त्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न आश्वासनों, वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं :—

(एक) विवरण संख्या—24—चौदहवां सत्र, 1984 (सातवीं लोक सभा)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—7902/89]

आठवीं लोक सभा:

(दो) विवरण संख्या—23—दूसरा सत्र, 1985
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—7903/89]

(तीन) विवरण संख्या—21 चौथा सत्र, 1985
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—7904/84]

(चार) विवरण संख्या—22—पांचवा सत्र, 1986
[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—7905/89]

(पांच) विवरण संख्या—19—छठा सत्र, 1986
[ग्रन्थालय में रखा गया। वखिये संख्या एल० टी०—7906/89]

(छः) विवरण संख्या—16—सातवां सत्र, 1986
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—7907/89]

(सात) विवरण संख्या—16—आठवां सत्र, 1987
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—7908/89]

(आठ) विवरण संख्या—12—आठवें सत्र का द्वितीय भाग, 1987
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—7909/89]

(नौ) विवरण संख्या—11—नौवां सत्र, 1987
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—7910/89]

(दस) विवरण संख्या—9—दसवां सत्र, 1988
[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—7911/89]

(ग्यारह) विवरण संख्या—5—ग्यारहवां सत्र, 1988
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—7912/89]

(बारह) विवरण संख्या—2—बारहवां सत्र, 1988
[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०—7913/89]

(तेरह) विवरण संख्या—1—तेरहवां सत्र, 1989
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—7914/89]

पूर्व भारतीय डेरी निगम का 1 अप्रैल, 1987 से 11 अक्तूबर, 1987 की अवधि तक का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे आदि

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) पूर्व भारतीय डेरी निगम के 1 अप्रैल, 1987 से 11 अक्तूबर, 1987 की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को, लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी०—7915/89]

(2) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, आनन्द के 12 अक्तूबर, 1987 से 31 मार्च, 1988 की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को, लेखा वर्ष समाप्त होने के पश्चात् 9 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी०—7916/89]

दिल्ली परिवहन निगम, नई दिल्ली का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा आदि

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० नामग्याल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 404(अ), जो 30 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (खतरनाक/परिसंकटमय माल से युक्त भाड़ा पात्रों की उठाई-धराई) विनियम, 1988 का अनुमोदन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०— 7917/89]

(2) (एक) सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली परिवहन निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) दिल्ली परिवहन निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—7918/89]

12.15 म० प०

याचिका समिति

10वां प्रतिवेदन

श्री बालासाहिब विखे पाटिल (कोपरगांव) : मैं यचिका समिति का दसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

———

12.15½ म० प०

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

24वां प्रतिवेदन

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का चौबीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

———

12.16 म० प०

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

16वां प्रतिवेदन

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति का सोलहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

———

(व्यवधान)*

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : प्रो० मधु दंडवते से बात करने का क्या उद्देश्य है ? (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नियमों के अनुसार समिति का सभापति अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(व्यवधान)*

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : परिपाटी क्या है ? (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : एक समय यह परिपाटी थी कि समिति का सभापति सत्तारूढ़ दल में से नियुक्त किया जाता था। इस परिपाटी को नहीं माना गया। तब सभापति विपक्ष से नियुक्त किया गया।

(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : सभापति नियुक्त करना अध्यक्ष की इच्छा पर निर्भर करता है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह निर्णय लेने के मेरे अपने कारण हैं। यह मेरे ऊपर निर्भर करता है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : एक परिपाटी, एक परम्परा यह थी कि सभापति सत्तारूढ़ दल से नियुक्त किया जाएगा। हमने इसको बदल दिया था।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने ही श्री अमम दत्ता को लोक लेखा समिति का सभापति नियुक्त किया था।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए मेरे पास कारण हैं। यह मुझ पर निर्भर करता है। आप मेरे कक्ष में आ सकते हैं और हम इस पर बात कर सकते हैं।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : यदि आप हमारी बात सुनने के लिए तैयार हैं तो हम अवश्य ही आपसे बात करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : हम बातचीत किए बगैर ऐसा कैसे कर सकते हैं ? आप बातचीत किए बगैर ऐसा कैसे कर सकते हैं ? हमें इस पर बातचीत करनी है। मैंने आपको यही कहा है। मेरे पास कारण हैं; आपके अपने कारण हैं। हमें मिलकर मामला सुलझा लेना चाहिए।

(व्यवधान)*

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के एक मुद्दे पर······

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदय : नही, नहीं

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं। ऐसे नहीं होता है। यह किया जा सकता है। मैंने विपक्ष में बहुत कम लोगों वाले गुट से भी सभापति नियुक्त किया है, और मैंने विपक्ष में बहुत बड़ी संख्या वाले लोगों में से भी सभापति नियुक्त किया है। मैंने भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों से भी नियुक्त किए हैं लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। आपके अपने कारण हो सकते हैं। मेरे अपने कारण हैं।

(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में आपको स्पष्टीकरण दूंगा। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। मैं इस बारे में आपसे बात कर सकता हूं।

(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो मामले अध्यक्ष के अधिकार के अन्तर्गत हैं जिनके अन्तर्गत उन्होंने विपक्ष के एक सदस्य को सभापति के रूप में चुना है, ऐसे मामलों पर भी विपक्ष आपत्ति करने के प्रयास कर रहा है। यह बहुत गलत है। आप अध्यक्ष को बाध्य कैसे कर सकते हैं? (व्यवधान)* क्या मैं एक अनुरोध कर सकता हूं? (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी आरोप की अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान]*

प्रो० मधु दण्डवते : विपक्ष के अनुपस्थित रहने पर आपको अनुभव हुआ था। सत्ताधारी दल के मुख्य सदस्यों ने भी कहा था कि विपक्ष के बगैर लोकतांत्रिक प्रयोग नहीं हो सकता······

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल ठीक।

प्रो० मधु दण्डवते : पिछली बार विपक्ष की बजाय कांग्रेस की तरफ से अनेक सदस्यों ने ऐसा कहा था। वरिष्ठ सदस्यों ने ऐसा कहा था। मैं एक साधारणसा प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि समिति की अध्यक्षता के लिए कोई सतर्क विपक्षी नहीं है तो क्या आप समझते हैं कि समिति सरकार के कार्यों की पर्याप्त जांच करेगी?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे इसी पर बातचीत करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर चर्चा करेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : जब तक आप आश्वासन नहीं देते, इस पर चर्चा करने का क्या फायदा है? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमें, पहले बात करनी होगी·

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप आयेंगे तो बात करेंगे। यहां पर सारी बात नहीं हो सकती।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इन समितियों को सक्रिय रखना चाहता हूं मैं इन्हें निष्क्रिय नहीं बनाना

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

चाहता मैं आपसे बात कर हूं ।

श्री पी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : लोक लेखा समिति को सत्ताधारी दल की दासी नहीं बनाया जा सकता ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे ऐसा नहीं बनाना चाहता हूं । मैं इसे कारगर तथा सार्थक बनाना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : आप इसे सार्थक कैसे बना सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसी बारे में आपसे बात करना चाहता हूं ।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : क्या आप चर्चा के बाद अपने निर्णय की समीक्षा करेंगे ? (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : आपकी टिप्पणियों को देखते हुए विपक्षी सदस्यों से सलाह करने के बाद मैं एक ठोस सुझाव दे रहा हूं । क्या यह आपके लिए सम्भव होगा···(व्यवधान)···महोदय, मैं आपकी टिप्पणी का उल्लेख कर रहा हूं । मैं आपसे एक आश्वासन चाहता हूं । आपने कहा, "आप आइए और मामले पर बातचीत कीजिए ।" हम समिति से संबंधित मामलों पर लोक सभा के अध्यक्ष से बातचीत करने के खिलाफ नहीं हैं । हम इस पर बातचीत करेंगे । लेकिन यदि हम इससे संतुष्ट नहीं हुए तो कल फिर इस मुद्दे को उठाएंगे । हम आपके कक्ष में आपसे मिलेंगे और इस मुद्दे का कोई हल निकालने का प्रयास करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय ठीक है । श्री नारायण चन्द पराशर···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइए···

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, जैसाकि आपने स्वयं यह सुझाव दिया है, हम आपके कक्ष में आपसे मिलेंगे और मामले पर चर्चा करेंगे । यदि हम वहां इसका हल निकालने में असफल रहे तो निःसन्देह हमें अपने अधिकारों की रक्षा के लिए इस मंच का उपयोग करना पड़ेगा और सभा में यह मामला फिर से उठाना पड़ेगा । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण ।

12.31 म० प०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

संस्कृत के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया जाना

[हिन्दी]

प्रो० नारायण चन्द्र पराशर (हमीरपुर) : अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय

की ओर मानव संसाधन विकास मन्त्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे इस बारे में एक वक्तव्य दें।

"संस्कृत के अध्ययन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा किये गये उपाय।"

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 में इस बात का समर्थन किया गया है कि भारतीय भाषाओं के संवर्धन और विकास के लिए संस्कृत के विशेष महत्व तथा देश में सांस्कृतिक एकता के लिए इसके अनुपम योगदान को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्तरों पर संस्कृत के शिक्षण की सुविधाओं में वृद्धि की जानी चाहिए और संस्कृत शिक्षण के नए तौर-तरीकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में वर्ष 1968 की नीति के प्रावधानों का समर्थन किया गया है और यह उल्लेख किया गया है कि भारत के प्राचीन ज्ञान के भण्डार की खोज करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिएं और इसे समकालीन वास्तविकता से जोड़ा जाना चाहिए। इस प्रयास में संस्कृत के गहन अध्ययन का विकास भी निहित होगा। नीति में यह भी उल्लेख किया गया है कि सांस्कृतिक परम्परा को बनाये रखने तथा उसे आगे बढ़ाने के लिए उन प्राचीन शिक्षकों की भूमिका का समर्थन किया जाएगा और उन्हें मान्यता प्रदान की जाएगी जो शिष्यों को परम्परागत पद्धतियों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

12.32 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सजीव परम्परा सहित प्राचीन भाषा के रूप में संस्कृत के प्रचार को सदा सुदृढ़ करने की आवश्यकता रही है, जिसने महान भारतीय परम्परा के एक भण्डार के रूप में तथा अनेक आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास के लिए मार्गदर्शन किया है। भारत सरकार ने वर्ष 1956 में एक संस्कृत आयोग की नियुक्ति की और इसने वर्ष 1957 में अपनी रिपोर्ट दे दी। आयोग ने अनेक सिफारिशें कीं और यह सुझाव दिया कि भारत सरकार को एक केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड की स्थापना करनी चाहिए। संस्कृत आयोग की सिफारिश स्वीकार कर ली गई और 1959 में केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड की स्थापना की गयी। (हाल ही में, अध्यक्ष के रूप में भारत के उप-राष्ट्रपति की अध्यक्षता में बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है।) इस बोर्ड की सलाह के आधार पर भारत सरकार ने संस्कृत के परम्परागत अध्ययन को सुदृढ़ बनाने के लिये और समकालीन शैक्षिक संस्थाओं में संस्कृत के प्रशिक्षण के लिए उपायों की एक शृंखला शुरू की है। इस सम्बन्ध में कार्यान्वित किए जा रहे कुछ प्रमुख कार्यक्रम निम्नलिखित हैं :—

(i) तिरूपति, दिल्ली, पुरी, इलाहाबाद, जम्मू, जयपुर, लखनऊ और गुरुवयूर में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के तत्वावधान में केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ स्थापित किये गये हैं। इनमें से तिरूपति तथा दिल्ली स्थित विद्यापीठ विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाएं बन गयी हैं। ये संस्थाएं प्रथमा से आचार्य तक शिक्षा प्रदान करती हैं और संस्कृत में अनुसंधान का एक प्रभावशाली कार्यक्रम आयोजित करती हैं।

(ii) वैदिक शिक्षण के प्रचार-प्रसार तथा वैदिक शिक्षण और वर्तमान विज्ञान पर आधारित विकास के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना की गयी है।

[श्री एल० पी० शाही]

(iii) संस्कृत के प्रचार के लिये कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

(iv) भारत सरकार द्वारा 15 वेद इकाइयों को वित्तीय रूप से सहायता प्रदान की जाती है जिसके अन्तर्गत 2 छात्र वेदपाठी गुरु के अन्तर्गत एक विशेष शाखा में वेदों का अध्ययन करते हैं।

(v) सरकार संस्कृत में वर्तमान तथा अप्राप्य पुस्तकों और संस्कृत में पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(vi) देश में प्रति वर्ष अखिल भारतीय वैदिक सम्मेलन तथा अखिल भारतीय संस्कृत वाक् प्रतियोगिता आयोजित की जाती है।

(vii) परम्परागत तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं में अध्ययन कर रहे छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।

(viii) भारत सरकार ने युवा अध्यापकों तथा सीनियर छात्रों को शास्त्रों के बारे में गहन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये समेकित मानदेय के आधार पर 85 संस्कृत अध्येताओं की शास्त्र चूड़ामणि योजना के अन्तर्गत नियुक्ति की है।

[हिन्दी]

प्रो० नारायण चन्द पराशर : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री जी ने केन्द्र सरकार द्वारा संस्कृत के प्रोत्साहन के लिए उठाये गये पगों के बारे में जो विवरण दिया है, उससे संतोष होना स्वाभाविक था परन्तु मुझे खेद है कि इस वक्त पूरे राष्ट्र में एक छोर से दूसरे छोर तक एक नितांत भिन्न भावना पनप रही है। उसका कारण यह है कि जहां संस्कृत को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ उपाय किए गए वहीं एक ऐसा कदम भी उठाया गया जिससे संस्कृत के पठन-पाठन को भारी धक्का लगा। यह देश का दुर्भाग्य है कि इस वर्ष, जब कि हम साहित्य अकादमी के संस्थापक एवं प्रथम अध्यक्ष, पण्डित जवाहर लाल नेहरू तथा डा० राधाकृष्णन जन्म शताब्दियां मना रहे हैं, जिनके तत्वावधान में भारतीय भाषाओं के प्रोत्साहन की योजना बनी और संस्कृत को प्राचीन भाषा होने के साथ साथ आधुनिक भाषा भी माना गया और उसके बाद, कुछ वर्षों को छोड़ प्रति वर्ष उसी साहित्य अकादमी ने उनके जीवनकाल में और तदुपरांत वार्षिक समारोहों में अनेकों संस्कृत के साहित्यकारों और विद्वानों को पुरस्कार दिए, जिनकी रचनाओं को उससे पूर्व के कुछ वर्षों में उत्कृष्ट रचनाओं के रूप में प्रकाशित होने का गौरव प्राप्त हुआ, उसी वर्ष में सैन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्डरी एजूकेशन द्वारा एक सर्कुलर जारी करके संस्कृत को उत्तरी भारत के विद्यालयों में, सैकेण्डरी कक्षाओं में एक पृथक विषय के रूप में पढ़ाए जाने की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी। भारत के भाषायी इतिहास में और भारतीय भाषाओंके विकास में वह दिन काले दिन के रूप में जाने जाएंगे जब 10-6-1988 को सैन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्डरी एजूकेशन की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया और 16 सितम्बर, 1988 को यह निर्देश जारी किए गए कि बोर्ड के अधीन परीक्षा देने वाले स्कूलों में संस्कृत को त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत अब कोई स्थान नहीं रहा। यह एक विडम्बना है कि चेयरमैन, सैण्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्डरी एजूकेशन की ओर से 16 सितम्बर, 1988 को जो परिपत्र जारी किया गया, उसमें एक संलग्नक भी लगा था, जिसके दो भाग थे, पहले भाग में "नम्बर और लैंग्वेजेज" का वर्णन था और दूसरे भाग में "विच लैंग्वेजेज" को स्पष्ट किया गया था। उसमें यह कहा गया है कि :

[अनुवाद]

"निम्नलिखित के अधीन अंग्रेजी और भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से तीन भाषाओं का चयन किया जाएगा :

(क) अध्ययन की गई दो भाषाओं में से हिन्दी अथवा अंग्रेजी होनी चाहिए;

(ख) संस्कृत का अध्ययन हिन्दी के भाग के रूप में प्रथम भाषा के रूप में अर्थात 'क' कोर्स में किया जाएगा।"

[हिन्दी]

इस तरह की व्यवस्था से संस्कृत और सामान्य शिक्षा में संस्कृत को मिले हुए स्थान को भारी आघात लगा है। माननीय राज्यमंत्री जी ने अपने स्टेटमैंट में संस्कृत आयोग की सिफारिशों का उल्लेख भी किया है। भारत के प्रमुख भाषाविद, डा० सुनीति कुमार चटर्जी की अध्यक्षता में बने इस संस्कृत आयोग की रिपोर्ट मैंने पढ़ी है। यदि उसे ध्यान से पढ़ा जाए तो उन्होंने कहा है कि सबसे पहले 1857 से कलकत्ता यूनिवर्सिटी स्थापित होने के बाद संस्कृत की पढ़ाई सारे प्रांतों में आरम्भ हुई और सब जगह उसे अपनाया जाने लगा। कलकत्ता विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, उत्तर पश्चिमी प्रांत तथा सिंध में इधर सारी जगहों में फैला हुआ था। इससे पहले भी संस्कृत के पठन-पाठन की व्यवस्था थी लेकिन अब एक दिन वह भी आया जब यह समझा गया कि अब इसकी जरूरत नहीं है। इस कमीशन की रिपोर्ट में त्रिभाषा फार्मूले का भी जिक्र है और उसमें संस्कृत को क्या स्थान दिया जाए, उस पर भी बड़े ही खुले दिल से इसमें चर्चा की गई है। मैं माननीय राज्य मंत्री जी का ध्यान इस रिपोर्ट के पृष्ठ 102 और 103 की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें विभिन्न विकल्पों पर विचार किया गया है जो कि संस्कृत को मजबूत करने के लिए किए जा सकते हैं और संस्कृत के पठन पाठन के लिए जिनका प्रावधान किया जा सकता है। इन में से एक तो यह है कि संस्कृत की पढ़ाई कम्पलसरी कर दी जाए। दूसरा यह है कि यदि यह संभव नहीं है, तो तीन भाषा की जगह 4 भाषा फार्मूला अपनाया जाए और उसमें विद्यार्थी को छूट दी जाए और संस्कृत को उसमें शामिल किया जाए। इसी प्रकार से इसमें और भी उपाय है। कम्पोजिट कोर्स का भी इसमें उल्लेख किया गया है। और सारी बातें हैं, लेकिन मैं इन सब की ओर नहीं जाऊंगा। मैं तो यह कहूंगा कि मेरे ही एक प्रश्न के उत्तर में माननीय राज्य मंत्री जी ने स्वयं लोकसभा में पिछले महीने यह स्वीकार किया है कि संस्कृत न केवल एक प्राचीन भाषा है, परन्तु एक आधुनिक भाषा भी है। अत: यह प्राचीन भाषा भी है, आधुनिक भाषा भी है, संविधान की धारा 351 में संस्कृत को महत्वपूर्ण स्थान भी दिया गया है कि वह हिन्दी को पनपाने के लिए उचित योगदान भी देगी और क्षेत्रीय भाषाओं का सहारा भी संस्कृत को मिलता है, यह भी इस आयोगों की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। यह सब कुछ है, लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि सामान्य शिक्षा से इसको डी-लिंक किया जा रहा है। जब क्लास रूम से ही संस्कृत हट जाएगी या पूर्ण भाषा के रूप में, जैसी कि आज तक पढ़ाई जाती है, नहीं पढ़ाई जाएगी, तो आपके द्वारा किए गए सारे उपाय सिफर के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि यह एक स्पेशल टाइप सब्जेक्ट बन जाएगी और साधारण विद्यार्थी के लिए इस तक पहुंच पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपके सेकेण्ड्री बोर्ड आफ एजूकेशन के इस परिपत्र के विरोध में कुछ संस्कृत प्रेमी उच्च न्यायालय में गए, सर्वोच्च न्यायालय में जाकर उन्होंने एक याचिका दी और जो एक नई व्यवस्था इसी वर्ष के प्रथम अप्रैल से आप लागू करना चाहते थे वह नहीं हो सकी क्योंकि 17 मार्च 1987 के दिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर एक आदेश दे दिया कि फिलहाल इसे स्थगित रखा जाए इस पर अमल रोक दिया जाए। हम

[प्रो० नारायण चन्द पराशर]

सर्वोच्च न्यायालय के आभारी हैं कि उन्होंने एक गड़बड़ होने से रोक दी। एक उल्टा कदम चलने से रोक दिया और अभी इस पर काफी सोच-विचार का मौका दिया, तो भारत सरकार इस बात को समझेगी, अगर वह संस्कृत के ऊपर दायित्व निभाना चाहती है और संस्कृत को राष्ट्रीय एकता का काम समझती है और संस्कृत के जरिए बाकी भाषाओं पर काफी प्रभाव होने के कारण, उनकी समृद्धि में भी उनका योगदान समझती है और भारत के भविष्य के लिए प्राचीन संस्कृति का कोई महत्व समझती है तो यह परिपत्र वापस ले। प्राचीन संस्कृति का कितना भंडार संस्कृत में मौजूद है, उसको अगर हम सामान्य शिक्षा के द्वारा लागू कर के स्कूलों में संस्कृत का द्वार विद्यार्थियों के लिए नहीं खोलेंगे, तो इस ज्योति का प्रकाश कहां पहुंचेगा, उसको एक बन्द कमरे में बन्द करने से काम नहीं चलेगा। उसको तो सब को दिखाना पड़ेगा और सबको दिखाने का एक ही तरीका है कि संस्कृत के पठन-पाठन पर कोई रोक न लगाई जाए और उसको आप त्रिभाषा फार्मूले के अन्तर्गत संशोधित कर के स्थान दें। चाहे आप 4 भाषा फार्मूला बनाएं चाहे आप कोई और व्यवस्था बनाएं, लेकिन संस्कृत को और उसके महत्व को, किसी भी प्रकार कम करना भारत के हित में नहीं होगा। मैं आपकी याद दिलाना चाहता हूं कि संस्कृत केवल भारत की ही वाणी नहीं है, संस्कृत के लिए विदेशों में कितना आदर है, उसका एक प्रमाण यह है कि बोधिरुचि जो चीन के एक बड़े संत हुए हैं, उनके तत्वावधान में 700 बौद्ध भिक्षुओं का संस्कृत का एक स्कूल चलता था और वहां पर सारे भारतीय वांगमय की संस्कृत से चीनी भाषा में और चीन के धार्मिक ग्रंथों को संस्कृत में अनूदित करने का कार्यक्रम चलता रहा और अनेकों विश्वविद्यालय आज भी हैं विदेशों में जहां संस्कृत के पठन-पाठन की व्यवस्था है। तो जब इतनी समृद्ध भाषा, इतनी सांस्कृतिक एकता की महत्वपूर्ण कड़ी आपके पास एक जीवित भाषा के रूप में मौजूद है, तो उसको सिर्फ क्लास रूम से इसलिए निकाल देना कि त्रिभाषा फार्मूले में वह फिट नहीं बैठती है, यह हमारी समझ में नहीं आता है। और त्रिभाषा फार्मूला कब बना, मैं इस पर कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, बड़े दुखी हृदय से।

त्रिभाषा फार्मूला, जब संस्कृत कमीशन अपना कार्य कर रहा था तभी पास हो गया और इसमें इसका उल्लेख है। 1961 में मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ और उसमें भी इस पर चर्चा हुई। आप स्वयं मानते हैं कि 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संस्कृत को भी महत्वपूर्ण स्थान मिला, लेकिन 1956 एक पड़ाव की तारीख, 1961 दूसरे पड़ाव की तारीख, 1968 तीसरे पड़ाव की तारीख, इन सब सालों के बाद भी संस्कृत का पठन-पाठन इस फार्मूले के अन्तर्गत जारी रहा, तो क्या आप एक दूषित फार्मूले के अनुसार इसको पढाते रहें, क्या वह फार्मूला ठीक नहीं था जो कि 38 साल चला ? अगर वह चला तो आपको उसको इस समय बदलने की क्या जरूरत पड़ी, उसके संशोधन के लिए कौन से ऐसे भारी कारण पैदा हो गए जो आपने 16 सितम्बर 1988 के दिन यह सर्कुलर सारे भारत के स्कूलों में भेज दिया ? इससे बड़ा क्षोभ हुआ, और संस्कृत विद्वानों में तरह-तरह की भ्रांतियां फैल गई, विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय हो गया और संस्कृत अध्यापकों में एक घोर निराशा नजर आने लगी। क्या मैं आप से पूछ सकता हूं कि पिछले दिनों आकाशवाणी पर आपका एक समाचार प्रसारित हुआ, उसके साथ ही अखबारों में भी आया, "हिन्दू" में मैंने उसे पढ़ा कि अब सेंट्रल शिक्षा बोर्ड ने एक आदेश जारी कर दिया है कि यथावत संस्कृत की पढ़ाई जारी रहेगी। अगर यह बात सही है और आपने ऐसा सर्कुलर जारी किया है तो क्या आप निम्न प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देंगे ?

क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आपने सभी स्कूलों तक पहुंचा दिया कि सुप्रीमकोर्ट ने स्थानादेश दिया है और इसके मातहत अब हम पुरानी व्यवस्था को जारी रखेंगे और बदलेंगे नहीं जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता ?

क्या आपने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने वकीलों के द्वारा हल्फिया बयान देकर यह माना कि संस्कृति का पठन-पाठन जारी रहेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट निर्णय नहीं देता, और आपको सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं है ? अगर आपने यह माना है और आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक इन्तजार करने के पक्ष में हैं, तब तो बात समझ में आ सकती है लेकिन अगर आपके अधिवक्ता वहां जाकर स्थगनादेश को रुकवाने या खाली कराने का प्रयास करते हों या आप सुप्रीम कोर्ट के सामने हल्फिया बयान देकर यह साबित करने की कोशिश करते हों कि आपकी जो व्याख्या है त्रिभाषा फार्मूले की, वह ठीक है और इसको देखते हुए संस्कृत को नई व्यवस्था के रूप में पढ़ाने का प्रबन्ध किया जाए तो उसके क्या मायने हो जाते हैं, आपके आदेश के, आपकी घोषणा के, आपकी इस नीति के कि संस्कृत का पठन-पाठन जारी रहेगा ?

संस्कृत भारत की आत्मा की आवाज है, भारत की गौरवशाली प्राचीन अतीत की आवाज है और उसको दबाना किसी के बसका रोग नहीं है और ना ही कोई दबा सकेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि जहां सरकार एक ओर यह दम भरती है, घोषणा करती है कि हम संस्कृत के पठन-पाठन के लिए इतने सारे काम उठाते हैं, जिनका विवरण आपने-अपने स्टेटमैंट में दिया है, आपने उल्लेख किया और आपने इसके लिए धनराशि का प्रावधान करने की बात भी कही, तो उसकी एक नैचुरल कौलोरी है और वह है संस्कृत को सब स्कूलों में पढ़ाने पर किसी प्रकार कोई रोक न लगे। अगर कोई रोक किसी की गलती से लग गई है तो उस भूल का अब भी सुधार किया जाए, पेश्तर इसके कि सारे भारत में एक छोर से दूसरे छोर तक इस नीति के खिलाफ या इस नई नीति की घोषणा के खिलाफ, सर्कुलर के खिलाफ एक जन-आंदोलन शुरू हो जाए और फिर आपको मजबूर होकर अपना कदम वापिस लेना पड़े तो यह जो किया-कराया है, उस पर भी पानी फिरेगा। मैं चाहता हूं कि इस बात को स्पष्ट रूप से बताया जाए कि कौन से ऐसे जरूरी कारण थे जिनके कारण 1951, 1957, 1961 और 1968 की इन सब मीटिंगों और गोष्ठियों में जो कि मुख्य मंत्रियों की थीं, या शिक्षा मंत्रियों की थीं या अधिकारियों की ही थीं, उन सबमें त्रिभाषा फार्मूले की यही परिभाषा रही और यही पढ़ाई जाती रही 16 सितम्बर, 1988 तक तो सारी व्यवस्था ठीक थी, त्रिभाषा फार्मूला भी ठीक था, आपका सिस्टम भी ठीक था, लेकिन उस दिन एक ऐसा अचम्भा हुआ, ऐसा भूकम्प आया, पता नहीं कहां से कैसे आया कि सारी व्यवस्था बदल दी गई और एक सर्कुलर जारी कर दिया गया। सर्कुलर जारी करने के बाद उस पर स्थगन भी आ गया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर हम चर्चा नहीं करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के जज क्या निर्णय करेंगे यह वह स्वयं जानते हैं। देश का हित उनके लिए जैसे सर्वोपरि है और वैसे संस्कृत भी उनके लिए सर्वोपरि है। इसके अन्तर्गत मैं यह आश्वासन सरकार से चाहता हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे या ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे कि आप यह सिद्ध करें या जिससे ऐसा आभास हो कि फिर से जो नई व्याख्या उस परिपत्र में दी गई है त्रिभाषा फार्मूले की, आप उसे लागू करने में डटे हुए हैं और आपकी इच्छा भी है कि पुरानी व्यवस्था की बजाय नई व्यवस्था की जाए। आप अगर नई व्यवस्था करना ही चाहते हैं तो उसमें संस्कृत के प्रभावशाली स्थान के लिए, उसके गौरव को देखते हुए, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए और भारत की एकता व उसके सुदृढ़ भविष्य की कामना के लिए कोई ऐसी व्यवस्था करें जिसका प्रभाव और परिणाम आखिर में अच्छा मिले। संस्कृत को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए स्कूलों में और अधिक लोकप्रिय बनाकर आप उसको इफेक्टिव ढंग से बनाने के लिए ऐसी व्यवस्था करें कि किसी को कोई एतराज न हो और कोई सवाल पैदा न हो बल्कि और अधिक विद्यार्थी, दक्षिण में, पूर्व मे, उत्तर में और पश्चिम में उसको पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं और संस्कृत एक गंगा की तरह फिर वह निकले, भारत के भविष्य की गारंटी लेकर, एकता की एक बड़ी आशा और विश्वास लेकर। भारत का सारा जन मानस

[प्रो० नारायण चन्द पराशर]

आपसे इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ और मैं चाहता हूं कि आप स्पष्ट रूप से इसका जवाब दें।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग) : उपाध्यक्ष महोदय, संस्कृत हमारे देश की सभी राष्ट्रीय भाषाओं की जननी है और भारतीय संस्कृति की प्रतीक भी है। हम चाहे जितना भी पुराना साहित्य देख लें उसमें जो उच्चकोटि के साहित्य का निर्माण हुआ है वह इसी भाषा के द्वारा हुआ है। इसकी पढ़ाई पर सरकार ने जो 16 सितम्बर 1988 को रोक लगाई उसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख है कि सरकार ने ऐसा करके कोई उचित नहीं किया है।

सभी राष्ट्रीय नेताओं ने बारम्बार आजादी के पहले और बाद में यह कहा है कि संस्कृत भारत की राष्ट्रीय एकता की प्रतीक है। इसके कारण से ही हमारे दक्षिण भारत के बहुत से विद्वान उत्तर भारत में आए और उत्तर भारत के विद्वान दक्षिण भारत में जाकर अपने विचार समय-समय पर प्रकट करते रहे। केरल के जो एक नम्बूदरिपाद पंडित थे वह आज उत्तर भारत के बहुत से मंदिरों में वहां के पुजारी भी हैं। हमारे पुराने बुजुर्ग लोग समय-समय पर हिन्दुस्तान के कई क्षेत्रों में जाते थे और आमतौर पर लोगों से मिलते रहते थे। वे अपनी भाषा के जरिये राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते थे। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसके आधार पर हमारे देश की अन्य भाषाएं पनपती हैं, विकास करती हैं। भाषाओं के लिए जब कभी शब्दों का चयन करना पड़ता है तो संस्कृत भाषा से ही हम बहुत से नये शब्दों को लेते हैं। यदि इसकी पढ़ाई बन्द कर दी जाएगी तो इससे राष्ट्रीय एकता को धक्का लगेगा। हमारी सरकार को और खास तौर पर हमारे शिक्षा मंत्रालय को इस बात पर विचार करना चाहिए। और इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक बहुत बड़ा अन्याय हमारे देश की भारतीय भाषाओं की जननी के साथ हुआ है। इस अन्याय को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को काफी संकेत किया है कि इसकी पढ़ाई को अभी फिलहाल बन्द न करें इसलिए भी शिक्षा मंत्रालय से मैं अनुरोध करूंगा कि इसकी पढ़ाई के सिलसिले में जो रोक लगा दी गई थी, पूरे हिन्दुस्तान के स्कूलों में, वहां इस बात की सूचना अवश्य तत्काल भेज दें कि संस्कृत की पढ़ाई बन्द न करें।...(व्यवधान)...मुझे लगता है कि संस्कृत में अगर मैंने बोलना प्रारम्भ किया तो आपको अधिक तकलीफ होगी, अनुवाद की व्यवस्था भी नहीं है। आप घर से निकल जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि आप निकलें, आप सुनें। मैं ऐसी बात कहना चाहता हूं जिससे आप यहां पर बैठें।

संविधान सभा में पत्रकार की हैसियत से मैं वहां पर रहा करता था और रिपोर्टिंग किया करता था। मुझे याद है कि वहां अधिकांश सदस्यों ने, वैसे मैं कह सकता हूं कि 90 प्रतिशत से अधिक लोगों ने संस्कृत को बनाये रखने के संबंध में अपने विचार रखे थे। राजगोपालाचारी जी को हमेशा हमारा देश याद करेगा कि हिन्दुस्तान की बहुत-सी भाषाओं में संस्कृत को उन्होंने जोड़ा और इसके लिए हम हमेशा राजगोपालाचारी जी के बहुत-बहुत आभारी रहेंगे। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसके जरिये आप भारत के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में किसी को भी लिख सकते हैं, बात कर सकते हैं और विद्वान लोग एक दूसरे के साथ विचार प्रकट कर सकते हैं। इतना ही नहीं हमारे जितने भी प्राचीन ग्रन्थ हैं, उन ग्रन्थों को इसलिए नहीं पढ़ा जाता है कि वह धार्मिक ग्रन्थ हैं बल्कि इसलिए पढ़ा जाता है कि उनमें ज्ञान का भण्डार है। एक बहुत छोटा-सा देश है दुनिया में बोलोविया, मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि महाभारत को वहां पढ़ाया जाता है, पाठ्यपुस्तकों में, एम० ए० में, बोलिविया में वहां महाभारत को पढ़ाते हैं। भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी वहां पर ओरिएण्टल लेंग्वेज पर सेमीनार के सिलसिले में गई थीं, 1968 में, वहां के अध्यक्ष ने संस्कृत में भाषण किया तो हमारे प्रतिनिधियों को कुछ मुश्किल हुई कि हम इसका उत्तर कैसे दें तो उस समय पत्रकार की हैसियत से मैं भी वहां पर था

तो जितना मुझसे बना, मैंने थोड़ी-सी मदद की। मैंने उनसे पूछा कि क्या वजह है कि बोलोविया में इतने विद्वान बैठे हैं और संस्कृत समझते हैं तो उन्होंने कहा कि महाभारत को हम यहां पाठ्यपुस्तक में पढ़ाते हैं और उसके कारण हमने संस्कृत पढ़ी है, उसके मूल को समझने के लिए। मैंने पूछा कि महाभारत में ऐसी क्या बात है, यह तो धार्मिक ग्रन्थ है तो उन्होंने कहा कि यह धार्मिक ग्रन्थ बिल्कुल नहीं है, इसमें तो ज्ञान का बहुत बड़ा भण्डार है, विज्ञान का भण्डार है। इसको पढ़ने से आपको खास तौर से ज्यादा लाभ होगा क्योंकि इसमें राजनीति का भण्डार है, यह उन्होंने भी कहा था तो इसमें ऐसी बहुत-सी चीजें हैं, भारतीय साहित्य है जिसकी आज तक हमारे देश को आवश्यकता है, उसको पढ़ने की, मनन करने की, समझने की और उस पर चलने की इसलिए शिक्षा मन्त्रालय से मैं फिर अनुरोध करूंगा कि संस्कृत के साथ आप अन्याय न करें। यह संस्कृत के साथ ही अन्याय नहीं होगा बल्कि भारत की आत्मा के साथ भी अन्याय होगा।

इतना ही कहकर मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला न हो तब तक संस्कृत की पढ़ाई जारी रखने के संबंध में इसी सप्ताह आदेश दे दें, बड़ी कृपा होगी।

धन्यवाद।

[अनुवाद]

1.00 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण समाप्त होने के बाद सभा मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होगी। तब तक हम अवधि बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने प्रश्न संक्षेप में करें। श्री पराशर पहले ही 10-15 मिनट ले चुके हैं। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे जो कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं और मंत्री महोदय से प्रश्न करना चाहते हैं, पांच मिनट में करें।

श्री उमाकान्त मिश्र।

[हिन्दी]

श्री उमाकान्त मिश्र (मिर्जापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि देश को अस्थिर करने के लिए, तोड़ने के लिए कान्सपिरेसी हो रही है, षड़यन्त्र हो रहा है। भारत से भारतीयता को समाप्त किया जा रहा है। भारत से भारतीयता की पहचान को समाप्त किया जा रहा है। भारत से भारत की प्राचीन संस्कृति और धरोहर को समाप्त किया जा रहा है। एक कान्सपिरेसी चल रही है, षड्यंत्र चल रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हमको आश्चर्य हो रहा है, संस्कृत जो कि इस देश की प्राचीन पहचान है, पहचान है, आइडेंटिटी है, संस्कृत जो इस देश की प्राण-धारा है, जो हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक और पश्चिम समुद्र से लेकर पूर्वी समुद्र तक, संस्कृत भाषा के प्रेमी मौजूद हैं। जिस भाषा के द्वारा सारी भारतीय एकता और अखण्डता व्याप्त है उस संस्कृत को धीरे-धीरे हटाने का प्रयास चल रहा है। इस पर हमको आश्चर्य हो रहा है। हमको आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि हमारे बड़े-बड़े दिग्गज हमारे विद्वान मंत्री, श्री पी० शिव शंकर जी और शाही जी जैसे लोगों के होते हुए यह षड्यंत्र सफल हो रहा है। संस्कृत की महिमा को दुनिया में समझा जा रहा है। विदेशों में समझा जा रहा है। इस देश को जब आजादी भी नहीं मिली थी, तब सर विलियम जॉन, मैक्समूलर और गोथे जैसे लोगों ने संस्कृत की महिमा का गुणगान किया है। संस्कृत की महानता है को बताया और संस्कृत की महानता को स्वीकार किया है और आजादी के

[श्री उमा कान्त मिश्र]

बाद हमारे प्रथम प्रधान मंत्री स्व० पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में जो संविधान बना, उसमें संस्कृत को उचित स्थान मिला। संस्कृत खाली प्रचीन भाषा नहीं है, संस्कृत अरवाचीन भाषा भी है और प्राचीन भाषा भी है। संस्कृत किसी जाति की भाषा नहीं है, संस्कृत किसी मजहब की भाषा नहीं है, संस्कृत किसी एक वर्ग विशेष की भाषा नहीं है, संस्कृत सम्पूर्ण भारत की भाषा है और सम्पूर्ण विश्व की भाषा है, मानव मात्र का भाषा है और देव भाषा इसको कहा गया है। ऐसी भाषा जो देश को जोड़ती है, जो देश में एकता और अखण्डता की स्थापना करती है, जो देश की आत्मा है और उसके साथ इस प्रकार का अन्याय किया जा रहा है, देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आज भारत को क्षोभ है, देश में खाली पढ़ने वाले या पढ़ाने वाले ही क्षुब्ध नहीं हैं, बल्कि सारे देश की जनता क्षुब्ध है, देश के आम लोग क्षुब्ध हैं। देश से संस्कृत की पहचान को, शिनाख्त को हटाने की कोशिश की जा रही है। आम जनता चाहती है कि संस्कृत का पठन-पाठन हो, क्योंकि संस्कृत में महान साहित्य है, संस्कृत में हमारी महान धरोहर है, संस्कृत ज्ञान का भण्डार है, संस्कृत आध्यात्मिकता का भंडार है और संस्कृत दुनिया में मानव, मानव के बीच में एक कड़ी है। संस्कृत वह साहित्य है, वह दर्शन है, वह विचारधारा है, जो विश्व शान्ति दे सकती है। जो विश्व मानवता की स्थापना कर सकती है। ऐसी भाषा जिसने मानव-मानव के महान आदर्श स्थापित किए हों, उच्च आदर्श स्थापित किए हों, जिसके पढ़ने और पढ़ाने की आज आवश्यकता है, ऐसी भाषा की पढ़ाई-लिखाई को कमजोर करना गैर-बुद्धिमानी है। देश के साथ विश्वासघात है और देश की जनता के साथ विश्वासघात है। कोई आवश्यक नहीं है कि हर आदमी संस्कृत पढ़े और हर आदमी संस्कृत बोले, लेकिन संस्कृत में जो निहित है, संस्कृत में जो रखा हुआ है, संस्कृत में जो धरोहर है उसकी जानकारी सारे देश को, सारे देश की जनता को बल्कि सम्पूर्ण विश्व को होनी चाहिए। वेदों का अध्ययन दुनिया में हो रहा है। कालिदास का अध्ययन सारी दुनिया में हो रहा है। वेदव्यास की स्टडी सारी दुनिया में हो रही है। दुनिया का कोई ऐसा प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नहीं है, जहां संस्कृत में अध्ययन न हो रहा हो। वेदों पर, पाणिनी पर, कालीदास पर या वेदव्यास पर अध्ययन न होरहा हो। दुनिया भूरि-भूरि प्रशंसा कर रही है भारत के मनिषियों की, जो उच्चतम ज्ञान, सभी प्रकार का ज्ञान, खाली आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, धार्मिक ज्ञान नहीं, वैज्ञानिक ज्ञान, हमारा मानव विज्ञान, हमारा आयुर्वेद, हमारा ज्योतिरविज्ञान और हमारा जो गणित विज्ञान है, ऐसा कोई विज्ञान नहीं है, तो संस्कृत में निहित नहीं है। उस विज्ञान का लाभ दुनिया के लोगों ने उठाया है। आज हमको भी लाभ उठाना चाहिए। आज इसको महत्व न देने के कारण बड़ा क्षोभ है देश में, बड़ा असंतोष है देश में। जो संस्कृत का महत्व है, उसको आज हम नहीं समझ रहे हैं और इस पर हमको पश्चाताप करना पड़ेगा। संस्कृत प्राचीन भाषा है, अर्वाचीन भाषा है, यह एकता और अखंडता की भाषा है। इसलिए मैं मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि वे इस पर विशेष ध्यान दें।

त्रिभाषा फार्मूले में हमारा सुझाव है कि संस्कृत की पढ़ाई जिस प्रकार से माध्यमिक विद्यालयों में चालू थी, उसी तरह से उसको चालू रखा जाए और नवोदय विद्यालयों में भी उसी तरह से संस्कृत को एक विषय के रूप में रखा जाए। हमें आपत्ति नहीं है यदि आप अरबी रखें या फारसी रखें लेकिन संस्कृत को आप एक विषय के रूप में, जिस प्रकार से माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत पढ़ाई जाती थी, उसी तरह से नवोदय विद्यालयों में भी रखें और संस्कृत की जैसी पढ़ाई पहले हो रही थी, उसको जारी रखें। त्रिभाषा फार्मूले में मेरा सुझाव है कि यदि आप संस्कृत को चौथे विषय के रूप में नहीं रख सकते, तो कम से कम 100 नम्बर का, 100 अंक का एक प्रश्न पत्र संस्कृत का रखें और हिन्दी, तमिल, तेलुगु, बंगला आदि भाषाओं के साथ-साथ 100 नम्बर का प्रश्न पत्र अवश्य रखें। अगर ऐसा करेंगे, तभी संस्कृत की रक्षा हो सकती है। मुझे आशा

है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय जनता के क्षोभ को समझेगा और संस्कृत भाषा को उचित स्थान देने की कृपा करेगा। संस्कृत हमारी धरोहर है और पं० जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में, डा० सम्पूर्णानन्द जी के जमाने में और डा० राजेन्द्र प्रसाद जी के जमाने में जो संस्कृत के प्रचार और प्रसार का काम प्रारम्भ हुआ था, वह अभी तक चलता रहा और श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि संस्कृत हमारी अमूल्य निधि है और उसकी रक्षा के लिए हमें पूरे प्रयत्न करने चाहिए। क्या मानव संसाधन विकास मंत्रालय इन सब बातों पर विचार करते हुए, संस्कृत की रक्षा के लिए और उसके प्रचार, प्रसार के लिए उचित कदम उठाएगा।

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे शिक्षा राज्य मंत्री महोदय ने जो अपना वक्तव्य यहां पर प्रस्तुत किया है और उसमें जो संस्कृत के संवर्धन की चर्चा की गई है, मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं परन्तु जो प्रश्न हम लोगों ने उठाया है, वह प्रश्न उस में अनुत्तरित है। हम लोगों का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इसलिए था कि भारतीय भाषाओं की मूल, भारतीय भाषाओं की जननी, आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की भाषा संस्कृत, इसकी महत्ता क्यों घटा दी गई, जिसकी चर्चा अभी हमारे साथियों ने की और श्री पराशर ने बहस शुरू करते हुए कहा था कि सितम्बर, 1988 में यह प्रश्न क्यों खड़ा हुआ कि संस्कृत को शिक्षा से निकाल दिया गया। त्रिभाषा फार्मूला चल रहा है बहुत दिनों से लेकिन अब ऐसी कौन सी मुसीबत आकर खड़ी हो गई कि त्रिभाषा फार्मूले के अन्दर संस्कृत को अपदस्थ कर दिया गया। सच बात तो यह है, जैसा कि पं० उमाकांत मिश्र ने कहा, कि षड्यंत्र मुझे भी मालूम पड़ता है कि सम्पूर्ण भारतीयता का लोप करके संस्कृत को हटा दो ताकि भारत में भारतीयता की खोज करने के लिए, हमको ऐसा लगता है, विदेशों में जाना पड़े और भारत में पता ही नहीं चलेगा कि भारतीयता क्या है। कौन नहीं जानता कि संस्कृत भाषा के अध्ययन के बिना, कौन नहीं जानता कि संस्कृत को जाने बिना, कौन नहीं जानता कि संस्कृतज्ञ लोगों को समझे बिना, इस देश की आत्मा की पहचान नहीं हो सकती और न ही हम दुनिया में अपना मस्तक ऊंचा करके खड़े हो सकते हैं। आज वाल्मीकि को, आज व्यास को सारी दुनिया जानती है और जो वाल्मीकि और व्यास द्वारा रचित प्राचीन ग्रंथ हैं, जो इस देश के महान ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, उन में देश की सम्पूर्ण ऊर्जा विद्यमान है और जो भारतीय कालिदास को न जाने, श्रीहर्ष को न जाने, अश्वघोष को न जाने, भवभूति को न जाने और बाण को न जाने, उस भारतीय का मस्तक ऊंचा कैसे हो सकता है। हमें कोई आवश्यकता नहीं है कि हम शैली को जानें या न जानें, कीट्स को जानें या न जानें और शेक्सपियर को जानें या न जानें। इससे हिन्दुस्तान के किसी भी छात्र का, हिन्दुस्तान के किसी भी नागरिक का मस्तक नीचे नहीं हो सकता लेकिन जिस दिन वह कालिदास को नहीं जानता, व्यास को नहीं जानता, वाल्मीकि को नहीं जानता, तो उस दिन हिन्दुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति का सिर नीचे हो जाता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस त्रिभाषा फार्मूले की असली जड़ कहां है, गलती कहां पर है? गलती है, अंग्रेजी की अनिवार्यता को बनाए रखना। हम अंग्रेजी को हर हालत में बनाए रखना चाहते हैं। इस देश की एकता के लिए राष्ट्र, भाषा की जरूरत है, इसलिये हिन्दी पढ़ाई जाएगी। हमें इस देश की सम्पूर्ण भारतीय भाषाओं को ऊपर उठाना है, इसलिए प्रत्येक मातृ-भाषा का महत्व है और मातृ-भाषा में बच्चे की शिक्षा होनी चाहिए लेकिन राष्ट्र भाषा हर एक को आनी चाहिए। द्विभाषा फार्मूले को सारी दुनिया के बड़े-बड़े देशों ने अपनाया है। इससे ज्यादा रूस का उदाहरण हमारे सामने है। मातृभाषा में उच्चतम शिक्षा, राष्ट्रभाषा रूसी का अनिवार्य ज्ञान, उसके बाद चाहे कोई अंग्रेजी पढ़े, फ्रांसीसी पढ़े, संस्कृत पढ़े, कोई भाषा पढ़े। यह तो हिन्दुस्तान में ही न जाने कहां से मुसीबत खड़ी हो गई है कि अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी। चाहे उसे बंगला आती हो या न आती हो, गुजराती आती हो या न आती हो, हिन्दी आती हो या न आती हो, तमिल आती हो या न आती हो, लेकिन अंग्रेजी जरूर

[श्री अवेश कुमार चतुर्वेदी]

आनी चाहिए।

आज अंग्रेजी के विरुद्ध पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने हमारे विद्यार्थी आमरण अनशन कर रहे हैं। यह उनका दुर्भाग्य है कि देश की भाषाओं के पढ़ने की मांग को लेकर के वे आंदोलन करें, उसके लिए हल्ला मचाएं। उसके लिए शोर करें। हमारे लोग सुनें भी नहीं। यह कैसा अंधेर है, यह कैसा व्यवहार है? महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल ने, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने और श्री राजगोपालाचार्य ने कहा था कि जिस दिन देश आजाद होगा उसी दिन से इसकी पहली पहचान होगी कि राष्ट्रभाषा और भारतीय भाषाओं में सम्पूर्ण कार्य होगा। लेकिन वह आज तक नहीं हो रहा है।

मैं कहना चाहता हूं कि जब इस देश में आधुनिक ज्ञान और विज्ञान के लिए अंग्रेजी का प्रभुत्व था तब भी जिस राज्य में अंग्रेजी का प्रभुत्व सब से ज्यादा था उसी राज्य में, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में सबसे पहले संस्कृत में एम० ए० की कक्षा खुली। सम्पूर्ण भारत में वही पहला विश्वविद्यालय था।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज संस्कृत को उसका उचित स्थान मिलना चाहिए। संस्कृत भारत की अन्तरात्मा है। संस्कृत भी भारत की सम्पूर्ण भाषाओं में से एक भाषा है जो कि संविधान में दी गई है। इसलिए सम्पूर्ण भारतीय भाषाओं में संस्कृत की भी अनिवार्यता होनी चाहिए। चाहे हिन्दी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड, मलयालम कोई भी भाषा की अनिवार्यता हो लेकिन यह न हो कि संस्कृत को हटा दिया जाए। मैं तो चाहता हूं कि मातृभाषा में शिक्षा, राष्ट्रभाषा की अनिवार्यता, उसके बाद चाहे विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़े, संस्कृत पढ़े, उर्दू पढ़े, फारसी पढ़े, लेकिन अंग्रेजी की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। अंग्रेजी का विकल्प होना चाहिए। ठीक उसी तरह से कि तीसरी भाषा के रूप में चाहे कोई विद्यार्थी अंग्रेजी ले, फ्रांसीसी ले, रूसी ले, चाहे संस्कृत ले, चाहे फारसी ले। त्रिभाषा फार्मूले का मतलब यह होना चाहिए कि मातृभाषा में सम्पूर्ण ज्ञान, विज्ञान, दूसरी भाषा इस देश की राष्ट्रभाषा प्रत्येक भारतीय को आनी चाहिए। तीसरी भाषा वह हो जो हमारी आत्मिक उन्नति में सहायक हो।

यह आपको किसने अधिकार दिया कि अंग्रेजी आपको पढ़नी ही पड़ेगी? इसके लिए चाहे आपको संस्कृत का बलिदान देना पड़े। मैं कहना चाहता हूं कि आज आप देख लीजिए कि संसार के किसी भी शिक्षण संस्थान में, किसी भी विश्वविद्यालय में संस्कृत का विशेष अध्ययन हो रहा है। यह क्यों हो रहा है? आपके वक्तव्य से लगता है कि संस्कृत अजायबघर में आप रख रहे हैं। आज संस्कृत की महत्ता को संसार जान रहा है लेकिन इस देश में इसको भुलाया जा रहा है। आज कम्प्यूटर विज्ञान ने संस्कृत को दुनिया की सर्वोत्तम भाषा माना है। संस्कृत दुनिया की ध्वन्यात्मक पूर्णता वाली भाषा है जिसमें अधिक से अधिक शब्दों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। आने वाली शताब्दी में संस्कृत की जो स्थित होगी उसको सब लोग जानने लगे हैं। विदेशी विद्वानों ने कहा संस्कृत हर दृष्टि से सक्षम भाषा है। दुनिया के लोग संस्कृत को पढ़ रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं लेकिन हमारे देश में उसको यहां वहां रखा जा रहा है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि संस्कृत के पठन-पाठन को केवल रिसर्च तक ही सीमित न रखें। इस पर पांच-दस करोड़ रुपया खर्च करके कुछ लोगों तक ही सीमित करके न रखें। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। संस्कृत आज की प्रत्येक जीवित भाषा का भंडार है। भावाभिव्यक्ति, विज्ञान, परम्परा इन सारी चीजों के लिए संस्कृत का अध्ययन अनिवार्य है। सम्पूर्ण भारतीय भाषाओं में उच्च ज्ञान-विज्ञान प्राप्त होना चाहिए यह ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे दे दिया, वह बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश में न जाते हुए सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि

उसका फैसला चाहे कुछ भी हो, संस्कृत इस देश में अजर-अमर होकर रहेगी, यह हिन्दुस्तान की जनता का फैसला है।

श्री एस० पी० शाही : उपाध्यक्ष महोदय, जो बातें अभी कही गई हैं, अगर मूल रूप में कालिंग अटेंशन को देखें तो उनका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं। जहां तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सवाल है, मैं स्थिति साफ कर देना चाहता हूं। 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुए और 30 मार्च को सी०बी०एस०ई० में सब जगह यह खबर चली गई कि पहले जैसी व्यवस्था थी, वही रहेगी, इसलिए अब उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई और न सरकार की यह मंशा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ हम कुछ करें। एक तरफ बात इस पालियामेंट में दो दिन बहस करके कही जाती है कि 3 भाषा फार्मूला हो, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में वाद पेश हुआ है जिसका फैसला होना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हमें इंतजार करना होगा, उसका जो भी फैसला होगा, सरकार उसको मानने को तैयार होगी, क्योंकि उसके बाद तो कोई अपील नहीं हो सकती। फिर भी पराशर जी, चतुर्वेदी जी, चन्द्राकर जी, मिश्र जी की चर्चा से यह भान हो रहा है, जो कुछ किया गया है, उससे संस्कृत पीछे हट रही है, हम इस पर विचार करने को तैयार हैं। सरकार की ऐसी मंशा नहीं है कि संस्कृत को इस देश से हटा दें। आपने देखा कि पिछले वर्ष हमने दो सेमीनार कराए, वैदिक मैथमेटिक्स के, आगे भी हम इसको परसू कर रहे हैं, इसी तरह से वेद विद्या प्रतिष्ठान की ओर से कुछ काम हुआ है, अभी यह संस्था खड़ी हो रही है, आगे जाकर इसका काम और बढ़ेगा। इतना ही नहीं मैंने जवाब में जिन चीजों का जिक्र किया है, उसके अलावा भी हर साल कुछ ऐसे काम होते हैं जिनसे संस्कृत और आगे बढ़ेगी, इसके लिए हम बराबर कदम उठाते है। पिछले वर्ष राष्ट्रपति महोदय द्वारा संस्कृत के विद्वानों को बुलाकर पुरस्कार वितरित किए गए। अगर कोई संस्कृत का विद्वान रिटायरमेंट के बाद या गरीबी की वजह से खराब स्थिति में है तो सरकार भी उसकी सालाना मदद करती है, करती आई है। इस तरह से ये बातें चलती हैं। हम यह भी विचार कर रहे हैं कि कंपोजिट कोर्स जिस तरह से सेकेण्डरी एजूकेशन में अभी हिन्दी और संस्कृत से बनता है, उसी तरह से दूसरी भाषाओं के साथ कंपोजिट कोर्स हो सकता है। जहां तक अंकों का सवाल है कि 20 हों, 60 हों, 50-50 हों या 75-75 हों, टोटल 100 हो या 150 हो, इससे बहुत अंतर नहीं पड़ता, उसको विचार करके तय कर लेंगे।

इस तरह से सरकार की नीति का जहां तक सवाल है, मैं यह साफ करना चाहता हूं कि सरकार संस्कृत के खिलाफ नहीं है और हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वेट कर रहे हैं, तब तक जैसी व्यवस्था थी वैसी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा, उसको हम लागू करेंगे। अगर उसके बाद भी कहीं कोई बात रह जाती है तो पालियामेंट सुप्रीम है, किसी वक्त भी सरकार को डायरेक्शंस दे सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए, सरकार को वह काम करना होगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होती है तथा 2.20 म०प० पर पुनः समवेत होगी।

1.19 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.20 म०प०
तक के लिए स्थगित हुई।

2.23 म०प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.23 म०प० पर पुन: समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष पीठासीन हुए]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) चुंगी की वर्तमान प्रणाली के स्थान पर एक समान अधिशुल्क लगाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री निहाल सिंह जैन (आगरा) : उपाध्यक्ष महोदय, स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं नगरपालिका एवं टाउन एरिया कमेटियों द्वारा अपनी-अपनी सीमाओं में वस्तुओं के आने पर चुंगी लगाकर राजस्व प्राप्त किया जाता है। एक लम्बे अरसे से यह अनुभव किया जा रहा है कि विभिन्न स्थानों की चुंगी की दरों में भारी विषमता के कारण व्यापार में गतिरोध पैदा होता है। साथ ही इसके अर्जित करने में सर्वाधिक प्रशासनिक व्यय और एक बड़े भाग का निजी जेबों में चले जाने का भी दोष है। यातायात परिचालकों को अधिक परिचालन व्यय व समय लगता है;

इन सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए वित्त आयोग तथा यातायात विकास परिषद ने इसको समाप्त करने की सिफारिश की है और राज्य सरकारों को इसके स्थान पर एक समान अधिभार लगाने का सुझाव दिया है। केन्द्र ने राज्य सरकारों को इस सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिए आग्रह किया है परन्तु महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को छोड़कर शेष राज्यों में इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की गई है। अतः परिवहन तथा नगर विकास मंत्रालयों को संयुक्त रूप से प्रयास कर राज्य सरकारों को त्वरित कार्यवाही हेतु प्रेरित करने की महती आवश्यकता है।

(दो) कलकत्ता में एक केन्द्रीय रोजगार कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री आशुतोष लाहा (दमदम) : महोदय, पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी की समस्या ने गंभीर रूप धारण कर रखा है। 1987 के अन्त में पश्चिम बंगाल में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में आवेदकों की संख्या 45—64 लाख थी। यह देश के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सबसे अधिक है।

ऐसी विकट समस्या को देखते हुए 1987 में देश में चल रहे कुल 835 रोजगार कार्यालयों में से केवल 69 रोजगार कार्यालय ही पश्चिम बंगाल में कार्यरत थे।

पश्चिम बंगाल में केन्द्र सरकार के कार्यालय/केन्द्र सरकार के सरकारी क्षेत्र के उद्यम काफी

संख्या में हैं और फिलहाल कुछ रिक्तियां इन रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भरी जाती हैं।

केन्द्रीय रोजगार कार्यालय, दिल्ली की स्थापना रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 के तहत की गई थी। इस अधिनियम के अन्तर्गत यह संभव है कि भारत का सबसे अधिक आबादी वाला एक शहर होने के नाते केन्द्र सरकार कलकत्ता में एक केन्द्रीय रोजगार कार्यालय खोल सकती है। कलकत्ता में ऐसा एक केन्द्रीय रोजगार कार्यालय खोलने से पश्चिम बंगाल में केन्द्र सरकार के संगठनों की जरूरतें भी पूरी हो सकेंगी।

पश्चिम बंगाल में लाखों बेरोजगार युवाओं में व्याप्त इस समस्या से उत्पन्न अत्यधिक असंतोष को देखते हुए कलकत्ता में एक केन्द्रीय रोजगार कार्यालय शीघ्र खोला जाए ताकि पूर्वी भारत की जनसंख्या को अत्यधिक लाभ हो।

[अनुवाद]

(तीन) आय कर अधिनियम की धारा 80 एच० एच० सी० के अन्तर्गत "प्रस्तावित निर्यात" पर आय कर से छूट की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी (खलीलाबाद) : महोदय, केन्द्र सरकार की नीति के अनुसार, देश के बाहर निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को आयकर अधिनियम की धारा 80 एच० एच० सी० के अन्तर्गत छूट दी गई है जिससे निर्यात के कोटे में वृद्धि की जा सके और विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके जो कि अन्ततः देश में व्यापार सन्तुलन की स्थिति में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह अजीब बात है कि 'डीम्ड एक्सपोर्ट' के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं के लिए कोई छूट नहीं दी गई है जबकि ये वस्तुएं संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आयात निधि, अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक आदि बाह्य रूप से धन दिए जाने वाली विभिन्न परियोजनाओं के लिए मुक्त विदेशी मुद्रा में अदायगी के बदले सप्लाई की जाती है। अतः 'डीम्ड एक्सपोर्ट' की, फिजिकल्स एक्सपोर्ट की तरह विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं।

'फिजिकल एक्सपोर्ट' अथवा 'डीम्ड एक्सपोर्ट' के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं को भी उसी प्रकार से प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय फर्मों को अन्तर्राष्ट्रीय बोली के अन्तर्गत जिन्हें बड़े पैमाने पर कड़ी प्रतियोगिता के बाद बाह्य रूप में धन दी जाने वाली विभिन्न परियोजनाओं से आर्डर प्राप्त होते हैं।

उपर्युक्त परिस्थितियों में, भारतीय फर्में विदेशी कम्पनियों के साथ प्रतियोगिता नहीं कर पा रही हैं। इससे उन्हें बाह्य रूप से विभिन्न सहायता कार्यक्रमों में ठेके नहीं मिल रहे हैं।

व्यापार सन्तुलन और विदेशी मुद्रा समस्या को ध्यान में रखते हुए, मैं माननीय वित्त मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि 'फिजिकल एक्सपोर्ट' और 'डीम्ड एक्सपोर्ट' के बीच भेदभाव को समाप्त किया जाए और 'डीम्ड एक्सपोर्ट' को भी आयकर अधिनियम की धारा 80 एच० एच० सी० के अन्तर्गत आयकर से छूट दी जाए।

(चार) महान स्वतन्त्रता सेनानी, राजा महेन्द्र प्रताप की वृन्दावन में स्थित जीर्ण-शीर्ण समाधि का नवीकरण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती ऊषा रानी तोमर (अलीगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं देश के एक ऐसे महान सपूत राजा

[श्रीमती ऊषा रानी तोमर]

महेन्द्र प्रताप की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी जिसने भारत की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। राजपाट, धन-दौलत, पत्नी, बच्चे सबको छोड़कर 32 वर्षों तक सम्पूर्ण विश्व में भारत की आजादी के लिए शंखनाद किया। वे जहां एक ओर जर्मनी और जापान के सम्राटों से मिले वहीं दूसरी ओर दुनिया के अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों से सम्पर्क कर भारत को अंग्रेजी दासता से मुक्ति दिलाने हेतु सहायता प्राप्त की। राजा साहब ने सोवियत रूस की सरकार को भी स्वर्ण पत्र लिखकर सहायता का अनुरोध किया और जब रूस में क्रान्ति हुई और नई सरकार का गठन हुआ तो राजा साहब रूसी सरकार के मेहमान हुए तथा लेनिन से उनके संबंधों में और भी घनिष्ठता आई। लेनिन राजा साहब के विचारों से प्रभावित थे। उन्होंने उनकी प्रेमधर्म की पुस्तक को पढ़कर उन्हें दूसरा टालस्टाय कहा। राजा महेन्द्र प्रताप ने सन् 1915 में काबुल में सर्वप्रथम अस्थायी महाराष्ट्र हिन्द सरकार की घोषणा की और विश्व के कई देशों ने उस सरकार को मान्यता भी प्रदान की। सत्य तो यह है कि नेता श्री सुभाष चन्द्र बोस भी राजा साहब के पदचिन्हों पर चले जिसकी छाप राजा साहब ने छोड़ी थी। राजा महेन्द्र प्रताप जी ने सबसे पहले विश्व को संसार संघ की योजना दी जिसका परिणाम यू० एन० ओ० में हुआ। अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह इस महान देशभक्त की स्मृति को बनाए रखने के लिए उनकी समाधि, जो वृन्दावन में यमुना के किनारे है और अत्यन्त दयनीय स्थिति में है, उसका सौन्दर्यकरण कराने की व्यवस्था करे।

[अनुवाद]

श्री अजीज कुरेशी (सतना) : गृह मन्त्री यहां हैं, उन्हें इस पर अवश्य आश्वासन देना चाहिए।

(पांच) मध्य प्रदेश के भिण्ड और दतिया जिलों के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री कृष्ण सिंह (भिण्ड) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मध्य प्रदेश में भिण्ड और दतिया के पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास की अत्यधिक आवश्यकता के बारे में इस महान सभा और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, दतिया इस राज्य का उद्योग विहीन जिला है, लेकिन इसमें तेजी से औद्योगिक विकास के सभी साधन मौजूद हैं, और इस प्रकार के विकास के लिए इसमें सभी आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह मध्य रेलवे की मुख्य लाइनों अर्थात दिल्ली से बम्बई और दिल्ली से मद्रास पर बसा हुआ है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग से भी पूरी तरह से जुड़ा हुआ है और स्थानीय सड़कों से जुड़ा हुआ है। यहां बिजली की उपलब्धता के बारे में भी कोई समस्या नहीं है।

मुझे पता चला है मध्य प्रदेश राज्य में कम से कम पांच औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित करने की योजनाएं हैं अथवा तैयार की जा रही हैं। इसीलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उनमें से एक केन्द्र दतिया में स्थापित किया जाए जिससे मध्य प्रदेश के पिछड़े उद्योग विहीन जिले को राष्ट्र के औद्योगिक विकास की मुख्य धारा में लाया जा सके और मैं योजना आयोग से इस योजना को स्वीकृति प्रदान करने की अपील करता हूं।

(छः) महाराजा उम्मेद मिल्स, पाली, राजस्थान के श्रमिकों की छंटनी किए जाने की निष्पक्ष जांच कराए जाने तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री शंकर लाल (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष जी, नियम 377 के तहत मैं निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत कर रहा हूं :—

"राजस्थान को महाराजा उम्मेद मिल्स पाली के पांच हजार से भी अधिक श्रमिक "वर्क लोड" बढ़ाने के विरोध में करीब तीन माह तक पूर्ण हड़ताल पर रहे। विवाद-ट्रिब्यूनल में विचाराधीन होते हुए भी मिल मैनेजमेंट ने कुछ यूनियनों के तथाकथित पदाधिकारियों को मुगालते में डालकर अनधिकृत व कानून के खिलाफ समझौता कर पाली के श्रम विभाग के उपायुक्त द्वारा तस्दीक करवा दिया, जिसमें मिल्स में कार्यरत सम्बन्धित सब यूनियनों को शामिल नहीं किया गया और समझौते के आधार पर एवार्ड भी नहीं मिला, परन्तु फिर भी वर्क-लोड बढ़ाकर मजदूरों के विरुद्ध कार्यवाही करने व नोटिस जारी कर छंटनी का कार्य प्रारम्भ करने की तरफ मिल मैनेजमेंट ने कदम उठाना शुरू कर दिया, जिससे समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले यूनियन प्रतिनिधियों के अनुयायी भी कुल मजदूर हड़ताल पर रहे। श्रम कानून के अनुसार ट्रिब्यूनल में मामला विचाराधीन होते हुए, मिल मालिक को ट्रिब्यूनल से निर्णय होने तक, स्थिति में तब्दीली करने का अधिकार नहीं है और राज्य सरकार द्वारा ऐसी स्थिति में ट्रिब्यूनल से निर्णय होने तक यथास्थिति में मिल चालू रखने का आदेश जारी करना चाहिए था, परन्तु पुलिस की दमनकारी कार्यवाही और मिल मालिक की गैर-कानूनी कार्यवाही से एवं राज्य सरकार की उदासीनता से मिल मजदूरों को भुखमरी की स्थिति में पहुंचने पर बाध्य होना पड़ा। श्रमिकों का हित व कानून राज्य और केन्द्र की समवर्ती सूची में होने से भारत सरकार द्वारा इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराएं व दोषी अधिकारियों व मिल मालिक के विरुद्ध कार्यवाही करें।"

(सात) दार्जिलिंग में अर्थ-व्यवस्था में सुधार किए जाने और विकास कार्यों के लिए वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री आनन्द पाठक (दार्जिलिंग) : महोदय, दार्जिलिंग में भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे के प्रेसीडेंट द्वारा हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय समझौते को लागू किया जा रहा है। दार्जिलिंग गोरखा हिल परिषद के चुनाव हो गए हैं और आगजनी पीड़ित लोगों के पुनर्वास के लिए कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। वहां सामान्य स्थिति धीरे-धीरे फिर से बहाल हो रही है। अब उपयुक्त समय है कि दार्जिलिंग पहाड़ियों की छिन्न-भिन्न हुई अर्थ-व्यवस्था को फिर से सुधारने के कार्यक्रम को तथा बहुत ही आवश्यक विकास कार्यों को गम्भीरता से शुरू किया जाए। लेकिन धन की कमी इसमें आड़े आ रही है जिससे लोगों में असंतोष व्याप्त है।

पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री तथा दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल के चेयरमैन ने दार्जिलिंग की छिन्न-भिन्न अर्थव्यवस्था में फिर से सुधार करने तथा अत्यावश्यक विकास कार्यों को शुरू करने के लिए केन्द्र सरकार से तत्काल विशेष अनुदान मंजूर करने के लिए अनुरोध किया है। पश्चिम बंगाल सरकार के साथ परामर्श करके समझौते को सही ढंग से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना केन्द्र सरकार का विशेष उत्तरदायित्व है।

[श्री आनन्द पाठक]

अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि दार्जिलिंग हिल्स के विकास के लिए पर्याप्त धन-राशि मंजूर करने के लिए तत्काल कार्यवाही करे।

(आठ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विकेन्द्रीकरण किए जाने की आवश्यकता

डा० ए० कलानिधि (मद्रास मध्य) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को आज 120 विश्वविद्यालयों और 5000 सम्बद्ध कालेजों की देखभाल करनी पड़ती है। प्रत्येक राज्य में सम्बद्ध कालेजों, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों और अन्य विश्वविद्यालयों की भारी संख्या को देखते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसका एक केन्द्रीय मुख्यालय है, के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय और सम्बद्ध कालेज के साथ सीधे सम्पर्क रखना और उनके मामलों को देखना सम्भव नहीं है। यह स्पष्ट दिखाई देता है कि ऐसी परिस्थितियों में किसी प्रकार का विकेन्द्रीकरण किए जाने की तत्काल आवश्यकता है। कम से कम चार अथवा पांच क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किए जाएं और उसमें आवश्यक कर्मचारी नियुक्त किए जाएं, ताकि वे इन विशेष क्षेत्रों की गतिविधियों और आवश्यकताओं पर ध्यान रख सकें और जिससे केन्द्रीय स्तर पर उनके कार्यकरण का मूल्यांकन हो सके।

(नौ) किसानों को उनसे अधिग्रहीत भूमि के लिए किए गए भुगतान पर आयकर वसूल किए जाने की नीति समाप्त किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार और केन्द्र सरकार जनता के हित में लैंड एक्विजीशन एक्ट के तहत किसानों की भूमि ले रही है। ना चाहते हुए भी किसान को अपनी जमीन कानून के तहत देनी पड़ रही है और उसका मूल्य मार्किट भाव से कम उसको दिया जा रहा है। भूमि लेने के बाद उसका मूल्य कानून के तहत कहीं-कहीं दस वर्ष के बाद दिया जा रहा है। जमीन दाताओं को उस दिन से उस रकम पर सूद दिया जा रहा है, लेकिन उस सूद के ऊपर इनकम टैक्स वाले इनकम टैक्स वसूल कर रहे हैं।

एक ओर तो जमीन का मार्किट भाव देने की बजाए उसकी जमीन को सस्ते भाव पर जबर्दस्ती लिया जा रहा है और दूसरी ओर समय पर उस पैसे का भुगतान नहीं किया जाता, ऊपर से किसानों को दिए गए सूद के पैसे पर इनकम टैक्स लेना एक प्रकार का क्राइम जैसा काम है, इसे रोका जाए तथा इनकम टैक्स के नियमों में तबदीली की जाए। किसान ने अपनी जमीन स्वयं सरकार को नहीं दी है, फिर भी उसकी इच्छा के विपरीत इनकम टैक्स लिया जाना असंवैधानिक तरीका है। इसलिए मैं मांग कर रहा हूं कि इस तरीके को शीघ्र बदला जाए।

2.38 म०प०

पंजाब में लागू राष्ट्रपति शासन जारी रखे जाने के बारे में सांविधिक संकल्प (—जारी)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम सरदार बूटा सिंह द्वारा पंजाब में राष्ट्रपति शासन जारी रखने के

सम्बन्ध में रखे गये सांविधिक संकल्प पर और आगे चर्चा करेंगे। संशोधन जिन्हें स्वीकार कर लिया गया था, उन्हें सदस्यों में पहले हो परिचालित कर दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सदस्य अपने संशोधन रख रहे हैं।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी (कुरनूल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि संकल्प में, --

(i) "के अधीन" के पश्चात् "अन्तिम रूप में" अंतःस्थापित किया जाये।

(ii) "11 मई, 1989 से" के पश्चात् "केवल" अंतःस्थापित किया जाये। (1)

कि संकल्प में --

"छह माह" के स्थान पर "तीन माह" प्रतिस्थापित किया जाये। (2)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम नारायण सिंह।

[हिन्दी]

श्री राम नारायण सिंह (भिवानी) : उपाध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख और अफसोस की बात है कि राष्ट्रपति शासन को पंजाब में एक्सटैंड करने के लिए हम तीसरी या चौथी बार प्रयत्न कर रहे है। लोगों को पिछली दफा यह उम्मीद थी कि अबकी बार इलेक्शन हो जायेंगे और पंजाब में पापुलर गवर्नमेंट आ जायेगी लेकिन गवर्नमेंट ने वहां कुछ नहीं किया। यह गवर्नमेंट पंजाब के मसले को सुलझाना ही नहीं चाहती है और न ही वहां पापुलर गवर्नमेंट बनाना चाहती है। ऐसे ही हालात में इस गवर्नमेंट ने असम में इलेक्शन कराये थे और वह इलेक्शन इस गवर्नमेंट की मदद से हुए थे। इसी तरह से पंजाब के अन्दर भी पंचायतों के इलेक्शन होंगे। अगर पंचायतों के इलेक्शन हो सकते हैं तो फिर असेम्बली के भी हो सकते हैं लेकिन गवर्नमेंट उन्हें कराना नहीं चाहती है।

जरूरत इस बात की है कि वहां के लोगों के जान और माल की हिफाजत की जाये। लेकिन पंजाब में रोजाना यह देखते हैं कि वहां लोग मारे जाते, हैं लूटखसोट होती है और डाके मारे जाते हैं।

श्री मोहम्मद अयूब खां (झुंझुनू) : हरियाणा में क्या होता है ?

श्री राम नारायण सिंह : मैं हरियाणा का भी जिक्र करूंगा। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट इसके अन्दर कोई खास दिलचस्पी नहीं लेती है। वह न तो वहां के लोगों से मिल करके कोई बात करती है और न ही अपोजिशन पार्टीज के लीडरों से हो बात करके कोई हल सोचती है। दिसम्बर में जब लोक सभा के इलेक्शन ड्यू होंगे उसमें वह इसका पालिटिकल फायदा उठाना चाहेगी।

दूसरी बात यह है कि वहां आज जो हालात हैं वह निहायत खराब हैं। वैसे तो सारे हिन्दुस्तान के अन्दर बड़ी भारी रिश्वत चलती है लेकिन पंजाब में यह चोज सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। वहां गवर्नर रूल है इस कारण नौकरशाही इसका पूरा फायदा उठाती है। वे बहुत बड़ी मात्रा में लोगों से रिश्वत लेते हैं। वहां के शरीफ आदमियों को पुलिस यह कहती है कि या तो तुम पैसा दो वरना तुम्हारे ऊपर यह आरोप लगाया जायेगा कि तुम टैरारिस्टों की मदद करते हो। पुलिस तो आम लोगों

[श्री राम नारायण सिंह]

पर बहुत ज्यादती करती है। इस कारण वहां के लोग बहुत दुखी है। वहां स्मगलिंग भी बहुत होती है। पाकिस्तान के साथ स्मगलर्स और पुलिस का खूब मेल रहता है। पुलिस वाले मिल कर दोनों तरफ से खूब पैसा खाते हैं। इस तरह से आम आदमी की जिन्दगी हराम हो गई है। पंजाब के अन्दर आम आदमी बहुत दुखी हैं। लोग यह उम्मीद करते थे कि राजीव गांधी जी की श्रीमती बेनजीर भुट्टो से जो बातचीत हुई है उससे अब पाकिस्तान पंजाब के टैरारिस्टों की मदद नहीं करेगा लेकिन वह उम्मीद 2-4 महीने में खत्म हो गई। अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान उन टैरारिस्टों की मदद कर रहा है। अभी जो टैरारिस्ट पकड़े गए उनके द्वारा दिए गए बयानों से पता लगता है कि पाकिस्तान में अभी भी ट्रेनिंग कैम्प हैं और उन कैम्पों में कोई रिटायर्ड फौजी उन टैरारिस्टों को ट्रेनिंग देता है। इतना ही नहीं हथियारों की भी स्मगलिंग होती है।

यह कहा गया था कि जो बाउंड्री है उसको सील कर दिया जाएगा। उसको अभी तक सील नहीं किया गया है। पहले जैसे ही लोग आते जा रहे हैं। लोगों को दिखाने के लिए खबरें आ जाती हैं कि इतने आतंकवादी मारे गये और इतने पकड़े गये। पता नहीं वे पकड़े गये या नहीं ? लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं हुआ है। बरनाला साहब की जब हुकूमत थी तो उस समय बहुत कम लोग मारे जाते थे यानि कि 4-5 आदमी ही मारे जाते थे। अब तो रोजाना 2 -30 आदमी मारे जाते हैं और बैंक लूटे जाते हैं। पहले पार्लियामेंट के अन्दर यह कहा गया था कि बरनाला की हुकूमत अच्छी हुकूमत है और वह ठीक उसको चला रहे हैं। जब हरियाणा के इलेक्शन आए तो उसका फायदा उठाने के लिए बरनाला साहब एक दिन में ही खराब हो गए और फौरन उनकी सरकार को डिसमिस कर दिया गया। जब जनरल इलेक्शन पार्लियामेंट के आयेंगे तो उसका भी फायदा उठाने के लिए आप पंजाब के मसले को तब तक हल नहीं करेंगे।

आपको पाकिस्तान के साथ सीधे यह बातचीत करनी चाहिए कि वह इतने टैरारिस्टों की क्यों मदद करता है। अब कश्मीर में भी यही हालत बन गई है। वहां बम फटते हैं। वहां टैरारिस्ट ऐक्टिव हो गये हैं। कश्मीर में भी पाकिस्तान वहां के टैरारिस्टों की मदद कर रहा है। वहां टैरारिस्ट पुलों को उड़ा देते हैं, बस अड्डों पर बम रख देते हैं और मासूम लोगों को मार देते हैं। वहां ऐसा हंगामा हो रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वह पाकिस्तान गवर्नमेंट से बातचीत करके इस मसले को सुलझाये। और इसके अन्दर लोगों को इन्वाल्व करें और पार्टियों के लीडरों से बात करें तो कुछ हल हो सकता है, वैसे ही क्या होगा। हमारे अपोजीशन के साथी बोले, उन्होंने कहा कि इलेक्शन जरूरी था, इलैक्शन होना चाहिए था, पोपुलर गवर्नमेंट होनी चाहिए थी लेकिन मुझे तो लगता है कि जैसे कर्नाटक के अन्दर जबरदस्ती पोपुलर गवर्नमेंट को खत्म कर दिया, अब इस गवर्नमेंट की यह साजिश है कि हरियाणा की इलेक्टेड गवर्नमेंट को, जो बड़े भारी मैजोरिटी से आई है, भी खत्म किया जाय। हरियाणा के अन्दर जो टैरेरिस्ट्स पकड़े गये उन्होंने अपने बयानों में कहा कि यह सैण्ट्रल गवर्नमेंट की कांस्प्रेसी है और सैण्ट्रल गवर्नमेंट, होम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्ट्री इस साजिश में शामिल हैं कि किसी तरह से हरियाणा सरकार का कोई कसूर निकाल कर वहां की हुकूमत को डिसमिस किया जाय और यह टैरेरिस्ट्स के बयानात हैं और चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, हरियाणा ने यह बयान दिये हैं। टैरेरिस्ट्स के अन्दर भी कई पार्टियां हैं। यह बताया गया है कि एक ऐसी पार्टी है जो होम मिनिस्टर से लिंक रखती है और होम मिनिस्टर साहब जब भी चाहते हैं, कभी सिरसा के अन्दर गोलियां चलवा दीं, कभी कैथल में चलवा दीं और 5-10 जगह गोलियां चलवा कर कह देंगे कि हरियाणा में लॉ एण्ड आर्डर

खराब हो गया इसलिए गवर्नर की हुकूमत कर दी, तो यह साजिश लगती है। अपोजीशन वाले चाहते हैं कि पंजाब में इलैक्शन हों और पोपुलर गवर्नमेंट बने लेकिन यह तो हरियाणा की गवर्नमेंट को भी तोड़ने के लिए तैयार हैं और ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट के इलैक्शन के पहले हरियाणा, असम या दूसरी अपोजीशन रूल्ड स्टेट्स को तोड़ेंगे और बाद में इलैक्शन करवायेंगे इसलिए मैं तो सोचता हूं कि राष्ट्रपति शासन की मियाद बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, यह अन्याय कर रहे हैं और जबरदस्ती कर रहे हैं लेकिन इसका कोई आल्टरनेटिव नहीं है। यह स्टेचुटरी रेजोलूशन तो पास करना पड़ेगा लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है और अपोजीशन के और दुनिया के आदमी राजी नहीं हैं, जबरदस्ती आप यह शासन चला रहे हैं और पंजाब के अन्दर सब पार्टियां और लोग तंग आ गये, राष्ट्रपति राज से।

राजीव लोंगोवाल एकोर्ड क्यों फेल हो गया, इसलिए फेल हो गया क्योंकि उसमें हरियाणा को पार्टी नहीं बनाया। एक ही आदमी से आप समझौता करते हो, सब पार्टियों को आपको लेकर समझौता करना चाहिए लेकिन हरियाणा को बुलाया ही नहीं, उससे पूछा ही नहीं तो अब बेकार में पूछ कर समझौते का कोई सवाल ही नहीं रहा। फर्ज करो हरियाणा में भी पोपुलर गवर्नमेंट हो और पंजाब में भी हो तो इस मसले का पूरा हल हो सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया उन दोनों को बुलाकर पोलिटिकल डिसीजन ले तो दोनों पार्टियां तैयार हो सकती हैं लेकिन यह तो चौधरी देवी लाल को पंजाब के लीडरों से मिलने ही नहीं देते हैं, यह कहते हैं देवी लाल कोई टैररिस्ट है, इससे मिलने नहीं देते। देवी लाल चीफ मिनिस्टर है, इलैक्टेड है लेकिन वह कहते हैं कि नहीं सिख लीडरों से मिलते जुलते हैं तो सिख लीडर कोई पाकिस्तान के हैं, यह भी हिन्दुस्तान के ही हैं, इनसे मिल जुलकर कोई समझौते की शक्ल हो सकती है लेकिन यह उनको बुलायें तो क्या, उनसे मिलने तक की इजाजत नहीं देते, अभी दो दिन पहले वह वहां गये थे तो उनको मिलने से इंकार कर दिया कि आप नहीं मिल सकते इसलिए यह जो एकोर्ड था, फिजूल था। एक आदमी को बुलाकर एकोर्ड कर लो तो वह एकोर्ड कामयाब नहीं होता।

हरियाणा के खिलाफ खासा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। प्रधान मंत्री खुद एलान करके आये कि करनाल में तेल का कारखाना दो साल में शुरू कर दिया जाएगा, दो साल हो गये लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। एस० वाई० एल० कैनाल के लिए गवर्नमेंट ने दस दफा कहा कि यह तैयार हो जाएगी, यूं होगा, यूं होगा लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, वैसे ही पड़ी है। हर चीज में आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और अपोजीशन रूल्ड स्टेट्स के साथ नहीं चलते क्योंकि यहां सवाल उठता है। मैं तो यह अर्ज करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की गवर्नमेंट देश की एकता और अखण्डता के इण्टरैस्ट में पंजाब के मसले को जल्दी से जल्दी हल करे, इसके लिए पंजाब के लोगों को कंसल्ट किया जाय, सारी अपोजीशन पार्टीज को कंसल्ट किया जाय तब तो यह हल हो सकता है। हमारी हुकूमत का फैडरल स्ट्रक्चर है तो उसका यह फर्ज है कि फैडरेशन की तरह से काम चलाये। यह नहीं कि डिक्टेटोरियल बात हो। हम नहीं चाहते हैं कि पंचायतों को डायरैक्ट पैसा दिया जाये, कल ही हमारे आंध्र प्रदेश के आनरेबल मैम्बर्स कह रहे थे कि हमारे यहां पैसा पहुंच गया लेकिन बिल पास नहीं हुआ। करोड़ों रुपया वहां भेज दिया, सारा इलैक्शन स्टण्ट है और इलैक्शन जीतने के लिए यह सारी चीजें की जा रही हैं। पंजाब की प्राब्लम नेशनल प्राब्लम है इसलिए गवर्नमेंट को बहुत ध्यान देकर इसको सोल्व करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री सरदार बूटा सिंह द्वारा कल रखे गये सांविधिक प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। राज्यपाल की रिपोर्ट में, उन्होंने इक बात

[श्री रघुनन्दन लाल भाटिया]

का उल्लेख किया है कि आतंकवाद पर कुछ हद तक काबू पा लिया गया है और यह देखने के लिए कि यह काबू में रहे प्रयास जारी रहने चाहिए। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया है कि आतंकवादी गतिविधियां कम हो गई हैं लेकिन समाज-विरोधी तत्व बढ़ रहे हैं और लोगों को लूट रहे हैं तथा पंजाब के लिए समस्या पैदा कर रहे हैं। अतः इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यह अनिवार्य है कि राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जाना चाहिए।

पंजाब में राष्ट्रपति का शासन लागू किए जाने के बाद, वहां कुछ फायदा हुआ है क्योंकि वहां जो महत्त्वपूर्ण बात हुई है वह यह है कि पंजाब में लोगों का प्रशासन में विश्वास पैदा हुआ है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। राष्ट्रपति के शासन की अवधि के दौरान लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा हुई है, और यही बात राज्यपाल ने अपने पत्र में कही है, उन्होने इस बात का उल्लेख किया है कि हालांकि स्थिति में सुधार हुआ है लेकिन समस्या अभी बनी हुई है। अत: आतंकवादियों के विरुद्ध संघर्ष में तथा कानून और व्यवस्था की स्थिति बहाल करने में हमारे प्रयासों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अत: यह आवश्यक है कि राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही ऐसी स्थिति पैदा करने के प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि बातचीत की जा सके और स्थिति को सामान्य बनाया जा सके। हम यह देख चुके हैं कि इसके लिए जोधपुर जेल में नजरबन्द किए गए लोगों को रिहा कर दिया गया है ताकि पंजाब के लोगों को यह लगे कि स्थिति सामान्य हो रही है। यहां तक कि विदेशियों को पंजाब में प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाने से संबंधित अधिसूचना भी वापस ले ली गई है ताकि लोग पंजाब जा सकें और उन क्षेत्रों का दौरा कर सकें। इस अधिसूचना को वापस लिए जाने से बहुत अधिक लाभ हुआ है क्योंकि पंजाब की घटनाओं के बारे में देश के बाहर और अन्दर बहुत बड़ी गलतफहमी थी। पंजाब से आने वाली खबरों और समाचार पत्रों द्वारा बयान की गई स्थिति स्पष्ट नहीं थी; लोगों को वहां की घटनाओं के बारे में जानकारी नहीं थी। इस अधिसूचना को वापस ले लेने से लोग पंजाब आकर स्वयं वहां की स्थिति देख सकते हैं; और अब अधिक संख्या में लोग पंजाब आ रहे हैं और वहां की स्थिति स्वयं देख रहे हैं। अब स्थिति स्पष्ट हो रही है। इससे पहले स्थिति यह थी कि कनाडा, संयुक्त राष्ट्र अमरीका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों में बसे भारतीयों को पंजाब के बारे में भ्रामक रिपोर्ट दी जाती थी। अब वे स्वयं वहां की स्थिति देख चुके हैं और यह जान चुके हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है जिसका कुछ लोगों ने विदेशों में कुप्रचार किया था।

इसी प्रकार, पुलिस स्टेशनों को विशेष अधिकार देने वाली अधिसूचना को भी वापिस ले लिया गया है। इस प्रकार सरकार ने ये कदम उठाए हैं। आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखने के साथ-साथ वे पंजाब की स्थिति को सामान्य बनाने के लिए अन्य कार्य भी कर रहे हैं। श्री रेड्डी ने कल यह कहा था कि सरकार राजनैतिक लाभ के लिए इस स्थिति को बनाए रखना चाहती है; आज श्री रामनारायण सिंह ने भी वही बात कही है। यह कहना कतई ठीक नहीं है क्योंकि सरकार हमेशा इस बात का प्रयास करती रही है कि पंजाब के लिए कोई राजनीतिक हल निकाला जा सके। इस समस्या का हल ढूंढने के लिए बहुत प्रयास किए गए किन्तु कुछ लोगों ने इनके प्रति अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। मैं इसका आपको एक उदाहरण दूंगा। राजनीतिक नेताओं के साथ बात करने के लिए एक उप-समिति पंजाब गई थी किन्तु अकाली दल, जो कि पंजाब में प्रमुख दल है और जनता पार्टी ने समिति के साथ सहयोग नहीं किया; उन्होंने वहां की वर्तमान स्थिति के लिए और पंजाब समस्या के लिए ढूंढे जा सकने वाले संभावित हल के बारे में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं किया। भारतीय

जनता पार्टी के लोग भी वहां आए थे और अपनी भिन्न-भिन्न मांगें देकर चले गए। शायद वे पंजाब को राजनीतिक ढांचे में अपने प्रमुख साझेदार अकाली दल का अनुसरण करना चाहते थे क्योंकि वर्ष 1967 में भी वे उनके साझेदार थे और उन्होंने सरकार बनाई थी, वे वर्ष 1977 में भी उनके साथ थे। शायद इसीलिए वे अकाली दल को नाराज नहीं करना चाहते। उन्होंने केवल लिखित वक्तव्य दे दिया; उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया और समस्या या इसके समाधान पर कोई चर्चा नहीं की। इस प्रकार, सरकार लोगों से बातचीत करके सदैव कोई न कोई हल ढूंढने का प्रयास करती रही है और यदि राजनीतिक दल ही आगे न आए तो इसमें हमारा दोष नहीं है।

दूसरे, श्री रेड्डी ने श्री बरनाला के शासन के दौरान और राष्ट्रपति शासन के दौरान मारे गए लोगों की संख्या की भी तुलना की है। मेरा निवेदन यह है कि लोगों की संख्या से हमें वर्तमान स्थिति और पूर्व स्थिति का ज्ञान नहीं हो सकता। स्थिति यह है कि पंजाब में गुणात्मक परिवर्तन आया है क्योंकि श्री बरनाला का प्रशासन आतंकवादियों के विरुद्ध नहीं लड़ रहा था। वे ऐसा करने में संकोच का अनुभव करते थे। प्रशासन तैयार नहीं था। किन्तु राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत अब प्रशासन को कुछ हद तक इसके अनुकूल बनाया गया है और वे कार्य कर रहे हैं। और परिणाम स्वरूप वहां गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। आप देखेंगे कि श्री बरनाला के शासन के दौरान बहुत से पुलिस अधिकारी मारे गए थे किन्तु यदि आप राष्ट्रपति शासन से इसकी तुलना करें तो आप पाएंगे कि बहुत अधिक संख्या में पुलिस अधिकारी मारे गए हैं क्योंकि अब पुलिस आतंकवादियों का मुकाबला कर रही है, वे उनसे लड़ रही हैं। इससे पहले वे डरते थे। आरम्भ में हमें राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत कुछ कठिनाई हुई थी क्योंकि प्रशासन आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं था। किन्तु आज हम सदन को यह विश्वास दिला सकते हैं कि कानून और व्यवस्था को अपने नियंत्रण में रखने के लिए प्रशासन भरसक प्रयास कर रहा है।

श्री बरनाला के शासन के दौरान मुख्य बात लोगों का पंजाब से बाहर जाना था। पंजाब से बहुत अधिक संख्या में लोग दिल्ली और अन्य राज्यों में चले गए थे। किन्तु अब ऐसा नहीं है। इतना ही नहीं, दिल्ली और अन्य राज्यों में आए लोग वापिस पंजाब चले गए हैं। राष्ट्रपति शासन से पंजाब में यह गुणात्मक अन्तर आया है।

श्री रेड्डी ने हथियारों के आने, उनकी सप्लाई तथा भण्डारण स्थलों आदि के बारे में अपनी अनभिज्ञता जाहिर की है। यह सर्वविदित है कि ये सभी हथियार पाकिस्तान से आ रहे हैं क्योंकि इस विषय पर अनेक बार चर्चा हो चुकी है और सरकार इसके सबूत भी दे चुकी है, पाकिस्तान में प्रशिक्षण कैम्प लगे हैं, वहां हथियारों के डिपो हैं और वहां हमारे बहुत सारे दिग्भ्रमित युवक हैं—वे हमारे अपने बच्चे हैं, वे हमारे अपने सगे-सम्बन्धी हैं किन्तु दुर्भाग्य से वे दिग्भ्रमित हैं—और वे वहां प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं तथा सरकार ने सदन को बहुत सारी सूचनाएं दी हैं और जब पाकिस्तानी और भारतीय अधिकारियों के बीच बातचीत हुई थी तो वे सभी सूचियां, वे सभी कागजात और गिरफ्तार किए गए लोगों द्वारा दिए गए बयान पाकिस्तान को दिए गए थे। इतना ही नहीं, जब प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी श्रीमती भुट्टो से मिले थे तो उन्होंने भी वहां इस समस्या का जिक्र किया था। हम सभी को इस समस्या की जानकारी है। हमें इस बात से अनजान नहीं होना चाहिए कि हथियार कहां से आ रहे हैं और उनकी सप्लाई कौन कर रहा है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी ने भी यह कहा था कि पंजाब के लोगों के सहयोग और उन्हें शामिल करके पंजाब की राजनैतिक स्थिति को हल किया जा सकता है। यह सच है। हम ठीक यही तो कर

[श्री रघुनन्दन लाल भाटिया]

रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने रैलियां आयोजित की थीं, हमने जनता से सम्पर्क स्थापित किया था, हम गांवों में गए; हमने गोष्ठियां आयोजित कीं. हमने चर्चाएं कीं और हमने सभी स्थानों पर सभाएं कीं और वे पंजाब में आतंकवाद और विदेशी हाथ, जो पंजाब की इस समस्या के लिए जिम्मेवार है, के विरुद्ध जनमत तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमें खुशी है कि कुछ अन्य राजनैतिक दल, प्रगतिशील दल भी गांवों तथा अन्य स्थानों में गए और वहां जनमत तैयार करने का प्रयास किया। परिणामत: आज हम पंजाब में खालिस्तान आन्दोलन को समाप्त हुआ देखते हैं।

3.00 म०प०

अब खालिस्तान के बारे में कोई बात नहीं करता है। पंजाब के लोग, चाहे वे हिन्दू हों या सिक्ख, खालिस्तान के पूर्णत: खिलाफ हैं। साम्प्रदायिक असंतोष पैदा करने और लोगों में फूट डालने का कुछ लोगों का उद्देश्य पूर्णरूप से असफल हो गया है। बहादुर पंजाबियों ने जो बहुत समझदार तथा बहादुर हैं, इस समस्या के वास्तविक कारण को समझ चुके हैं। वे जानते हैं कि विदेशी ताकतें हमें तोड़ने का प्रयास कर रही हैं। वे जानते हैं कि विदेशी ताकतें देश को अस्थिर करना चाहती हैं। यदि आप पिछले 2000 वर्षों के इतिहास पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि हमेशा पंजाबियों ने ही सबसे पहले उत्तर से आने वाले आक्रमणकारियों का सामना किया है और कष्ट सहे हैं। इसलिए पंजाबी जानते हैं कि क्या हो रहा है और इस आन्दोलन के पीछे क्या है, इसलिए उन्होंने अत्यधिक समझदारी का प्रदर्शन किया है। वे साम्प्रदायिक रूप से विभाजित नहीं हैं। देश भर में बहुत सी साम्प्रदायिक घटनाएं हुई थीं। किन्तु पंजाब में एक भी साम्प्रदायिक घटना नहीं हुई। आपको पंजाब के लोगों की सराहना करनी चाहिए कि उन्हें आतंकवादियों और विदेशी ताकतों ने दिग्भ्रमित नहीं किया। वे भाइयों की भांति रह रहे हैं। इसलिए मैं श्री चौधरी को यह बताना चाहूंगा कि हम इस प्रकार की भूमिका निभा रहे हैं। हम लोगों के पास गए हैं। हमने उन्हें वास्तविक स्थिति से अवगत कराया है और लोगों ने इसे समझा है। इसीलिए हम कहते हैं कि पंजाब में स्थिति अच्छी है। इस संघर्ष में कांग्रेस दल को अत्यधिक कष्ट उठाने पड़े हैं। चार सौ से अधिक कांग्रेसी नेता गोली का शिकार हो चुके हैं। दो दिन पहले ही आपने देखा कि लुधियाना के हमारे युवा नेता और विधायक श्री पराशर को गोली मार दी गई। कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है। वे गांवों में जा रहे हैं और वे पंजाब में ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : आप स्वयं ही कह रहे थे कि बरनाला सरकार की आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने की कोई इच्छाशक्ति नहीं थी इसीलिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया। अब आप यह कह रहे हैं कि कांग्रेस (इ) नेता श्री पराशर की हत्या की गई। क्या यह हत्या वहां राष्ट्रपति शासन की प्रशंसा है?

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : मैं यह कह रहा था कि एक राजनैतिक दल के रूप में कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ लड़ाई कर रही है। मैंने आरम्भ में कहा था कि आतंकवाद पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। किन्तु जो कुछ मैंने कहा, वह यह था कि स्थिति में सुधार हुआ है। यह कुछ सीमा तक नियंत्रित हुई है। आतंकवादी पंजाब के 143 पुलिस स्टेशनों में सक्रिय थे। किन्तु अब वे केवल 82 पुलिस स्टेशन में सक्रिय हैं। आप भलीभांति अनुमान लगा सकते हैं कि स्थिति में सुधार हुआ है। किंतु अभी इस पर पूर्णत: काबू नहीं पाया जा सका है। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा है। यह लड़ाई जारी

रहेगी। निस्सन्देह बलिदान दिया जाएगा और बलिदान के बिना आप अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

3.04 म०प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

एक आपत्ति यह भी थी कि कांग्रेस दल राजनीतिक दलों के साथ न बातचीत करता है और न ही उनसे सलाह लेता है। वे चुनाव उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं आदि। हमारी स्थिति अत्यन्त स्पष्ट है। हम किसी भी समय, कहीं पर भी और किसी भी व्यक्ति के साथ बातचीत करना चाहते हैं। इसीलिए उप-समिति उनके साथ बात करने के लिए चंडीगढ़ चली गई क्योंकि हमें बताया गया है कि कुछ लोग दिल्ली आना नहीं चाहेंगे। हमने कोई संकोच नहीं किया। हम वहां चले गए। हम समाधान ढूंढ निकालना चाहते थे। इसीलिए हम चंडीगढ़ गए। अभी भी हमारे द्वार खुले हैं। हम बातचीत करके राजनीतिक हल ढूंढना चाहते हैं।

अकाली दल समझौते के लिए सामने नहीं आया है और उन्होंने कुछ शर्तें भी रखी हुई हैं कि जब तक आप ऐसा नहीं करते हैं, वे बात नहीं करेंगे। यदि आप ईमानदार हैं, और आप ईमानदारी से समस्या का समाधान करना चाहते हैं और यदि आप वास्तव में पंजाब की उलझन का समाधान करने के हित में हैं तो इसमें कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। हमें स्पष्ट रूप से अपने विचार व्यक्त करने चाहिएं और मिल बैठकर बातचीत से समाधान निकालना चाहिए। हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं क्योंकि हमें इसकी अधिक चिन्ता है। किंतु सहयोग के अभाव का अर्थ यह है कि उन्हें समस्या के समाधान में कोई दिलचस्पी नहीं है। अतः पंजाब की वर्तमान स्थिति की जिम्मेदारी अकाली दल के ऊपर है न कि कांग्रेस दल पर जोकि बातचीत के लिए तैयार है। हमारे द्वार खुले हैं। हम कहीं पर भी तथा किसी भी समस्या पर चर्चा करने को तैयार हैं। किंतु वे सामने नहीं आ रहे हैं और वे हमारे साथ बात-चीत नहीं करते हैं। अतः इसका अर्थ यह है कि उन्हें पंजाब समस्या के समाधान में कोई रुचि नहीं है।

मैं कहता हूं कि समाधान ढूंढ निकालने के लिए वर्तमान स्थिति बहुत अच्छी है। हमें इसमें विलम्ब नहीं करना चाहिए। किसी को भी इसमें विलम्ब नहीं करना चाहिए, किसी भी दल को इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस समय पंजाब की जनता पंजाब की वर्तमान स्थिति से तंग आ चुकी है और वे इसका समाधान चाहते हैं। वे पंजाब में शान्ति चाहते हैं। पंजाब में शांति केवल तभी होगी यदि चर्चाएं हों और कोई समाधान निकाला जाए। यदि हम एक गुट से बात करते हैं, तो दूसरे कहते हैं कि वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे, इसमें भाग नहीं लेंगे। अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि सभी दल इकट्ठे होकर मिलकर कोई समाधान निकालें। इसके लिए सरकार तैयार है। यह विपक्ष के नेताओं के साथ बात करने को तैयार है, बशर्ते कि वे आएं और हमारे साथ बैठकर हमारे साथ बात करें। हमारी यह हार्दिक इच्छा है कि कोई समाधान ढूंढ निकाला जाए। अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक सरकार का संबंध है वे तो बातचीत के लिए तैयार हैं। अतः बातचीत होनी चाहिए और कोई समाधान निकाला जाना चाहिए। इसमें देर नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का विलम्ब आतंकवादियों के हित में हैं। किसी भी विलम्ब के कारण पंजाब की जनता को हानि हो सकती है। यदि हम निष्कपट हैं, तो हमें आकर बातचीत करनी चाहिए।

[श्री रघुनन्दन लाल भाटिया]

श्री राम नारायण सिंह ने हमारे गृह मन्त्री पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि वह ही इन सारी बातों के लिए जिम्मेवार हैं। मैं उनकी इस बात के प्रति आपत्ति उठाता हूं और मैं उनकी इस बात का भी खण्डन करता हूं कि हरियाणा में आतंकवाद गृह मन्त्री द्वारा संचालित हो रहा है। यह एक गैर-जिमेदाराना वक्तव्य है और उन जैसे जिम्मेदार व्यक्ति को यह बात सदन में नहीं कहनी चाहिए। यदि आप अपने आपको सुव्यवस्थित नहीं रख सकते हैं तो आप दूसरों पर किस प्रकार आरोप लगा सकते हैं ? वह कहते हैं कि श्री देवी लाल अत्यन्त शक्तिशाली व्यक्ति, एक लौह पुरुष हैं। यदि वह लौह पुरुष हैं तो उन्हें अपने यहां उचित व्यवस्था रखनी चाहिए। उन्हें वहां आतंकवाद का मुकाबला करना चाहिए और हमें बताएं कि समस्या क्या है। यदि उनकी कोई समस्या है, तो निश्चय ही हम उनकी सहायता करेंगे। यदि उन्हें केन्द्रीय रिजर्व पुलिस अथवा और कोई सहायता चाहिए, तो हम उनकी सहायता करेंगे। किन्तु उन्हें अपनी कमजोरियों के लिए दूसरों पर आरोप नहीं लगाना चाहिए क्योंकि जैसा आपने ठीक ही कहा कि आतंकवाद की समस्या अथवा पंजाब समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है। अतः हमें इस समस्या का समाधान एक दूसरे पर आरोप लगाकर नहीं परन्तु सभी दलों के साथ सहयोग करके सभी पहलुओं से करना चाहिए। आरोप लगाने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। अतः इस सभा के सदस्यों से मेरा नम्र निवेदन यह है कि यह एक अत्यन्त गम्भीर समस्या है। यह सात-आठ वर्ष से चल रही है और अब भी जारी है। पंजाब की जनता संकट में है। अतः पंजाब की जनता के कष्ट निवारण के लिए और कोई समाधान ढूंढने के लिये हम सभी का सहयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण है। हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए और मिल-बैठकर चर्चा, बातचीत करके पंजाब के लिए स्थायी समाधान ढूंढ़ना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : सभापति महोदय, सरकार के पास समय-समय पर पंजाब में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को बढ़ाने के सिवाय पंजाब की समस्या का कोई समाधान नहीं है। यदि सरकार के पास कोई विशेष अथवा ठोस उपाय अथवा राजनैतिक समाधान के लिए कोई योजना होती तो मैं समझ सकता था। मैं यह नहीं कह रहा कि यह थोड़े से समय में सम्भव है। निःसन्देह यह कठिन कार्य है। लेकिन यदि हमारे पास कुछ ठोस उद्देश्य हैं और उन्हें मद्देनजर रखते हुए यदि हम कार्यवाही करते हैं तो इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रपति शासन का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हाल ही में प्रधान मन्त्री ने पंजाब के बारे में अनेक वक्तव्य दिये थे। एक या दो वार्ताएं भी हुई हैं। मेरी समझ में यह नहीं आता कि सरदार बूटा सिंह के इस कथन का क्या अभिप्राय है कि उनकी पार्टी सदैव ही वार्ता और चर्चा के लिए तैयार है इसमें तो ऐसा लगता है कि अन्य लोग इसके लिए आगे नहीं आ रहे हैं। लेकिन उन्हें कौन रोक रहा है ? हम यह नहीं समझ पा रहे हैं।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : लेकिन क्या आप आगे नहीं आ रहे हैं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसका उत्तर तो अकालियों को देना है। यदि वे इस कार्य में आगे नहीं आ रहे हैं तो उन्हें इसका उत्तर देना चाहिए और मुझे आशा है कि वे अवश्य ही उत्तर देंगे। जहां तक हमारा संबंध है, हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि जिन अकालिएों ने अपना मत स्पष्ट कर दिया है वे किसी पृथकतावादी मांग के पक्ष में नहीं हैं, और वे आतंकवाद के विरुद्ध हैं तथा संविधान के अन्तर्गत कार्य करने के लिए तैयार हैं। मैं समझता हूं कि अकालियों में ऐसे अनेक हैं और उन्हें कम से कम सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली किसी लाभदायक बातचीत में भाग लेना चाहिए। राजनैतिक आधार

पर बातचीत करने के लिए पहल सरकार की तरफ से की जानी है।

महोदय, सिर्फ राष्ट्रपति शासन से हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमें बताया गया है कि हर व्यक्ति पंजाब समस्या के शीघ्र समाधान तथा समझौते का इच्छुक है। क्योंकि इस समस्या के लम्बा खिंचने तथा देरी से लोगों को कठिनाइयां हो रही हैं, जान-माल की अधिक हानि हो रही है और मैं तो कहूंगा कि पंजाब राज्य को हर तरह से क्षति पहुंच रही है। लेकिन यदि वे शीघ्र समाधान के इतने इच्छुक हैं तो यह क्यों है कि पंजाब के राज्यपाल ने हाल में एक वक्तव्य जारी किया जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि चुनावों से पूर्व कोई समाधान नहीं होगा और कोई समाधान हो भी नहीं सकता? यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है। जब हाल ही में मंत्रिमंडलीय उप-समिति ने चंडीगढ़ का दौरा किया और विभिन्न पार्टियों तथा हमारी पार्टी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की तो यह प्रश्न पूछा गया था और मैं समझता हूं कि भारतीय मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधियों ने इस तथ्य की ओर विशेष ध्यान दिलाया था कि श्री एस० एस० राय ने यह कहा है कि चुनावों से पहले कोई समाधान सम्भव नहीं है। उनका इस कथन से क्या अभिप्राय है? क्या सरकार राज्यपाल के इस मूल्यांकन से सहमत है? अथवा, क्या दिल्ली में अपने प्रवक्ता के माध्यम से सरकार के कथन और चंडीगढ़ में राज्यपाल के कथन में कोई विरोधाभास या मतभेद है? इस प्रश्न का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। यदि राज्यपाल जितना महत्वपूर्ण व्यक्ति यह कहता है कि चुनाव से पूर्व कोई समाधान सम्भव नहीं है तो इसका आशय यही है कि समाधान केवल चुनावों के बाद ही सम्भव हो सकता है, मैं नहीं जानता कि वह कौन से चुनावों का जिक्र कर रहे हैं। क्या पंजाब में चुनाव होगे? हमें बताया गया है कि वहां पर चुनाव करवाने के लिए स्थिति उपयुक्त नहीं है। अभी-अभी सरदार बूटा सिंह ने हमें बताया है कि वहां स्थिति ऐसी है कि स्वतन्त्र चुनाव करवाना सम्भव नहीं है। इसके साथ ही वे यह प्रस्ताव रख रहे हैं, बल्कि यह आग्रह कर रहे हैं कि वहां पंचायतों के चुनाव होने चाहिएं। इस प्रकार ये सब बातें और ये वक्तव्य एक दूसरे के अनुरूप नहीं हैं। महोदय, हर व्यक्ति जानता है कि पंचायत चुनाव मुख्य रूप से गांव स्तर पर लड़े जाते हैं। पंचायत चुनाव गांव स्तर पर विभिन्न दलों और शक्तियों के बीच लड़े जाते हैं और पंजाब में हमारी पार्टी ने कहा है कि यदि मौजूदा हालात में पंजाब में पंचायत चुनाव करवाए जाते हैं तो कम से कम 2000 पंचायतों पर आतंकवादियों और उनके समर्थकों का पूर्णतया कब्जा हो जाएगा। आप इस संबंध में कुछ नहीं कर सकते। इन तीन जिलों में आप एक भी पंचायत चुनाव नहीं जीत सकेंगे। उन पर भी इन आतंकवादियों और उनके समर्थकों का कब्जा हो जाएगा। लेकिन फिर भी, आप इस पर जोर दे रहे हैं कि पंचायत चुनाव करवाए जाएं मैं इसके विरुद्ध नहीं हूं क्योंकि मेरे विचार से चुनी गई पंचायतें निम्नतम स्तर पर, स्थानीय स्वायत्त प्रशासन का एक अंग हैं जो कि अत्यन्त आवश्यक हैं और ये सारे भारत में होनी चाहिए। लेकिन यदि आप कहते हैं कि आतंकवादियों और उनके मित्रों द्वारा काफी संख्या में पंचायतों पर कब्जा करने के खतरे को अनुमति देकर भी पंचायत चुनाव करवाने के लिए स्थिति सही है तब आप यह भी कहते हैं कि विधान सभा के चुनावों के लिए स्थिति सही नहीं है, इस बारे में मैं आपके तर्क को समझ नहीं पा रहा हूं।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : जब आप कहते हैं कि आतंकवादी 2000 पंचायतों पर कब्जा कर लेंगे इसलिए चुनाव नहीं होने चाहिएं तो क्या हम यह समझें कि हमें संसदीय चुनाव भी नहीं करवाने चाहिएं? क्या आप यह सुझाव दे रहे हैं?

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : संसदीय चुनाव पंचायतों के चुनावों से भिन्न होते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं यह नहीं कह रहा हूं। आप पंचायत या विधान सभा अथवा संसदीय,

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

कोई भी चुनाव करवाएं। मैं तो यही कह रहा हूं कि आपको यह कहना चाहिए कि 'अशांत स्थिति के बावजूद हमारा यह विश्वास है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित नहीं रखना चाहिए और इसलिए सब कठिनाइयों के बावजूद चुनाव करवाना अच्छा है।' इस बारे में मेरा आपसे कोई झगड़ा नहीं है। (व्यवधान) मैंने यह नहीं कहा कि आतंकवादी सभी पंचायतों पर कब्जा कर लेंगे। मैंने स्पष्ट रूप से यह कहा था कि वहां पर हमारी पार्टी ने एक अनुमान लगाया है कि लगभग 12000 पंचायतों में से सम्भवत: 2000 पंचायतों पर उन क्षेत्रों में इन आतंकवादियों का कब्जा हो जाएगा जहां पर कानून और व्यवस्था नहीं है और वहां कुछ करने के लिए आपके पास कोई तन्त्र या क्षमता नहीं है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : हम उन जिलों में कोई चुनाव नहीं करवा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसलिए मैं पहले यह कहना चाहता हूं कि आप इस संसद में निश्चित रूप से उद्घोषणा की अवधि बढ़ाना पारित कर लेंगे लेकिन मेरे मित्र श्री अय्यपू रेड्डी ने भी एक संशोधन प्रस्तुत किया है जो कि निश्चित रूप से अस्वीकार हो जाएगा, इसके अन्तर्गत अवधि में छ: महीने की बजाय तीन तीन महीने की वृद्धि की जाने का प्रावधान है, लेकिन इन सबका उपयोग तभी है जबकि एक उद्देश्य के लिए सार्थक रूप से कार्य किया जाए और इसके लिए कोई ठोस कार्य योजना अथवा चरणबद्ध कार्य योजना हो। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

महोदय, हमारे सिख मित्रों के संबंध में कोई सन्देह नहीं है कि हम सिख समुदाय की भावनाओं के अनुरूप काम करने में आमतौर पर असफल रहे हैं। मैं आतंकवादियों या उनके समर्थकों की बात नहीं कर रहा हूं। प्रधान मंत्री ने कहा है कि उन्होंने कुछ ठोस उपाय किए हैं और उन्हें विश्वास है कि इनका कारागर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उदाहरण के लिए जोधपुर बन्दियों की इस रिहाई के बारे में इस सभा में हर व्यक्ति जानता है कि हम इस सभा में दो-तीन वर्ष पहले ही इनकी रिहाई की मांग कर रहे थे और यह कार्य बहुत पहले हो जाना चाहिए था जो कि अब हिचकिचाहट के साथ हो रहा है। यह कार्य बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन किसी कारण यह नहीं किया गया। दूसरा, हमें दिल्ली में हुए सिख विरोधी दंगों के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध की गई कार्यवाही के बारे में बताया गया, कुछ दिन पहले जब हम प्रधान मंत्री से मिले थे तो मैंने इस बारे में पूछा था। उन्होंने यह कहते हुए कुछ आंकड़े दिये कि इतने लोगों पर अभियोग चलाया गया और इतने लोग दोषी पाए गए, इतने लोग रिहा कर दिये गये अथवा छोड़ दिये गये और इतने लोगों के विरुद्ध मामले अभी भी लम्बित पड़े हैं, इत्यादि। उनकी मेज पर एक चार्ट था जिसमें से उन्होंने यह पढ़ा था। इसलिए मैं समझता हूं कि यह अत्यधिक आश्चर्य की बात है क्योंकि यह सब कोई नहीं जानता। यह कभी भी किसी समाचारपत्र में प्रकाशित नहीं हुआ है। ऐसा कैसे है? क्या गुप्त मुकदमे चल रहे है अथवा क्या हो रहा है? ये मुकदमे किस न्यायालय में चल रहे हैं? हम नहीं जानते कि ये मामले किस मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश के पास हैं। ऐसा कैसे हुआ कि इस बारे में कभी भी किसी समाचारपत्र में कुछ नहीं छपा? तब प्रधान मन्त्री ने स्वयं कहा, 'हां, आप जानते हैं यह अत्यन्त आश्चर्यजनक है, मुझे यह पता लगाना है कि ऐसा कैसे हुआ कि समाचारपत्र इस समाचार को प्रकाशित नहीं कर रहे हैं। यह विचित्र बात है, मैं इसे बिल्कुल भी समझ नहीं रहा हूं।'

महोदय, जहां तक दिल्ली और कुछ अन्य स्थानों, लेकिन मुख्य रूप से दिल्ली के दंगों से पीड़ित

व्यक्तियों के पुनर्वास का संबंध है, इन सभी विधवाओं, अनाथों और उनके कार्य के लिए पुनर्वास की स्थिति संतोषजनक नहीं है और मुझे विश्वास है कि श्री भाटिया भी यह जानते हैं। इस प्रकार यह सब हो रहा है। इसके साथ ही मैं तो कहूंगा कि अन्ततः या तो सरकार समझती है कि राजीव-लोंगोवाल समझौता अब समाप्त माना जाए अथवा उन्हें यह कहना चाहिए कि 'नहीं, हम इसे समाप्त नहीं समझते' हम अभी भी इस समझौते के अन्तर्गत कोई 'सर्वसम्मत हल तैयार करने का प्रयास करेंगे।' हम इस बारे में सरकार की स्थिति नहीं जानते हैं। हम इस समझौते को समाप्त नहीं समझते। निःसन्देह कुछ कठिनाइयां और कुछ मुश्किलें हैं। लेकिन इसके अलावा आप समाधान कैसे करेंगे ? अन्यथा, आप कैसे समाधान करेंगे ?

महोदय, इसलिए मैं समझता हूं कि स्वयं सरकार की स्थिति स्पष्ट नहीं है। यदि इसका अपना कोई कार्य स्पष्ट है तो यही है जिसे राज्यपाल श्री एस० एस० राय ने बताया था अर्थात—चुनावों तक कुछ मत कीजिए, यथास्थिति ही रहने दीजिये। मैं नहीं जानता कि सम्भवतः चुनावों के समय वे पंजाब में संसदीय चुनाव करवाएंगे या नहीं या इन्हें आंशिक रूप से करवाएंगे, कुछ क्षेत्रों, कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़ देंगे, हमें इस बारे में जानकारी नहीं है। उसके बारे में हमें विश्वास में नहीं लिया गया है। हो सकता है, सरकार सोचती है कि चुनावों के समय वह कोई नई घोषणा कर सकती है या कोई करतब दिखा सकती है या कोई ऐसा कार्य कर सकती है जिससे इसे वहां के वोट मिलने में सहायता मिलेगी। क्या पंजाब की समस्या के समाधान के लिए यही सिद्धांत है ? इसलिए हम, इस तरह मात्र राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने तथा गैर-राजनैतिक या प्रशासनिक अथवा सुरक्षा उपायों के विरुद्ध हैं, निस्संदेह समस्या के समाधान के लिए सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं परन्तु इस तरह हल नहीं निकाला जा सकता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपकी इस बात का कोई महत्व नहीं है अकाली कठिनाइयां पैदा कर रहे हैं क्योंकि वे सहयोग नहीं दे रहे हैं। मैं उसी बात को फिर दुहराता हूं—मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता—जो मैंने यहां अनेक बार कही है कि सरकार को सभी दलों, सभी समूहों, सभी बलों तथा पंजाब के उन सभी व्यक्तियों से, जो आतंकवाद तथा खालिस्तान और पृथकतावाद के किसी विचार का खुलेआम विरोध करने को तैयार हैं तथा संविधान के अन्तर्गत कार्य करना चाहते हैं, वे कोई भी हो सकते हैं, तथा विगत में उन्होंने कुछ भी किया हो, बातचीत शुरू करने के लिए यह स्पष्ट करना चाहिए तथा पहल भी करनी चाहिए। आपको उनसे बातचीत करने के लिए तैयार होना चाहिए तथा पहल करनी चाहिए।

महोदय, श्री बूटा सिंह ने इस सांविधिक संकल्प को प्रस्तुत करते समय राष्ट्रपति शासन के दौरान भी ऐसी स्थिति बताई है जैसे परिस्थितियों में बहुत अधिक सुधार हुआ है और उन्होंने इस तथ्य का भी उल्लेख किया है कि पाकिस्तान के साथ सीमा पर आतंकवादी गतिविधियां आदि कम हुई हैं। और उन्हें आशा है कि ये और कम होंगी। हम सबको उम्मीद है कि ये कम होंगी परन्तु आज मैंने एक समाचार पढ़ा है। जिसमें कहा गया है कि हमारी सरकार के अपने सूचना स्रोतों ने सरकार को जानकारी दी है कि पाकिस्तान में नई सरकार के चुनाव के कारण परिवर्तन के बावजूद भी पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी आंतरिक गुप्तचर सेवाएं वास्तव में आतंकवादियों की सीमा पार करने और शरण के लिए वापस जाने के प्रशिक्षण में मदद करने में बहुत सक्रिय हैं। समाचारपत्रों में उसके बारे में विवरण दिया गया है तथा तीन या चार सर्वोच्च आतंकवादी नेता, जिनकी तलाश है, अभी भी सीमावर्ती पाकिस्तान में शरण लिये हुए हैं। निस्संदेह यह मामले का सुरक्षा पहलू है जिस पर विचार किया जाए परन्तु यह हमारा हमेशा दृष्टिकोण रहा है और अब भी है कि समस्या का राजनैतिक हल निकाला जाना चाहिए इसके लिये कुछ लक्ष्य निर्धारित किये जाने चाहिए जिनकी तरफ हमें चरणबद्ध ढंग से

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

बढ़ना चाहिए परन्तु सरकार ऐसा करने में पूरी तरह असफल रही है। यह केवल राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिए ही आगे आ सकती है। जहां तक इस संकल्पक का संबंध है, इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री चरनजीत सिंह वालिया (पटियाला) : सभापति महोदय, हम गृह मन्त्री सरदार बूटा सिंह द्वारा, पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने की अनुमति के लिये प्रस्तुत सांविधिक संकल्प पर फिर चर्चा कर रहे हैं। पता नहीं यह सरकार पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू रखने के लिये कब तक सभा की स्वीकृति लेती रहेगी। लगता है कि सरकार पंजाब में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करना ही नहीं चाहती है जहां सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं की उपेक्षा की गई है या उनमें हस्तक्षेप किया गया है। स्थानीय निकायों नगरपालिकाओं, नगर निगमों या पंचायतों, ब्लाक समितियों या जिला परिषदों के चुनाव नहीं हुए हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के चुनाव नहीं हुए हैं, जो पंजाब में गुरुद्वारों पर नियंत्रण कर रही है। इसी प्रकार किसी-न-किसी कारणवश राज्य विधान सभा के चुनाव स्थगित किये जा रहे हैं। निःसंदेह जब तक राज्य में सामान्य स्थिति बहाल नहीं होगी तब तक वहां चुनाव नहीं हो सकते।

एक तरफ सरकार दावा करती है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान स्थिति में सुधार हुआ है। मेरे माननीय साथी भाटिया जी कह रहे थे कि इस अवधि के दौरान गुणात्मक परिवर्तन भी हुआ है। परन्तु मैं ऐसा नहीं सोचता। राष्ट्रपति शासन से राज्य में सामान्य स्थिति बहाल नहीं हो सकी। यदि इससे स्थिति सामान्य हुई है तो सरकार शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति, पंचायतों, नगर निगमों या पालिकाओं के चुनाव क्यों नहीं कराती ? इन संस्थाओं के कार्यकाल बहुत पहले समाप्त हो चुके हैं तथा चुनाव कालातीत हो चुके हैं। इनकी अवधि कार्यकाल से दोगुनी अधिक बढ़ायी गयी है। मेरे विचार से सरकार परोक्ष रूप से राज्य का शासन स्वयं चलाना चाहती है। यह जान-बूझकर किन्हीं कारणवश पंजाब की समस्या बनाये हुए है जैसा कि लोग सर्वत्र इसके बारे में शंका करते हैं और बातचीत करते हैं। लोगों की शंका है कि सरकार आगामी चुनावों में 1984 के चुनावों की तरह सिखों या पंजाब का लाभ उठाना चाहती है। श्री आर० एल० भाटिया कह रहे थे कि सरकार किसी भी क्षेत्र को पंजाब को देने के लिए तैयार है तथा बातचीत करने को आतुर है और बातचीत द्वारा पंजाब समस्या को हल करना चाहती है। यदि सरकार पंजाब समस्या हल करने को आतुर है तो कौन बाधा डालेगा ? कौन सी बाधा है ? लोग तभी सरकार पर विश्वास करेंगे यदि उन्हें यह विश्वास हो जाए कि सरकार वास्तव में पंजाब समस्या हल करने या पंजाब में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए गम्भीर है। यह कहा जाता है कि अकाली दल ने इस मामले में सहयोग नहीं दिया है। एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति का गठन किया गया जिसने पंजाब का दौरा किया था। मुझे आश्चर्य है कि सरकार यह नहीं जानती कि पंजाब की समस्यायें और मांगें क्या हैं तथा समस्या का किस प्रकार पता लगाया जाए। सरकार दस वर्षों से यह नहीं जान पाई कि पंजाबी क्या चाहते हैं। यह केवल पंजाब या सिखों की समस्या नहीं है। अब यह एक राष्ट्रीय समस्या बन गयी है। यह पंजाबियों द्वारा तटीय कानूनों के, चाहे वे राष्ट्रीय हों या अन्तर्राष्ट्रीय, अनुसार नदियों का पानी देने अथवा चंडीगढ़ पंजाब को देने आदि की उचित, संवैधानिक तथा यथार्थ पूर्ण मांगों से शुरू हुई। परन्तु सरकार ने इन मांगों को स्वीकार करने के बजाए समूची समस्या को जटिल बना दिया। उन्होंने इस पंजाब समस्या को सिख समस्या बनाने के लिए सभी तरह की चालों का प्रयोग किया। सिखों ने इस देश के लिए बहुत कष्ट सहे हैं और बलिदान किये हैं। उन्होंने

अपना भाग्य इसी देश के साथ जोड़ा है। उन्होंने हमेशा इस देश की रक्षा की है। परन्तु आज सरकार की नीतियों के कारण वे अपने को असुरक्षित समझते हैं। हमने सुना है कि सरकार ने कुछ एकमुश्त घोषणायें की हैं। प्रधानमन्त्री ने भी इस सभा में घोषणा की थी। सभी विपक्षी दलों ने जोरदार अपील की थी कि जोधपुर बन्दी निर्दोष लोग हैं जैसा कि श्री इन्द्रजीत गुप्त कह रहे थे। वे विगत पांच वर्षों से जेलों में पड़े हुए हैं। परन्तु सरकार का हमेशा यही दृष्टिकोण रहा है कि उनके विरुद्ध गम्भीर आरोप हैं इसलिए उन्हें रिहा नहीं किया जा सकता। परन्तु पांच वर्षों के बाद उन्हीं लोगों को रिहा कर दिया गया। अब सरकार ने यह दृष्टिकोण अपनाया है कि इसकी पुष्टि की जानी थी कि वे निर्दोष थे। तब सरकार ने उन्हें इतने वर्षों तक जेलों में क्यों रखा ? हम नहीं सोचते कि सरकार इस मामले में गम्भीर है। अनेक युवक अब भी जेल में हैं। सिख छात्र परिसंघ के अध्यक्ष, महासचिव तथा अन्य नेताओं को, जो जोधपुर जेल में थे, एक बार तो रिहा किया गया परन्तु उन्हें कुछ आरोपों में पुन: बंदी बनाया गया। यदि उनके खिलाफ आरोप थे तो सरकार ने विगत पांच वर्षों में उन आरोपों पर क्या किया ? इसी प्रकार सरदार सिमरनजीत सिंह मान भी जो शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष हैं, विगत करीब पांच वर्षों से जेल में हैं। अब पांच वर्षों के पश्चात एक बड़े षड्यंत्र का पता लगाया गया है तथा एक नया मामला दर्ज किया गया है। ठक्कर आयोग बनाया गया और तत्पश्चात विशेष जांच दल का गठन किया गया। मैं नहीं जानता कि ये बातें कैसे बनीं और सरदार सिमरनजीत सिंह मान और अन्य लोगों के विरुद्ध एक नया मामला दर्ज किया गया है। इन बातों से स्पष्ट होता है कि सरकार उसी प्रकार की कार्यवाही जारी रखना चाहती है। एक तरफ सरकार परिस्थितियों को सामान्य बनाना चाहती है और एकमुश्त सहायता देना चाहती है। वह स्थिति को सामान्य बनाना चाहती है और पंजाब समस्या का समाधान चाहती है। जबकि इसके विपरीत वह वैसा ही उत्पीड़न कर रही है और चालें चल रही है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार समस्या को हल करने में कतई गम्भीर नहीं है और वह इस विवाद को बनाये रखना चाहती है। अत: सरकार कोई ऐसा कार्य करे जिससे इसकी विश्वसनीयता सिद्ध हो, और जिससे यह सिद्ध हो कि सरकार पंजाब समस्या के समाधान के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रही है। हम कई बार यह स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार अपनी विश्वसनीयता तभी सिद्ध कर सकती है जबकि वह मांगें स्वीकार कर ले और राजनैतिक समस्या समझ कर राजनैतिक ढंग से इसे हल करे न कि प्रशासनिक तथा कानून और व्यवस्था की समस्या समझ कर बल प्रयोग से इसे हल करे। मैंने इसलिए यह कहा है क्योंकि सरकार ने पिछले अनेक वर्षों से यही नीति अपनाई है। सरकार को यह निष्कर्ष निकाल लेना चाहिए कि इसकी नीति असफल रही है और वह इस समस्या का समाधान नहीं कर पाई है। 'गोली का जवाब गोली' की नीति से प्रतिकूल परिणाम निकले हैं और इससे समस्या के समाधान में सरकार को सहायता नहीं मिली है।

महोदय, मैं केवल 2 मिनट का समय और लूंगा। सर्वप्रथम बात यह है कि शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सरदार सिमरनजीत सिंह मान; पंजाब के प्रख्यात एवं आदरणीय नेता सरदार प्रकाश सिंह बादल; सरदार गुरचरण सिंह तोड़ा, श्री मंजीत सिंह, श्री हरमिन्दर सिंह संधु तथा सभी युवकों को रिहा करना चाहिए। आम माफी की घोषणा की जानी चाहिए ताकि महत्वपूर्ण व्यक्ति बाहर आ सकें और सरकार उनके साथ बातचीत कर सके। उन्हें जेलों में बन्द रखने की बजाय, आम माफी की घोषणा की जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि सरकार को 1984 के साम्प्रदायिक दंगों के बारे में कार्यवाही करनी चाहिए और पीड़ित लोगों को पूरा मुआवजा देना चाहिए। इन दंगों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों और इन दंगों को भड़काने वालों तथा सम्बद्ध लोगों को दण्ड दिया जाना चाहिए चाहे वे कोई भी हों और किसी भी हैसियत के हों। तीसरी बात यह है कि पंजाब में दमन चक्र और बल प्रयोग रोका

[श्री चरनजीत सिंह वालिया]

जाए और नकली मुठभेड़ों को रोका जाए क्योंकि पंजाब में पुलिस राज चल रहा है। पुलिस अधिकारियों तथा पुलिस प्रशासन के विरुद्ध अनेक शिकायतें मिली है। इस सभा के मेरे कुछ साथी भी बटाला गए थे और उन्होंने स्वयं सब कुछ देखा है। अनेक संगठन वहां पहुंचे हैं और वे यह धारणा लेकर लौटे हैं कि वहां नागरिक स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार कम किए जा रहे हैं। पुलिस बल महिलाओं और युवकों को तंग कर रहे हैं। किसी न किसी बहाने कुछ न कुछ किया जा रहा है। अतः नकली मुठभेड़ों और दमन को रोका जाना चाहिए।

किसी ने कहा था कि देश के किसी भी राष्ट्रीय नेता ने अलगाववाद का प्रचार नहीं किया। उन्होंने कभी भी देश की एकता और अखण्डता को चुनौती नहीं दी। यह सरकारी आतंकवाद है और मैं यह अवश्य कहूंगा कि इसे समाप्त किया जाना चाहिए। युवकों और अन्य सिखों की आहत भावनाओं पर मरहम लगाई जानी चाहिए चाहे वे भावनाएं तलाशी अभियान में या अन्यथा आहत हुई हैं। पंजाब में हिंसा जारी रहने का प्रमुख कारण सरकारी आतंकवाद है। कोई भी हिंसा पसन्द नहीं करता। हम सभी हिंसा की निन्दा करते हैं, वह चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे वह राज्य द्वारा हो या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा। हिंसा का कभी भी समर्थन नहीं किया जा सकता।

अन्तिम मुद्दा, मैं यह उठाना चाहूंगा कि सिख धर्म और अकाली दल के लोग धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं। आज विश्व में सिख धर्म सबसे अधिक धर्म निरपेक्ष धर्म है। हम किसी अन्य धर्म से घृणा नहीं करते और न ही ऐसा प्रचार करते हैं। सरकार को चाहिए कि वह डंडे या कानून से धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ाने के बजाय हमें लोगों को इसके लिए प्रेरित करे ताकि इस देश में सभी धर्मों का सम्मान हो। किसी को भी इससे नहीं डरना चाहिए कि चुनाव में कौन जीतेगा। नए लोगों को चुन कर आने दीजिए। सरकारों में परिवर्तन होते हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली में परिवर्तन हो सकता है चाहे चुनाव पंचायतों के हों या अन्य निकायों के। हम चाहते हैं कि पंजाब में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल हो। सिख जनता की विचारधारा जानने के लिए तत्काल एस०जी० पी० सी० के चुनाव होने चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार राष्ट्रपति शासन बढ़ाने की बजाय इस देश में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सभी प्रयास करे। सरकार अपनी विश्वसनीयता, नेक नीयती सिद्ध करे और पंजाब समस्या को हल करे।

श्री जगन्नाथ पटनायक (कालाहान्डी) : सभापति महोदय, जहां तक पंजाब समस्या का संबंध है, हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि राष्ट्रीय हित अन्य सभी हितों से ऊपर है।

दूसरी बात यह है कि इस अवधि के दौरान पंजाब की स्थिति में, विशेषतौर पर आप्रेशन ब्लैक थंडर और प्रधान मंत्री जी द्वारा सामान्य स्थिति बहाल किए जाने के उद्देश्य से घोषित अनेकानेक उपायों के बाद, निश्चित रूप से सुधार हुआ है। हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, वामपंथी राजनैतिक दलों और विभिन्न संगठनों की सक्रिय भूमिका से, आतंकवाद को रोकने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू हो गया है। कई गांवों में सुरक्षा समितियां बनाई गई हैं और अनेक व्यक्ति जानकारी दे रहे हैं। निश्चित रूप से यह सुधार है। खुफिया विभाग पहले से कहीं अधिक कुशलतापूर्वक कार्य कर रहा है। संसद में हम कई अधिनियम पारित कर चुके हैं और उन्हें सही ढंग से लागू किया जा रहा है। स्थिति को सुधारने की दिशा में इन कानूनों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

ऐसी अनेक घटनाएं सामने आई हैं जबकि लोगों ने आतंकवादियों का पीछा किया है और आतंकवादी उस क्षेत्र से भाग रहे हैं, यह भी सुधार ही है।

स्वर्ण मन्दिर तथा अन्य धार्मिक स्थलों की पवित्रता बहाल की जा रही है और वास्तविक भक्त-गण राहत की सांस ले रहे हैं और वे पूजास्थल पर जाकर पूजा-अर्चना कर पा रहे हैं।

आतंकवादियों और कट्टरपंथियों के सम्बन्ध बहुत हद तक कम किए जा चुके हैं, कांग्रेस पार्टी और वामपंथी दलों के प्रयासों के कारण ही पंजाब की स्थिति में यह सब सुधार हो पाया है। विभिन्न कानून बनाकर संसद ने जो बुद्धिमता का परिचय दिया, उससे भी यह सम्भव हो पाया है। पंजाब की जनता भी अब समय के अनुकूल कार्य कर रही है और जानकारी प्रदान कर रही है। वे आतंकवादियों का पीछा कर रहे हैं। इन सभी बातों के अतिरिक्त हमारे पड़ोसी देश में राजनैतिक परिवर्तन होने से भी इस दिशा में निश्चित रूप से प्रगति हुई है। अब तक साम्राज्यवादी ताकतें हमारे क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने का प्रयास कर रही थीं। वे पाकिस्तान में आज भी सक्रिय हैं। पंजाब के आतंकवादियों को अब भी वहां शरण मिल रही है। कालाबाजारियों और तस्करों के लिए वह स्वर्ग है। पाकिस्तानी आतंक-वादियों, उनकी सेना के एक हिस्से और पंजाब के आतंकवादियों के बीच सांठगांठ है।

बेकसूर लोगों की हत्याओं को विभिन्न घटनाएं हुई हैं और अब भी हो रही हैं। वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, इस नाजुक क्षण में, राज्यपाल ने सही तस्वीर पेश की है और उनकी रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, इस समय वहां निर्वाचित सरकार बनाना उचित नहीं होगा। इसलिए सरकार ने यह सही संकल्प प्रस्तुत किया है कि राष्ट्रपति शासन की अवधि को छह माह के लिए और बढ़ा दिया जाए।

इन सभी बातों के अलावा, मैं कुछ मुद्दों पर बल देना चाहूंगा। राजीव-लोंगोवाल समझौते के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा करने के लिए सभी राजनैतिक दलों की एक बैठक बुलाई जानी चाहिए। आप जानते हैं कि केन्द्रीय सरकार और प्रधान मन्त्री जी के ईमानदारी से किए गए प्रयासों के बावजूद, उस समय पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकारों ने समय के अनुसार कार्य नहीं किया और इस निर्णय को लागू करना बड़ा कठिन हो गया कि चंडीगढ़ को पंजाब की राजधानी बना दिया जाय और हरियाणा को उचित मुआवजा दे दिया जाना चाहिए। ऐसा प्रस्ताव था और ईराडी आयोग ने क्षेत्रीय तथा पानी सम्बन्धी विवादों का अध्ययन किया। परन्तु तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इस बहाने इस विचार को अस्वीकार कर दिया कि आयोग समझौते के उपबन्धों से आगे निकल गया है। अब यही समय है जबकि इस मामले को उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश को सौंप दिया जाए और सौंपने से पूर्व यह समझौता किया जाए कि प्रत्येक व्यक्ति उनके निर्णय को मानेगा और उसका पालन करेगा तथा उसे ईमानदारी से लागू किया जाना चाहिए। अन्यथा, प्रधानमंत्री की मंशा चाहे कितनी भी अच्छी हो, इस समझौते को लागू करना बहुत कठिन है।

कांग्रेस पार्टी, बार-बार यह सिद्ध कर चुकी है कि राष्ट्रीय हित पार्टी हित से ऊपर है। जब सभी पार्टियां पंजाब में चुनाव कराए जाने के विरुद्ध थीं, तब पंजाब में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराए गए। यह सभी जानते हैं और मैं उसमें एक प्रेक्षक था। मामूली समस्या पेश आई। परन्तु हजारों की संख्या में लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में तो 70 से 80 प्रतिशत तक मतदान हुआ। परन्तु वहां सरकार जनता की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाई और उनकी आन्तरिक लड़ाई और अकुशलता के कारण सरकार गिर गई। यह एक दूसरी बात है। पंजाब में हम

[श्री जगन्नाथ पटनायक]

आज भी देखते हैं कि आतंकवादियों को और निर्दोष व्यक्तियों को मारा जा रहा है। परन्तु साम्प्रदायिक झगड़े नहीं हो रहे हैं। कई शहरों में, हिन्दू, मुसलमान, सिख सभी भारी संख्या में इकट्ठे रह रहे हैं; परन्तु वहां बड़े पैमाने पर हत्याएं नहीं हो रही हैं। यह एक अच्छा संकेत है। प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में की गई साहसिक घोषणा के कारण, पंजाब की जनता के दिलोदिमाग में आत्मविश्वास है। इसलिए यही सही समय है जबकि सभी राजनैतिक दलों को समय के अनुकूल कार्य करते हुए कहना चाहिए कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हैं और उन्हें अपने-अपने दलों की राज्य इकाइयों को राष्ट्रीय निर्णय का पालन करने के निर्देश देने चाहिए। साथ-साथ, हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि जब तक बेरोज-गारी की समस्या हल नहीं हो जाती और कुछ औद्योगिक विकास नहीं हो जाता, तब तक समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

बिजली की लम्बे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए, केन्द्रीय सरकार ने भटिंडा परमाणु बिजली केन्द्र को मंजूरी दी थी। ये सभी कदम सही दिशा में है। इसी प्रकार, बेरोजगारी की समस्या का समाधान होना चाहिए और औद्योगिक विकास होना चाहिए। हमें युवा पीढ़ी में उन्नति करने की भावना का सूत्रपात करना है। हमें पीड़ित व्यक्तियों, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, के दुख और गुस्से को समझना चाहिए। उन्हें उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। अत्यन्त संवेदनशील मुद्दा दिल्ली में हुए दंगों के पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास तथा उनके मुआवजे का है। इस समस्या को तत्काल हल किया जाना चाहिए। उन्हें महसूस होना चाहिए कि उनके अधिकारों एवं हितों की रक्षा करने तथा दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने के लिए सभी उपाय कर रहे हैं। और अधिक कुछ नहीं कहना। अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि पंजाब की राजनैतिक स्थिति सामान्य बनाने के लिए सभी राजनैतिक दलों के बीच सहमति होनी चाहिए। उन्हें राजीव-लोंगोवाल समझौते की फिर से समीक्षा करनी चाहिए और इसे सही अर्थों में लागू करना चाहिए। कुछ सुधारों के बावजूद, वहां पर अभी भी हत्याएं जारी है और राजनैतिक प्रक्रियाएं यह दायित्व उठाने की स्थिति में नहीं है। पंजाब के व्यापक हित और देश की अखण्डता को ध्यान में रखते हुए पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 मास तक और बढ़ाई जानी चाहिए।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : सभापति महोदय, बूटा सिंह जी जो यह स्टेटूटरी रिज्युलूशन लाए हैं, उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ी हुई हूं।

सब से पहले मैं बधाई देना चाहती हूं पंजाब की जनता को, जिसने चाहे वह हिन्दू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो या ईसाई हो, कुर्बानी दी है टैररिस्टों के साथ लड़ने में। वे पंजाब में शान्ति लाने के लिए टैररिस्टों के साथ लड़ते रहे, इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहती हूं। हमारी जो यह लोक सभा है, यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा मन्दिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है और गिरिजा है और लोकतंत्र में हम यह नहीं चाहते कि प्रेसीडेंट रूल स्टेट में ज्यादा दिनों तक रहे लेकिन बात यह है कि पंजाब में दो वर्ष प्रेसीडेंट रूल रहने से सिचुएशन बहुत सारी चेंज हुई है। कल बता रहा था कि प्रेजीडेंट रूल में दो हजार जनता के आदमियों को मार दिया, 250 पुलिस अफसरों का देहांत हो गया। लेकिन हमारी गवर्नमेंट जितनी भी कोशिश कर रही है वह पंजाब में पीस वापस लाने की कोशिश कर रही है।

सर, हमने अपोजीशन पार्टी के लोगों के भाषण सुने। जब हम इस हाउस में पंजाब पर डिस्कशन कर रहे हैं तो हमारी अपोजीशन पार्टी के एक-एक आदमी ने अलग-अलग सुझाव दिये। कोई बोल रहे थे कि पंजाब में अगर पंचायत इलेक्शन होंगे तो टेररिस्ट्स बूथ केप्चर कर लेंगे। कोई बोल रहे थे कि पंजाब में प्रेजीडेंट रूल तीन महीने के लिए होना चाहिए। लोकदल के एम०पी० बोल रहे थे पंजाब में कांग्रेस कुछ भी नहीं कर रही है। अपोजीशन के हर मेम्बर अपनी-अपनी पोलिटिकल लाईन में बोल रहे थे। अलग-अलग मेम्बर अलग-अलग सुझाव दे रहे थे।

मैं अपोजीशन के दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि पंजाब का प्राब्लम जो है वह देश का सबसे बड़ा प्राब्लम है। वह एक नेशनल प्राब्लम है। जिस तरह से किसी आदमी में सबसे बड़ी चीज उसका दिल होता है जो कि मजबूत होना चाहिए। उसी तरह से पंजाब हिन्दुस्तान का दिल है। पंजाब में अगर कोई टुकड़ा हो जाता है तो हिन्दुस्तान के दिल का टुकड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं पंजाब को फिर से वही पंजाब देखना चाहती हूं जबकि पंजाब का जवान आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा काम किया था। मैं फिर से वही पंजाब देखना चाहती हूं जब पंजाब में एग्रीकल्चरल रेवोल्युशन हुआ था। हम लोग वही पंजाब देखना चाहते हैं जब गुरू नानक ने कहा था कि हिन्दू-मुस्लिम, सिख-ईसाई सब लोग एक हैं। सब लोग हिन्दुस्तान के बन्दे हैं। हम चाहते हैं कि पंजाब के अन्दर जल्दी से जल्दी शांति हो जाये।

सर मैं प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने जोधपुर के डिटेन्यूज को रिलीज किया। मैं सरकार को बधाई देना चाहती हूं कि उसने फोरेनर्स को पंजाब जाने के लिए अलाऊ किया।

सर, मैं मधु दंडवते जी का रिगार्ड करती हूं, बहुत रेस्पेक्ट करती हूं। वे बहुत सीनियर मेम्बर हैं। लेकिन एक बात मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि क्या पंजाब ऐसा प्राब्लम नहीं है जिसको लेकर के हम को कोई पोलिटिक्स नहीं करनी चाहिए ? कोई भी पोलिटिकल पार्टी हो, किसी को भी पोलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। क्यों अपोजीशन के अपर हाउस के एक मेम्बर ने यू०एस० में जाकर के यह कहा कि 99 में खालिस्तान हो जाएगा, पंजाब खालिस्तान हो जाएगा। वह क्यों ऐसा स्टेटमेंट देता है ? आप क्यों नहीं उस मेम्बर को कंट्रोल करते हैं ? मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि आप कांस्टीच्युशन में कोई अमेंडमेंट लाएं ताकि अगर कोई मेम्बर या आदमी देश के बाहर जाकर के देश के खिलाफ कोई बात बोले तो उसको मेम्बरशिप से डिसक्वालीफाई किया जा सके। चाहे वह कांग्रेस का हो, सी०पी०एम० का हो, सी०पी०आई० का हो, जनता दल का हो, किसी भी पार्टी का हो। देश से बड़ा कोई पोलिटिकल पार्टी नही होता है। देश से बड़ा कोई प्रायोरिटी नहीं होता है। देश सबसे बड़ा प्रायोरिटी है। आप ऐसा काम करें, यह देश के लिए बहुत अच्छा हो सकता है।

सर, श्री इन्द्रजीत गुप्त जी ने जो बात कही है, मैं उससे सहमत हूं कि पोलिटिकल पार्टियों को ग्रासरूट में जाकर के कम्युनलिज्म के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ काम करना चाहिए। यह अच्छा सुझाव है। इसी के लिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आप पालियामेंट की एक टीम बनाइये जिसमें सभी पोलिटिकल पार्टियों के लोग हों। वे पंजाब के गाँव गाँव में जाकर के मास कंटेक्ट करें। वे किसी पोलिटिकल पार्टी के प्लेटफार्म से नहीं, एक प्रेस के प्लेटफार्म से मास कंटेक्स करें। अगर आप ऐसा कीजिएगा तो आप लोगों को पंजाब में टेररिज्म के बारे में समझा सकते हैं। उनके खिलाफ लोगों में अवेअरनेस ला सकते हैं।

सर, पंजाब में पंचायत के इलेक्शन के बारे में यह देखना चाहिए कि कोई टेररिस्ट पंजाब में

[कुमारी ममता बनर्जी]

यूथ केप्चर न कर ले। हमारे देश में टेरोरिस्ट्स सबसे खतरनाक शक्ति है। इसको जो सहायता आती है वह पाकिस्तान से आती है और बहुत सारे देशों से आती है। इसको बाहर से भी मदद आती है और देश के अन्दर से भी मदद आती है। आप देखिए कि पंचायत इलेक्शन में आम जनता चुन कर आ सकती है या नहीं आ सकती है। एक बात और है, जिन्होंने पंजाब के लिए कुर्बानी दी है,

4.00 म०प०

उनकी हम इज्जत करते हैं। अपोजीशन के कई दोस्तों ने कहा कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है, मैं पूछना चाहती हूं कि और किसी पार्टी को आप दिखा सकते हैं जिसने इतनी कुर्बानियां की हों। पी०सी०सी० के आफिस बियरर, पी०वाई०सी० के आफिस बियरर, ब्लाक कांग्रेस के आफिस बियरर, पी०वाई०सी० प्रेसीडेंट, उनके पिताजी, एन०एस०यू०आई० प्रेसीडेंट, उनके पिताजी, हमारे प्राइम-मिनिस्टर सबने कुर्बानी दी है, डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस प्रेसीडेंट, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसीडेंट, एम० पीज०, एम०एल०एज०, सरपंच, किसने कुर्बानी नहीं दी है और आप कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है, यह गलत बात है। और लोगों ने भी कुर्बानी दी है, संत लोंगोवाल ने लोंगोवाल-राजीव अकार्ड किया और उसके लिए उनको कुर्बान होना पड़ा, उनके प्रति हमारा पूरा रिगार्ड है। और लोगों ने भी कुर्बानियां दी हैं, जनता ने कुर्बानी दी है, लेकिन पोलीटिकल पार्टीज इसको पोलीटिसाइज करना चाहती हैं, यह बात ठीक नहीं है। इस प्राब्लम को साल्व करने के लिए अपोजीशन पार्टीज को कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर अफर्ट्स करने चाहिए, इस प्राब्लम में पार्टी का कोई फर्क नहीं होना चाहिए। वहां पर लोग विक्टमाइज हुए हैं, पुलिस के लोगों की हत्याएं हुई हैं, उनके परिवार के लिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि एक रिहैब्लीटेशन पैकेज होना चाहिए। इस समस्या में जिन लोगों ने कुर्बानी दी हैं, जिनकी जानें गई हैं, उनके परिवार को देखना सरकार का कर्त्तव्य और धर्म है।

अन्त में मैं यही कहना चाहती हूं कि पंजाब समस्या जल्दी से जल्दी हल हो और वहां पर जनतांत्रिक सरकार कायम हो।

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : सभापति महोदय, इस सदन में पंजाब के बारे में बोलते-बोलते हम लोग थक गये हैं, फिर भी हम अपने कर्त्तव्य से पीछे नहीं हट रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : आप थक गये, हम तो मर गये।

श्री सी० जंगा रेड्डी : टेररिस्ट पंजाब की जनता का स्कोर प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं, जनता की आंखों से आंसू सूख गये हैं। इस बारे में लोकसभा में कई बार विचार हुआ 193 के अन्तर्गत विचार हुआ, पंजाब बजट के समय विचार हुआ, हर सत्र में इस पर चर्चा हुई, कभी इस चर्चा को नहीं रोका गया। अभी जून-जुलाई तक इस पर हम चर्चा कर सकते हैं, उसके बाद चुनाव कराने की चेष्टा की जा रही है। इस समस्या का क्या कारण है किसने इस उग्रवाद को बढ़ावा दिया, यह सब जानते हैं। पहले घर को आग लगाई, अब वह आग बुझ नहीं रही है, इसी तरह से आपने पंजाब के मसले को बढ़ाया, अब आपके हाथ से बात निकल गई है, आग बुझाने में अब दिक्कत आ रही है और आपने प्रेसीडेंट रूल लगा दिया। आपने चुनाव भी कराए, कई कदम उठाये गये, लेकिन कोई इलाज या कोई हल इस समस्या का नहीं हुआ। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में श्रीमती बेनजीर भुट्टो ने राज संभाला तो हमने सोचा कि इसमें कुछ कमी हो जाएगी, राजीव गांधी जी ने उनके साथ चर्चा

की, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ। विदेशों से हथियार आ रहे हैं, साफ है कि पाकिस्तान से हथियार आ रहे हैं। सुरक्षा पट्टी के बारे में आपने जो सिफारिश की, हमारी पार्टी ने आपको पूरा समर्थन दिया, लेकिन 3 साल हो गये, अभी तक उस पर काम नहीं किया गया। आप स्मगलर्स के घ्रू हथियारों का आना क्यों नहीं रोकते। आपने बताया, भाटिया जी ने बताया कि राष्ट्रपति शासन के दौरान पुलिस वालों की हत्याओं में कमी आई है, इसका मतलब है कि जनता में हत्याएं अधिक हुई हैं। ममता बनर्जी ने बताया कि केवल 250 पुलिस वाले मरे। आप यह कहते हैं कि दो हजार आम जनता और दो सौ पचास पुलिस वाले दो साल के अन्दर राष्ट्रपति शासन में मरे हैं, तो क्या यह कम है। हमारी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं और प्रदेश अध्यक्ष की हत्या की गई लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जब हमने डेटेन्यूज को छोड़ने के लिए कहा तो आपने नहीं सुना, लेकिन बाद में छोड़ दिया। कांग्रेस का जहां पर शासन है वहां पर आप पंचायत के चुनाव कराएं। बिहार में क्यों नहीं कराते। आपने कहा है कि जहां पर टैरारीस्ट्स का ज्यादा प्रभाव है वहां पर पंचायत के चुनाव यानी तीन जिलों में नहीं करायेंगे। चुनाव करके क्या आप प्रजातंत्र को मजबूत करने वाले हैं। आप नहीं जानते कि हम किस तरह से आंध्र प्रदेश में नक्सलवादियों का मुकाबला कर रहे हैं। ग्राम पंचायत, मंडल परिषद या जिला परिषद के चुनाव में कोई भी आदमी नक्सलवादियों के खिलाफ चुनाव के लिए नोमिनेशन फार्म भरने के लिए जाता है तो उसको कहा जाता है कि तुम्हें मार देंगे या उसकी पत्नी को कहा जाता है कि तुम विधवा हो जाओगी इसलिए अपने पति को चुनाव नहीं लड़ाओ। इस तरह वहां पर अन-अपोज्ड इलैक्ट हो जाते हैं। वहां पर एन०टी० रामाराव और कोंडा-पल्ली सीतारमैया की सरकारें चल रही हैं। रामाराव की सरकार ने चार रुपये लीटर के हिसाब से शराब का भाव तय किया तो कोंडापल्ली सीतारमैया की सरकार ने ढाई रुपये लीटर के हिसाब से तय कर दिया। वहां के कांट्रेक्टर्स अपनी जान बचाने के लिये ढाई रुपये लीटर के हिसाब से शराब बेच रहे हैं। अगर कोई इंमारमर होता है तो उसका भी कत्ल हो जाता है। नक्सलवाद और उग्रवाद में कोई फर्क नहीं है। जहां पर उग्रवाद का ज्यादा प्रभाव है वहां पर लोग मतदान देने से डरते हैं। आप लोग नगर निगम के चुनाव करवाना नहीं चाहते तो ग्राम पंचायत के चुनाव करवाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। जब तीन जिलों में चुनाव नहीं करवाएंगे तो अन्य जिलों में भी चुनाव करवाने की क्या जरूरत है। चुनाव में उग्रवाद का प्रभाव ज्यादा रहेगा और शासन भी उनके हाथ में चला जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे। आप लोगों को तो सत्ता से प्यार है। इस ओर आपका ध्यान जाना चाहिए। 1984 में जो 2700 लोग मारे गये थे, उनको कंपनसेशन देने के बारे में आपने क्या कार्य-वाही की। उनके बाल-बच्चे परेशान हैं, उस बारे में आपने क्या सोचा है। अभी एक माननीय सदस्य बता रहे थे कि राजीव जी ने कहा कि उनको नहीं मालूम कि कितने लोगों को अरेस्ट किया गया और कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई। मेरा यह निवेदन है कि सुरक्षा पट्टी जल्दी से जल्दी बनाई जानी चाहिए। डेटेन्यूज के खिलाफ अगर चार्जेस नहीं है तो उनको जल्दी छोड़ देना चाहिए। चार साल से जो आप गल्ती कर रहे हैं, उसको मान लीजिए। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि वहां पर ग्राम पंचायत चुनाव नहीं करवाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री मेवा सिंह गिल (लुधियाना) : सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं पंजाब से संबंधित इस अति महत्वपूर्ण वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। दो वर्ष और कुछ मास पूर्व जबसे मुझे असम्बद्ध सदस्य घोषित किया गया तबसे मुझे पंजाब पर अपने विचार

[श्री मेवा सिंह गिल]

प्रकट करने का अवसर नहीं दिया गया जो कि इन दिनों अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए, मैं आपका आभारी हूं।

इससे पहले कि मैं इस विषय पर बोलूं, गृह मन्त्रालय द्वारा कार्य सूची में यह विषय रखने के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में अपनी आपत्ति दर्ज करता हूं। यह सब अत्यन्त रहस्यमय और फूहड़ ढंग से किया गया। कल अचानक यह अनुपूरक कार्य सूची शामिल की गई जैसे शुक्रवार तक गृह मन्त्रालय को मालूम ही न हो कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है जिसे शामिल किया जाना है।

कल जब मेरे मित्र यहां बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि विपक्ष इस राष्ट्रीय मसले पर सहयोग नहीं दे रहा है। उनकी बात कुछ सीमा तक सही थी। निःसंदेह यह एक राष्ट्रीय मसला है किन्तु कांग्रेस के लिए, सरकार गिराना और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करना एक राष्ट्रीय योजना और एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बन चुका है। आज मैं, पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाये जाने का विरोध करता हूं और इसके कारण हैं।

दो वर्ष पूर्व जब यह प्रस्तुत किया गया था तो मैंने बड़े भारी मन से इसका समर्थन किया था। उसका कारण यह था कि उस समय पंजाब में ऐसी स्थिति थी कि लोग एक अत्यन्त भ्रष्ट सरकार की चपेट में थे।

उन दिनों अखबारों में बरनाला सरकार को अत्यन्त भ्रष्ट सरकार घोषित किया गया था। इसलिए, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था और मुझे बुराईयों विकल्पों में से एक चुनना था। उन दिनों पंजाब में हर कोई यह कह रहा था कि बरनाला की 40 सदस्यीय सरकार "अलिबाबा और 40 चोरों का गिरोह है।" यह नाम दिया गया था सरकार को उन दिनों। यह अल्प मत सरकार थी। यह कांग्रेस समर्थित सरकार थी और कांग्रेस इसका प्रयोग अपने प्रयोजन के लिए कर रही थी। मैं तो यह कहूंगा कि यह कठपुतली सरकार थी और केन्द्र सरकार वास्तव में शासन कर रही थी। इसलिए, इन कारणों से मैंने उस समय उद्घोषणा का समर्थन किया था। मुझे कम बुराई को चुनना था और इसीलिए मैंने उद्घोषणा का समर्थन करने का फैसला किया। किन्तु अब स्थिति भिन्न है। मुझे नहीं मालूम था कि यह थोड़ी बुराई समय के साथ इतनी बड़ी हो जाएगी कि राष्ट्रपति शासन में लोग फिर से चिल्लाना आरम्भ कर देंगे।

पंजाब की स्थिति ऐसी है कि हालांकि यह कहा जा रहा है कि कुछ सुधार हुआ है किन्तु लोग यह अनुभव कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत यह सरकार न केवल अकुशल है बल्कि भ्रष्ट भी है और यह राष्ट्रपति शासन और कुछ नहीं बल्कि दमनकारी पुलिस राज है।

मैं आपको यह उदाहरण देता हूं आपने दो-तीन दिन पूर्व अखबारों में महिलाओं पर अत्याचार शीर्षक से समाचार पढ़ा होगा। गुरदासपुर जिले में एक परिवार गांव से बाहर फार्म हाउस में रह रहा था और उस विधवा की 4 लड़कियां और दो लड़के थे। पुलिस अचानक उस घर में गई और उन लड़कियों को पकड़ा। उन्हें बाहर लिटाकर पुलिस के आदमियों ने लकड़ी के डंडे उनकी जंघाओं पर रखे और उन्हें तब तक दबाया जब तक वह लड़कियां मूर्छित नहीं हो गई। उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया। यह मामला दर्ज किया गया। और जब गांव के लोग इन अभागी लड़कियों को छुड़ाने गए तो

उन्हें यह बताया गया कि इन लड़कियों के आतंकवादियों के साथ नाजायज संबंध हैं। यह सब हुआ। मैं उनकी पैरवी नहीं कर रहा हूं, उनके आतंकवादियों के साथ नाजायज संबंध हो सकते हैं। किन्तु वह कर क्या सकते हैं? फार्म हाउस में रह रहे गरीब लोग क्या कर सकते हैं? यह सरकार निर्दोष और निर्धन लोगों की रक्षा करने में असफल रही है। सरकार को इस स्थिति पर शर्म आनी चाहिए।

सरकार महिलाओं पर अत्याचार करती है और यह कहती है कि उनके आतंकवादियों के साथ अवैध संबंध हैं। दिन के समय पुलिस के लोग वर्दी पहन कर घूमते हैं और ज्यों ही शाम होती है, वहां आतंकवादियों का राज होता है। कुछ क्षेत्रों में ए० के०-47 का राज है। इस तथ्य के बावजूद कि इतनी बड़ी सेना पंजाब भेजी गई है, रात के समय कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। पंजाब पुलिस, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा अन्य अर्द्ध-सैनिक बल भी रात के समय अपनी बैरकों में रहते हैं। ए० के०-47 राइफलें उठाए हुए यह लोग घरों में जाकर पूरे के पूरे परिवार खत्म कर देते हैं या जो वह चाहें करते हैं। वह बलात्कार, आगजनी, लूट, अगवाद करते हैं और हत्या तक कर देते हैं। सुबह के समय पुलिस वहां जाकर मामले के सबूतों के तौर पर वहां से वस्तुएं एकत्र करने की कोशिश करती हैं। दीवारों से खून के धब्बे भी वही लोग जाकर साफ करते हैं और यह कहते हैं कि वह मामले का वसूली ज्ञापन तैयार करेंगे। अभी तक कोई भी मामला अदालत में नहीं गया है। यह स्थिति है वहां पर।

गुरदासपुर जिले की एक और घटना है। केन्द्रीय सरकार अब पंचायती राज को अधिक शक्तियां देने की बात कर रही है। गुरदासपुर जिले में, यदि मुझे ठीक से नाम याद है तो गोविन्द राम नामक एक एस० पी० ने पंचायतों के 35 पंचों और सरपंचों को एकत्र किया। उन्हें लोगों के सामने सीधा लिटाकर उनकी जूतों से पिटाई की गई। हां, एक बात का श्रेय उसे अवश्य दिया जाना चाहिए कि प्रति पंच 5 जूते तथा सरपंच को 6 जूते लगवाए गए। इस संबंध में कोई भेदभाव नहीं बरता गया और वह इस मामले में बहुत सतर्क था। तत्पश्चात इस मामले की छानबीन हुई। पंजाब के राज्यपाल श्री एस० एस० रे ने यह स्वीकार किया कि ऐसा हुआ है। उन्होंने जालन्धर के आयुक्त को जांच अधिकारी नियुक्त किया और उसने रिपोर्ट दी कि लोगों का आरोप सही है। किन्तु उसका क्या हुआ? वह अधिकारी अभी भी वहीं पर है और उसे उप-महानिदेशक के रूप में पदोन्नत किया जा रहा है। यदि वह इस प्रकार से पंचायतों को शक्तियां देने जा रहे हैं तो पंजाब के लोगों को मालूम है कि क्या होने जा रहा है।

अब यह बात बड़े जोर-शोर से कही जा रही है कि केन्द्रीय सरकार तो पंजाब समस्या हल करने को तैयार है किन्तु अकाली उनसे सहयोग नहीं कर रहे हैं और वह बातचीत के लिए कैबिनेट उप-समिति में भी शामिल नहीं हुए हैं। अब क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं? यदि पार्टी के 10 प्रमुख नेता पिछले दो वर्षों से देश की विभिन्न जेलों में हों तो दूसरे और तीसरे दर्जे के नेता क्या कर सकते हैं? यह नेता अभी भी छोटे-छोटे कारणों से तथा निराधार अभियोगों से जेल में बन्द हैं। श्री प्रकाश सिंह बादल को एक वर्ष के लिए बन्द किया गया। ज्यों ही वह बाहर आए उन्हें फिर से बन्दी बना लिया गया। यही बात तोहड़ा साहिब तथा अन्य अनेक नेताओं के साथ है। फिर भी आप यह कहते हैं कि अकाली दल सहयोग नहीं कर रहा। किसके साथ सहयोग? आपकी योजना क्या है? आपका काम क्या है? आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं? क्या आपके पास कोई नीति संबंधी प्रस्ताव है? क्या सरकार के पास ऐसी कोई चीज है, दूसरे और तीसरे दर्जे के नेता जेल में नजरबन्द किए गए अपने नेताओं से अनुमति प्राप्त करके आपसे बात कर लेंगे। किन्तु क्या आपकी कोई महत्वपूर्ण योजना

[श्री मेवा सिंह गिल]

है ? आप केवल इन आधारों पर लोगों को धोखा दे रहे हैं। आपके पास कोई आधार नहीं है। जैसा कि मेरे मित्र ने कहा है।

[हिन्दी]

आग लगा बैठे, अब बुझा नहीं सकते।

[अनुवाद]

इसमें कुछ समय लगेगा। तभी वे ऐसा कर पाएंगे।

अब मैं पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के मामले पर आता हूं। राज्यपाल की रिपोर्ट में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के लिए पांच या छः कारण दिए गए हैं। रिपोर्ट मे कहा गया है कि पंजाब में चुनाव नहीं हो सकते और यदि चुनाव हुए तो कोई एक दल सरकार नहीं बना पाएगा। राज्यपाल की रिपोर्ट में यह पहला मुद्दा है। मुझे यह जानकर अफसोस हुआ है। राज्यपाल किस प्रकार यह निर्णय ले सकता है कि यदि चुनाव हुए तो कोई एक दल सरकार नहीं बना सकेगा ? जहां तक इस तर्क का संबंध है कि चुनाव नहीं कराए जा सकते, यह अन्तर्विरोधी है। जब वे स्वयं कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव तथा अन्य कई चुनाव कराए जाएंगे तो यह तर्क आधारहीन हो जाता है।

दूसरे, राज्यपाल ने सूचना दी है कि स्थिति में सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा है अब कोई भी खालिस्तान का नारा नहीं लगाता और खालिस्तान का झंडा इस्तेमाल नहीं करता तथा खालिस्तान की मांग संबंधी पोस्टर भी कहीं नहीं चिपकाये जाते हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अब लोग पहले की भांति 'भोग' में नहीं जाते। और तीसरे, यह कि उनका कहना है कि इस सबके बावजूद पंजाब में लोगों के सोच-विचार में बदलाव आया है।

यदि राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के यह कारण हैं तो इसके केवल दो आधार हैं—या तो, जैसा कि वे कहते हैं, स्थिति में सुधार हुआ है अथवा नहीं हुआ है। यदि पिछले दो वर्षों से कोई सुधार नहीं हुआ है तो राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का कोई औचित्य ही नहीं है। यदि, जैसा कि वे कहते हैं, पर्याप्त सुधार हुआ है तो ऐसा कोई कारण नहीं कि पंजाब में लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू न की जाए, विशेषकर जबकि वे कहते हैं कि पंचायत चुनाव तथा अन्य चुनाव कराए जाएंगे।

अतः इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाना एकदम आधारहीन है।

अखबारों में समाचार छपते हैं कि इतनी ए० के०-47 राइफलें, बम तथा अन्य वस्तुएं बरामद की गईं। यह सही है कि जब वे कहते हैं कि उन्होंने इतने हथियार बरामद किये हैं तो यह प्रशंसनीय है। किन्तु केन्द्र सरकार हमें यह बताये कि इस अवधि में ये हथियार कहाँ से आए, बावजूद इसके कि सीमा पर बाड़ आदि लगाने के लिए करोड़ों रुपये व्यय किए गए हैं। ये हथियार सीधे आ रहे हैं। यह केन्द्र सरकार के लिए एक चुनौती है। यदि पंजाब में हथियारों की तस्करी जारी रही तो मुझे यकीन है कि हमारी दुआओं के बावजूद भी पंजाब समस्या निकट भविष्य में नहीं सुलझेगी।

इन शब्दों के साथ—मैं जानता हूं कि समय कम है—मैं पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाए जाने का विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया (संगरूर) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति राज्य बढ़ाए जाने के बारे में मैं कुछ बातें सरकार से पूछता हूं और कुछ बातों का जिक्र इस सदन के जरिये देश के आगे करना चाहता हूं।

सबसे पहले गवर्नमैंट को यह एक्सैप्ट करना चाहिए था, शब्दों का रंग बदलने की बजाए कि राष्ट्रपति राज्य की मियाद बढ़ाई जाए, यह कहना चाहिए था कि हम देश के सामने यह बात कन्फैस करते हैं कि पंजाब में अकाली गवर्नमैंट डिसमिस करने के बाद हम शांति लाने में असफल हुए हैं, इसलिए इस असफलता को देखते हुए हमारी मांग पर एक मौका और दिया जाए। मगर कहा जा रहा है कि हमने काबू पा लिया है इसलिए मौका दिया जाए। मैं यह कह रहा हूं कि खुद श्री चिदम्बरम साहब ने दूसरे हाउस में यह माना कि बरनाला गवर्नमैंट के वक्त रोज की किलिंग 3.6 थी, जो बढ़कर 9.1 हो गई है पिछले टोटल समय में। तो किलिंग बढ़ी है, फिर किस बात पर गर्व करते हैं।

हर आदमी कहता है कि अकालियों ने सब-कमेटी के साथ मिलवर्तन नहीं किया। अकाली तो अभी सोच ही रहे थे कि मिलवर्तन करें या न करें, क्योंकि उससे पहले हिस्ट्री देखी जानी चाहिए कि कहां मिलवर्तन नहीं किया। 1982 से आज तक चल रहे हैं साथ निभाते-निभाते और हमने अपनी पार्टी तोड़ ली, पार्टी के टुकड़े कर लिए, आज नहीं लोंगोवाल के समय से, उस वक्त भी साथ निभाया। लोंगोवाल के वक्त, बादल और तोहड़ा एक तरफ हो गए, फिर भी साथ निभाते गए। हम चाहते थे कि देश के सामने एक इश्यू आए, पार्टी न टूटे, लोंगोवाल को शहीद कर दिया, उनकी मौत हो गई लेकिन मैंने इस सदन में बहुत दफा कहा था कि जो हश्र पंजाब एकार्ड का हुआ है जो हश्र बरनाला का हुआ है और 19 महीने के बाद जिस तरीके से उनकी सरकार को डिसमिस किया गया, उसके बाद कोई भी सिख लीडर बातचीत में आने से पहले दस दफा सोचेगा। इसलिए यह देश को सोचना है कि क्यों हम रेलेवेंट लोगों को इररैलेवेंट बना देते हैं। जो लोग देश की मुख्य धारा में रहना चाहते हैं क्यों उनको बेअसर बनाते हैं, क्यों उनको जलील करते हैं, क्यों उनकी ईमानदारी, देशभक्ति और वफादारी के साथ मैं इसके लिए नम्र शब्द कहूंगा कि बेवफाई करते हैं। अभी यह चीजें सामने आएंगी।

अभी सब-कमेटी गई। सब-कमेटी में जाने के बारे में सोचा जाना था लेकिन गवर्नर ने एक बात कह दी कि इलेक्शन आने तक पंजाब का कोई पालिटिकल सोल्यूशन नहीं होगा। मैं देश और सदन को बताना चाहता हूं कि जब गवर्नर कहेगा कि कोई सोल्यूशन नहीं है तो क्या उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा ? मान लीजिए दिसम्बर या जनवरी में इलेक्शन के समय कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि पालियामेंट एक साल एक्सटेंड हो जाए तो इसका मतलब है कि डेढ़ बरस कोई पालिटिकल सोल्यूशन नहीं निकाला जाएगा। जब गवर्नर ऐसी बात करेंगे, फिजूल बात करेंगे तो मैं सरदार बूटा सिंह जी से आपके माध्यम से यह रिक्वैस्ट करना चाहूंगा कि सरदार साहब, गवर्नर को हुक्म दो कि वह अपना बयान वापस ले लें क्योंकि उनका यह बयान गैर-जम्हूरी है, यह बयान प्रधान मन्त्री के प्रोग्राम और आप जो रोज हाऊस में कहते हैं उसके विपरीत है। इसलिए गवर्नर के इस बयान के होते हुए कोई बात सोची नहीं जा सकती है और यह उन लोगों की बेइज्जती है जो रोज कहते हैं कि सभी पार्टियां मिलकर, सभी राजनीतिक दल मिलकर और राजनीतिक सोच के लोग मिलकर आएं। इतना ही नहीं गवर्नर का बयान टैरारिस्टों को संदेश देता है कि आपने जो करना है करें हम पालिटिकल सोल्यूशन नहीं करेंगे। इस बयान का गलत मतलब है। मैं जोर देकर कहता हूं कि इस बयान को वापिस लिया जाए।

[श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया]

आज एक ऐसी भावना बनती जा रही है कि पंजाब का सोल्यूशन होगा ही नहीं। हरियाणा की खातिर आपने पहले पंजाब एकार्ड को खराब किया। उसके बाद हरियाणा को जीतने की दिल में इतनी चिन्ता हो गई कि बरनाला की गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया। आम लोग पूछते हैं कि अगर केन्द्रीय शासन पंजाब एकार्ड पर गम्भीर था तो 25 जनवरी, 1986 तक क्या कोई जगह चण्डीगढ़ की एवेज में हरियायाणा की राजधानी बनाने के लिए चुनी गई, क्या प्रपोजल बनाया गया? 25 जनवरी तक, जब चण्डीगढ़ की एवेज में राजधानी हरियाणा को देने के लिए कोई चीज नहीं सोची गई तो लोगों के दिल में यह स्पष्ट था कि यह वह देने वाले नहीं है और न ही देना चाहते हैं। इससे एक बेविश्वासी पैदा हो गई। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप कुछ ऐसे स्टेप उठाएं जिससे यह जो गैप बढ़ गया है वह बन्द हो जाये, जो बेविश्वासी पैदा हो गई है वह खत्म हो। आम लोग पंजाब में कह रहे हैं कि इन लोगों के होते, जैसे गवर्नर ने बयान दे दिया और दो आदमी बयान दे दें तो पंजाब का मसला हल नहीं होगा। यह बहुत गलत बात है।

अब पंचायत चुनावों पर ऐसे जोर दिया जा रहा है जैसे सारी बीमारी का मर्ज यही हो। 9 बरस से जो कत्ल, लूट-खसोट और अन्य जो चीजें हुई हैं उनका इलाज मानो वही हो। पंचायत इलेक्शन कौन-सा कोरिया से लाने वाला गोल्ड मैडल है जो आप लाना चाहते हैं। पता नहीं ऐसी कौन-सी बड़ी बात है। मैं देश को बताना चाहता हूं कि पंचायत इलैक्शन सोल्यूशन नहीं है। पंचायत इलैक्शन कराकर आप पछताएंगे। अगर आप ईमानदार हैं तो 20 वर्ष से म्यूनिसिपैलिटी के इलैक्शन क्यों नहीं हुए, पहले वह करवा लो। पंचायत के गांव के लोगों की गिनती 85 परसेंट है और शहर में 15 परसेंट है और सलैक्टिव कत्लो गारत के ज्यादा वाकयात, टैरेरिस्ट के, गांव में होते हैं, वह भी रात में, शहरों में तो शान्ति है। शहरों में चुनाव पहले कराये जाने चाहिए।

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि रेडियो, टी० वी० पर खालिस्तान के नाम का जिक्र तक भी इधर-उधर से नहीं किया जाना चाहिए। कई दफा मैं अनुभव करता हूं कि छोटी-छोटी बातों पर किसी के मुंह में डालकर सैपरेटिज्म का प्रचार रेडियो, टी० वी० ज्यादा करते हैं। एक बात मैं जोर से कहता हूं कि जो अकाली दल के लीडर्स हैं आप उनको एक जेल में इकट्ठा करो, मैं गृह मन्त्री जी से, आपके माध्यम से, कहता हूं कि बादल जी, टोहरा जी, सुखविंदर सिंह जी, सैखवां जी, सभी को एक जगह देहरादून में कर दो ताकि लीडर्स सोच तो सकें, दो-दो साल से आप उनको इतनी दूर रखे हुए हैं।

एक बात मैं आपके माध्यम से गृह मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरदार जगदेव सिंह तलवण्डी पर कातिलाना हमला हुआ था, उस कातिलाना हमले के बाद उन्होने स्टेटमैंट दिया कि मुझ पर कातिलाना हमला गिनी हुई साजिश के अधीन किया गया, मैं जोर से कहना चाहता हूं कि आज तक उस मुकदमे को मिट्टी में मिलाने की कोशिश हो रही है, उसका कुछ नहीं सोचा जा रहा।

एक बात मैं बहुत गम्भीरता से कहना चाहता हूं कि सरदार सिमरन जीत सिंह मान को लार्जर कांस्प्रेसी के केस में साढ़े चार साल के बाद इन्वाल्व कर लिया गया है, मैं सरकार से जोर से कहता हूं कि इसको रिव्यू कीजिए क्योंकि सिचुएशन गलत तरफ चल पड़ी है। बहुत से गांवों में 11-11 सौ रुपये फी पंचायत, फी विलेज उस मुकदमे को लड़ने के लिए इकट्ठे किये जा रहे हैं, इसको क्लियर किया जाना चाहिए और ठोस बात हाथ में हो तो हम किसी कानून के विरोधी नहीं हैं। लेकिन जिस तरीके से एक मुकदमा चला, दो आदमियों को फांसी हो गई, मुकदमा खत्म हो गया लेकिन चार

साल के बाद एक नया मुकदमा शुरू होने से लोगों में बेविश्वासी का एक युग आरम्भ हो जाएगा, इसलिए मैं सरकार से गम्भीरता से जोर देता हूं कि इस तरफ भी सोचे।

आखिर में मैं आखिरी बात कहता हूं कि पुलिस हरैसमैण्ट की बहुत ओर से बात चली है। मैं गृह मन्त्री जी से विनती करता हूं, आपके माध्यम से, कि एक सरदार दीदार सिंह शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के मैम्बर हैं, उनके बेटे का पासपोर्ट गांव में तस्दीक होने गया तो पुलिस वाले ने कहा कि 5000 रुपया लूंगा कि ठीक है। उसने कहा कि अगर न दूं तो उसने कहा फिर मैं लिख दूंगा तब लिखूंगा कि यह लड़का टैरेरिस्ट है। उसने रुपया नहीं दिया और टैरेरिस्ट लिख दिया। अब दिलचस्प बात देखिये, पुलिसवालों ने लिख दिया टैरेरिस्ट है। हम लोग जालन्धर के आर० पी० ओ० मि० चड्ढ के मिले, उन्होंने दो प्राइवेट आदमी भेज दिये, उन्होंने गांव में बच्चे-बच्चे से पूछा तो उन्होंने कहा कि वह तो बेचारा खेत में काम करने वाला लड़का है, टैरेरिस्ट बिल्कुल नहीं, जानता भी नहीं। अब आर०पी०ओ० प्राइवेट रिपोर्ट चीफ पासपोर्ट आफिसर को भेज रहा है कि दीदार सिंह का लड़का निर्दोष बिल्कुल है और पुलिस रिपोर्ट भेज रहीहै कि टैरेरिस्ट है तो क्या बनेगा। ऐसे-ऐसे केस सामने आ रहे हैं, जिन केसों के जरिये लोगों में बेविश्वासी फैलती है।

एक बात मैं और कहूं कि सिखों में ढाढी, रागी, प्रचारक, कविशर और शायर लोग बहुत है वह गुरूनानक गुरुग्रन्थ साहब उनका प्रचार करते हैं। लेकिन एक भी आदमी अपने पासपोर्ट में प्रोफेशन लिख दे कि मैं रागी हूं, प्रचारक हूं, ढाडी हूं, तो उसको दो-तीन बरस तक पासपोर्ट नहीं मिलता है। इसलिए गृह मन्त्री जी से मेरी विनती है कि ऐसा प्रबन्ध किया जाए जिससे दो-तीन महीने में उनको भी क्लीयरेंस मिल जाए।

मैं असंतुष्टता जाहिर करते हुए राष्ट्रपति राज की बढ़ोतरी का विरोध करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुर द्वार) : मैं पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाए जाने का विरोध करता हूं।

हमें स्मरण रखना चाहिए कि श्री सिद्धार्थ शंकर राय 1971 से 1976 तक पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री थे। उस समय आपातस्थिति थी। आपातस्थिति के दौरान किये गये कार्यों के कारण वे पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के अंतिम मुख्य मंत्री बने। संभवत: लोग किसी कांग्रेसी को पश्चिम बंगाल का मुख्य मंत्री बनाना पसन्द नहीं करेंगे। उनके प्रशासन में हमने पश्चिम बंगाल में भयंकर किस्म के आतंकवाद का अनुभव किया था। अब वही व्यक्ति पंजाब में है। वह पंजाब में लोगों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते। यह उनकी भावना है कि पंजाब में पुलिस राज रहे और यदि चुनाव हों तो कांग्रेस पुन: सत्ता में आ जाए। यह उनका इरादा है इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं।

जहां तक मैं जानता हूं, संघ सरकार पंजाब समस्या को सुलझाना नहीं चाहती। वे वहां की स्थिति को राजनैतिक रंग देना चाहते हैं। हमने सुना है कि अनेक आतंकवादी पुलिस के हाथों मारे गये हैं। अखबारों के अनुसार प्रतिदिन अनेक आतंकवादी पुलिस द्वारा मारे जा रहे हैं। यदि ऐसा है, तो यह आतंकवादी कहां से आ रहे हैं और प्रतिदिन इनकी संख्या में वृद्धि कैसे हो रही है? हिंसा में वृद्धि हो रही है। हमें यह तर्क बिल्कुल समझ नहीं आता।

[श्री पीयूष तिरकी]

पुलिस का आतंक है। और लोग पुलिस की गतिविधियों के कारण आतंकवादी बन रहे हैं। हम जानते हैं कि प्रशासन में क्या होता है। वास्तविक अपराधी को नहीं पकड़ा जाता परन्तु निर्दोष व्यक्ति पुलिस द्वारा पकड़े जाते हैं। आपने उड़ीसा में इसका अनुभव किया है। अन्य राज्यों में भी हमने ऐसा देखा है। चोर, हत्यारे तथा अन्य अपराधी खुले आम घूमते हैं तथा अपना रिकार्ड पूरा करने के लिए निर्दोष व्यक्तियों को पकड़ लिया जाता है।

मैं सरकार की बुद्धिमत्ता की सराहना करता हूं। वे पंजाब में विधान सभा चुनाव कराने को तैयार नहीं हैं परन्तु पंचायत के चुनाव कराने को तैयार है। हमारा अनुभव यह है कि पंचायत के चुनाव संसद अथवा विधान सभा के चुनाव से अधिक मुश्किल है क्योंकि सभी व्यक्ति ग्राम स्तर के होते हैं तथा लोग सीधे एवं सक्रिय रूप से इसमें शामिल होते हैं। पजाबियों की भावनाओं का अवश्य आदर किया जाना चाहिए। पंजाब के लोग एक लोकप्रिय सरकार चाहते हैं और उन्हें अपनी सरकार चुनने का अवसर दिया जाना चाहिए। बरनाला सरकार एक लोकप्रिय सरकार थी किंतु उसे आपने बर्खास्त कर दिया। अब लोगों को चुनावों के जरिए अपनी सरकार चुनने का एक और अवसर दिया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाए जाने सम्बन्धी संकल्प का विरोध करता हूं।

सभापति महोदय : श्री अय्यपू रेड्डी। आपके लिए पांच मिनट का समय है।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी (कुरनूल) : महोदय, मैं दोनों संशोधनों पर एक साथ बोलने के लिए दस मिनट से अधिक समय नहीं लूंगा।

सभापति महोदय : जी नहीं, पांच मिनट।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : महोदय, प्रत्येक संशोधन के लिए पांच मिनट।

सभापति महोदय : जी नहीं, पांच मिनट।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : यह सम्भव नहीं है, महोदय। बहरहाल मैं बहुत संक्षेप में कहने का प्रयास करूंगा।

महोदय, यदि संविधान में 59वां संशोधन न किया गया होता तो यह संकल्प लाना संभव नहीं होता। 59वें संशोधन से पहले संविधान में 2 वर्ष तक की समय-सीमा थी। 59वें संशोधन से हमने पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि में वृद्धि की। यहां तक कि 59वें संशोधन का समय भी एक वर्ष है। इसीलिए यह आवश्यक है कि पंजाब समस्या का समाधान एक वर्ष के भीतर किया जाए।

मैंने छह मास के स्थान पर तीन माह करने वाला संशोधन मामले के अविलम्बनीय स्वरूप को दर्शाने के लिए प्रस्तुत किया है। अन्यथा, आप एक संवैधानिक गतिरोध में अवरुद्ध हो जायेंगे। दिसम्बर में आठवीं लोकसभा की समाप्ति के बाद नवीं लोकसभा शुरू हो जाएगी। दुर्भाग्यवश, आठवीं लोकसभा पंजाब समस्या को नहीं सुलझा सकी। हम नवीं लोकसभा को पंजाब मसले की एक बड़ी जटिल समस्या विरासत में देने जा रहे हैं। हम इसके गठन के बारे में नहीं जानते। यदि संविधान के 59वें संशोधन

की समयावधि और नहीं बढ़ाई जाती तो हम एक संवैधानिक गतिरोध में फंस जाएंगे। अतएव, शीघ्र ही इसका समाधान ढूंढा जाना चाहिए।

आज स्थिति क्या है? आप किसी से बात नहीं कर सकते। दुर्भाग्यवश, श्री बरनाला को, जिनकी 1987 में राष्ट्रपति के अभिभाषण में अत्यधिक प्रशंसा की गई थी, मई 1987 में बर्खास्त कर दिया गया। अब वे विश्वास के योग्य नहीं हैं। वे अब संघ सरकार से बातचीत करने की स्थिति में भी नहीं हैं। इसके अतिरिक्त सर्वश्री बादल, तोहड़ा और सिमरनजीत सिंह मान हैं। श्री मान के विरुद्ध षड्यंत्र का आरोप है, एक बड़ा आरोप जो उनके विरुद्ध साढ़े चार वर्ष का समय बीतने के पश्चात् लगाया गया हैं। यह मामला भी सिखों की आत्मा के भर रहे घावों को ताजा कर रहा है। जैसा कि रामूवालिया जी ने कहा है, इस केस के लिए प्रत्येक गांव में धन एकत्रित किया जा रहा है। एक तरफ यह केस और दूसरी तरफ श्री बरनाला के साथ किया गया व्यवहार हो तो क्या कोई व्यक्ति सिखों की ओर से संघ सरकार से बात करने आएगा? अब सिखों के नेतृत्व को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। और दूसरी ओर जहां तक हरियाणा सरकार का संबंध है, आप उनके महत्वपूर्ण व्यक्ति, श्री देवीलाल जी से बातचीत भी नहीं करते हैं। इसलिए आज स्थिति यह है कि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं है जिसके साथ आप समाधान ढूंढने के लिए बात कर सकें।

प्रधान मंत्री ने एक कार्यक्रम की घोषणा की है। दुर्भाग्यवश, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस कार्यक्रम पर कोई बात करने को तैयार नहीं है।

अब अपने आपको कठिन स्थिति में पाकर आपने पंचायत चुनावों की घोषणा कर दी है मानो सरपंच आपसे बातचीत करने जा रहे हैं। क्या सरपंचों का यह नया नेतृत्व पंजाब की ओर से बातचीत करेगा और एक समाधान प्रस्तुत करेगा? यह एक असंभव बात है कि सरपंच आपको कोई समाधान प्रस्तुत करने की स्थिति में होंगे तथापि आप पंचायत चुनावों के खतरे को समझने में असमर्थ हैं। हमें आंध्रप्रदेश में इसका अनुभव है। वहां नक्साली लोग आदेश देते हैं···(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब कृपया अपने भाषण को समाप्त कीजिए।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : महोदय यदि मैं विवेकपूर्ण बात कह रहा हूं तो आप मुझे बोलने दीजिए।

सभापति महोदय : मैं इस बात से सहमत हूं कि आप सदैव विवेकपूर्वक बातें करते हैं परन्तु हमारे पास समय की कमी है।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : फिर आपको मुझे अनुमति देनी चाहिए, अन्यथा इस चर्चा और इस बातचीत का कोई मतलब नहीं होगा।

सभापति महोदय : नहीं, हमारे पास समय की कमी है।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : आपने अन्य व्यर्थ बातों में बहुत सा समय गंवाया है। मैं पांच मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दूंगा।

सभापति महोदय : कृपया अपने भाषण को समाप्त कीजिए।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : महोदय, हमने आन्ध्र प्रदेश में अनुभव प्राप्त किया है। वहां नक्सलवादी

[श्री ई० अय्यपू रेड्डी]

आदेश देते हैं और यह कहते हैं कि अमुक व्यक्ति को सरपंच चुना जाना चाहिए। अब हमारे मित्र पूछ रहे थे कि यदि पंजाब चुनावों में उग्रवादी और आतंकवादी लोग हस्तक्षेप कर सकते हैं तो आप विधान सभा चुनावों और संसदीय चुनावों के लिए कैसे आग्रह कर रहे हैं। संसद और विधान सभाओं के चुनाव क्षेत्र बहुत बड़े होते हैं, गांवों के चुनाव क्षेत्र बहुत छोटे होते हैं जहां एक अथवा दो आतंकवादियों के आने से लोग आतंकित हो जाएंगे। अत: छोटे चुनाव क्षेत्रों में लोगों को एक सरपंच बनाने के लिए आतंकित करना सदैव संभव है। आन्ध्रप्रदेश में नक्सलवादियों के प्रभावी क्षेत्रों में हमारा ऐसा अनुभव रहा है। करीमगंज जिले में नक्सलवादी आकर यह कहते है कि अमुक व्यक्ति को सरपंच चुना जाना चाहिए और उसी व्यक्ति को सरपंच चुना जाता है। अत: पंचायत चुनावों से आपको इसका समाधान ढूंढने का कोई तरीका नहीं मिलेगा जबकि दूसरी ओर इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। आपने इसके हानि-लाभों का उचित अध्ययन नहीं किया है और उन्हें भली प्रकार नहीं समझा है। अत: वहां विधान सभा चुनाव कराना आपके लिए नितान्त आवश्यक है। और वहां के राज्यपाल महोदय यह कहते हैं कि वह यह सिफारिश करते हैं कि वहां राष्ट्रपति शासन असंवैधानिक आधार पर जारी रहना चाहिए और वहां कोई भी दल स्थाई सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होगा। यह बात पूर्णतया अवांछनीय और असंवैधानिक है और इसीलिये यदि आपके लिए इस अवधि को बढ़ाना आवश्यक है तो कृपया इसे तीन महीनों से अधिक समय के लिए मत बढ़ाइये, इस समय के अन्दर ही वहां चुनाव आयोजित कराइये ताकि वहां एक निर्वाचित सरकार बन सके जिससे आप बातचीत कर सकें और जो पंजाब समस्या का समाधान ढूंढने की स्थिति में हो।

श्री महेश्वर तांती (कलियाबोर) : महोदय, सबसे पहले मैं पंजाब में राष्ट्रपति शासन का विरोध करता हूं क्योंकि वास्तविकता यह है कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिए राज्यपाल द्वारा दिया गया आधार सन्तोषजनक अथवा स्वीकार्य नहीं है। राज्यपाल महोदय वहां की स्थिति कैसे जान सकते हैं और कैसे यह कह सकते हैं कि वहां की स्थिति अनुकूल नहीं है और पंजाब में कोई भी दल पूर्ण बहुमत प्राप्त करके सरकार नहीं बना सकता? वह कम्प्यूटर नहीं हैं। अब वे राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत वहां क्या कर रहे हैं? वे आतंकवादियों को भड़का रहे हैं। वहां लोग ऊब चुके हैं और डर के कारण अपने स्थानों को छोड़ रहे हैं। पंजाब में 'पुलिस राज' है।

महोदय, हाल ही में मेरे राज्य में पुलिस के कहने पर, असम-नागालैंड सीमावर्ती क्षेत्र में राजापुखरी में, 20 व्यक्तियों को मार दिया गया और उनके घरों में आग लगा दी गई। पंजाब में भी निर्दोष व्यक्तियों की हत्या की जाती है। यदि किसी मामूली केस में भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो सरकार यह कहती है कि वह व्यक्ति आतंकवादी है और यदि वह आतंकवादी है तो मुझे यह कहना चाहिए कि यहां भारत सरकार भी एक बहुत बड़ी आतंकवादी है। आपके पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। पंजाब समस्या का समाधान करने के उपायों का पता लगाने के लिये आप विरोधी पक्ष के सदस्यों को अपने विश्वास में नहीं लेते हैं। आप लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकारों को गिराने में दक्ष हैं। हाल ही में आपने कर्नाटक में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को गिराया है और आप अन्य राज्यों में भी गैर कांग्रेस आई सरकारों को गिराने का प्रयास सरकारों को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। आप केवल राज्यपाल पर ही निर्भर कैसे रह सकते हैं? (व्यवधान) आप पंजाब समस्या का समाधान कैसे ढूंढेंगे? आपको इसके समाधान के तरीके ढूंढने होंगे। बाढ़ राहत आदि कार्यों के लिए 150 करोड़ रुपये की अदायगी करने और पंजाब के लोगों के

लोगों से लिए (पैकेज) एक मुश्त रियायतों की घोषणा करने से ही काम नहीं चलेगा। अब पंजाब में लाभभोगी व्यक्ति कौन हैं ? वहां के उच्चाधिकारी ही वास्तविक लाभभोगी हैं और वे वहां के लोगों को आतंकित कर रहे हैं। महोदय, हमारा देश एकसभ्य देश है और एक सभ्य समाज में कानून का शासन होना चाहिए। पुलिस के कहने पर नाबालिग लड़कियों पर भी अत्याचार किये जाते हैं। मेरे मित्र ने अभी यह उल्लेख किया है। उनका कोई दोष न होने पर भी उन्हें गिरफ्तार किया गया और उन्हें बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया। हम यह जानते हैं कि हमारे जैसे सभ्य देश में आतंकवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। परन्तु क्या आपके पास पंजाब समस्या का कोई समाधान है ? क्या आप इस ज्वलन्त समस्या का समाधान करने के उपाय ढूंढने के लिए लोगों को अपने विश्वास में लेते हैं ? केवल पंजाब में ही नहीं अपितु सम्पूर्ण देश में स्थिति चिन्ताजनक है। जगह-जगह पर गम्भीर घटनायें घटित हुई हैं। मैं नहीं जानता कि क्या सरकार खुले मन से इसका समाधान करेगी। अत: मैं सरकार को यह चेतावनी देता हूं कि यदि वे केवल एक मुश्त रियायतों की घोषणा करना और पंचायत विधेयक जैसे विधेयकों को पारित करना और पंचायत चुनाव कराना ही जारी रखेंगे तो यह एक अच्छी बात नहीं है। आपको खुले मन से लोकतांत्रिक ढंग से समस्या का समाधान करना चाहिए। केवल तभी आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं अन्यथा नहीं।

सभापति महोदय : अब गृह मंत्री महोदय अपना भाषण दे सकते हैं।

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : सभापति महोदय, मैं वास्तव में माननीय सदस्यों का आभारी हूं···

डा० दत्ता सामन्त (बम्बई दक्षिण मध्य) : महोदय आप कृपया इस विषय पर बोलने के लिए हमें भी कुछ समय दीजिए।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय के भाषण के बाद मैं आपको अवसर दूंगा।

डा० दत्ता सामन्त : आपने मुझे बोलने की अनुमति नहीं दी है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा। आप कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइये।

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : यह अन्तिम उत्तर है और आप हमें बोलने का कोई अवसर नहीं दे रहे हैं।

सभापति महोदय : इसका तृतीय वाचन भी होना है। मैं आपको उस समय अवसर दूंगा। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइये।

सरदार बूटा सिंह : महोदय, ऐसा नहीं है कि हम पंजाब में राष्ट्रपति शासन ही चाहते हैं ···**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मुझे खेद है कि इसका तृतीय वाचन नहीं होगा।

(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : सभापति महोदय, क्या मैं आपसे यह अनुरोध कर सकता हूं कि आप कृपया उन्हें दो-दो मिनट का समय दीजिए ताकि हम उनकी बातों का भी उत्तर दे सकें।

सभापति महोदय : ठीक है। मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करूंगा कि वे इस स्थिति में

यह न कहें कि वे बोलना चाहते हैं। यदि आप बोलना चाहते थे तो आपको पहले ही यहां उपस्थित होना चाहिए था। परन्तु जब भी आपका जी चाहता है आप यहां आते हैं और बोलना चाहते हैं। यह क्या है ?

श्री अमर राय प्रधान : आप हमें इस बारे में बोलने का एक अवसर दीजिए।

सभापति महोदय : आपका नाम यहां नहीं है। आपके दल के सदस्य भाषण दे चुके हैं। ठीक है मैं आपमें से प्रत्येक को दो मिनट का समय दूंगा। अब श्री काबुली भाषण दे सकते हैं। श्री काबुली आप दो मिनट से अधिक समय मत लीजिए।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : महोदय भाषण के आरम्भ में ही मुझे यह कहना होगा कि पंजाब की समस्या का कश्मीर से सीधा सम्बन्ध है क्योंकि कश्मीर में पर्यटन और विकास सड़क और संचार सभी कुछ पंजाब से प्रभावित होता है। अतः पंजाब समस्या के राजनैतिक समाधान के बिना हमारा विकास संभव नहीं है।

महोदय, हमारी समस्या के समाधान में रुचि है परन्तु आपको पंजाब के नम्र राजनीतिज्ञों से इस बारे में बातचीत करनी चाहिए। महोदय वहां राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने से कोई लाभ नहीं होगा और राज्यपाल का यह तर्क मान्य नहीं है कि वहाँ किसी एक दल के लिए सरकार बनाना संभव नहीं है। यह उनका सिरदर्द नहीं है। यह पूर्णतया उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है। मेरा अभिप्राय यह है कि यह बात लोगों की इच्छा पर निर्भर करती है। यदि वहां कोई एक दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है तो बहुत से दल मिलकर सरकार बना सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि केवल एक ही दल बहुमत में होना चाहिए।

महोदय पंजाब के लोग अत्यन्त दुखी हैं और स्वर्गीय श्रीमती इन्दिराजी ने यह कहा था कि हमें उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करनी चाहिए। आज यह पंजाब की शिकायत है और पंजाबी लोग हर जगह अवमानित महसूस कर रहे हैं और हम जानते हैं कि पंजाब के पड़ोसी राज्यों में पुलिस द्वारा अत्याचार किये गये हैं और बलात्कार और आगजनी की घटनायें घटित हुई हैं। हमारे देश जैसे एक लोकतान्त्रिक देश में यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पंजाब में नकली मुठभेड़ों के बहुत से उदाहरण हैं। ठीक है, ये शिकायतें आई हैं और आपको उनकी बात सुनकर इस बारे में कुछ समाधान ढूंढ़ना चाहिए और अपने आपको निर्दोष सिद्ध करना चाहिए। इस बारे में गहराई से जांच करना गृह विभाग का उत्तरदायित्व है। अन्यथा देश के बाहर को बहुत सी शक्तियां हमारे विरुद्ध इसका उपयोग कर रही हैं। इससे सम्पूर्ण विश्व के राष्ट्रों की राजनीति में हमारी छवि खराब हुई। अतः मैं यह अनुरोध करता हूं कि टोहरा, बादल और अन्य राजनीतिज्ञ व्यक्तियों को छोड़ दिया जाना चाहिए। आखिरकार वे नम्र व्यक्ति रहे हैं और हमें सहयोग देते रहे हैं। यदि इस बारे में कोई समस्या है तो उसका समाधान किया जा सकता है परन्तु समस्या का समाधान केवल यह है कि इस समस्या का राजनैतिक समाधान किया जाये और पंजाब में सभी बन्दियों को मुक्त करके उनसे सीधे बातचीत करके ऐसा किया जा सकता है।

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : सभापति महोदय, पंजाब में राज्यपाल का शासन अथवा राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। ऐसा करने से तो यही प्रतीत होता रहेगा कि अन्ततः पंजाब में पुलिस का आतंकवाद और अधिक बढ़ेगा तथा हत्याएं और अधिक

होंगी। यह एक राष्ट्रीय समस्या है; हमें राष्ट्रीय दृष्टिकोण भी रखना चाहिए। लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद है कि केन्द्र सरकार का दृष्टिकोण राष्ट्रीय नहीं है। चुनाव आयुक्त के फैसले के अनुसार, एक राष्ट्रीय पार्टी होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का दृष्टिकोण राष्ट्रीय नहीं है। यदि आप समाचार-पत्र देखें तो पाएंगे कि पंजाब के मसले पर हरियाणा कांग्रेस का कुछ मत है, पंजाब कांग्रेस का दूसरा मत है। और चंडीगढ़ का भी भिन्न मत है। यह एक कटु सत्य है।

महोदय, यह राजनैतिक समस्या है। इस समस्या का समाधान करने के लिए हमें राजनैतिक समाधान ढूंढ़ना चाहिए। कल, मैंने माननीय गृह मंत्री के भाषण को पढ़ा था, वे इस बात से संतुष्ट हैं कि स्थिति सुधरी है तथा कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है। महोदय, अभी कुछ दिन पूर्व अर्थात् 7 तारीख को पंजाब में 30 हत्याएं हुई हैं। आपने बरनाला सरकार को इस मुद्दे पर बर्खास्त किया था कि 1987 में एक सप्ताह के अन्दर 79 हत्याएं हुई थी। 12 मई, 1987 से 31 जनवरी, 1989 तक के दो वर्षों में 2,688 हत्याएं हुई और मैं समझता हूं कि अभी तक 3,000 या 4,000 से अधिक हत्याएं हुई हैं। यह कटु सत्य है। मैं पंचायत चुनावों के बारे में एक बात कहता हूं कि आग में घी मत डालिए, पंजाब में पंचायत चुनाव कराने का प्रयास मत कीजिए। आप अन्य विभिन्न राज्यों में अनेक प्रयोग कर सकते हैं। आप ऐसा महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार में कर सकते हैं लेकिन ऐसा पंजाब में मत कीजिए। यदि आप ऐसा करना ही चाहते हैं तो इन चुनावों को विधान सभा चुनाव के रूप में कीजिए। हम चाहते हैं कि इसमें आम जनता को सम्मिलित करने का कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए।

4.57 म०प०

[श्रीमती बसवराजेश्वरी पीठासीन हुईं]

सभापति महोदया, क्या मैं एक बात जान सकता हूं ? मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री से जन अभियान कार्यक्रम के बारे में पूछना चाहता हूं। हमने जन अभियान कार्यक्रम शुरू किया है। मेरी पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी हो सकती है लेकिन हमने दूसरी राजनैतिक पार्टियों, अकाली दल (लोंगोवाल) पार्टी के साथ जन अभियान कार्यक्रम शुरू किया है। मुझे याद है कि हमने यह जन अभियान कार्यक्रम 28 फरवरी, 1987 को शुरू किया था। हमने इसे चंडीगढ़ से शुरू किया है। इस एक बैठक के बाद, आपने इसे रोक दिया है। क्या मैं इसका कारण जान सकता हूं; आपने इसे क्यों रोका है ? मैं जानता हूं कि आपने उस समय सोचा था कि जन अभियान कार्यक्रम अनिवार्य नहीं है। कांग्रेस पार्टी और आपकी पार्टी के पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण आपने इसे रोका है। आपने यही उचित समझा कि राज्यपाल का शासन पर्याप्त है। यह राज्यपाल जनता के विरुद्ध आरोप लगा रहे हैं और उन्होंने कहा कि पंजाब में राजनैतिक पार्टियां महत्वहीन हैं। उन्होंने कहा कि लोक सभा के चुनावों से पहले पंजाब समस्या का समाधान नहीं हो सकता। श्री एस० एस० राय कैसे भविष्य वक्ता हैं। वह कहते हैं कि लोक सभा के चुनावों से पूर्व पंजाब समस्या का समाधान नहीं हो सकता। यदि कोई राजनैतिक पार्टी अप्रासंगिक हो गई है तो मेरे अनुसार वह कांग्रेस (आई) पार्टी ही है जो कि अप्रासंगिक हो गई है। वे यह सब कहकर चाहते थे कि पंजाब में तानाशाही जारी रहे। हम इसकी निन्दा करते हैं। मुझे पता है कि इस राज्यपाल ने चंडीगढ़ से महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मूर्तियां हटाकर अपना कार्य शुरू कर दिया है।

सरदार बूटा सिंह : नहीं, यह सही नहीं है।

श्री अमर राय प्रधान : हां, उन्होंने हटाया है; आप इसकी जांच कराकर पता लगा सकते हैं।

[श्री अमर राय प्रधान]

महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मूर्तियां सड़क के साथ लगाई गई थी। मुझे नहीं पता कि यह राज्यपाल के क्षेत्र में थीं या प्रशासक के क्षेत्र में थीं, लेकिन उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मूर्तियां हटा दी जाएं।

श्री अजीज कुरशी (सतना) : बंगाल के मुद्दों का हल पंजाब में मत ढूंढिये। आप इन्हें बंगाल में ही छोड़ दें।

श्री अमर रायप्रधान : फिलहाल, इन्हें हटाना उनके क्षेत्राधिकार में नहीं है। लेकिन उन्होंने इन्हें हटाने का दु:साहस किया।

5.00 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैं समझता हूं कि जोधपुर बन्दियों को रिहा करके उन्हें दूसरी जेल में डाल देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। यदि आप अकाली नेताओं से वार्ता करना चाहते हैं तो श्री बादल को तुरन्त रिहा कर दीजिए।

यह एक राजनैतिक समस्या है। हमें कम से कम पंजाब में तुच्छ राजनीति को भूल जाना चाहिए। चाहे हम किसी भी पार्टी से संबंधित हों, हमें एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और पंजाब की समस्या के समाधान के लिए संगठित हो जाना चाहिए। राजीव लोंगोवाल समझौते को लागू करना तथा जन प्रचार भी आवश्यक है। यही एकमात्र समाधान है।

डा० दत्ता सामंत (बम्बई दक्षिण मध्य) : महोदय, यह पांचवीं बार हो रहा है जबकि सरकार ने पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। हम हर बार वही आश्वासन सुनते आ रहे हैं। यदि यह पूछा जाए कि आपने पंजाब में सामान्य स्थिति लाने के लिए कौन सी राजनैतिक, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का विकास किया है तो मैं समझता हूं कि इस प्रश्न का सरकार के पास कोई उत्तर नहीं है। पुलिस बलों तथा अर्द्ध-सैनिक बलों के होते हुए भी आतंकवादियों द्वारा लोगों की हत्याएं बढ़ी हैं। दिन के समय तो पुलिस लोगों को परेशान कर रही है और रात के समय आतंकवादी लोगों को परेशान कर रहे है। लोग पंजाब में धमकी के माहौल में रह रहे हैं। सरकार ने राजनैतिक प्रक्रिया प्रारम्भ हो, यह सुनिश्चित करने के लिए पिछले दो वर्षों में क्या कार्यवाही की है? अब पंचायत चुनाव होंगे जिन्हें मई से स्थगित करके सितम्बर में कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि अचानक हर कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया, पंचायती राज, पंच आदि सब बातें करने लगा है। मैं समझता हूं कि इस समय जहां तक पंजाब का संबंध है, यह अत्यंत खतरनाक प्रस्ताव है।

सरदार बूटा सिंह : श्रमिक यूनियनों का राज होना चाहिए।

डा० दत्ता सामंत : पहले ही ऐसी खबरें आ चुकी हैं कि आतंकवादियों ने आपके सभी लोगों, कांग्रेसियों तथा अन्य लोगों को ये धमकियां देनी शुरू कर दी है कि उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। जब फार्म भरे जाएंगे तो जैसे कि श्रीलंका में हुआ, दो या तीन उम्मीदवार मारे जाएंगे और सभी अपने नामांकन वापस ले लेंगे।

तीसरी बात यह है कि उन्होंने कहा है कि अब आतंकवादी राजनीतिज्ञों से अलग पड़ते जा रहे

हैं और कोई भी उनका स्वागत नहीं कर रहा है। लेकिन मैं नहीं समझता कि चुनावों के समय कांग्रेस या कोई अन्य पार्टी पंचायत चुनाव लड़ पाएगी। ऐसा इसलिए है कि यदि आतंकवादियों द्वारा दो या तीन उम्मीदवारों की हत्या कर दी जाती है तो हर व्यक्ति अपना नाम वापस ले लेगा। तब ये खालिस्तानी, आतंकवादी और उनके समर्थक राजनैतिक प्रक्रिया पर हावी हो सकते हैं और तब आप एक और समस्या उत्पन्न कर देंगे। माननीय गृह मंत्री पहले ही पंजाब समस्या को हल किए बगैर ही अनेक वर्ष बर्बाद कर चुके है। हमने जो कुछ भी चर्चा की उसके बावजूद समस्या बढ़ती ही रही। इसलिए इस प्रक्रिया से कोई लाभ नहीं होगा।

राज्यपाल श्री एस० एस० राय ने कहा है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति एकदम ठीक है। मैं ऐसा नहीं समझता। लोग पुलिस से उकता गए हैं। लोग आतंकवादियों से भी उकता गए हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि पंजाब में कोई अन्य पार्टी या राजनैतिक प्रक्रिया विद्यमान है। यहां तक कि बैंकों की जमाराशि भी कम हुई है। यह औसत से 30% कम है और लोगों का कामकाज भी कम हो गया है। ऐसी स्थिति है।

राज्यपाल ने कुछ दिन पूर्व एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया था और स्वयं यह कहा था कि राजनैतिक समाधान ही एकमात्र समाधान है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि फ़िलहाल इस समाधान की पंजाब में कोई संभावना नहीं है अथवा यह समाधान आगामी लोक सभा चुनावों तक नहीं होगा। वह यह घोषणा पहले ही कर चुके थे कि बन्दी बनाए गए अकाली नेता श्री प्रकाश सिंह बादल को रिहा नहीं किया जाएगा। यह देखिए कि वह किस प्रकार से दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे हैं और निर्भीक वक्तव्य और अपने निर्णय दे रहे हैं। लोग आतंकवादियों से तंग आ चुके हैं। लेकिन सत्ताधारी पार्टी के ये लोग राजनैतिक प्रक्रिया शुरू करने के पक्ष में नहीं हैं। आतंकवादी और खालिस्तान समर्थक भावनाएं तथा धर्मान्ध लोग निश्चित रूप से हावी होंगे क्योंकि आपके देश में यही लोकतन्त्र की प्रक्रिया है, धार्मिक कट्टरपंथी सदैव ही हावी रहे हैं और पंजाब में ऐसा ही होने जा रहा है।

मेरे विचार से लन्दन में पिछले महीने खालिस्तान के समर्थन में एक सम्मेलन हुआ था और इसमें अनेक देशों से काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया था। उन्होंने कुछ संकल्प पारित किये थे। पहला संकल्प यह था कि भारतीय उग्रवादी अपना कार्य तब तक जारी रखें जब तक कि खालिस्तान की मांग पूर्ण न हो जाए। इसके अतिरिक्त, पाकिस्तान खालिस्तान के साथ है और पाकिस्तान खालिस्तान को मान्यता दे देगा। एक तीसरा प्रस्ताव भी पारित किया गया था। इस बैठक में अफगान विद्रोही मुजाहिदीन भी इस बैठक में सम्मिलित हुए थे। यदि वे अफगानिस्तान में चुने जाते है तो वे खालिस्तान को मान्यता दे देंगे। यह समाचारपत्रों तथा बी० बी० सी० में तथा हर जगह प्रसारित की गई है।

आप कम से कम संसद और लोगों को यह बताएं कि आपने क्या किया है और वे ऐसे सम्मेलन को अनुमति क्यों दे रहे हैं तथा किस प्रकार का प्रचार किया जा रहा है। माननीय मंत्री जो भी वायदे और आश्वासन देने जा रहे हैं उनके प्रति सद्भावना का प्रश्न ही नहीं है। यह सरकार पंजाब के बारे में किए गए किसी भी आश्वासन को लागू करने में बुरी तरह विफल रही है। इसके विपरीत, यह सरकार धर्मान्धता को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है और इसलिए यह काम नहीं कर रही है।

इसलिए मैं मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत इस संकल्प का विरोध करता हूं।

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरफ से कभी भी ऐसी कोई बात नहीं थी कि हम पंजाब में राष्ट्रपति शासन हमेशा बनाये रखना चाहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि

[सरदार बूटा सिंह]

अधिकांश माननीय सदस्यों ने इस विचार से अपनी बात कही है कि हम पंजाब में राष्ट्रपति शासन हमेशा के लिए बनाये रखना चाहते हैं।

पंजाब का विगत पांच या छ: वर्षों का इतिहास अत्यन्त गम्भीर घटनाओं का इतिहास है। देश की एकता को खतरा था। पंजाब में अभूतपूर्व हिंसा फैली हुई थी जो अभी भी जारी है। निर्दोष लोगों की हत्याएं हुईं और सम्पत्ति का नुकसान हुआ। पंजाब में युद्ध जैसी परिस्थितियां पैदा हो गई थीं, पंजाब की जनता ने बड़े साहस से स्थिति का सामना किया और अपनी जान पर खेलकर भी देश की एकता और अखण्डता की रक्षा करके अपना अनुकरणीय संकल्प प्रदर्शित किया। यह ऐसा बात है जिसकी इस सभा में पहले भी प्रशंसा हुई है और इसके लिए सरकार और पंजाब के अन्य राजनैतिक तत्व, जो आतंकवाद, धार्मिक रूढ़िवाद और अलगाववाद का मुकाबला करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि में कि प्रत्येक व्यक्ति को पंजाब में विगत तीन या चार वर्षों, विशेषत: राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद से घट रही घटनाओं को समझना है। श्री बरनाला की सरकार के बारे में बहुत कहा जा चुका है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि हमने उस समय श्री बरनाला का समर्थन किया था जबकि उनका दल अस्थिर हो रहा था और वह अल्पमत में जा रहे थे, तब देश ने सोचा कि वह राष्ट्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हमें उनका समर्थन करना चाहिए। यहां तक कि राष्ट्रपति ने भी, रूढ़िवादी ताकतों को सामान्य जीवन से अलग रखकर देश की एकता और अखण्डता के प्रति उनकी प्रशंसनीय भूमिका का उल्लेख किया था। परन्तु जब स्थिति वास्तविक नियन्त्रण से बाहर होने लगी और आतंकवादियों को सरकारी क्षेत्रों से पनाह मिलने लगी, उस समय ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि कुछ अधिकारियों और सत्ता के कुछ लोगों की मिलीभगत से आतंकवादियों को केवल प्रोत्साहन की नहीं बल्कि सम्मान भी मिलने लगा था। इसके विपरीत, सामाजिक सुधारों की आड़ में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर एक अभियान चल रहा था और जनता को एक समूह के लोगों की इच्छाओं और इरादों के अनुसार कार्य करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। सरकारी अधिकारियों पर रोक लगा दी गई थी, गांवों में उनके प्रवेश पर भी रोक लगाई गई थी। गाँव के प्रवेश स्थान पर एक बोर्ड लगा दिया गया था कि किसी भी सरकारी अधिकारी को गांव में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसी परिस्थितियों में हमें यह कठोर कार्यवाही करनी पड़ी थी। कोई भी सरकार, चाहे वह केन्द्र की हो या राज्य की, राष्ट्रपति शासन बनाये रखने में बहुत खुश नहीं होती क्योंकि वहां लोकप्रिय सरकार बनाई जानी चाहिए, यहां तक कि पंजाब विधान सभा के विगत चुनाव की बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। मुझे याद है कि विपक्ष के माननीय सदस्य वहां की विधान सभा के चुनाव कराने के पक्ष में नहीं थे। उस समय पंजाब की जनता, राजनैतिक तत्वों और कुछ राजनैतिक दलों ने बड़े जोर-शोर से कहा था कि स्थिति विधान सभा के चुनाव कराने के अनुकूल नहीं है। भारी जोखिम और बड़ी कीमत चुकाकर चुनाव कराए गए। पंजाब की जनता ने निर्णय दिया और उस समय एक सरकार चुनी गई—मैं श्री अय्यपू रेड्डी और अपने साथी श्री तांती, जो उपस्थित नहीं हैं, को याद दिलाना चाहता हूं—हम कभी अपने राजनैतिक दल के लिए राजनैतिक लाभ उठाने की भावना से प्रेरित नहीं हुए। यह पंजाब की जनता को अपनी सरकार चुनने के लिए अवसर प्रदान करने हेतु सच्चा और सामान्य कर्तव्य था। एक सरकार बनी। सरकार ने कुछ अच्छे कार्य भी किये। परन्तु साथ ही मुख्य आग, जिसमें बड़ी संख्या में निर्दोष लोग झुलस रहे थे, नहीं बुझाई जा सकी। इसके विपरीत, यह वहां स्थायी रूप लेने का प्रयास कर रही थी। जैसा कि मैंने पहले कहा है, आतंकवादियों और धार्मिक

रूढ़िवादियों को अमृत प्रचार के नाम से सम्मानित किया जा रहा था। इस सम्मानित सभा को जानना चाहिए कि अमृत प्रचार सिखों का बड़ा पवित्र, समारोह है। प्रत्येक सिख के लिए अमृत चखना जरूरी है। परन्तु पंजाब में अमृत प्रचार अलगाववाद की भावना पैदा करने के लिए किया जा रहा था। आखिरकार, सिख कहां से आते हैं? अधिकांश हिन्दू अमृत चखते हैं। वे सिख हो जाते हैं। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। सिख रीति के अनुसार, प्रत्येक हिन्दू परिवार में कम-से-कम एक बच्चे को अमृत चखाया जाता था। यही अमृत प्रचार है। परतु अब अमृत प्रचार को एक नया मोड़ दिया जा रहा था जैसे कि भारत और शेष देश के विरुद्ध कोई सेना खड़ी की जा रही है। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया तब राज्य में इस प्रकार की स्थिति विकसित हो रही थी। आज जब मैं सभा के समक्ष खड़ा हूं तो मुझे यह बताने में खुशी है कि उस तरह की प्रवृत्ति पूरी तरह दबा दी गई है। यदि स्थिति में कोई सुधार हुआ है तो उस पक्ष के अकाली दल के मेरे साथी अनुभव करेंगे कि आज हम पंजाब में यह सकारात्मक उपलब्धि देख रहे हैं। आज पंजाब में अमृत प्रचार अथवा तथा-कथित समाज सुधारों के नाम से ऐसा कोई आंदोलन नहीं चल रहा है जिससे लोगों को देश के बहु-संख्यक समुदाय अर्थात हिन्दुओं के विरुद्ध भड़काया जा रहा हो या भारतीय नागरिकता के अलावा अलगाववाद जैसी कोई बात कही जा रही हो। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रवृत्ति को दबा दिया गया है तथा इस पर नियंत्रण पा लिया गया है यह एक महान उपलब्धि है।

महोदय, इसका अनुभव केवल वे ही लोग कर सकते हैं जो पंजाब के सामाजिक ढांचे को जानते हैं। मुझे विश्वास है कि श्री काबुली इसे जानते होंगे। मैं श्री अय्यपू रेड्डी को दोष नहीं देता क्योंकि वह पंजाब के वर्तमान घटनाक्रम के बारे में नहीं जानते हैं। वह आन्ध्र प्रदेश के नक्सलवादियों के बारे में बोले हैं। क्या मैं श्री अय्यपू रेड्डी को थोड़ी-सी सलाह दे सकता हूं? आन्ध्र प्रदेश में भी नक्सलवाद, माननीय मुख्य मंत्री के अनभिप्रेत वक्तव्यों, जैसे "नक्सलवादीहमारे बहादुर भाई हैं", के माध्यम से नक्सलवादियों को सम्मान मिलने के कारण ही फैला है। जब ये बहादुर भाई स्थिति को अपने हाथों में ले लेते हैं तो वे मुख्य मंत्री के लिए सिर दर्द बन जाते हैं। उनके लिए उन्हें रोकना बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए, इस तरह की प्रवृत्ति या इस प्रकार के वक्तव्यों से, जिनसे इन तत्वों को सम्मान मिलता है, सम्पूर्ण राज्य तथा समूची जनता के लिए समस्या बन जाते हैं। इसलिए क्या मैं श्री अय्यपू रेड्डी से अपनी सलाह दुहरा सकता हूं? मैं कहना चाहता हूं कि आन्ध्र प्रदेश में इन तत्वों को किसी प्रकार का सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए। उनके साथ उसी तरह से निपटा जाए जिस तरह की भाषा वे समझते हैं। उन्हें हिंसा छोड़कर सुधर जाना चाहिए तथा भारत के संविधान को स्वीकार करना चाहिए। यदि वे क्रान्ति करना चाहते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश ने शेष विश्व को दिखा दिया कि हम महात्मा गांधी के नेतृत्व में अत्यधिक शान्तिपूर्ण ढंग से अहिंसा के द्वारा तत्कालीन शक्तिशाली सरकार को पराजित कर सके। जी हां, हमें ग्रामीण क्षेत्रों में क्रान्तिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है। कौन कहता है कि जनजातियों का शोषण नहीं होता है? कौन कहता है कि कमजोर वर्गों तथा कृषि मजदूरों का शोषण नहीं होता है? मैं प्रतिवाद के किसी भय के बिना कहता हूं कि भूमिहीन मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी कहां दी जा रही है? मैं यह जानना चाहता हूं। उनका बड़े पैमाने पर शोषण किया जा रहा है। परन्तु उस शोषण को शान्तिपूर्ण तथा संवैधानिक तरीकों से ही समाप्त किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : कितने वर्षों में?

सरदार बूटा सिंह : खैर, यह संघर्ष काफी दिनों तक चल सकता है। परन्तु हम रक्तपात से घृणा करते हैं। महात्मा गांधी ने हिंसा के माध्यम से प्राप्त होने वाली स्वतंत्रता को स्वीकार करने

[सरदार बूटा सिंह]

से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था, "यदि हिंसा से स्वतंत्रता मिलेगी तो मैं इसके बिना ही रहूंगा। मैं उसी प्रकार रहूंगा जिस प्रकार रह रहा हूं। परन्तु हिंसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।" इसलिए आपकी राज्य सरकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कब तक ? यदि मार्क्सवादी सरकार अपने राज्यों में इन क्रान्तिकारी परिवर्तनों को सुनिश्चित नहीं कर सकती··· (व्यवधान)···

श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी (नवद्वीप) : क्या संविधान के अन्तर्गत ?

सरदार बूटा सिंह : जी हां, संविधान के अन्तर्गत। संविधान के अन्तर्गत वे सत्ता में आए हैं। वे कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणापत्र द्वारा सत्ता में नहीं आए हैं। परन्तु हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि वे कितने क्रान्तिकारी हैं। वे बिल्कुल भिन्न नहीं हैं। दुर्भाग्य की बात है कि समाज के प्रमुख वर्ग, प्रत्येक सत्ताधारी को प्रभावित करना चाहते हैं। मैं यही बात कहता हूं। इसलिए पंजाब में यदि तथा-कथित सुधारवादी आंदोलन वास्तव में सुधारवादी आंदोलन होता तो इसे कोई नहीं रोकता। परन्तु सुधारवादी आंदोलन की आड़ में घृणा, साम्प्रदायिक विभाजन और जनता को राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग करने का उपदेश दिया जा रहा था। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये सकारात्मक उपलब्धियां हैं।

पंजाब समस्या का दूसरा पहलू आतंकवादियों और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के बीच चल रही सतत लड़ाई का है। यह बड़ी विस्फोटक किस्म की स्थिति है। इसका बड़ी सख्ती और पूरे इरादे के साथ मुकाबला किया जाएगा। मैं मानता हूं कि कुछ घटनाएं हुई हैं, उनका हमें भी पता है। कुछ क्षेत्रों और कुछ मामलों में जहां पुलिस न ज्यादतियां की हैं, सरकार द्वारा कठोर कार्यवाही की गई है तथा जहां कहीं भी सरकार को ऐसी बातें बताई गई हैं वहां बहुत से वरिष्ठ अधिकारियों को नौकरी से हटा दिया गया है। जांच की गई है और जिसे दोषी पाया गया है, उसे सजा दी गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल ने परसों जिला स्तर पर दो प्रकार की समितियों के गठन की घोषणा की है जिनमें जिले के सभी विचारधाराओं वाले राजनैतिक और अन्य व्यवसायिक लोग शामिल हैं जो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इन दोनों समितियों को (1) उस क्षेत्र के लोगों की शिकायतें सुनने तथा (2) विकास सम्बन्धी पहलू पर ध्यान देने का कार्य सौंपा गया है। पंजाब समस्या की सबसे उत्साहवर्द्धक बात यह है कि वे कड़े संघर्ष और कठिन स्थिति का सामना कर रहे हैं। हम प्रति दिन समाचारपत्रों में जान और माल को होने वाले नुकसान के बारे में पढ़ते हैं। साथ ही, पंजाबी अपनी परम्परा बनाए हुए हैं। आर्थिक क्षेत्र में भी उत्साहवर्द्धक विकास हुआ है। यदि मैं इस सम्मानित सभा को विगत तीन-चार वर्षों की कतिपय उपलब्धियों से अवगत कराऊं तो यह एक ऐसा रिकार्ड है जिस पर हमें गर्व करना चाहिए। विगत दो वर्षों के दौरान पंजाब में पर्याप्त उन्नति हुई है। सभा को इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए कि पंजाब की विकास दर, जो 1981 में दस प्रतिशत थी और वर्ष 1987 में घटकर तीन प्रतिशत रह गई थी, अब फिर बढ़ रही है। आशा है कि कृषि, बागवानी, पशुपालन, मुर्गीपालन जैसे क्षेत्रों में विशेषतः यह जल्दी ही आठ प्रतिशत हो जाएगी। जहां तक खाद्यान्न के उत्पादन का सम्बन्ध है, पंजाब की अधिकांश जनता, धान, चावल, गेहूं, तिलहन, कपास, गन्ना, चीनी, फल, सब्जियों और दूध के उत्पादन तथा मुर्गीपालन आदि कार्यों में संलिप्त है। पिछले वर्ष के भयंकरतम सूखे के दौरान, पंजाब ही एकमात्र ऐसा राज्य था जिसने अपना उत्पादन लक्ष्य पूरा किया और राष्ट्रीय पूल के लिए 3.5 मिलियन मीट्रिक टन चावल दिया। इस समय भी पंजाब में

गेहूं का 12 मिलियन मीट्रिक टन का रिकार्ड उत्पादन होगा। प्रौद्योगिकीय आयोग द्वारा तिलहनों के उत्पादन के लिए निश्चित किया गया लक्ष्य भी इसी राज्य ने पार कर लिया है। गन्ने और कपास के उत्पादन में भी उत्साहजनक वृद्धि हो रही है तथा इनकी किस्म को अब सबसे अच्छी किस्म में से एक माना जा रहा है। गत दो वर्षों में यहां 885 मैगावाट बिजली का उत्पादन हुआ है। इस अवधि के दौरान उद्योग पर 550 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। 67 नये उद्योग स्थापित किए गए हैं, इनमें से 37 तो चालू भी हो चुके हैं। विशेषतौर पर निर्माण के क्षेत्र में आर्थिक विकास के अन्य विभिन्न पहलू हैं।

औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी तीव्र गति से निवेश किया गया है। राष्ट्रपति शासन के पिछले 2 वर्षों के दौरान, 25.22 करोड़ रुपये की कुल लागत से 25,95। लघु उद्योग स्थापित किए गए हैं जिनसे 75,444 लोगों को रोजगार मिला है। मंझौले ओर भारी उद्योग स्थापित करने के लिए पंजाब औद्योगिक निगम को गत दो वर्षों के दौरान आशयपत्र के लिए 40 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 28 आशयपत्र जारी किए गए और 8 को औद्योगिक लाइसेंस में बदल दिया गया। राष्ट्रपति शासन के दौरान पंजाब की जनता द्वारा वहां की जटिलतम स्थित के बावजूद यह प्रगति की गई।

पंचायत चुनाव ओर पंजाब के राज्यपाल के कथित वक्तव्य के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। राज्यपाल द्वारा आयोजित प्रेस सम्मेलन की कार्यवाही पढ़ते समय स्वयं माननीय सदस्यों ने यह स्वीकार किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने वर्तमान स्थिति के बारे में प्रेस को जवाब दिए होंगे। कोई भी अभी यह दावा नहीं कर सकता कि पंजाब की भ्रामक स्थिति से कोई राजनैतिक हल एकदम निकल सकता है। सभी राजनैतिक दलों के सहयोग से ही इसका हल सम्भव है।

भारत सरकार द्वारा इस विषय में कार्यवाही न किए जाने के बारे में बहुत कुछ कहा गया कि सरकार पंजाब समस्या को हल नहीं करना चाहती और इसमें हमारा राजनैतिक उद्देश्य है, आदि। अनेक सदस्य, डा० दत्ता सामन्त और यहां तक कि श्री अमरराय प्रधान ने तो यहां तक कह दिया कि हम इससे अपना राजनैतिक स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। पंजाब समस्या इतनी गम्भीर है कि इसे उस तरीके से नहीं लिया जा सकता। कांग्रेस पार्टी की तो बात छोड़िए, कोई भी अन्य छोटे-से-छोटी पार्टी राजनैतिक स्वार्थों के लिए पंजाब की ऐसी विकट स्थिति का लाभ नहीं उठाना चाहेगी। हम सदैव ही पंजाब की जनता, उनके जान-माल, उनकी समृद्धि, वहां की कानून और व्यवस्था की स्थिति तथा उनकी सुरक्षा को महत्व देते रहे हैं। पंजाब समस्या के ये अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू हैं। इसीलिए वाहवाही लूटने के लिए इतनी गम्भीर स्थिति पर ऐसी हल्की टिप्पणी करना लाभदायक नहीं है।

श्री अय्यपू रेड्डी ने कहा कि पंजाब में जख्मों पर मरहम नहीं लगाया गया। उन्होंने यह भी कहा कि लोग प्रधान मन्त्री जी के आर्थिक उपायों का लाभ लेने वाले नहीं हैं। मैं श्री अय्यपू रेड्डी पर दोष नहीं लगा सकता क्योंकि उन्हें पंजाब के बारे में व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। जो कुछ भी वह अखबारों आदि में पढ़ते है, कह देते हैं। माननीय प्रधान मन्त्री द्वारा इस सम्मानीय सभा में की गई घोषणा के पश्चात् उठाए गए विभिन्न कदमों से पंजाब की स्थिति पर भारी प्रभाव पड़ा है।

श्री चरणजीत सिंह वालिया, श्री रामूवालिया और सरदार मेवा सिंह गिल ने जोधपुर में विचाराधीन कैदियों की रिहाई का जिक्र किया था। ये ऐसे मामले नहीं हैं जिन्हें इसलिए वापस लिया गया है कि वे लोग निर्दोष थे। यह एक प्रक्रिया है। यह ऐसा कदम है जिससे पंजाब की जनता यह महसूस करे कि उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा रहा है और राजनैतिक प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है हालांकि

[सरदार बूटा सिंह]

ये मामले बहुत ही गम्भीर थे। परन्तु जैसा कि माननीय प्रधान मन्त्री जी ने इस सम्मानीय सभा के माध्यम से देश को आश्वासन दिया था कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए हर सम्भव प्रयास करेंगे कि ऐसी भावना दूर हो, और इसलिए हमने यह धारणा हटाने के लिए ही यह सुनियोजित निर्णय लिया था कि जोधपुर में विचाराधीन कैदियों के विरुद्ध मामले वापस ले लिए जाएं। ऐसा नहीं है कि वे लोग निर्दोष थे, बल्कि मामले दर्ज किए गए थे और उन पर कार्यवाही की जा सकती थी। परन्तु हम इसके लिए उत्सुक थे कि ऐसी धारणा दूर होनी चाहिए और मुझे खुशी है कि जोधपुर के सभी विचाराधीन कैदी रिहा कर दिए गए। अब ऐसे 79 लोगों में से, जिनके विरुद्ध इस आरोप पर गिरफ्तार किए जाने से पूर्व भी आपराधिक मामले दर्ज थे—उन्हें भी कुछ हद तक हल किया जा चुका है—केवल 33 व्यक्तियों के मामलों की सरकार समीक्षा कर रही है। इस प्रकार जोधपुर जेल से रिहा किए गए 194 लोग अपने घरों को जा चुके हैं। पंजाब सरकार द्वारा रोके गए 70 लोगों में से केवल 33 व्यक्तियों के मामलों पर विभिन्न न्यायालयों द्वारा समीक्षा की जा रही है। इन मामलों का इस घटना से कोई सरोकार नहीं है कि उन्हें पंजाब की घटनाओं के आधार पर गिरफ्तार किया गया था।

महोदय, इसी प्रकार आपत्तिजनक भाषणों से सम्बन्धित मामलों को वापस लेने का जहां तक सम्बन्ध है, 563 मामलों में से केवल 126 मामले विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लम्बित हैं। अथवा उनकी समीक्षा की जा रही है और उन पर निर्णय लिया जाएगा। इस अवधि के दौरान हुए आपत्तिजनक भाषणों और लेखन कार्य से सम्बन्धित अधिकांश मामले वापस लिए जा चुके हैं।

महोदय, मैं अपने भाषण में पहले भी कह चुका हूं कि विदेशियों के पंजाब में प्रवेश पर लगा कानूनी प्रतिबन्ध भी हटा लिया गया है। बाहर से आने वाले लोगों और विशेषतौर पर उन विदेशियों के लिए यह एक अच्छा कदम है जो पंजाब की स्थिति स्वयं जाकर देखना चाहते हैं। यह प्रतिबन्ध 4 मार्च, 1989 को हटाया गया था। अब कोई भी व्यक्ति पंजाब में जाकर वस्तुस्थिति से अवगत हो सकता है।

विक्षुब्ध क्षेत्र अधिनियम और सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम भी पंजाब में बहुत सीमित क्षेत्र जैसे गुरदासपुर, फिरोजपुर और अमृतसर के कुछ भागों में ही इस्तेमाल किया जा रहा है, शेष सभी नौ-दस जिलों में यह हटा दिया गया है।

इसी प्रकार, जहां तक आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के प्रयोग संबंधी अनुदेशों का प्रश्न है, पंजाब सरकार मार्गदर्शी सिद्धान्तों का एक सेट दे चुकी है, जो उन्होंने विगत में जारी किये थे और अब उनका इन्हें समेकित रूप में पुन: जारी करने का विचार है। इन पर विचार किया जा रहा है और हम पंजाब सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए पहले ही हिदायत दे चुके हैं कि आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अधीन मामले दर्ज करने का निर्णय बिरले अवसरों पर तथा बहुत ऊंचे स्तर पर अधिकारियों द्वारा लिए जाने चाहिएं।

इसी प्रकार, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन पंजाब के लिए किए गए विशेष संशोधन भी वापस लिए जा चुके हैं।

महोदय, पंजाब में सबसे बड़ी बात पुलिस के कार्यकरण की है। विगत पांच वर्षों से कुछ

अधिक समय से पंजाब पुलिस को छिटपुट हिंसा की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। मार कर भाग जाने के मामलों, बैंक डकैती के मामलों, किसी परिसर में जबरदस्ती घुसने के मामलों के लिए पंजाब पुलिस कभी भी तैयार नहीं थी। इसलिए अधिक-से-अधिक अर्द्ध-सैन्य बलों को कार्यवाही में शामिल किया गया और ऐसी असामान्य स्थिति बन गई जिससे निबटने के लिए पुलिस को अधिक शक्तियां प्रदान करनी पड़ीं। विभिन्न अभ्यावेदनों, रिपोर्टों और जिला समितियों के माध्यम से जिला स्तर पर प्रशासन के साथ लोगों के परस्पर सामंजस्य के परिणामस्वरूप, इस स्थिति से निबटने के लिए पंजाब में एक वरिष्ठतम पुलिस अधिकारी नियुक्त करने का निर्णय किया गया। आई० जी० एण्टी करप्शन की नियुक्ति की जा चुकी है। डी० जी० पी० को भ्रष्टाचार और भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही से संबंधित रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है तथा उच्चतम स्तर पर इस रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा। जैसा कि मैं शुरू में कह चुका हूं सरकार को प्राप्त शिकायतों के आधार पर अनेक व्यक्ति नौकरी से निकाले जा चुके हैं। हमने इन पर नजर रखने और विशेषतौर पर पुलिस की ज्यादतियों से रक्षा करने के लिए एक नई व्यवस्था भी लागू की है। राज्य मुख्यालय में एक कार्मिक कम्प्यूटर लगाया गया है। इस कम्प्यूटर ने अधिकांश संवेदनशील पुलिस स्टेशनों और उन क्षेत्रों में जहां आतंकवादी गतिविधियां बहुत अधिक होती हैं, कम करना शुरू कर दिया है और यहां से वे दैनिक, साप्ताहिक और मासिक आधार पर उसकी निगरानी करेंगे। इस निगरानी से पुलिस के सामान्य कार्यकरण और पुलिस स्टेशनों पर विशेष अवधि में की गई आतंकवादी-विरोधी कार्यवाही का पता चलेगा। वहां आवश्यक उपकरण लगाए गए हैं। पुलिस अधिकारियों को उसका प्रशिक्षण दिया गया है। इससे हमें पुलिस स्टेशनों पर सामान्य कामकाज के बारे में गांव-गांव से जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

राज्यपाल विकास के लिए जिला समितियों के गठन की घोषणा पहले ही कर चुके हैं और साथ ही पंजाब सरकार ग्रामीणों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक योजना कार्यान्वित करने जा रही है जिसमें ग्रामीण स्वयं योगदान देंगे। उसमें अधिकांशतः भूतपूर्व सैनिकों और भूतपूर्व पुलिस कर्मियों को ही नियुक्त किया जाएगा और उन्हें अपने गांवों की रक्षा के लिए जरूरी प्रशिक्षण और हथियार दिये जायेंगे। कुछ गांवों में इस योजना पर अच्छी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई हैं और इसे अन्य क्षेत्रों में भी कार्यान्वित किया जाएगा ताकि ग्रामीण अपने गांवों की रक्षा के लिए आगे आएं।

अधिकांश सदस्यों ने पंचायत चुनावों की घोषणा की है। यह स्थिति के मूल्यांकन का प्रश्न है। सर्वप्रथम, पंचायत चुनाव राजनैतिक आधार पर नहीं होने जा रहे हैं। ये जनता के अपने चुनाव हैं जिसमें राजनैतिक 'खलल' बिल्कुल नहीं होगा। हमारा विचार है कि पहले लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया की ओर आकर्षित किया जाए। यह कहना तो बहुत अच्छी बात है कि आप विधान सभा के चुनाव क्यों नहीं कराते ? इससे बहुत अधिक राजनैतिक प्रचार शुरू हो जाएगा और आप जानते हैं कि विधान सभा चुनावों का अपना तरीका है जबकि पंचायत के चुनाव पूर्णतः स्थानीय, स्वयं जनता द्वारा और बिना राजनीतिक 'खलल' के होते हैं। इससे हम स्थिति का जायजा लेंगे। चुनाव पूरे राज्य में एक साथ ही होने जा रहे हैं। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसे कुछ क्षेत्रों में शुरू किया जाएगा और हम इस पर निगरानी रखेंगे। इस प्रकार एक तरह से यह एक प्रयोग है। पंजाब जैसे राज्यों में जहां पिछले पांच वर्षों से लोगों को गोलियों का सामना करना पड़ रहा है, अचानक राजनीतिक प्रक्रिया को प्रारम्भ करना बहुत कठिन है। यह एक प्रयास है और हमने राजनैतिक दलों द्वारा मंत्रिमंडल उप-समिति के समक्ष रखे गए विचारों पर विचार करके यह किया है। इसलिए राज्यपाल ने पंचायत चुनाव के बारे में जिस कदम की घोषणा की है वह एक बहुत ही सावधानीपूर्वक उठाया गया नपा-तुला

[सरदार बूटा सिंह]

कदम है।

डा० दत्ता सामन्त : आपके प्रयास प्रशंसनीय हैं लेकिन क्या आप यह अपेक्षा करते हैं कि जिन गांवों में आतंकवाद का भय है वहां चुनाव निष्पक्ष रूप से हो पाएंगे ?

सरदार बूटा सिंह : पंजाब के माननीय सदस्य मेरी बात से सहमत होंगे कि यह प्रयोग किये जाने योग्य है। यह चुनाव निष्पक्ष होंगे क्योंकि इस समय आतंकवादी गतिविधियां सीमावर्ती क्षेत्र तक ही सीमित हैं। पंजाब के अन्य भाग तुलनात्मक रूप से इससे मुक्त हैं। मैं यह कहूंगा कि वहां कोई घटनाएं नहीं हो रही हैं। वहां घटनाएं तो हो रही हैं लेकिन जैसा कि मंत्रिमण्डलीय उप-समिति ने सुझाव दिया है और पंजाब में अधिकांश राजनैतिक दलों ने इसे स्वीकार किया है, यह एक सुविचारित नीति है। राजनैतिक दलों को आतंकवादियों के विरुद्ध लोगों को संगठित करके सहयोग देना होगा और पंचायत चुनाव पार्टी आधार पर नहीं लड़े जाएंगे। पंजाब की जनता ने आतंकवाद से लड़ने में बड़ा साहस दिखाया है और हमें आशा है कि इसी तरह जनता को सफलता भी मिलेगी। दूसरे चुनाव चरणबद्ध तरीके से होंगे। हम जिला-वार या खंड-वार चुनाव शुरू करा सकते हैं। इसीलिए यह एक ऐसा प्रयोग है, जो मैं समझता हूं कि अच्छा है और हमें जनता को इस बात का मौका देना चाहिए कि वे आगे आएं और कम से कम ग्रामीण स्तर पर लोकतांत्रिक ढांचे की स्थापना करें।

कुछ माननीय सदस्य पंचायतों को अधिकार देने संबंधी कांग्रेस पार्टी के नये प्रस्ताव पर आपत्ति कर रहे थे। मेरे विचार से यह अवसर इस विषय पर बात करने का नहीं है। संभवत: काफी अर्से के बाद माननीय प्रधान मंत्री ने समूचे भारत में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को अधिकार देने के लिए यह नया क्रांतिकारी कदम उठाया है। यह एक ऐसा कदम है जिसका सभी वर्गों को स्वागत करना चाहिए। श्री राम नारायण यहां उपस्थित नहीं है। उन्होंने देवीलाल जी के विरोध की बात कही थी। मुख्य मंत्रियों के साथ हुई प्रधान मंत्री की बैठक में भी उपस्थित था। उस बैठक में गैर-कांग्रेसी राज्यों के एकमात्र वही ऐसे मुख्य मंत्री थे जिन्होंने जनता को विशेषकर पंचों और सरपंचों को अधिकार देने के प्रधान मंत्री के नये कार्यक्रम की प्रशंसा की थी तथा उसका समर्थन किया था। पता नहीं श्री रामनारायण ने यह कैसे समझ लिया कि देवीलाल जी ने इसका विरोध किया था। निश्चय ही उन्होंने विपक्षी मुख्य मंत्रियों के साथ ग्रुप फोटो खिचवाया था किन्तु उन्होंने इस क्रांतिकारी कदम के संबंध में बुलाई गई बैठक में प्रधान मंत्री का समर्थन ही किया था। मेरे विचार से इसके लिए शायद वह मजबूर थे क्योंकि मुख्य रूप से हरियाणा ऐसा राज्य है जहां हर गांव में पंचायत हैं और यह एक गांव-प्रधान राज्य है। मैं नहीं समझता कि श्री देवीलाल इस तरह के क्रांतिकारी कदम का विरोध करने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए उन्हें साथ देना पड़ा और उन्होंने इसका समर्थन किया। श्री राम नारायण ने यह भी कहा कि यह पंजाब समझौता हरियाणा से पूछे बिना किया गया था। इस समझौते का इस सभा ने स्वागत किया था। इस समझौते पर पंजाब और हरियाणा की विधान सभाओं में चर्चा की गई थी। पंजाब विधान सभा में 6 मार्च को इस समझौते पर काफी लंबी चर्चा की गई। इस पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। पुन: मार्च के महीने में हरियाणा विधान सभा में इस समझौते पर काफी देर तक चर्चा की गई। विधानसभा में एक संकल्प भी स्वीकार किया और उन्होंने भारत सरकार से यह अनुरोध किया कि वह समझौते के अन्य विभिन्न उपबन्धों का समर्थन करते हुए एस०वाई०एल० परियोजना को निर्धारित समय में पूरा करे। यदि राम नारायण जी यह समझते हैं कि

वर्तमान सरकार को विश्वास में नहीं लिया गया है, तो मैं केवल यही कह सकता हूं, 'क्षमा कीजिएगा, उस समय यह सरकार वहां सत्ता में नहीं थी।' विधान सभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में वस्तुत: हरियाणा की जनता ने ही समझौते का स्वागत किया है और मैं माननीय सदस्यों की इस बात से सहमत हूं कि एकमात्र इसी आधार पर पंजाब समस्या का समाधान किया जा सकता था। मैं विपक्षी दलों और उनके नेताओं का आभारी हूं जिन्होंने इस बारे में सुझाव दिए हैं कि पंजाब समझौते के शेष भाग को भी कार्यान्वित किया जाए। महोदय, पंजाब समझौते पर कई बार चर्चा की गई। इस बारे में जवाब दिए गये थे और हमें सरकार के विचार रखने का अवसर मिला था, जो मैं दोहराना नहीं चाहता। किन्तु दुर्भाग्य से समझौते का स्वरूप ऐसा है कि भारत सरकार स्वयं कुछ नहीं कर सकती। हम केवल राज्य सरकारों अर्थात पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार की मदद कर सकते हैं। मामले द्विपक्षीय हैं और उन्हें दोनों राज्यों को मिलकर कार्यान्वित करना होगा। दुर्भाग्य से यह शुरू ही नहीं हो पाया है। हम बड़ी गंभीरता से प्रयास कर रहे थे। कुछ मुद्दों के संबंध में तो हमें सफलता मिली और कुछ मुद्दों के सम्बन्ध में हम सफल नहीं हो सके। हमें रोक दिया गया। यह देखने के लिये कई आयोग नियुक्त किये गये कि कोई हल निकाला जा सके। किन्तु इस प्रक्रिया में हरियाणा में नई सरकार आ गई। श्री देवीलाल ने यह घोषणा कर दी कि वह इस समझौते को नहीं मानते। क्या कोई भी वह व्यक्ति जिसने समझौते का अध्ययन किया है, यह कल्पना भी कर सकता है कि यदि हरियाणा के मुख्य मंत्री ने सार्वजनिक रूप से इसे अस्वीकार कर दिया है तो यह समझौता कार्यान्वित भी हो सकता है? यदि सदस्य, विशेष रूप से जनता दल के सदस्य, अब भी इस बात का समर्थन करें कि पंजाब समस्या का समाधान केवल इस समझौते से ही संभव है—जो कि राष्ट्र की राय है—सरकार ने इस सभा में यह प्रस्ताव रखा और अधिकांश राजनैतिक दल भी इस बात से सहमत थे कि पंजाब समस्या का समाधान केवल राजीव गांधी—लोंगोवाल समझौता हो सकता है—तो उस मामले में जनता दल और सरकार इस सदन तथा शेष देश से निवेदन करती है कि समझौते में अपना विश्वास व्यक्त करें और इसका समर्थन करें। एक तरफ तो मुख्य मंत्री ने यह घोषणा की है कि वह समझौते का समर्थन नहीं करते, उनका इस समझौते से कोई संबंध नहीं है किन्तु दूसरी ओर हर दूसरे दिन वह यह कहते हैं कि सतलुज यमुना संपर्क नहर शीघ्र ही हरियाणा तक आनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कि एक तरफ वह यह कहते हैं कि उनका समझौते से कोई संबंध नहीं है और दूसरी तरफ कहते हैं कि उन्हें समझौते का लाभ मिलना चाहिए अर्थात् सतलुज-यमुना नहर उन्हें मिलनी चाहिए। यह बड़ी हास्यास्पद स्थिति है, जो मैं समझ नहीं पाता। यदि मुख्य मंत्री और हरियाणा सरकार चाहते हैं कि नहर का काम पूरा हो, तो स्वाभाविक है ऐसा केवल समझौते के तहत ही हो सकता है, समझौते को न मानकर ऐसा नहीं किया जा सकता। मैं हरियाणा सरकार तथा उनके दल से जो किसी भी राष्ट्रीय मसले पर स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाते हैं, यह अनुरोध करूंगा कि कम से कम इस मसले पर तो उनकी राय एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। इसे इस सभा तथा पूरे देश ने मान लिया है। उन्हें भी समझौते को मानकर अपना सहयोग देना चाहिए ताकि पंजाब समस्या का शीघ्र समाधान किया जा सके।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : एक स्पष्टीकरण लेना है। ऐसा समाचार है कि हरियाणा, पंजाब और चण्डीगढ़ तथा राजस्थान की कांग्रेस यूनिटों के पंजाब समझौते के संबंध में अलग-अलग दृष्टिकोण है। क्या केन्द्रीय सरकार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में इस समझौते के सम्बन्ध में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करेगी ?

सरदार बूटा सिंह : मैं श्री अय्यपू रेड्डी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने समाचार पत्रों से कुछ

[सरदार बूटा सिंह]

समाचार पढ़े हैं। लेकिन मैं उन्हें बताता हूं कि हरियाणा और पंजाब में दोनों प्रदेश कांग्रेस कमेटियां राजीव-लोंगोवाल समझौते के प्रति वचनबद्ध हैं। किसी भी समय उन्होंने यह दावा नहीं किया कि वे इस समझौते के प्रति वचनबद्ध नहीं हैं। केवल जनता दल के कुछ नेता ही इस समझौते के क्रियान्वयन में बाधक हैं। और यही वजह है कि वहां कुछ राजनीतिक तत्व इसके बारे में अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। इस समझौते के बुनियादी मामले पर कोई मतभेद नहीं है।

माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त ने 1984 के दंगों के बारे में कुछ ब्यौरे के बारे में पूछा था और उन्होंने कहा था कि इसके बारे में समाचार पत्रों में कुछ नहीं छपा है। मैं इस महान सभा के फायदे के लिये उनकी याद ताजा करने के लिए फिर से बताता हूं कि उनके लिये क्या किया गया है। श्री वालिया ने भी दगा पीड़ितों को राहत न दिये जाने के बारे में उल्लेख किया था। मैं उसके बारे में साधारण सा लेखा-जोखा देता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपने कहा था कि ये बातें समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं की जा रही थीं। सरकार को यह देखने में रुचि होनी चाहिए कि लोग यह जान सकें कि ये कार्यवाहियां हो चुकी हैं। लेकिन इसके बारे में पूरी तरह अंधेरा है, यह रहस्यपूर्ण है। यदि आपने इसे समाचार पत्रों में दिया होता तो यकीनन वे इसे छापते।

सरदार बूटा सिंह : मेरे विचार में देश के सबसे उच्च पद अर्थात् प्रधान मंत्री की ओर से दिया गया वक्तव्य पर्याप्त होगा। समाचार पत्रों की भूमिका इन दिनों थोड़ी अलग दिखाई देती है। मैं उसके बारे में विचार व्यक्त नहीं कर सकता। वे इस पक्ष की बातों को नहीं लेते हैं। वे बहुत सी बातें दूसरे पक्ष से लेते हैं। लेकिन इस महान सभा के फायदे के लिए इन मामलों के बारे में जो कुछ किया गया है उसे दोहराने जा रहा हूं। मैं इसे सभा को बताने जा रहा हूं।

दिल्ली में नवम्बर, 1984 में कुल 225 मामले पंजीकृत किये गये और इन मामलों में 2390 लोग शामिल थे। उनमें से 93 मामलों को निपटाया गया है और इसमें 379 लोग शामिल थे। 11 मामलों में लोग दोषी पाए गए और इनमें 80 लोग शामिल थे। दोषमुक्त और खारिज मामलों में ऐसे 68 मामले हैं और उनमें 231 लोग हैं। लम्बित मामलों में 32 ऐसे मामले हैं जिनमें 1950 लोग शामिल हैं। ये ऐसे मामले हैं जो दिल्ली में विभिन्न 16 न्यायालयों तथा उच्च न्यायालय में लम्बित पड़े हैं।

अब, राहत उपाय जो किए गए थे उनके बारे में, 7.07 करोड़ रुपए की अनुग्रह राहत दी गई थी और उनमें जिन लाभार्थियों को लिया गया उनमें 2994 मृत्यु के मामले थे जिन्हें 20,000 रुपए प्रति व्यक्ति दिया गया था और 2603 मामले घायलों के थे जिन्हें प्रति व्यक्ति···

श्री मेवा सिंह गिल : क्या गृह मंत्री वह धारा बताएंगे जिनके अन्तर्गत ये मामले पंजीकृत किये गये थे और क्या सजाएं दी गई थीं ?

सरदार बूटा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को निश्चित रूप से इन मामलों के बारे में विस्तार से सूचना दूंगा कि किन मामलों में दोष लगाया गया है और किन मामलों में रिहाई दी गई है।

मैं अनुग्रह राहत के बारे में बता रहा था। इसमें घायलों के लगभग 2603 मामले थे, 3537 मामले नुकसान के थे, उसमें 83.38 करोड़ रुपए मूल्य की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा था, सम्पत्ति के 375 मामलों में सम्पत्ति का बीमा कराया हुआ था, लेकिन उसमें दंगों में होने वाले नुकसान के लिए उपबन्ध नहीं था। यह एक विशेष प्रबन्ध था जहां यद्यपि दंगों को शामिल नहीं किया गया था, फिर भी बीमे के अन्तर्गत उन्हें भी मुआवजा दिया गया। बिना बीमा कराई गई सम्पत्तियों के 2.38 मामलों में 2 82 करोड़ रुपये दिए गए थे। 6745 मामलों में अपना कारोबार फिर से शुरू करने के लिये 33.94 करोड़ रुपए के ऋण दिए गए थे। 60 वर्ष से अधिक आयु की 274 विधवाओं और 71 पुरुषों को 400 रुपए प्रति माह के हिसाब से 10 वर्ष के लिए तदर्थ राहत दी गई थी। 960 विधवाओं और 1020 अन्य दंगा पीड़ितों को 1980 मकान आवंटित किए गए थे। 30 विधवाओं को प्लेटफार्मों पर दुकानें दी गई थीं। 560 विधवाओं को सरकारी और अर्ध-सरकारी नौकरियां दी गई। ये कुछ कदम हैं और मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि इसके लिए पूरा मुआवजा तो दिया ही नहीं जा सकता।

हम दिल्ली के उप-राज्यपाल से भी सम्पर्क बनाए हुए हैं। हम समय-समय पर पूरे मामले की समीक्षा कर रहे हैं और जहां कहीं भी कठिनाई के मामले आते हैं, उनके लिए गृह मंत्रालय तथा दिल्ली प्रशासन उदार दृष्टिकोण अपनाते हैं और हम उन लोगों को राहत देना जारी रखेंगे जिन्हें उन बहुत ही भयावह दंगों के दौरान नुकसान पहुंचा है।

श्री मेवा सिंह गिल : महोदय, मिश्र रिपोर्ट के अनुसार 145 गुरुद्वारों को जलाया गया और उन्हें नुकसान पहुंचाया गया। क्या उसके लिए कोई मुआवजा दिया गया है ?

सरदार बूटा सिंह : महोदय, यह मेरी खुशकिस्मती है कि मैं तब निर्माण और आवास मंत्री था। यह आदेश दिये गये थे कि दिल्ली प्रशासन अपनी लागत से सभी गुरुद्वारों की मरम्मत का कार्य करेगा। अत: यदि कोई मामला अभी भी लम्बित पड़ा है, मैं इस बात का स्वागत करूंगा कि माननीय सदस्य उस मामले को मेरे पास भेजें ताकि उस कार्य को करने के लिये दिल्ली प्रशासन को आवश्यक अनुदेश दिये जा सकें। ये कुछ कदम हैं जो हमने उठाए हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जैसाकि आप जानते हैं विशेषकर इस प्रयोजन के लिए बनाई गई समिति ने यह सिफारिश की थी कि आपके भूतपूर्व संसद सदस्य श्री सज्जन कुमार के विरुद्ध कार्यवाही की जाए और दंगों में उनकी भूमिका के लिए उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। उस मामले में कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई है ?

सरदार बूटा सिंह : सबसे पहले तो यह बात सही नहीं है। किसी ने भी इस भूतपूर्व संसद सदस्य के विरुद्ध कोई विशेष आरोप नहीं लगाया था। मुझे याद नहीं है लेकिन मुझे यह निश्चित रूप से याद है कि कोई विशेष आरोप नहीं लगाए गए थे। यह किया गया था कि जिन मामलों में प्रथम सूचना रपोर्ट तब दर्ज नहीं कराई गई थी। इस समय भी नई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है। उसमें कुछ लोगों ने कुछ आरोप लगाए थे और उसमें कुछ लोगों के नाम दिए थे जोकि कुछ राजनीतिक लोगों से सम्बन्धित थे। उस मामले में भी एक प्राइवेट नागरिक ने उच्च न्यायालय में समिति के क्षेत्राधिकार और उसके निर्देश पद के बारे में चुनौती दी थी। यह मामला अभी भी उच्च न्यायालय में लम्बित पड़ा है। अत: उसमें कोई सार नहीं है। मैं इसकी फिर से जांच करूंगा लेकिन मुझे यकीन है कि भूतपूर्व संसद सदस्य के विरुद्ध कोई स्पष्ट आरोप नहीं लगाया गया। अत: उस मामले

[सरदार बूटा सिंह]

की यह स्थिति है।

महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गये विभिन्न मुद्दों का उत्तर देने के बाद, अब मैं श्री ई० रेड्डी और श्री पाटिल द्वारा रखे गए संशोधनों की ओर आता हूं। इन संशोधनों के पाठ भी मेरी धारणा का समर्थन करते हैं कि वहां राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। प्रश्न केवल समय का है, श्री अय्यपू रेड्डी इसे 3 महीने के लिए चाहते हैं। अत: अभी तो मैं इस महान सभा के सामने यह अपील करता हूं कि हमें राष्ट्रपति के शासन को बढ़ाना होगा। माननीय सदस्य ने अपने संशोधन में यह सुझाव दिया है कि यह आखिरी और अन्तिम होना चाहिए। पंजाब की स्थिति को देखते हुए जिस क्षण संभव होगा कि वहां लोगों के प्रतिनिधियों की चुनी हुई सरकार हो, मैं इस महान सभा को यकीन दिलाता हूं कि हम एक भी दिन और नष्ट नहीं होने देंगे और हम इस प्रयोजन के लिए तत्काल इस सभा में आएंगे।

डा० दत्ता सामंत : वे नहीं आएंगे।

सरदार बूटा सिंह : हम आएंगे। दत्ता सामंत जी, यदि आप अपने दाएं और बाएं बैठे अपने मित्रों को परामर्श दें तो वे भी इसमें काफी सहयोग दे सकते हैं। वे इस पूरी प्रक्रिया से अपने को दूर रख रहे हैं।

कुछ माननीय सदस्य, विशेषकर अकाली पार्टी के, यह जानना चाहते हैं कि वरिष्ठ नेताओं को क्यों पकड़ा गया था। मुझे इस महान सभा में फिर से यह दोहराना पड़ेगा कि जब उन्हें रिहा किया गया था, उन्हें इस आशा के साथ रिहा किया गया था कि वे पंजाब में सामान्य स्थिति लाने में अपना सहयोग देने का प्रयास करेंगे ? लेकिन जेलों से बाहर आते ही उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया ? उन्होंने नकली मुठभेड़ों के नाम पर न्यायालयों और जिला कार्यालयों का घेराव करना शुरू कर दिया। अब क्या यह पंजाब में सामान्य स्थिति लाने का तरीका है। बल्कि वे तो पहले से ही बहुत तनाव वाली स्थिति में और वृद्धि करने में लगे थे। अत: मेरा निवेदन है कि जन प्रतिनिधियों को जेल में रखकर कोई भी प्रसन्न नहीं होता है। लेकिन भारी मन से राष्ट्र के हित में, हमें वह कदम उठाना पड़ा। इसी संदर्भ में यह कदम उठाया गया था और उन्हें फिर से हिरासत में लिया गया था।

श्री मेवा सिंह गिल : लेकिन उन्हें हिरासत में लेने के कारण तो भिन्न भिन्न थे··· (व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : माननीय सदस्य यह जानते हैं कि उनकी पार्टी के निर्देश के अन्तर्गत उन्होंने भी जिला अधिकारियों का घेराव कराने में कुछ जिला मुख्यालयों में भाग लिया होगा, जोकि बहुत ही कठिन कार्य कर रहे थे। अत: उनसे यह आशा की जाती थी कि वे आगे आएं और आतंकवाद की बुराई के विरुद्ध संघर्ष करने में पंजाब के लोगों की सहायता करें। यही समय की मांग है। महोदय, मैं यहां अकाली दल के माननीय सदस्यों से अपील करता हूं। उन्होंने राज्य के आतंकवाद आदि के बारे में बहुत सी बातों का उल्लेख किया है। अधिकारियों के कठिन कार्य को ही प्राय: राज्य के आतंकवाद का नाम दिया जाता है। मैं उन्हें याद दिलाता हूं कि यह एक बहुत ही कठिन कार्य है जोकि पुलिस के लोग कर रहे हैं। वे ऐसा अपने जीवन को खतरे में डालकर कर रहे हैं। यदि मैं आपको विस्तृत ब्यौरे दूं कि कितने पुलिस कर्मी मारे गये थे तब आप वास्तविकता जानेंगे। वे भी अपने जीवन से हाथ धो बैठे हैं। घरों में उनके लोगों को भी अपने प्रिय संबंधियों या मित्रों के बिछोह का दुख है। यह बहुत

ही कठिन कार्य है। किन्तु अब स्थिति अच्छी हो रही है। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि जब सारे देश, सम्पूर्ण विश्व और इस सम्माननीय सदन को 'ब्लैक थंडर ऑपरेशन' के सीमित उद्देश्य की जानकारी थी तब भी अकाली दल के प्रमुख नेताओं ने ब्लैक थंडर जैसे आपरेशन की आलोचना की थी। महोदय, स्वर्ण मन्दिर के अन्दर क्या हो रहा था? स्वर्ण मन्दिर के पवित्र अहाते के भीतर जिस प्रकार अपराधों की योजना बनाई गई थी उसकी कल्पना मानव मस्तिष्क नहीं कर सकता है। पवित्र मंदिरों में से सबसे पवित्र मन्दिर को दूषित कर दिया गया था। पुलिस बल ने पवित्र अकाल तख्त के कचरे में से लगभग 50 लाशें और हड्डियों के ढांचे निकाले। स्वर्ण मन्दिर को इस स्थिति में पहुंचा दिया गया था। और सरकार ने क्या किया? उन्होंने पंजाब के भक्तों और सभी धर्मों के भक्तों के लिए स्वर्ण मन्दिर के स्वतंत्र दर्शन को सुलभ बनाया। मर्यादा पुनः प्रतिष्ठित की गई। वहां ऐसे निकृष्ट कार्य हो रहे थे जिन्हें मैं इस सम्मानीय सदन में नहीं कह सकता क्योंकि मन्दिर बहुत ही पवित्र है। मैं मन्दिर के भीतर होने वाले कार्यों का बयान भी नहीं कर सकता हूं। सौभाग्य से उस आपरेशन में प्रेस···

श्री चरण जीत सिंह वालिया : क्या मैं गृह मंत्री से एक प्रश्न पूछ सकता हूं? सरकार उन गुरुद्वारों के प्रबन्ध के लिए क्या करने जा रही है जो उन सबके लिए जिम्मेवार है। इन गुरुद्वारा में पिछले पांच वर्षों से चुनाव नहीं हुए हैं।

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे बहुत खुशी है कि ऑनरेबल मेम्बर ने मैनेजमेंट ऑफ द गुरुद्वाराज का सवाल उठाया, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यह मैनेजमेंट पिछले 5 सालों में कहां था, क्या करता था यह मैनेजमेंट और उस मैनेजमेंट के अंतर्गत क्या होता रहा···

[अनुवाद]

श्री चरनजीत सिंह वालिया : सरकार यह क्यों चाहती है कि मैनेजमेंट बनी रही?

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह : मेरा यह प्वाइंट नहीं है। जहां तक नैक्स्ट इलैक्शन का सवाल है, यदि सम्भव हो तो हम अभी इलैक्शन कराने के लिए तैयार हैं। मगर मैनेजमेंट ने अपना दायित्व कभी नहीं निभाया। आप देखिए कि उस मैनेजमेंट की आंख के नीचे क्या-क्या नहीं होता रहा। पूरे पंजाब को उसने आग की भट्ठी में झोंक दिया था। वही मैनेजमेंट पंजाब की स्थिति के लिए डायरैक्टली और स्क्वेयरली रैस्पोंसिबल है।

[अनुवाद]

जो पंजाब में पिछले पांच वर्षों में हुआ है। क्या आप उस मैनेजमेंट को वापिस लाना चाहते हैं और उन्हें पुनः प्रतिष्ठित करना चाहते हैं? उनका पहले ही नियंत्रण है? (व्यवधान)

मैं आपको बता दूं कि सिक्ख इस मैनेजमेंट के काले कारनामों को कभी क्षमा नहीं करेंगे। हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम इसे पंजाब की जनता पर छोड़ देंगे। जैसे ही स्थिति सामान्य होती है और लोकतन्त्र की बहाली होती है। यदि वे एस० जी० पी० सी० के चुनाव करा सकते हैं, तो मैं निश्चित रूप से पंजाब प्रशासन को इस पर विचार करने की सिफारिश करूंगा। हमें कोई आपत्ति नहीं है।

किन्तु महोदय, साथ ही मैं माननीय सदस्यों को यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि स्वर्ण मन्दिर के भीतर स्वतंत्र पूजा कराने की जिम्मेवारी पवित्र स्थलों, गुरुद्वारों के मैनेजमेंट की है ये प्रबंधक-

[सरदार बूटा सिंह]

मण्डल स्वर्ण मंदिर के भीतर स्वतन्त्र पूजा भी नहीं करा सके। इसलिए, उन्हें भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि वह दिन शीघ्र ही आएगा जब सिक्ख पूजा स्थलों के कार्यों को देखने के लिए भी निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे।

माननीय सदस्यों ने इन विभिन्न बातों का जिक्र किया है। मुझे विश्वास है कि पंजाब की परिस्थितियों का उल्लेख करने के बाद सदन प्रस्तुत संकल्प को सर्वसम्मति से अनुमोदित करेगा यद्यपि यह एक सख्त कदम है किन्तु राष्ट्र के हित में हमें यह कदम उठाना पड़ेगा।

मैं श्री अय्यपू रेड्डी से अपना संशोधन वापिस लेने का अनुरोध करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अय्यपू रेड्डी जी क्या आप अपना संशोधन वापिस ले रहे हैं ?

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : जी नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं आपके द्वारा प्रस्तुत दोनों संशोधनों को एक साथ सदन के मतदान के लिए रखूं।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री ई० अय्यपू रेड्डी द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधनों को सदन के मतदान के लिए रखता हूं।

"संशोधन सभा में मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए"

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सांविधिक संकल्प सदन के मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा पंजाब के सम्बन्ध में 11 मई, 1987 को राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन जारी की गई उद्घोषणा को 11 मई, 1989 से छह माह की और अवधि तक जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब हमारे पास केवल दो मिनट हैं।

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : मेरा सुझाव है कि हमें आज सदन का समय 8.00 बजे तक या इससे पहले तक या जो भी समय हम नियत करें, तक बढ़ाएं। हमें कुछ विधायी कार्य भी करने हैं। हमारे पास बहुत कम समय है। इसलिए, मैं दो घण्टे समय बढ़ाये जाने का अनुरोध करूंगी।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : कृपया यह निश्चित करें कि क्या सदन का समय बढ़ाया जा रहा है। यदि नहीं, और यदि हम 8 बजे तक बैठते हैं, तो इसका कुछ अर्थ होना चाहिए।

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : पंजाब की स्थिति को देखते हुए आतंकवाद संबंधी अधिनियम की अवधि बढ़ायी जानी चाहिए। इसलिए, मैं भी समय बढ़ाने के अनुरोध के लिए माननीय संसदीय कार्य मंत्री से सहमत हूं।(व्यवधान)

ये सामान्य संशोधन हैं। यदि सदन दोनों विधेयकों को सर्वसम्मति से पारित करता है, तो इसमें अधिक समय नहीं लगेगा। ((व्यवधान)

श्री ई० अय्यपू रेड्डी (कुरनूल) : यदि सभा की बैठक कल के बाद नहीं बढ़ायी जाएगी, तो हमें 8.00 बजे तक बैठने में कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु यदि सभा की बैठकें गुरुवार या शुक्रवार तक बढ़ायी जानी हैं, तब तो हम इस पर कल चर्चा कर सकते हैं। (व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : आज प्रातः भी मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध किया था कि आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम में पंजाब उद्घोषणा के जारी रहने के साथ ही संशोधन किया जाना है। इसलिए, मैं समय बढ़ाने का अनुरोध करता हूं।

श्रीमती शीला दीक्षित : मैं अनुरोध करती हूं कि आज सदन का समय 2 घण्टे तक बढ़ाया जाए। (व्यवधान) यदि हम कल तक अपने सभी विधायी कार्य निपटा लेते हैं तो हमें सभा का कार्य-काल बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी। किन्तु यदि हम कार्य पूरा नहीं कर पाए तो तब हमें सभा का कार्यकाल बढ़ाना पड़ेगा। अभी इस निर्णय की सूचना देना मेरे लिए कठिन है।

मेरा निवेदन यह है कि यह निर्णय लेना सदस्यों पर निर्भर करता है कि वे इन विधेयकों को ज्यों का त्यों पारित करना चाहते हैं या नहीं। आप 8 बजे से पहले ही उठ सकते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : क्या आपको पूरा विश्वास है कि कार्यसूची में दिए गए कार्य के अलावा अन्य कोई कार्य नहीं है ?

श्रीमती शीला दीक्षित : अय्यपू रेड्डी जी, मैं इस बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकती। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम सभा की कार्यवाही किस प्रकार चलाते हैं, और कार्यसूची में दिए गए विषयों को कितनी शीघ्रता से निपटाते है। हम कार्य निपटाने में बहुत पीछे हैं। आप यह जानते हैं।

6.00 म०प०

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा इस बात पर सहमत है कि सभा का समय दो घण्टे बढ़ाया जाए ?

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : जी, नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह जानना चाहता हूं कि श्रीमती शीला दीक्षित द्वारा किया गया प्रस्ताव सभा को स्वीकार्य है या नहीं ? उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि यदि हम उन मामलों को आज ही समाप्त कर दें, तो समय बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे विचार में हम इसे एक घण्टे में ही समाप्त कर सकते हैं।

श्रीमती शीला दीक्षित : यह उन सदस्यों पर निर्भर करता है जो बोलना चाहते हैं।

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : कार्य मंत्रणा समिति ने इन दो विधेयकों पर चर्चा करने के लिए समय निश्चित किया है।

श्रीमती शीला दीक्षित : यह ठीक है। किन्तु मेरी पार्टी के सदस्य तदनुसार समय लेंगे। उनका स्वागत है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इन मामलों को एक घण्टे के भीतर निपटा सकते हैं।

श्रीमती शीला दीक्षित : हम इसमें सहयोग देंगे। अन्यथा मैं सभा का कार्य समय दो घंटे तक बढ़ाने का अनुरोध करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : जो भी हो, हम सभा का समय दो घंटे तक बढ़ा रहे हैं किन्तु हम इसे एक घंटे में समाप्त करने का प्रयत्न करेंगे। मैं समझता हूं कि सभा इस सुझाव को स्वीकार करेगी।

श्रीमती शीला दीक्षित : आपका स्वागत है।

श्री सी० माधव रेड्डी : शिकायत यह है कि बहुत से सदस्य बोलना चाहते थे, किन्तु वे यहां उपस्थित नहीं हैं।

डा० दत्ता सामंत (बम्बई दक्षिण, मध्य) : जो लोग बोलना चाहते हैं, वे यहां उपस्थित नहीं हैं। आपको कल ही इसकी सूचना देनी चाहिए थी।

श्रीमती शीला दीक्षित : यह कार्य-सूची में है।

सरदार बूटा सिंह : यह कार्य-सूची में है। पाद-टिप्पणी में कहा गया है, उद्घोषणा के साथ "ये दो मदें एक साथ ली जाएंगी।" उन्हें आज ही पारित किए जाने का विचार था। इसलिए सभा ने आज सोच समझकर यह निर्णय लिया कि इन्हें अलग-अलग लिया जाना चाहिए। इसलिए मैं सारा दिन इस ऊहापोह में रहा कि यदि इन तीनों मदों को एक साथ पारित नहीं किया जाता है तो कम से कम उद्घोषणा के बाद तो पारित किया ही जाना चाहिए। इसलिए मैं इन मदों पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। आप सभा का समय दो घंटे बढ़ा दें और हम इन्हें पहले ही समाप्त करने का प्रयास करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं सभा को यह सुझाव स्वीकार्य होगा।

श्रीमती शीला दीक्षित : आप सदन की सम्मति ले लें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही सदन की सम्मति ले चुका हूं। कुछ सदस्य समय बढ़ाए जाने के पक्ष में हैं, किन्तु कुछ सदस्यों को इस पर आपत्ति है। किन्तु वे भी इसे स्वीकार कर लेंगे। इसलिए क्या सदन की राय है कि सदन का कार्य समय दो घंटे तक बढ़ाया जाए?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन का कार्य-समय दो घंटे तक बढ़ाया जाता है। अब, श्री बूटा सिंह जी भाषण देंगे।

6.02 म० प०

आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक और चण्डीगढ़ विक्षुब्ध क्षेत्र (संशोधन) विधेयक

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

जैसी कि माननीय सदस्यों को जानकारी है, आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1985 संसद द्वारा मई, 1985 में एक गम्भीर स्थिति से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम की अवधि इसके आरम्भ होने से दो वर्ष तक के लिए थी। आतंकवादियों और विघटनकारियों के खराब इरादे लगातार जारी रहे और वह समाज के विभिन्न वर्गों के बीच कटुता उत्पन्न करते रहे और इस प्रकार हमारे प्रजातन्त्र की नींव को नष्ट करते रहे। इसलिए, आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1985 में उपयुक्त रूपभेदों के द्वारा आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन) अधिनियम, 1987 के रूप में एक व्यापक और निवारक कानून बनाना आवश्यक हो गया। उपरोक्त अधिनियम 24 मई, 1987 को लागू किए गए आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप (निवारण) अध्यादेश, 1987 के स्थान पर सितम्बर, 1987 में अधिनियमित किया गया था। उक्त अधिनियम की अवधि भी दो वर्ष अर्थात् 23 मई, 1989 तक सीमित है।

राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इस अधिनियम की अवधि को और आगे बढ़ाये जाने संबंधी की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए तथा आतंकवादी हिंसा के जारी रहने को ध्यान में रखते हुए अब आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 की धारा 1 (4) में संशोधन करके इस अधिनियम की अवधि को 24 मई, 1989 से और दो वर्ष तक के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

मैं विधेयक को माननीय सभा के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

महोदय, मैं यह प्रस्ताव भी करता हूं :

"कि चण्डीगढ़ विक्षुब्ध क्षेत्र अधिनियम में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

इस विधेयक में यह प्रावधान करने का प्रस्ताव है कि केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना चण्डीगढ़ विक्षुब्ध क्षेत्र अधिनियम, 1983 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति के विरुद्ध की गई या की जाने वाली कार्यवाही के विरुद्ध कोई वाद, मुकदमा या कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी। सशस्त्र बल (पंजाब और चण्डीगढ़) विशेष शक्तियां अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत केवल केन्द्र सरकार को ही यह शक्तियां प्राप्त हैं। यह वांछनीय है कि चण्डीगढ़ विक्षुब्ध क्षेत्र अधिनियम,

[सरदार बूटा सिंह]

1983 के अन्तर्गत इन शक्तियों का प्रयोग केन्द्र सरकार द्वारा ही किया जाए, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा नहीं, जैसा कि इस समय अधिनियम में उपबन्धित है। इस विधेयक के द्वारा इस उद्देश्य प्राप्ति की अपेक्षा की गई है और मुझे आशा है कि यह विधेयक सर्व-सम्मति से पारित किया जाएगा।

अब इस सदन द्वारा कृपया इन दोनों विधेयकों पर विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय :

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

"कि आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

"कि चण्डीगढ़ विक्षुब्ध क्षेत्र अधिनियम, में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री ई० अय्यपू रेड्डी (कुरनूल) : मैं केवल पहले विधेयक के बारे में ही बोलूंगा जो आतंकवादी और विध्वंसक कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम के नाम से जाना जाता है। 1987 में, जब 1985 के अधिनियम में संशोधन करके आपराधिक विधि शास्त्र के मूलभूत सिद्धान्तों से खिलवाड़ किया गया था, तो मैंने उस समय भी इसका विरोध किया था। उस समय यह बताया गया था कि यह केवल अस्थाई उपाय है और इसकी अवधि 24 मई, 1989 को समाप्त हो जाएगी और यह पंजाब की असाधारण स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक है। किन्तु यह अधिनियम समस्त भारत तथा अधिसूचित क्षेत्रों के लिए आशयित था। व्यावहारिक रूप से सभी राज्यों ने इस अधिनियम को लागू करने के लिए अपने यहां अधिसूचित कर दिया है। मुझे आशा थी कि मंत्री महोदय विभिन्न राज्यों में इस संशोधित अधिनियम के कार्यपालन के बारे में महत्वपूर्ण आंकड़े और जानकारी देंगे।

मैं इस सम्मानित सदन के सदस्यों को इस अधिनियम के उपबन्धों के बारे में बता दूं। पहली तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात नामित अदालतें हैं। आमतौर पर इन अदालतों द्वारा जमानत देने से इन्कार कर दिया जाता है। यदि नामित अदालतों द्वारा जमानत से इन्कार कर दिया जाता है तो उच्च न्यायालयों में नामित अदालतों के फैसले के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। नामित अदालत द्वारा पास किए गए किसी भी आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में ही अपील हो सकती है। तब अभियुक्त द्वारा किसी ऐसे पुलिस अधिकारी, जिसका दर्जा उप पुलिस अधीक्षक से कम न हो, के समक्ष की गई स्वीकारोक्ति ही ग्राह्य मानी जाती है।

6.09 म०प०

[श्रीमती बसवराजेश्वरी पीठासीन हुई]

यह साक्ष्य अधिनियम के आधारभूत सिद्धांतों के विरुद्ध है, जो पिछली एक शताब्दी से लागू है। साक्ष्य अधिनियम में एक और अपवाद है कि सह-अभियुक्त द्वारा की गई स्वीकारोक्ति भी ग्राह्य होती है। इसके अतिरिक्त, आपराधिक विचारण के स्वीकार्य मानदण्डों के अनेक अपवाद किए गये थे। सब

से खतरनाक बात यह है कि उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं दिया गया है। हम जानते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय में जाना कितना कठिन है जिसे नामित अदालत के समक्ष किसी झूठे मामले में फंसाया गया हो। इस विधेयक में कई कड़े उपबन्ध यह दलील देकर शामिल किए गए थे कि इसकी अवधि बहुत कम है और यह 24 मई, 1989 को समाप्त हो जाएगी। अब आप इसके लिए दो वर्ष का समय और मांग रहे हैं। सबसे पहले तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस अधिनियम से क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ है। इसका उपयोग किया गया ता दुरुपयोग किया गया ? आपने इस बारे में कोई महत्वपूर्ण आंकड़े नहीं दिए हैं। कल श्री शांताराम नायक इस अधिनियम का जिक्र कर रहे थे। वह मंत्री महोदय से यह पूछ रहे थे कि भारत के विभिन्न राज्यों में कितनी नामित अदालतों का गठन किया गया है और इन नामित अदालतों में कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया है और कितने व्यक्तियों का दोष सिद्ध हो गया है। वह आंकड़े यहां मौजूद नहीं हैं। मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे यह महत्वपूर्ण आंकड़े हमें दे दें। श्री इन्द्रजीत गुप्त हमें बता रहे थे कि आपने दिल्ली के दंगों तथा वह सब मामले जो आपने हमें अभी दिए, के बारे में जानकारी नहीं दी। नामित अदालतों, विशेषकर जो पंजाब में है, उनके बारे में आपने हमें जानकारी नहीं दी है। दुर्भाग्य से गुजरात तथा अन्य राज्यों द्वारा इसका दुरुपयोग किया गया है। मुझे यह कहते हुए बड़ा खेद होता है कि मेरे राज्य आंध्र प्रदेश में मेरे अपने जिले में चोरी के साधारण मामले आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप अधिनियम के अन्तर्गत केवल इसलिए दर्ज किए गए क्योंकि कुछ आग्नेयास्त्रों का प्रयोग किया गया था। मैं चाहता हूं कि श्री चिदम्बरम इस मामले को देखें क्योंकि यह मामला उच्चतम न्यायालय में गया था। उच्चतम न्यायालय ने कहा : "आप साधारण मामलों में भी आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप अधिनियम लागू क्यों करते हैं ?" उच्चतम न्यायालय ने वह मामला वापस भेज दिया। हमारे सौभाग्य से गुजरात की कोई पार्टी इसे उच्चतम न्यायालय तक लाने में कामयाब हो गई और निर्णय हो गया; अन्यथा विभिन्न राज्यों में साधारण लोगों, जिन पर साधारण अपराधों के लिए आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जा रहा है, के लिए उच्चतम न्यायालय में जाकर निर्णय पाना कठिन है। इसलिए, पिछले दो वर्ष में इस अधिनियम ने कैसे काम किया है, इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी छिपा ली गई है। हमें यह समझ नहीं आता कि आपको इसे दो वर्ष तक और बढ़ाए जाने की क्या आवश्यकता है। मेरा अपना निष्कर्ष यह है कि इस अधिनियम का पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इस अधिनियम से आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में कोई मदद नहीं मिली है। इस अधिनियम से आतंकवाद की आड़ में जघन्य अपराध करने वाले लोगों के मुकदमे भी तेजी से नहीं निपटाए गए हैं। अब तक मेरी जानकारी के अनुसार, दूरदर्शन बार-बार यही कह रहा है कि इतने लोग मारे गये हैं किन्तु अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि नामित अदालतों द्वारा कितने लोगों को दण्ड दिया गया है। समाचार पत्रों में भी किसी नामित अदालत द्वारा किसी के दोषसिद्ध होने के बारे में कोई समाचार नहीं छपा। इसलिए पंजाब में आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप अधिनियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। जब तक आप कोई जानकारी नहीं देते, मैं यह कहने की स्थिति में नहीं हूं कि इससे कोई प्रयोजन सिद्ध हुआ है।

गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के सम्बन्ध में आतंकवाद और विध्वंसक क्रियाकलाप अधिनियम का क्या उपयोग हो सकता है, जहां आतंकवाद है ही नहीं ? यह बात तो मैं समझ सकता हूं कि यदि पंजाब के आतंकवादी या कुछ सिख आतंकवाद की गतिविधियों में संलग्न हों। इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। वास्तव में वे आतंकवादियों की गतिविधियों से मुक्त हैं। मैं सिखों

[श्री ई० अय्यपु रेड्डी]

की प्रशंसा में यह कहता हूं कि अन्य सभी राज्यों में उन्होंने किसी भी समय किसी राज्य सरकार को इस अधिनियम के अन्तर्गत उन पर मुकदमा चलाने का अवसर नहीं दिया है। अतः पंजाब को छोड़कर मुझे एक भी ऐसा मामला याद नहीं है जिसमें सिक्खों पर इस अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया है··· (व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : यह सही नहीं है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भी ऐसे उदाहरण हैं।

श्री ई० अय्यपु रेड्डी : ऐसा इसलिए हुआ कि मुझे पूरी जानकारी प्राप्त नहीं है।

सरदार बूटा सिंह : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि हमें उन्हें सिख आतंकवादी नहीं कहना चाहिए। वे केवल आतंकवादी हैं। उनका कोई धर्म ही नहीं है।

श्री ई० अय्यपु रेड्डी : ठीक है, मैं मानता हूं। किंतु यदि हम घटनाओं की संख्या को लें तो इस से यह स्पष्ट होगा कि अधिकतर राज्यों में यह अधिनियम दण्ड संहिता और शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत मामूली अपराधों के लिए भी लागू किया गया है क्योंकि पुलिस वालों के लिए सबसे सहज तरीका आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत आरोपपत्र दायर करना होगा जिससे अभियुक्तों को जमानत नहीं मिल सकती है। इसके अतिरिक्त यदि वह किसी साधारण कानून जैसे दंड संहिता अथवा शस्त्र अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत कोई मामला दायर करते हैं तो उन्हें अवश्य ही 90 दिन के अन्दर-अन्दर दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत आरोपपत्र दायर करना होगा, किंतु यदि वह इस अधिनियम के अन्तर्गत मामला दायर करते हैं तो उन्हें आरोप-पत्र दायर करने के लिए एक वर्ष का समय मिल जाएगा, और उस अवधि के दौरान अभियुक्त को जमानत नहीं दी जाएगी। अतः जहां तक पंजाब के अतिरिक्त अन्य राज्यों का सम्बन्ध है इस अधिनियम का अनेक मामलों में दुरुपयोग हुआ है।

यह एक अत्यन्त कठोर कानून है। ऐसा कानून किसी सभ्य कल्याणकारी राज्य के संविधि संग्रह में नहीं होना चाहिए। हमारे संविधान में कुछ मूलभूत अधिकार सुरक्षित हैं। मानव अधिकारों के सम्बन्ध में हमारे संविधान के संस्थापकों के उच्च विचार थे और वास्तव में हमने एक नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए और उसे कानून की प्रक्रिया के अधीन ही सुरक्षित रखने के लिए सर्वोत्तम प्रबन्ध किए। कानून की उचित प्रक्रिया को मजाक नहीं बनाया जाना चाहिए। इसीलिए हमारे यहां आपराधिक प्रक्रिया एक बहुत पुरानी प्रक्रिया है। यह बात स्मरण योग्य है कि भारत में साम्राज्यिक शासन के सबसे बुरे दिनों के दौरान भी, स्वतंत्रता आन्दोलन के दमन के सबसे बुरे दिनों के दौरान ब्रिटिश लोगों ने ऐसा कठोर कानून बनाने का विचार नहीं किया था। स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान भी आतंकवादी गतिविधियां थीं और बम फेंककर शासकों की हत्या करने के प्रयास भी किये जाते थे। किंतु फिर भी ब्रिटिश लोगों ने ऐसा निष्ठुर कानून नहीं बनाया क्योंकि ब्रिटिश लोग समझ गए कि ऐसा असभ्य और क्रूर कानून बनाना अशिष्ट होगा। अतः हमें शीघ्र यह देखना होगा कि हमारे संविधि संग्रह में ऐसा निष्ठुर कानून नहीं होना चाहिए। सम्भवतः फासिस्टवादी देश में ऐसे निष्ठुर कानून हो सकते हैं। अतः जितनी जल्दी हम इन निष्ठुर कानूनों को समाप्त करें उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा।

याद रहे कि कुछ अन्तर्राष्ट्रीय मंचों में पहली बार भारत का मानव अधिकारों का दमन करने के आरोप लगाए गए हैं। अमरीकी सीनेट में भी यह बात आई और राष्ट्र संघ के कुछ मंचों पर भी। इन्हीं कानूनों के कारण हम मानव अधिकारों के समर्थक की अपनी छवि खराब कर रहे हैं। जब तक यह अनिवार्य और आवश्यक न हो हमें यह लागू नहीं करना चाहिए। यदि हम साधारण कानून के अन्तर्गत प्रभावशाली ढंग से काम कर सकते हैं तब तक हमें इस कठोर उपाय का सहारा नहीं लेना चाहिए। हमें सदा याद रखना चाहिए कि हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी विशेषकर पण्डित जी, गांधी जी तथा अन्य लोग इस निष्ठुर उपाय को कभी सहन नहीं करते। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जब तक यह पूरी तरह से अनिवार्य न हो तब तक इस कानून की अवधि न बढ़ाएं। जब तक वे ये नहीं कहते हैं कि साधारण कानून के अन्तर्गत अपराधियों को दंड नहीं दिया जा सकता तब तक आपको इस प्रकार के मामले तैयार नहीं करने चाहिए। अतः मैं इस बात से भाषण समाप्त करता हूं कि मानव अधिकारों के समर्थक के रूप में हमारे देश के ज्वलन्त नाम को हमें इस कानून से अपने संविधि संग्रह को मलिन नहीं करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री अजीज कुरेशी (सतना) : सभापति महोदया, मैं ज़ेरेबहस दोनों बिलों में मुजव्विज़ा तरमीमों की ताईद करने के लिए खड़ा हुआ हूं। दोनों प्रस्तावित संशोधनों का समर्थन करने खड़ा हुआ हूं।

भारत सरकार ने और पंजाब गवर्नर शासन ने जिन कठिनाइयों के दौरान जिस प्रकार से वहां प्रशासन संभाला है, उसकी जितनी तारीफ की जाए वह कम है। अभी यहां कहा गया, यह आलोचना की गई कि सरकार उग्रवाद गतिविधियों को, टैरेरिस्ट एक्टिविटीज को समाप्त करने में इतने लम्बे समय के बाद भी नाकाम रही है। मैं अपने दोस्तों को, विरोध के भाइयों को याद दिलाना चाहूंगा कि टैरेरिस्ट एक्टिविटीज को समाप्त करना इतना आसान नहीं है। अगर इतिहास के पन्नों को वे पलटें तो वे देखेंगे कि आयरलैंड में पिछले सौ सालों में संसार की सबसे बड़ी ताकत, जहां सूरज गरूब नहीं होता था, अंग्रेजों की सरकार ब्रिटिश सरकार भी सौ सालों के अन्दर इन टैरेरिस्ट एक्टिविटीज को समाप्त नहीं कर पाई और यहां तक कि वहां के बागी नेता डी० वलेरा के सत्ता में आने के बाद भी गतिविधियां समाप्त नहीं हुई। हाल ही में कुछ साल पहले उन्होंने जो अपनी आखिरी ट्राफी ली, वह भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबैटन की ली को बम से उड़ाकर, उनकी और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या करके ली और आज तक वे गतिविधियां चल रही हैं। अंग्रेजों की सरकार भी उन्हें समाप्त नहीं कर पाई। यह बात खास ध्यान रखने की है कि भारत में जब हम उग्रवाद का विरोध करते हैं, टैरेरिस्ट एक्टिविटीज का विरोध करते हैं तो यह हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हमारी सभ्यता, हमारा कल्चर, हमारी तहज़ीब, हमारा तमद्दुन, हमारे अकीदे, हमारी मान्यताएं, हमारा विश्वास और हमारी नीतियां सदैव से ही टैरेरिज्म के खिलाफ रही हैं। मैं सदन को याद दिलाना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान में पहली बार जब अंग्रेज वायसराय के ट्रेन को उग्रवादियों ने बम से उड़ाने की कोशिश की थी, तो उस समय कांग्रेस कमेटी ने निन्दा का प्रस्ताव पास किया था। उस प्रस्ताव को और किसी ने नहीं, खुद महात्मा गांधी ने ड्राफ्ट किया था और इस टैरेरिस्ट एक्टिविटी की निन्दा की थी। यही नहीं पंडित नेहरू ने जबकि आजादी के जमाने में जब उग्रवादी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, खुद पंडित जवाहर लाल नेहरू ने उस समय भी उग्रवाद की फिलोसॉफी को, आजादी का रास्ता हासिल करने की मंजिल तक पहुंचने के लिए स्वीकार नहीं किया और हमेशा उन्होंने इसकी निंदी की ... और हाउस को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि पं० जवाहरलाल नेहरू एक बार जब कांग्रेस

[श्री अजीज कुरेशी]

पार्टी की मीटिंग से वापस इलाहाबाद आ रहे थे, तो उनकी ट्रेन में उनके कूपे में चार बंगाली टेररिस्ट्स घुस गए और उनसे कहा कि अगर आपने टेररइज्म के खिलाफ अपनी जबान बंद नहीं की, उसके खिलाफ बोलना बंद नहीं किया, तो आपका भी वही हस्र किया जाएगा, जो भारत के दुश्मन अंग्रेज का करते हैं और आपकी जबान भी खामोश कर दी जाएगी। मुझे याद आ रहा है कि पं० जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में, अपनी ओटोबायग्राफी में इस घटना की चर्चा की है और चर्चा करते समय उन्होंने लिखा है कि मुझे वे लोग, वे जवान याद आ रहे हैं, जिनके पीले और सूखे चेहरों पर सच्चाई की झलक थी और जब वे मुझे वार्निंग दे रहे थे, तो उस वक्त ट्रेन चल दी और वे लोग ट्रेन से कूद गए। आज पता नहीं, वे कहां होंगे। वे लोग या तो किसी अंग्रेज सिपाही की गोली का निशाना बन गए होंगे या काले पानी की सजा काट रहे होंगे या जेल में होंगे लेकिन काश अगर मैं उनका नाम व पता पूछ लेता, तो उनसे यह कहता कि भारत की आजादी की मंजिल तक पहुंचने के लिए उग्रवाद के अलावा और भी रास्ता है और वह रास्ता शान्ति का रास्ता है और अहिंसा का रास्ता है। इस पर चलकर हम अपनी उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं।

सभापति महोदया, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि उग्रवाद का जो विरोध हम कर रहे हैं, सरकार कर रही है और प्रधान मन्त्री जी की जो बातें हम सुन रहे हैं, वे भारत के लिए कोई नई बात नहीं है बल्कि हमेशा हमने उग्रवाद का विरोध किया है और उसकी फिलासफी की निन्दा की है लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अगर कोई यह समझे कि उग्रवाद को, टैररइज्म का बन्दूक की गोलियों से, ताकत से या सत्ता से हम समाप्त कर देंगे और उसको खत्म करने का केवल यही एक रास्ता है, तो यह बात गलत है। मैं बताना चाहूंगा कि चम्बल की घाटियों के डाकुओं को सरकार की पुलिस और फौज की गोलियां भी खत्म नहीं कर पाईं। चम्बल के डाकुओं की समस्या से निपटने के लिए जब सामने आए, विनोबा जी, जयप्रकाश नारायण जी और वे तमाम लोग जो इस रास्ते पर काम कर रहे थे, तो उनके समझाने पर ही डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया। इसलिए टैररइज्म को भारत से खत्म करने के लिए एक वातावरण का निर्माण करना होगा और लोगों की विचारधारा को जगाना होगा, जागृत करना होगा और समाज के हर तबके का, समाज के हर वर्ग का सहयोग लेकर ही आप भारत से टैररइज्म को मिटाने की बात सोच सकते हैं। उनके लिए एक साइकोलाजी बनानी होगी और वह वातावरण आप जब तक नहीं बना पाएंगे, उस समय तक टैररइज्म को आप समाप्त नहीं कर पाएंगे।

सभापति महोदया, इस संबंध में अपनी आवाज देना चाहूंगा भारत को तमाम प्रगतिशील, तरक्की पसन्द ताकतों को कि उनको एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना होगा। यह लड़ाई भी ऐसी लड़ाई है जैसी कि साम्प्रदायिकता के विरोध में लड़ाई है और जब तक तमाम प्रगतिशील ताकतें, तमाम तरक्की पसन्द अनासिर, उसके लिए साथ मिलकर खड़े नहीं होंगे, उस वक्त तक इस लड़ाई में [illegible] नहीं मिल सकती। इस सिलसिले में खासतौर से मैं चर्चा करना चाहूंगा और मुबारकबाद देना चाहूंगा पंजाब की दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों को और वहां की उन तमाम तरक्कीपसन्द ताकतों को, जिन्होंने टैररइज्म का विरोध किया है और साथ-ही-साथ पंजाब सरकार के तमाम उन बहादुर कार्यकर्ताओं को, वहां की पुलिस को और सबसे बढ़कर वहां की जनता को, जो एक साथ मिलकर यह निश्चय कर चुकी है कि उग्रवाद की इस राज्य में कोई जगह नहीं है और उग्रवाद का मुकाबला हम कोने-कोने में करेंगे। यहां पर बहुत से साथियों द्वारा इस बारे में बहुत-सी बातें कही गई है और

उन्हीं बातों में शामिल होकर, मैं जो यह कहना चाहूंगा कि पंजाब में जो हमारे सिख भाई हैं, जिनकी तारीख बहादुरी और वीरता की तारीख है और हिन्दुस्तान में जब भी हमला हुआ, जब भी कोई मुसीबत आई, आक्रमण हुए, तो सबसे पहले जिन लोगों ने उसका मुकाबला किया, अपना सीना खोलकर तलवारें और गोलियां खाईं, तो उसमें भी हमारे सिख भाई सबसे आगे थे और इतिहास के पन्नों पर जो खून की तारीख लिखी गई है, उसमें हमारे सिख भाइयों का खून सबसे गहरा और सबसे सुर्ख उसमें शामिल है। जो कई बातें कही गई। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इन तमाम बातों के साथ-साथ हमारे सिख समुदाय को हमें इस बात का एहसास कराना होगा और पक्का यकीन दिलाना होगा कि वे इस देश के प्रत्येक क्षेत्र में तमाम चीजों के बराबर वारिस हैं और उनकी सभ्यता, कल्चर, धर्म सब की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है और इसके लिए सभी समुदाय पूरी कोशिश करेंगे। यह यकीन शहरों में ही नहीं, बल्कि गांवों के लोगों को भी पक्की तौर पर कराना होगा। जब तक हम यह नहीं कर पाएंगे तब तक इस समस्या का निराकरण पूरी तरह से हल नहीं कर पाएंगे।

सभापति महोदया, पंजाब की पुलिस ने बड़ी बहुत बहादुरी और वीरता से काम किया है। लेकिन मैं एक सुझाव शासन को देना चाहूंगा। पंजाब के जो पहले डी० जी० पी० थे जो कि आजकल गवर्नर के एडवाइजर हैं, उनके नेतृत्व में पुलिस ने शानदार कारनामे हासिल किए थे और बहुत शानदार तरीके से अपने कर्तव्य का पालन किया था। मैं यह कहना चाहूंगा कि पुलिस को टैरोरिस्ट्स या उग्रवादियों से डील करते वक्त यह बात उनके सामने बिल्कुल साफ होनी चाहिए कि वे किसी मुजरिम, स्मगलर्स, गैंगस्टर्स, बूटलेगर्स से डील नहीं कर रहे हैं, उनका मुकाबला नहीं कर रहे हैं। वह उनसे जिस तरह से डील करती है, जिस तरह से उनका मुकाबला करती है, उस तरह से टेरोरिस्ट्स या उग्रवादियों से पुलिस को डील नहीं करना है। क्योंकि टेरोरिस्ट्स के चाहे उद्देश्य या तरीका कितना ही गलत क्यों न हो लेकिन उनके मन में एक मिशन और स्प्रिट होती है जिसके साथ वे सामने आते हैं। उनसे उसी तरह से पुलिस को डील करनी चाहिए। पुलिस के मन में यह बात पैदा करनी चाहिए तभी जा करके समस्या को हम हल कर पाएंगे।

सभापति महोदया, पंजाब के अन्दर जनता में और तमाम तबकों में एक अवेरनेस आई है। उनमें यह जागृति पैदा हुई है कि हमें उग्रवादियों का मुकाबला करना है। यह अवेरनेस प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी की नीतियों, केन्द्र सरकार की नीतियों की वजह से आई है और आज वहां के हालात आपके सामने हैं। आज वे लोग एकमत, एक राय होकर के एकजुट हो गए हैं। उनका यकीन पक्का हो गया है कि पंजाब के अन्दर जब तक इस दानव को दूर नहीं कर पाएंगे या इससे मुक्त नहीं हो पाएंगे तब तक कोई अच्छा सन्देश, कोई अच्छी सुबह पंजाब में आने वाली नहीं है।

जहां तक मुल्क के बंटवारे की बात है, तमाम हमारे समझदार सिख भाई इस बात को जानते हैं कि खालिस्तान बनने का इस देश के अन्दर कोई सवाल पैदा नहीं होता। यह तारीख गवाह है कि एक 15 अगस्त 1947 की भयानक सुबह को पंजाब की सरहद पर सूरज दो टुकड़े होकर के निकला था। उस सुबह खून से हमने मुल्क की आजादी का खैरमकदम किया था। लेकिन आज पंजाब का हर नागरिक इस बात पर यकीन रखता है कि दुबारा इस मुल्क को तकसीम नहीं होने देंगे, इस सूरज को तकसीम नहीं होने देंगे। अखण्डताप्रदायक, गैर-मजहबी और तरक्कीपसंद हिन्दुस्तान की तरक्की में अपना-अपना पूरा-पूरा योगदान करेंगे।

मैं इन शब्दों के साथ इन दोनों बिलों का समर्थन करता हूं।

[جناب عزیز قریشی (ستنا) : سبھاپتی مہودے، میں زیر بحث دونوں بلوں میں مجوزہ ترمیموں کی تائید کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ دونوں نے پرستاوت سنشودھنوں کا سمرتھن کرنے کھڑا ہوا ہوں۔ بھارت سرکار نے اور پنجاب گورنر شاسن نے جن کٹھنائیوں کے دوران جس پرکار سے وہاں پرشاسن سنبھالا ہے اس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ ابھی یہاں کہا گیا یہ آلوچنا کی گئی کہ سرکار اگروادی گتی ودھیوں کو ٹیررسٹ ایکٹوٹیز کو سماپت کرنے میں اتنے لمبے سمے کے بعد بھی ناکام رہی ہے۔ میں اپنے دوستوں کو ورودھ کے بائیوں کو یاد دلانا چاہوں گا کہ ٹیررسٹ ایکٹوٹیز کو سماپت کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر اتہاس کے پنوں کو وہ پلٹیں تو وہ دیکھیں گے کہ آئرلینڈ میں پچھلے سو سالوں میں سنسار کی سب سے بڑی طاقت جہاں سورج غروب نہیں ہوتا تھا انگریزوں کی سرکار برٹش سرکار بھی سو سالوں کے اندر ان ٹیررسٹ ایکٹوٹیز کو سماپت نہیں کر پائی اور یہاں تک کہ وہاں کے باغی نیتا بی وریا کے ستا میں آنے کے بعد بھی گتی ودھیاں سماپت نہیں ہوئی۔ حال ہی میں کچھ سال پہلے انہوں نے جو اپنی آخری کڑائی لی وہ بھارت کے پہلے گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی استری کو بم سے اڑا کر ابھی اور ان کے پریوار کے سدسیوں کی ہتیا کر کے لی اور آج تک وہ گتی ودھیاں چل رہی ہیں۔ انگریزوں کی سرکار بھی انہیں سماپت نہیں کر پائی۔ یہ بات خاص دھیان میں رکھنے کی ہے کہ بھارت میں جب ہم اگرواد کا ورودھ کرتے ہیں ٹیررسٹ ایکٹوٹیز کا ورودھ کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہماری سبھیتا ہمارا کلچر ہماری تہذیب ہمارا تمدن ہمارے عقیدے ہماری مانیتائیں ہمارا وشواس اور ہماری نیتیاں صدیوں سے ہی ٹیررازم کے خلاف رہی ہیں۔ میں سدن کو یاد دلانا چاہوں گا کہ ہندوستان میں جب پہلی بار جب انگریز وائسرائے کے ٹرین کو اگروادیوں نے بم سے اڑانے کی کوشش کی تھی تو اس سمے کانگریس کمیٹی نے نندا کا پرستاؤ پاس کیا تھا۔ اس پرستاؤ کو اور کسی نے نہیں خود مہاتما گاندھی نے ڈرافٹ کیا تھا اور اس ٹیررسٹ ایکٹوٹی کی نندا کی تھی۔ یہی نہیں پنڈت نہرو نے جنگ آزادی کے زمانے میں جب اگروادی بھارت کی سوتنترتا کے لیے لڑ رہے تھے خود پنڈت جواہر لال نہرو نے اس سمے بھی اگروادی فلاسفی کو آزادی کا راستہ حاصل کرنے کی منزل تک پہنچانے کے لیے سویکار نہیں کیا اور ہمیشہ انہوں نے اس کی نندا کی۔ اور دھارمس کو

میں یاد دلانا چاہوں گا کہ پنڈت جواہر لال نہرو ایک بار جب کانگریس پارٹی کی میٹنگ سے واپس الہ آباد آ رہے تھے تو انکی ٹرین میں ان کے کوچ میں چار بنگالی ٹیررسٹ گھس گئے اور ان سے کہا کہ اگر آپ نے ٹیررزم کے خلاف اپنی زبان بند نہیں کی اسکے خلاف بولنا بند نہیں کیا تو آپ کا بھی وہ حشر کیا جائیگا جو بھارت کے دشمن انگریز کا کرتے ہیں اور آپ کی زبان بھی خاموش کر دی جائیگی۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ پنڈت جواہر لال نہرو نے اپنی آتم کتھا میں اپنی آٹو بایوگرافی میں اس گھٹنا کی چرچا کی ہے اور چرچا کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے وہ لوگ بے زبان یاد آتے ہیں جن کے پیلے اور سرخ چہروں پر سچائی کی جھلک تھی اور جب وہ مجھے وارننگ دے رہے تھے تو اس وقت ٹرین چل دی اور وہ لوگ ٹرین سے کود گئے۔ پتہ نہیں وہ کہاں ہونگے۔ وہ لوگ یا تو کسی انگریز سپاہی کا نشانہ بن گئے ہوں گے یا کالے پانی میں سزا کاٹ رہے ہوں گے یا جیل میں ہوں گے لیکن کاش اگر میں ان کا نام و پتہ پوچھ لیتا تو ان سے یہ کہتا کہ بھارت کی آزادی کی منزل تک پہنچنے کے لیے اگرواد کے علاوہ اور بھی راستہ ہے اور وہ راستہ شانتی کا راستہ ہے اور اہنسا کا راستہ ہے۔ اس پر چل کر ہم اپنی اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔

سبھاپتی مہودے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگرواد کا جو ورودھ ہم کر رہے ہیں سرکار کر رہی ہے اور پردھان منتری جی کی جو باتیں ہم سن رہے ہیں وہ بھارت کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ ہمیشہ ہم نے اگرواد کا ورودھ کیا ہے اور اسکی فلاسفی کی نندا کی ہے لیکن اسکے ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ اگرواد کو ٹیررزم کو بندوقوں کی گولیوں سے طاقت سے یا ستّا سے ہم سماپت کر دیں گے اور اسکو ختم کرنے کا کیول یہی ایک راستہ ہے تو یہ بات غلط ہے۔ میں بتانا چاہوں گا کہ چمبل کی گھاٹیوں کے ڈاکوؤں کو سرکار کی پولیس اور فوج کی گولیاں بھی ختم نہیں کر پائیں۔ چمبل کے ڈاکوؤں کی سمسیا سے نپٹنے کے لیے جب سامنے آئے ونوبا جی، جے پرکاش نارائن جی اور وہ تمام لوگ جو اسی راستے پر کام کر رہے تھے تو ان کے سمجھانے پر ہی ڈاکوؤں نے آتم سمرپن کیا۔ اسلیے ٹیررزم کو بھارت سے ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے ڈھنگ کا سمادھان کرنا ہوگا۔

اور لوگوں کو ہماری دھارائیں کو جھکانا ہوگا۔ جاگرت کرنا ہوگا اور سماج کے ہر طبقے کا سماج کے ہر ورگ کا سہیوگ لیکر ہی آپ بھارت سے ٹیرارزم کو ختم کرنے کی بات سوچ سکتے ہیں اس کے لیے ایک سائیکولوجی بنانی ہوگی اور وہ واتاورن آپ جب تک نہیں بنا پائیں گے اس سمے تک ٹیرارزم کو آپ سماپت نہیں کر پائیں گے۔

سبھاپتی مہودے اس سمبندھ میں اپنی آواز دینا چاہوں گا بھارت کی تمام پرگتی شیل ترقی پسند طاقتوں کو کہ ان کو ایک جٹ ہو کر اس لڑائی کو لڑنا ہوگا۔ یہ لڑائی ہے اور جب تک تمام پرگتی شیل طاقتیں تمام ترقی پسند طاقتیں تمام ضامر اس کے لیے ایک ساتھ مل کر کھڑے نہیں ہوں گے۔ اس وقت تک اس لڑائی میں سپھلتا نہیں مل سکتی۔ اس سلسلے میں خاص طور سے میں جو کہنا چاہوں گا اور مبارکباد دینا چاہوں گا پنجاب کی دونوں کمیونسٹ پارٹیوں کو اور وہاں کی ان تمام ترقی پسند طاقتوں کو جنہوں نے ٹیرارزم کا ورودھ کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پنجاب سرکار کے تمام ان بہادر کاریہ کرتاؤں کو وہاں کی پولیس کو اور سب سے بڑھ کر وہاں کی جنتا کو جو ایک ساتھ مل کر نشچے کر چکی ہے کہ اگرواد کی اس راجیہ میں کوئی جگہ نہیں ہے اور اگرواد کا مقابلہ ہم کونے کونے میں کریں گے۔ یہاں پر بہت سے ساتھیوں دوارا اس بارے میں بہت سی باتیں کہی گئی ہیں اور انہیں باتوں میں شامل ہو کر میں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ پنجاب میں جو ہمارے سکھ بھائی ہیں جن کی تاریخ بہادری اور ویرتا کی تاریخ ہے اور ہندوستان میں جب بھی حملہ ہوا جب بھی کوئی مصیبت آئی آکرمن ہوئے تو سب سے پہلے جن لوگوں نے اس کا مقابلہ کیا اپنا سینا کھول کر تلواریں اور گولیاں کھائیں تو اس میں بھی ہمارے سکھ بھائی سب سے آگے تھے اور اتہاس کے پنوں پر جو خون کی تاریخ لکھی گئی ہے اس میں ہمارے سکھ بھائیوں کا خون سب سے گہرا اور سب سے سرخ اس میں شامل ہے۔ تو کئی باتیں کہی گئیں۔ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ ہمارے سکھ سمودائے کو ہمیں اس بات کا احساس کرانا ہوگا اور یہ یقین دلانا ہوگا کہ وہ اس دیش کے پرتیک چھیتر میں تمام [illegible] حصہ دار رہے ہیں اور ان کی بھاونا کو [illegible]

سب کی رکھشا کرنا ہم سب کا کرتویہ ہے اور اس کے لیے سبھی سمودائے پوری کوشش کریگا۔ یہ یقینی شہروں میں ہی نہیں بلکہ گاؤں کے لوگوں کو بھی پکی طور پر کرانا ہوگا۔ جب تک ہم یہ نہیں کر پائیں گے تب تک اس سمسیا کا نراکرن پوری طرح سے ہم نہیں کر پائیں گے۔

سبھاپتی مہودے۔ پنجاب کی پولیس نے وہاں بہت بہادری اور ویرتا سے کام کیا ہے۔ لیکن میں ایک سجھاؤ شاسن کو دینا چاہوں گا۔ پنجاب کے جو پہلے ڈی جی پی تھے جو کہ آج کل گورنر کے ایڈوائزر ہیں ان کے نیترتو میں پولیس نے بہت شاندار کارنامے حاصل کیے تھے اور بہت شاندار طریقے سے اپنے کرتویہ کا پالن کیا تھا۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پولیس کو ٹیررسٹ یا اگروادیوں سے ڈیل کرتے وقت یہ بات ان کے سامنے بالکل صاف ہونی چاہیے کہ وہ کسی مجرم اسمگلرس گینگسٹرس بوٹلیگرس سے ڈیل نہیں کر رہی ہے ان کا مقابلہ نہیں کر رہی ہے۔ وہ ان سے جس طرح سے ڈیل کرتی ہے جس طرح سے ان کا مقابلہ کرتی ہے اس طرح سے ٹیررسٹس یا اگروادیوں سے پولیس کو ڈیل نہیں کرنا ہے۔ کیونکہ ٹیررسٹس کے پیچھے آئیڈیلوجی یا عقیدے کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو لیکن ان کے من میں ایک مشن اور اسپرٹ ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ سامنے آتے ہیں۔ ان سے اسی طرح سے پولیس کو ڈیل کرنا چاہیے۔ پولیس کے من میں یہ بات پیدا کرنی چاہیے تبھی جا کر کے سمسیا کو ہم حل کر پائیں گے۔

سبھاپتی مہودے پنجاب کے اندر جتنے بھی ادر تمام طبقوں میں ایک اوئیرنیس آ گئی ہے۔ ان میں یہ جاگرتی پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں اگروادیوں کا مقابلہ کرنا ہے۔

یہ اویئرنیس پردھان منتری شری راجیو گاندھی کی نیتیوں، ایک تر
سرکاری نیتیوں کی وجہ سے آئی ہے۔ اور آج وہاں کے حالات آپ
کے سامنے ہیں۔ آج وہ لوگ ایک مت ایک رائے ہو کر ایک جٹ
ہو گئے ہیں۔ ان کا یقین پکا ہو گیا ہے کہ پنجاب کے اندر جب تک
اس داتو کو دور نہیں کر پائیں گے یا اس سے ملک نہیں ہو پائیں گے۔
تب تک کوئی اچھا سویرا کوئی اچھی صبح پنجاب میں آنے والی نہیں ہے۔
جہاں تک ملک کے بٹوارے کی بات ہے تمام ہمارے سمجھدار سکھ
بھائی اس بات کو جانتے ہیں کہ خالصتان بننے کا اس دیش میں کوئی
سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک پندرہ اگست
۱۹۴۷ کی بھیانک صبح کو پنجاب کی سرحد پر سورج دو ٹکڑے ہو کر
نکلا تھا۔ اس صبح خون سے ہم نے ملک کی آزادی کا خیر مقدم کیا تھا
لیکن آج پنجاب کا ہر ناگرک اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ دوبارہ
اس ملک کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے اس سورج کو تقسیم نہیں
ہونے دیں گے۔ آسپیرد ایک غیر مذہبی اور ترقی پسند ہندوستان
کی ترقی میں اپنا اپنا پورا پورا یوگدان کریں گے۔
میں ان شبدوں کے ساتھ ان دونوں بلوں کا سمرتھن
کرتا ہوں۔

[अनुवाद]

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। वर्ष 1985 में भी इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय हमने शंकाएं व्यक्त की थीं कि इस प्रकार इसका उपयोग किया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि पंजाब में इस अधिनियम के अन्तर्गत कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है और किस प्रकार कर्मकारों के खिलाफ इस अधिनियम का उपयोग किया गया है। उत्तर प्रदेश, गुजरात और देश के अन्य भागों में कर्मकारों को दबाया गया है जहां लोग अपनी मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। मुझे मालूम हुआ है कि आतंकवाद (निवारण) अधिनियम के प्रयोग से 1,200 से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए हैं। यदि ऐसा है तो इसका स्पष्टीकरण चाहिए।

सभापति महोदया, गृह मंत्री महोदय कह रहे थे कि यह दो विधेयक राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के साथ-साथ लिये जाने चाहिएं। मैं भी समझता हूं कि ऐसा हो होना चाहिए क्योंकि राष्ट्रपति पंजाब का शासन केवल इन कठोर कानूनों की सहायता से चला सकते हैं। यदि यह कानून न होंगे तो राष्ट्रपति शासन अधिक समय नहीं चल सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि केन्द्रीय सरकार और पंजाब की जनता का संबंध ऐसा है कि सरकार की सुरक्षा के लिए ऐसे निष्ठुर कानूनों की आवश्यकता है।

मुझे और भी एक शंका है। राष्ट्रपति शासन में 59वें संविधान (संशोधन) अधिनियम का प्रयोग करते हुए यह सरकार इन सभी बातों को एक राजनीतिक उद्देश्य से इकट्ठा कर रही है। राजनीतिक उद्देश्य यह हो सकता है कि मूल्यांकन करने पर सरकार को लगता है कि वे संसद के लिए चुनाव नहीं करा सकते हैं और यदि वे ऐसा समझते हैं कि आपातस्थिति लागू करनी है तो ऐसे उपबन्ध भी हैं। 59वें संविधान (संशोधन) अधिनियम के सहारे और राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के साथ-साथ और केवल ऐसे निष्ठुर कानूनों की सहायता के साथ आपातस्थिति लागू की जा सकती है। ऐसी सरकार जिसका कार्यकाल समाप्त होने वाला है और जिसे फिर से जनता के समक्ष जाना है, को सत्ता में बने रहने के लिए कानूनों की आवश्यकता नहीं है। मुझे पूरी शंका है कि इन निष्ठुर कानूनों से लोकतांत्रिक सिद्धान्तों के विपरीत कानून लागू करने और पुनः दोहराने से सरकार को एक शंका है कि क्या संसदीय चुनाव कराएं या नहीं, आपातस्थिति लागू करें या नहीं। वे यह जब ऐसे निष्ठुर कानून पारित होते हैं और राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाई जाती है तो वे यह सोच रहे हैं कि क्यों 59वें संविधान (संशोधन) अधिनियम का सहारा लिया जाए। इससे मुझे इस सरकार की नेकनीयती के संबंध में शंका उठती है कि सरकार किस दिशा में जा रही है। मैं चाहूंगा कि सरकार स्पष्ट रूप से व्यक्त करे कि संसदीय चुनावों के प्रति इनका क्या व्यवहार है या मेरी शंका सही है। मैं इन बातों का उत्तर चाहता हूं जब वे इन निष्ठुर कानूनों को लागू करने की मांग करते हैं।

मैं भी श्री ई० अय्यपू रेड्डी के मुद्दे का समर्थन करता हूं कि इस कानून से विश्व में अन्य स्थानों पर जनता के मन में बहुत गलत राय बनी है। "एम्नेस्टी इन्टरनेशनल" ने भी अपनी रिपोर्ट में इस कानून की छाया में हो रही हत्याओं के संबंध में लिखा है। जो समाचार पत्रों में मुठभेड़ के रूप में जो समाचार रोज आते हैं, हमें नहीं मालूम कि इन मुठभेड़ों का क्या कारण है और कौन लोग मारे जाते हैं। यह बातें उन लोगों को न बताई जाती हैं और न ही स्पष्ट की जाती हैं जो कुछ जानना चाहते हैं। मैं केवल गृह मन्त्री का उद्धरण देना चाहता हूं जो राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के संबंध में यहां एक वक्तव्य दे रहे थे कि पंजाब मेंपूरी शान्ति है। वे पंचायती चुनाव कराने को तैयार हैं। यदि वे पंजाब में पंचायती चुनाव कराने को तैयार हैं तो इस अधिनियम को और अधिक क्यों बढ़ाया जा रहा है, मुझे तो इसका तर्क समझ नहीं आ रहा है। यदि पंचायत चुनाव कराये जा सकते

[श्री तम्पन थामस]

हैं और स्थिति इतनी सामान्य है, तो उन्होंने स्वयं मान लिया कि पंजाब में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो खालिस्तान का समर्थक है।

उन्होंने बताया कि 292 पुलिस स्टेशनों में आतंकवाद और आतंकवादी गतिविधियों का भय समाप्त हो गया है और वहां सामान्य शासन है। यदि ऐसा मामला है तब वे ऐसे कानन की अवधि क्यों बढ़ाना चाहते हैं? वे इन कानूनों की शरण क्यों ले रहे हैं। अतः मेरा सन्देह इस तथ्य के कारण दुगुना हो गया हैं।

इस संबंध में, मैं उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। उच्चतम न्यायालय ने बार-बार कहा है कि इस प्रकार के कठोर कानूनों को संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए बल्कि सामान्य कानूनों को लागू किया जाना चाहिए। इस अधिनियम के बारे में विधि शास्त्र में कुछ और ही कहा गया है। इस मामले में प्रमाण का दायित्व अभियुक्त पर है। जिन व्यक्तियों को राजनीतिक कारणों से अथवा बुरे इरादे अथवा पुलिस अधिकारी निजी बैरभाव के कारण गिरफ्तार करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जमानत का मौका दिये बिना ही जेल में डाल दिया जाता है। इससे जमानत का अधिकार समाप्त हो जाता है बल्कि जेल का शासन चलता है। ये हमारे देश की विधि व्यवस्था में आधारभूत परस्पर विरोधी बातें हैं।

अतः इस प्रकार के कानूनों की अवधि को बढ़ाये जाने का मैं पूर्णतया विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम जो सदन में प्रस्तुत किया गया है, उस बारे में अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। यह जो अमेंडमेंट प्रस्तुत हुआ है इसमें दिया हुआ है:

फोर दि, वर्ड्स "टू इयर्स" दि वर्ड्स "फोर इयर्स" शुड बी-सब्स्टीट्यूटेड।

मैं यह चाहता हूं कि फोर इयर्स की जगह थ्री इयर्स सब्सटीच्यूट किया जाए तो उचित रहेगा क्योंकि आप यह सोच रहे हैं कि ये आतंकवादी गतिविधियां इतने अरसे तक कायम नहीं रहनी चाहिए और हमें विश्वास है कि आतंकवादी गतिविधियाँ समाप्त हो जायेंगी। पंजाब में आतंकवादी गतिविधियां रोकने के लिए केन्द्र सरकार काफी ठोस कार्यवाही कर रही है। अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसके मुताबिक आतंकवादी पकड़े व मारे जा रहे हैं। इसके अलावा पुलिस कर्मचारी, कांग्रेसी कार्यकर्ता, कम्यूनिस्ट पार्टी के सदस्य व अन्य महत्वपूर्ण सदस्य मारे गए हैं और मारे जा रहे हैं। इसके बावजूद भी वहां सांप्रदायिक सद्‌भाव है। आतंकवादी कार्यवाहियों के बाद हिन्दू और सिखों के बीच में इस तरह का सद्‌भाव होना, एक बहुत बड़ी सफलता है। इसके बावजूद कृषि व औद्योगिक उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। हम विधान सभा के चुनाव कराना उचित नहीं समझते इसलिए इस टर्म को भी छह महीने बढ़ाने का निर्णय लिया गया। मेरा यह विचार है कि हमें ग्राम पंचायतों के चुनाव भी नहीं कराने चाहिए। इन ग्राम पंचायतों के चुनाव में राजनीतिक पार्टियां अवश्य ही भाग लेंगी। इन चुनावों में हमारी ताकत का परीक्षण होता है। जब राजनीतिक पार्टियां भाग लेंगी तो अवश्य ही तनाव पैदा होगा। उस तनाव के अन्दर आतंकवादियों को एक इस तरह का मौका मिलेगा जिससे हिंसा और बढ़ेगी। मेरा यह दृढ़ मत है कि जब हमने यह निर्णय लिया है कि विधान सभा के चुनाव नहीं कराएं जाएं तो फिर हमको पंचायतों के चुनाव भी नहीं कराने चाहिए।

जो सीमावर्ती क्षेत्र के जिले हैं जैसे अमृतसर और गुरदासपुर, उनमें किसी भी सूरत में पंचायतों के चुनाव नहीं कराने चाहिए।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उसका कारण क्या है।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : उन सीमावर्ती क्षेत्रों के अन्दर आतंकवादी गतिविधियां बहुत जोरों पर हैं। अभी तक भी उनके जोर को समाप्त नहीं कर सके हैं, इसलिए यह उठाने की आवश्यकता है। अभी भी पाकिस्तान का रुख, लोकतांत्रिक सरकार होने के उपरान्त भी परिवर्तन नहीं आया है। आज भी वहां ट्रेनिंग दी जाती है और आतंकवादियों को उनका समर्थन मिल रहा है। इस सम्बन्ध में विदेशी ताकतें जो उनकी मदद कर रही हैं उनके सम्बन्ध में हमने जो कदम उठाये हैं उसमें हमें सफलता मिली है। इस सम्बन्ध में और कदम उठाने की कोशिश हमें करनी चाहिए जिससे इन आतंकवादी गतिविधियों पर काबू पाया जा सके। पंजाब में ऐसा वातावरण पैदा किया जाना चाहिए जिससे अकाली दल जो बातचीत नहीं करना चाहता है, जो आतंकवादियों का विरोध नहीं करता है और उनकी कार्यवाहियों की निन्दा नहीं करता है तो वह भी सभी दलों के साथ बातचीत के लिए तैयार हो जाये। इस तरह का वातावरण बनाने से जो आतंकवादी शक्तियां हैं और खालिस्तान की मांग जो लोग कर रहे हैं, हालांकि पंजाब की जनता खालिस्तान नहीं चाहती है और वहां पर इसका कोई समर्थन नहीं कर रहा है, यह आन्दोलन कमजोर हो जायेगा और अपने आप दब जायेगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम कोशिश करें कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, जो समान विचारधारा के हैं और जो नहीं भी हैं उनके साथ बातचीत करके कोई न कोई रास्ता निकालकर ऐसी परिस्थिति पैदा करें जिससे वहां लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हो, विधान सभा के चुनाव हों। इस स्थिति के लिए हमें जल्दी से जल्दी कोशिश करनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री अमल दत्ता (डायमंड हार्बर) : महोदया, ये दो विधेयक जिनके कुछेक प्रावधानों की अवधि बढ़ायी जानी है, ये दंड सम्बन्धी विधि व्यवस्था के सभी नियमों के लिए एक चुनौती है। पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाया जाना भी इस कानून का एक हिस्सा है और यह एक दूसरे का परिणाम हैं। जब हम राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाते हैं और लोकतन्त्र के सिद्धांत और एक लोकप्रिय सरकार के शासन की उपेक्षा करते हैं तब इसके सिवाय और कोई विकल्प नहीं होता कि इस प्रकार के सख्त कदम उठा कर जनता को काबू किया जाए। सरकार अपने ही बुने हुए जाल में फंस गई है जिससे अब उन्हें स्वयं को निकालना कठिन हो गया है।

हम जानते हैं कि दांडिक विधि व्यवस्था में कुछेक सिद्धान्त होते हैं जैसे एक व्यक्ति तब तक निर्दोष समझा जाता है जब तक कि उसका अपराध साबित न हो जाए। परन्तु इस विधेयक में अपने खिलाफ सबूत प्रस्तुत करने का दायित्व स्वयं अभियुक्त का ही है। उसे किसी साधारण न्यायालय में नहीं बल्कि विशेष न्यायालय में जाकर सबूत देना होगा कि वह निर्दोष है। उसके खिलाफ सारे आरोप जैसे सह-अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकरण इत्यादि जो एक दांडिक न्यायालय में स्वीकार नहीं किये जाते हैं, उन्हें इस न्यायालय में सबूत के रूप में मान लिया जाता है। ये सख्त कदम हैं और मेरे विचार में सरकार भी इससे इंकार नहीं करेगी। परन्तु वे ये कहते हैं कि पंजाब की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये आवश्यक हैं मानो यह स्थिति सरकार द्वारा न बनाई गई हो। हम पंजाब अशांति के इतिहास से

[श्री अनल दत्ता]

अवगत हैं जो उस समय अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही थी और उस समय सन 1980 में सत्तारूढ़ पार्टी तथा वर्तमान सरकार ने इस अशांति का लाभ उठाते हुए इसे और बढ़ावा देने के लिए सम्प्रदायवाद का प्रयोग किया है तथा इसे ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां इसने हिंसा का रूप धारण कर लिया है। इस हिंसा को समाप्त करने के लिए भी सरकार ने अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठाये। आज भी पंजाब में राष्ट्रपति शासन को उचित ठहराने के प्रयास में सरकार यही दावा करती है कि पंजाब की स्थिति में सुधार हुआ, उनका कहना है कि अधिकतर पुलिस स्टेशन आतंकवादियों से प्रभावित नहीं हैं बल्कि कुछ ही पुलिस स्टेशन आतंकवाद से प्रभावित हैं।

6.50 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अब यदि स्थिति में सुधार हुआ है तो राष्ट्रपति शासन अथवा इन कठोर उपायों की क्या आवश्यकता है जो दांडिक विधि व्यवस्था के सिद्धान्तों की भी उपेक्षा करते है। एक तरफ सरकार यह दावा करती है कि उसकी नीतियां सफल हुई हैं और दूसरी तरफ नीतियों के नाकामयाब हो जाने पर आवश्यक उपाय करती है। यह कहती कुछ है और व्यवहारिक रूप में कुछ और करती है। हमें सरकार के दावों को नहीं बल्कि इसके आचरण को देखना चाहिए। आचरण से प्रतीत होता है कि स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। अतः इसका क्या कारण है कि इन आठ वर्षों में सरकार ने ये उपाय किए हैं। कुछ तो इनमें से आठ वर्ष पुराने भी नहीं हैं। परन्तु पंजाब में पिछले आठ वर्षों से सरकार कम या अधिक किसी न किसी रूप में आतंकवाद से संघर्ष कर रही है। सरकार की असफलता का क्या कारण है? इसका कारण सफल होने की इच्छा में कमी होना है। सरकार उन व्यक्तियों के पास नहीं गई है जो असंतुष्ट हैं और जो भारत से बाहर जाना चाहते हैं। सरकार ने उनसे कोई सम्पर्क नहीं किया है। राजनीतिक प्रक्रिया आरम्भ करने की जिम्मेदारी उस पार्टी की होती है जो सत्ता में होती है परन्तु इसके विरुद्ध किये गये दावों व विरोध के बावजूद सरकार ने जनता से सम्पर्क करने का जरा भी प्रयास नहीं किया है। दूसरी तरफ, पार्टी जैसे हमारी पार्टी सी० पी० एम० और सी० पी० आई० अभी भी जनता से सम्पर्क बनाए हुए हैं तथा वे व्यक्तियों को शिक्षित करती हैं और उन्हें अपनी स्थिति तथा उसके कारणो से अवगत कराती हैं। यदि वे असंतुष्ट होते हैं या उनकी कुछ शिकायतें होती हैं तो हमारी पार्टी उन्हें बताती है कि इस असंतोष अथवा शिकायतों के लिए कौन जिम्मेवार है। हम जनता के पास जाते है न कि सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी। वे सीमा पार होने वाले प्रशिक्षण-कैंपों और हथियारों की तस्करी के लिए पाकिस्तान पर आरोप लगाते हैं। अच्छा ठीक है। आठ वर्षों से लगातार ऐसा क्यों हो रहा है? आप सीमा को ही पूर्ण रूप से "सील" क्यों नहीं करते? आज भी आप सीमा को "सील" नहीं कर सके है। अतः क्षोभ के ये सभी स्रोत मौजूद हैं और उन व्यक्तियों व आतंकवादियों को प्रोत्साहन देते हैं जो हथियारों, शस्त्रों और नशीली दवाओं की तस्करी करते हैं और नशीली दवाओं के धन्धे से पैसा कमाते हैं और आतंकवादी गतिविधियों के लिए पैसा देते हैं।

विश्व में भारत नशीली दवाओं के धन्धे के लिए मशहूर हो गया है। यह अत्यन्त दुखदायक स्थिति है। एक तरफ हम उपदेश देते हैं और दूसरी तरफ नशीले पदार्थों के धन्धे को हम सीमा को "सील" न करके बढ़ावा दे रहे हैं जो कि हर मामले में "सील" किया जाना चाहिए। क्या सरकार सक्षम नहीं है अथवा क्या सरकार ऐसा करना नहीं चाहती अथवा क्या सरकार इस स्थिति को बनाए रखना चाहती है? मेरे विचार से अन्तिम कारण हो सकता है जिससे जब सरकार चाहे, आतंकवादी गतिविधियों को उस स्थिति में पहुंचाया जा सके जिससे देश में साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न

हो जाये तथा सरकार को आगामी चुनावों, जो अब अधिक दूर नहीं हैं, को जीतने में मदद मिल सके। दूसरे शब्दों में, सरकार वह सब कर सकती है जो राजनीतिक लेख लिखने वाले लेखक लिख रहे हैं। वे सिक्खों का उपयोग हिन्दू प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। इसका निष्कर्ष यह है कि सरकार आगामी चुनाव में विजय की आशा करती है। सरकार का वास्तविक इरादा यही है। और इसीलिए राष्ट्रपति शासन को जारी रखा गया और इस कठोर उपाय को भी जारी रखा गया। एक तरफ सरकार कहती है कि हम अब से सिर्फ एक महीने बाद अर्थात् मध्य जून में पंजाब में चुनाव करायेंगे। दूसरी तरफ यह कहती है कि पंजाब लोकप्रिय शासन के लिए योग्य नहीं है क्योंकि वहां चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। पंचायत के चुनाव दूर-दराज के गांवों तक में हो सकते हैं परन्तु विधान-सभा अथवा संसदीय चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। क्या यह विश्वास करने योग्य है ? क्या सरकार दोहरी बातें नहीं कह रही है ? अत: यह स्पष्ट है कि सरकार ने पंचायती विधेयक को अपना लिया है। मैं समझता हूं कि पंचायत विधेयक बहुत शीघ्र ही यहां पर लाया जायेगा। पहले ही इसके बारे में काफी बातें हो रही है। यही वह चाल है जिसका प्रयोग सरकार विपक्षी सरकारों और विपक्षी पार्टियों के विरुद्ध चलना चाहती है।

अत: यह एक चुनावी हथकन्डा है। कुछ चुनाव जीतने के लिए पंजाब में राष्ट्रपति शासन और इन कठोर कानूनों की आवश्यकता है। इन अधिनियमों के अन्तर्गत केवल कुछेक व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लेने और उन पर मुकदमा दायर करके सरकार साम्प्रदायिक भावना और आतंकवादी गतिविधियां उत्पन्न कर सकती है और शायद मुठभेड़ भी करा सकती है जैसा कि यह अभी तक करती आ रही है जिसके बारे में अध्यक्ष महोदय पहले ही बता चुके हैं और जिसके बारे में "एम्नेस्टी इंटरनेशनल" जैसे संगठनों ने अपनी टिप्पणियां दी हैं। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इन झूठी मुठभेड़ों की निन्दा की है। भारत को दूसरे देशों को नैतिकता की शिक्षा नहीं देनी चाहिए जब किसी वर्ग विशेष को दबाने के लिए यह स्वयं ऐसी बातें कर रहा है।

ये सभी चुनावों हथकन्डे हैं। सरकार के पास सभी प्रकार के विकल्प हैं ताकि चुनाव जीतने के लिए जिस समय जैसी परिस्थिति हो, उनका प्रयोग कर सके। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और सदन को भी इसे अस्वीकार कर देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आतंकवादी और विध्वंसक क्रिया कलाप निवारण संशोधन विधेयक और चंडीगढ़ विक्षुब्ध क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, दोनों पर बोलना चाहूंगा। यह जो कानून बनाया जा रहा है जिसमें यह कहा है कि कानून की 2 साल की अवधि बढ़ाई जाने वाली है, तो इस तरह के कानून जो जनता के फण्डामेंटल राइट्स को कर्ब करता हो, मैं नहीं समझता कि सरकार को इस बात का हक है कि 5 साल का वक्त जिसका इन्हें मैंडेट मिला है, वह इस साल खत्म होने जा रहा है और इस कानून की अवधि ये 2 साल और बढ़ाने की बात करते हैं। यानी जिस अवधि का इनको अधिकार नहीं है, उस अवधि के लिए भी इस तरह के गैर-प्रजातांत्रिक और जनता के अधिकार को छीनने की बात करते हैं। एक साल में चुनाव होने वाला है और चुनाव के बाद का भी फैसला ये अभी ही कर लेना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इनको इस बात का जनता ने अधिकार नहीं दिया है।

पंजाब के सवाल पर बोलने के पहले मैं सरकार की ओर से जो आतंकवाद किया जा रहा है

[श्री विजय कुमार यादव]

या फैलाया जा रहा है, इसकी चर्चा आपके सामने करना चाहता हूं। जिन लोगों ने आतंकवादी कार्यवाहियों को अपनाया है और जो गलत तरीके से मर्डर कर के और आतंकित कर के अपने उद्देश्यों को पूरा करना चाहते हैं, उसकी निन्दा तो होनी चाहिए और उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन जब सरकार खुद, उसकी पुलिस खुद लोगों की हत्या करती हो, लोगों पर हमला करती हो, तो इसके बारे में विचार किया जाना आवश्यक है। बिहार में इस तरह की दो घटनाएं हुई हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूं। पिछले महीने, अप्रैल में बेगूसराय में खुदाबंदपुर थाने के मैंघोल गांव में जमींदार के इशारे पर, वहां की पुलिस ने रामनरेश सिंह नाम के आदमी को, जो खुद कांग्रेस का आदमी था, जो कोर्ट के आर्डर से जमीन में फसल की कटाई कर रहा था, पुलिस के आदेश पर थाने लाया गया और एस०पी० के आदेश पर उसकी निर्ममतापूर्वक पिटाई की गई और जब उसकी जान जाने लगी, तो अस्पताल में उसे भेजा गया, रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। जब लोगों ने इसका प्रोटेस्ट किया तो पुलिस ने गोलियां चलाईं और इस तरह वहां 4 आदमी मारे गये, एक पुलिस की हाजत में और 3 पुलिस की गोलियों से मरे। अभी पिछले महीने यह घटना हुई है।

दूसरे बिहार के पूर्णिया जिले के रानीगंज थाने के अन्तर्गत मधुलता गाँव में 150 हरिजन 150 झोंपड़ियां बनाकर रहते थे। जमींदारों के इशारे पर पुलिस वहां गई, झोंपड़ियां उन्होंने उजाड़नी चाहीं, जब उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो उन झोंपड़ियों में आग लगा दी गई, उनके दो बच्चों को आग में झोंककर जला दिया गया और अंधाधुन्ध गोलियां चलाई गईं जिसमें 3 हरिजनों की हत्या हुई, और इस तरह की हत्याएं पुलिस की ओर से न केवल बिहार बल्कि और इलाकों में भी की जाती हैं। इसके जरिए आम जनता के जो जनतांत्रिक अधिकार हैं, जो उनकी माँगें हैं, उनको दबाया जाता है और इस तरह से आतंकित करने की नीति अपनाई जाती है। मैं समझता हूं कि इसका सख्त विरोध किया जाना चाहिए और इसे समाप्त किया जाना चाहिए।

बिहार में सत्येन्द्र बाबू के वहां जाने के बाद यह घटना हुई है, मैं कहूंगा कि केन्द्रीय सरकार को राज्य को कहना चाहिए कि सरकार नोटिस ले और वहां के एस० पी० को सस्पेंड करे और जो बाजाप्ता दोषी हैं, उन पर 302 का मुकदमा चलाकर उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको सजा दिलाई जाए।

श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश (चतरा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सत्य नहीं है कि सत्येन्द्र बाबू के वहां जाने की वजह से यह घटना हुई है।

श्री विजय कुमार यादव : मैंने यह कहा है कि उनके वहां जाने के बाद यह घटना हुई है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : यह घटना उनके वहाँ जाने के बाद हुई है।

श्री विजय कुमार यादव : उपाध्यक्ष महोदय, अभी पंजाब की चर्चा की गई और कहा गया कि स्थिति में काफी सुधार है। हमारी पार्टी और सी०पी० (एम) के लोग किस तरह मिलजुलकर वहां आतंकवादियों के खिलाफ सक्रिय हैं, यह सभी को मालूम है लेकिन परिस्थिति को बढ़ा-चढ़ाकर कहना और आंकना कि परिस्थिति में बहुत ज्यादा सुधार हो रहा है, मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। परिस्थिति में सुधार अवश्य हो रहा है लेकिन इसको बढ़ा-चढ़ाकर कहा जा रहा है।

अब स्थित क्या है, वहां के ग्रामीण अंचल में अधिकांश स्कूलों में राष्ट्रीय गान नहीं गाया जा सकता है। अमृतसर और गुरदासपुर जिले के गैर-आबादी वाले लेकिन सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण

ठिकानों पर किले जैसे गुरुद्वारों का निर्माण हो रहा है। आतंकवादियों द्वारा भारत-पाक सीमा के आसपास गैर-आबादी वाले इलाकों में भी गुरुद्वारों का निर्माण धड़ल्ले से किया जा रहा है और इसके लिए दिनदहाड़े अत्याधुनिक हथियार लाए जा रहे हैं। यह गुरुद्वारे सीमा के अगल-बगल में हैं जहां आसानी से सुरंगें बनाई जा सकती हैं और सीमा के उस पार जाया जा सकता है और वहां से आदमी सुरंग के जरिए हमारी सीमा के अन्दर आ सकता है। ये सारी घटनाएं हो रही हैं।

अगर इन घटनाओं के होते हुए हम बहुत ज्यादा यह उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में चुना व के बाद जो नई सरकार बनी है और उस सरकार को कोई बड़ी ताकत मिल गई है तो ऐसी बात नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है, बेनजीर भुट्टो की ताकत की भी एक सीमा है, अभी भी फौजी ताकत वहां सर्वोपरि है। वहां ट्रेनिंग चल रही है और दूसरी तरफ हिन्दुस्तान, पंजाब के मामले में जो नीति बेनजीर भुट्टो अपनाना चाहती हैं, उस नीति को वहां का फौजी शासन अपनाने नहीं देना चाहता है। अगर हम बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं कि परिस्थिति में सुधार होगा तो यह अभी संभव नहीं है।

जहां तक देश के अन्य भागों में और हमारे यहां बिहार में भी नक्सलवादियों और उग्रवादियों का काफी विस्तार हुआ है लेकिन आज अगर आप फौज के बल पर और बुलेट के जरिए उसको दबाना चाहते हैं तो इस तरह से दबाया नहीं जाएगा।

पंजाब में आतंकवाद का मामला दूसरा है और मुल्क के दूसरे हिस्सों में चाहे बिहार हो, आंध्र हो, उन इलाकों में जो उग्रवाद पनप रहा है उसके पीछे आर्थिक कारण और दूसरे कारण हैं। देश में 40 बरस की हुकूमत के बाद भी आज मजदूर, हरिजन और गरीब की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। उन्होंने गलत रास्ता जरूर अपनाया है, आतंकवाद के जरिए समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। आप जो तरीका अपना रहे हैं उनको दबाने का और एनकाउन्टर से उनकी हत्या करने का और सही समस्याओं की तरफ ध्यान न देने का मैं समझता हूं कि इससे समस्याओं का समाधान नहीं होगा। जरूरत इस बात की है कि यह जो उग्रवाद पनप रहा है इसकी जड़ में जो आर्थिक कारण हैं, जो दूसरे कारण हैं उनको देखा जाये और उसका समाधान करने की दिशा में कदम उठाए जायें। आपने यह जो कानून बनाया है और उसका समय जो दो साल और बढ़ाने की बात उसमें की है मैं समझता हूं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस तरह के कानूनों से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : उपाध्यक्ष जी, यह जो पंजाब के लिए कानून लाया गया है मैं समझता हूं कि इससे वहां की स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। मैं जानता हूं कि इस कानून को एकदम खत्म करने से दिक्कतें आयेंगी इसलिए मेरा कहना यह है कि इसकी अवधि को दो साल की बजाय एक साल ही रखा जाये।

माननीय मंत्री जी ने इस सदन को यह बतलाया था कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने से स्थिति में सुधार हुआ है, कानून और व्यवस्था ठीक चल रही है और लोगों की हत्यायें भी कम हो रही हैं। मेरा यह कहना है कि यह सब गलत है। वहां अभी भी रोज मासूम लोगों की हत्यायें हो रही हैं। आप जो यह कानून लाये हैं मैं उसका विरोध करता हूं। आपका यह कानून केवल पंजाब में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लागू हो रहा है। कांग्रेसी और गैर-कांग्रेसी दोनों सरकारें इसका इस्तेमाल कर रही हैं। इस कानून का इस्तेमाल आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और अन्य कई जगहों में हो रहा है। मेरा

[प्रो॰ सी॰ जंगा रेड्डी]

कहना यह है कि इस ऐक्ट का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। इस कारण यह कानून पंजाब के लिए ही बनाया जाना चाहिए और इसकी अवधि एक साल तक की ही रखी जानी चाहिए। इस कानून का आसरा लेकर कांग्रेसी और गैर-कांग्रेसी दोनों सरकारें अपने राजनीतिक दुश्मनों को अरैस्ट करने की कोशिश करती हैं।

आप चंडीगढ़ के लिए जो ऐक्ट ला रहे हैं उसके जरिये सारी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में ले रही है। केवल अपने हाथ में पावर लेने के लिए ही यह कानून बनाया गया है। आपके पास बहुत से कानून हैं लेकिन उन कानूनों का इस्तेमाल ठीक ढंग से नहीं किया जाता है। आपके पास डंडा है, तलवार है, राइफल है और बम है मगर आप किसी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं।

मैं जानता हूं कि आप अगले चुनावों तक इस राजीव-लोंगोवाल एकॉर्ड को लेकर पंजाब में जायेंगे और हिन्दुओं से कहेंगे कि पंजाब की रक्षा करने वाले हम हैं इस कारण हम को वोट दो। लेकिन फिर भी आपको उनके वोट नहीं मिलेंगे। आप जलते हुए पंजाब, जलते हुए देश को अगले चुनावों तक जिन्दा रखना चाहते हैं। इसलिए ही ऐसे कानून बना रहे हैं।

अन्त में मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं आपके द्वारा लाये गये इस बिल का विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

कुछ माननीय सदस्य : चूंकि सभा में बहुत कम सदस्य उपस्थित हैं, अतः मंत्री महोदय इसका उत्तर कल दें और आज के लिए सभा की कार्यवाही स्थगित की जाए।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : यदि सभा की सहमति है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है और कल केवल मंत्री महोदय अपना उत्तर देंगे।

सभाध्यक्ष महोदय : सभा कल प्रातः 11.00 बजे म॰ पू॰ पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

7.09 म॰प॰

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 10 मई, 1989/20 वैशाख, 1911 (शक) के ग्यारह बजे म॰ पू॰ तक के लिए स्थगित हुई।

———

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग्स, न्यू सीलमपुर, दिल्ली-53

पी० एल० एस०—48/50/45/89 (एन०)
185

© 1989 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (छठा संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग्स,
दिल्ली-110053 द्वारा मुद्रित